राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] बारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

बुधवार

04 अक्टूबर, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजगढ़ (अलवर) तहसील क्षेत्र के माडा चयनित ग्रामों हेतु मूलभूत सुविधाएं

1. **श्री कान्तीप्रसाद मीणा** (थानागाजी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में तहसील राजगढ़ सहित कौन-कौन से ग्राम माडा योजना में चयनित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो किस-किस गांव में क्या-क्या सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? अब सरकार इन माडा गांवों में और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: श्री कान्तीप्रसाद मीणा का प्रश्न स्थगित हो गया है क्योंकि पूरी सूचना नहीं आई है।

(स्थगित)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): छठे सत्र में पहला ही प्रश्न स्थगित होना शर्म की बात है सरकार के लिए। (व्यवधान) पहले सत्र में पहला प्रश्न स्थगित होना...

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, जब बहुत अधिक सूचना हो यानी माडा गांवों में और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं, तो सारे ही विभागों से सम्बन्धित हो गया, इतनी विस्तृत सूचना प्राप्त करने में समय भी लगता है और 14 दिनों में यह सूचना प्राप्त नहीं हो सकती थी इसलिए यह स्थगित किया गया है।... (व्यवधान) दूसरा प्रश्न भी स्थगित किया गया है। (व्यवधान) और आप बैठे-बैठे बोलेंगे फिर, ठीक है।

अबीमित सरकारी वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं के कारण व्यय राशि

2. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी वाहन बिना बीमा कराये उपयोग में लिये जा सकते हैं?

(2) क्या सरकारी वाहनों को बीमा नहीं करवाने की छूट मोटरयान अधिनियम में प्रदान की हुई है? यदि हां, तो कब से?

(3) राज्य सरकार को गत तीन वर्षों में विभिन्न दुर्घटनाओं के मुआवजे के रूप में कितनी राशि वहन करनी पड़ी?

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न श्री जोगाराम पटेल का भी स्थगित किया गया है...(व्यवधान) सुनिये, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। तीन वर्षों में विभिन्न दुर्घटनाओं में मुआवजे के रूप में कितनी राशि वहन करनी पड़ी है, इस प्रश्न का जवाब 13-14 दिन में नहीं आ सकता था, इसलिए इसे भी स्थगित किया जा रहा है। मैं समझती हूं, शायद आप सरकार की मजबूरी समझ गये होंगे।

(स्थगित)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि आप अस्वीकार कर सकती हैं। आपने एक्सैप्ट क्यों किया? जब आपने स्वीकार कर लिया तो सरकार के लिए लाजिमी है कि वह जवाब दे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशों को चैलेंज कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम अध्यक्षीय व्यवस्था पर ही ध्यान दिलाना चाहते हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था पर ही हम अध्यक्षजी का ध्यान दिलाना चाहते हैं, ऐसा नियमों में प्रावधान है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह स्वीकार किया है, वह भी आपने ही किया है और यह स्थगित किया है, वह भी अध्यक्षजी ने ही किया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) कोई बात तो सुनो मेरी आप। कोई बात तो सुनें मेरी। कोई ऐसा प्रश्न है जो....

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता की बात तो सुन लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप व्यवस्था नहीं दें।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलें। बोलने दें प्रतिपक्ष के नेता को।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...लेंथी हो, इतने समय में जवाब कलैक्ट नहीं कर सकती सरकार, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आप हैं, लेकिन जब आप स्वीकार कर लेती हैं तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए आप हैं। अब यहां भी आप सरकार को प्रोटैक्ट करती हैं, वहां भी करती हैं, चारों तरफ सरकार को प्रोटैक्ट कर रही हैं, यह कोई बात थोड़े ही हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं तो आपको प्रोटैक्ट करती हूं, सरकार को नहीं करती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं आप पहले दिन से ही...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह पूरा झुंझुनूं जिला जानता है आप किसको प्रोटैक्ट करती हैं? (व्यवधान) पूरा झुंझुनूं जिला जानता है, आप किसको प्रोटैक्ट करती हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, सिर्फ चार दिन तो विधान सभा चलेगी और अध्यक्ष महोदय एक के बाद एक प्रश्न को स्थगित करती जा रही हैं, यह तो कोई बात नहीं हुई, मान्यवर। यह तो पहला अवसर है, किसी भी पक्ष की किसी भी सरकार ने....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसको यह ऐसे-ऐसे करते हैं, इसके टूटने का खतरा है। एक तो, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय के यहां एक डंडा जरूर लगवाएं जिससे कम से कम यह माइक बच जाए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह व्यवस्था आप कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में और निवेदन करना है आपसे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष महोदय के ऊपर किसी प्रकार से इस प्रकार के रिमार्क्स कि आप सत्ता पक्ष का पक्ष ले रही हैं, इधर भी लेती हैं, उधर भी लेती

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हैं, यह बहुत आब्जेक्शनेबल है। यह आसन के प्रति जिस प्रकार के रिमार्क्स हैं, यह असम्मानजनक टिप्पणी है माननीय अध्यक्ष महोदय के ऊपर।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने प्रतिपक्ष और पक्ष की बात नहीं की।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इस पर आपको नोटिस लेना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप मेरे शब्दों पर तो ध्यान दीजिये। मैंने नहीं कहा कि आप पक्षपात करती हैं। मैंने कहा, आप प्रोटेक्शन करती हैं। यहां भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, हमें चारों तरफ से आप पीटती हैं, ऐसा कैसे होगा? सदन में तो आपको हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये तो बराबर आपका प्रोटेक्शन करती हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारा राइट है, आप हमें प्रोटेक्शन दीजिये। यदि हम इनसे प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे तो महावीर प्रसादजी से मांगेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब आने दें। प्रश्न का जवाब आने दें अब आप। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, इस हाउस के अन्दर लीडर आफ द हाउस को भी पूरी बात जो चाहे कहने का हक है, इसी तरीके से प्रतिपक्ष के नेता को भी जो चाहे कहने का हक है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो कोई बात हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि सरकार उत्तर नहीं देना चाहती है। सिर्फ दो जगह से इनको सूचना एकत्र करनी थी। यह सही है कि सरकारी वाहनों को छूट दी हुई है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कन्करेंस देता है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न तो स्थगित हो गया है, इस स्थगित प्रश्न के बारे में क्या सुनें? स्थगित प्रश्न के बारे में क्या सुनें?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, मेरी बात सुन लें आप। नहीं, नहीं, आप मेरी बात सुन लें। आपने कहा है कि इतने सारे महकमों से सूचना लेनी है, उसके ऊपर मैं निवेदन कर रहा हूं। सरकार की इनएफिशियंसी दर्शाती

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है यह बात, क्योंकि जब आपको एडिशनली चाहिए तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की कन्करेंस चाहिए और जो भी एडिशनली वहां से दी जाती है, सारा हिसाब एक जगह पर वहां मौजूद होता है, नम्बर एक। बाकी, रोडवेज की बसों में दुर्घटनाएं होती हैं, आपको सिर्फ दो जगहों से सूचना लेनी थी कि मुआवजे की राशि जो दी गई है। यह विभिन्न विभागों से लेनी है, यह बिलकुल गलत बात है। सरकार में यह सम्बन्धित विभागों से...

श्री अध्यक्ष: तीन वर्षों की विभिन्न विभागों की सूचना है, तीन वर्षों की विभिन्न विभागों से सूचना 15 दिन के अन्दर सम्भव नहीं थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, हां, है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह दो दिन की सूचना है, आप चार घंटे के अन्दर सारी सूचना ले सकते हैं। वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट के अन्दर सारी चीजें मौजूद रहती हैं। यह सम्बन्धित विभाग की लापरवाही है, इन्होंने इससे बचने के लिए यह सारा काम किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न स्थगित किसी की भी सरकार हो, हमेशा होते रहे हैं और जब समय पर जवाब नहीं आता है तो स्थगित करना पड़ता है। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

डेगाना की अपूर्ण/विचाराधीन पेयजल योजनाएं

3. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ नागौर द्वारा वर्ष 2004-05 एवं 2006-07 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए कौन से कार्यों की कुल कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गई? विवरण ग्रामवार/योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जारी की गई स्वीकृतियों के विभिन्न कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने अपूर्ण हैं व कितने अभी तक शुरू ही नहीं किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अपूर्ण कार्यों को सरकार भविष्य में पूरे करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): (1) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), नागौर द्वारा वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2006-07 के दौरान विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पेयजल से सम्बन्धित वर्ष 2004-05 में 13 परियोजनाएं राशि रुपये 9.26 लाख एवं वर्ष 2006-07 में आठ परियोजनाएं राशि रुपये 9.83 लाख, इस प्रकार कुल 21 परियोजनाओं की कुल राशि 19.09 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई। इन कार्यों का विवरण ग्रामवार, योजनावार संलग्न परिशिष्ट-क पर अवलोकनीय है।

(2) उक्त 21 कार्यों में से वर्ष 2004-05 के समस्त 13 कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। वर्ष 2006-07 के आठ कार्यों में से एक कार्य प्रगतिरत है व सात कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बिना टेण्डर प्रीमियम के कार्य नहीं कराने के कारण इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है, जिसके कारण से ये कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। विवरण परिशिष्ट-क के कालम संख्या-11 पर अंकितानुसार है।

(3) जी हां। अपूर्ण एक कार्य ग्राम पंचायत गुणसली द्वारा शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाएगा तथा शेष सात कार्य जिनकी कार्यकारी एजेंसी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियुक्त किया गया था, इन सभी कार्यों हेतु बिना टेण्डर प्रीमियम के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य करवाने से इन्कार कर दिया गया है। इन सभी कार्यों की कार्यकारी एजेंसी परिवर्तन पर विचार कर कार्य शीघ्र पूर्ण करवा लिये जाएंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, एक जनवरी, 2006 को विधायक कोष से जो स्वीकृति दी, इसमें अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ और इस बारे में सरकार आज तक फैसला नहीं कर पाई कि कौनसी कार्य एजेंसी इस कार्य को करेगी। नम्बर दो, विधायक कोष कार्यों के लिए.....

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर देंगे, कौनसी कार्यकारी एजेंसी होगी? जब आपका पैसा है तो आप लिखकर दें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): हम तो कह रहे हैं, यह हमने थोड़े ही तय किया था कि कार्यकारी एजेंसी कौनसी होगी, वह तो सरकार तय करेगी। नहीं, नहीं, हमने तो लिखकर दिया है जलदाय विभाग को, पीएचईडी को ये सब कार्य दिये थे...

श्री अध्यक्षः तो जलदाय विभाग ने ना कर दिया कि हम नहीं हैं, आप दूसरी कार्यकारी एजेंसी से करवा लो। आप दूसरी नियुक्त कर दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): यह तो सरकार की जिम्मेदारी है, काम फिर कौन करेगा? दूसरे के लिए सरकार लिखे। हमारी गाइडलाइन में है, तब करेंगे। कैसे करें, गाइडलाइन में नहीं है तो?

श्री अध्यक्षः आप दूसरी नियुक्त कर दो। पंचायत है, पंचायत समिति है, उनको कर दो आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): पंचायत से नहीं करा सकते पानी वाले कार्यों को। आप पूछो मंत्रीजी से, पंचायत से नहीं करा सकते। पूछ लो आप मंत्रीजी से, यह करवा सकते हैं क्या आप पंचायत से?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप बता दो। आप अलाउ करवा दीजिये, पीएचईडी वाले कार्यों को आप पंचायत या पंचायत समिति से करवा दीजिये। पीएचईडी के काम हैं, ये पीएचईडी से करा लो या दूसरे विभाग से करा लो, यह आप अलाउ करवा दीजिये। (व्यवधान) यह पीएचईडी नहीं कर सकती तो और कोई कार्यकारी एजेंसी करा नहीं सकती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (धोद): यह सरकारी विभाग है, पेयजल का काम है, यह पेयजल विभाग से ही करवा सकते हैं। स्पष्ट आदेश हैं कि उनसे कोई काम नहीं करा सकते। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): एक-एक साल से काम अधूरे पड़े हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये काम अधूरे पड़े हैं, आप अलाउ करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ये तो मनमर्जी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खानः डेढ़-डेढ़, दो-दो साल गुजरते हैं, काम नहीं होते हैं, अध्यक्ष महोदय। खास तौर से पीएचईडी और विद्युत विभाग, दो विभाग ऐसे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप एक साथ इतने जने क्यों बोल रहे हैं? मूल प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिये, आप क्यों खड़े हो गये बीच में?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धाः मेरा मूल प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि कार्य एजेंसी जलदाय विभाग के द्वारा ये कार्य कराने पड़ते हैं, दूसरी कार्य एजेंसी हम नियुक्त नहीं कर सकते। आप पूछ लीजिये यह। पूरे सदन में अभी आ जाएगा मामला सामने।

श्री अध्यक्षः हम रोज कराते हैं। यह कैसे मान लूं?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धाः हमारे कहे फिर क्यों नहीं करते हैं, इस बात का जवाब दे दो आप? हमारे क्यों नहीं किये जाते।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, इसकी समय सीमा तो फिक्स है क्या? तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति की समय सीमा फिक्स है क्या?

श्री अध्यक्षः हां, देखिये...

श्री मुरारी लाल मीणाः एक-एक साल तक न तो प्रशासनिक स्वीकृति निकलती, न तकनीकी स्वीकृति निकलती है इसमें।

श्री अध्यक्षः बड़ी एस.आर. के अलावा बाकी सारे काम पंचायत समिति भी करती है, पंचायत भी करती है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धाः पेयजल का कह रहा हूं मैं, अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पेयजल से संबंधित ही है।

श्री अध्यक्षः हां, पेयजल की ही मैं कह रही हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धाः माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान पूरे में ही यह व्यवस्था है?

श्री मुरारी लाल मीणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. लैड के कामों का क्या टाइम, एक-एक साल तक प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति नहीं मिलती है, इसकी समय सीमा फिक्स होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री का जवाब ही पूरा असत्य है। मंत्री का जवाब ही गलत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः पूरे राजस्थान के जो विधान सभा क्षेत्र हैं, उनमें पूरी व्यवस्था है क्या यह?

श्री कैलाश त्रिवेदीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन लें मेरी बात को। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि विभाग ने बिना टेंडर प्रीमियम उक्त कार्य को करने के लिए मना किया है, भाग (क) के अंदर आपने यह लिखा है कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से एफ.एस. जारी नहीं की गई माननीय सदस्य की। तकनीकी स्वीकृति के अंदर कभी भी आपको टेंडर प्रीमियम की जरूरत नहीं है, बीएसआर से आपका टैक्नीकल एस्टीमेट बनता है। विभाग ने यह एस्टीमेट नहीं बनाया है, जब कि टैक्नीकल एस्टीमेट बीएसआर से बनता है, किसी भी बिल्डिंग का हो, किसी भी काम का हो। माननीय विधायक की

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

अनुशंसा के बाद साल भर तक घुमाया गया जब कि ग्रामीण विकास विभाग को 35 दिन में इसकी टी.एस. और एफ.एस. जारी करनी थी लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की लापरवाही से एक साल तक माननीय विधायक की घोषणा के अनुरूप गांव में लोगों को पानी नहीं मिला, यह है। नियम के अनुरूप, बीएसआर के अनुरूप इसका तखमीना बनता, एफ.एस. जारी होती। विभाग जिसने यह मना किया है, आप इसी भाग (क) में देखें....

श्री अध्यक्षः तो आप मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदीः भाग (क) में देखें कि पीएचइडी द्वारा इन कामों का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): साहब, यह भाषण दे रहे हैं, कोई पाइंटेड सवाल लाएं।

श्री अध्यक्षः आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण का समय नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदीः हां, तो आप सुनिये। इसी विभाग ने...

श्री अध्यक्षः आप मूल प्रश्नकर्ता के बाद...

श्री कैलाश त्रिवेदीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन लें। आप दो मिनट सुनें।

श्री अध्यक्षः नो। मिस्टर त्रिवेदी, आप विराजिये।

श्री कैलाश त्रिवेदीः हां, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें...

श्री अध्यक्षः आपने इतनी देर तक भाषण दे दिया, अब आप कह रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदीः अब आप सुन लें, वो तो भाषण की बात चल रही थी इसलिए मैं भी भाषण...

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न आने दीजिये पहले।

श्री कैलाश त्रिवेदीः मैंने आपको मूल चीज समझाई है, विभाग की लापरवाही।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब...

श्री राजेन्द्र राठौड़: बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी: आप तो इसमें मैं जो पूछ रहा हूं, उसका जवाब दिला दें। माननीय मंत्री महोदय यह बता दें...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : नहीं, माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: नहीं, पहले मूल प्रश्नकर्ता का।

श्री अध्यक्ष: आप पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब देंगे, इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी: आपने इसी विभाग के, पीएचईडी ने पांचवें... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी भी सदस्य को इस प्रकार से खड़े होकर प्रश्न काल में भाषण देने का अधिकार नहीं है।

श्री कैलाश त्रिवेदी: यह इसी विभाग ने बिना टेंडर के पांचवें साल के अंदर माननीय सदस्य के कार्य कैसे पूरे किये और 06 में टेंडर करने की क्या जरूरत पड़ी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी के मैम्बर हैं, बैठाइये।

श्री कैलाश त्रिवेदी: आप तो यह बता दें कि माननीय सदस्य के पांचवें साल में जो भाग (क) में...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी: xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि एमएलए लैड के पेयजल से संबंधित कार्य कौन सी एजेंसी कर सकती है? नम्बर दो, विधायक कोष के कार्यों के लिए निर्देशिका में बीएसआर रेट 1998 से लागू है जब कि प्रचलित दरें अधिक हैं, इस संबंध में सरकार ने आज तक फैसला नहीं किया जब कि तखमीना विभाग बनाता है और विभाग यह लिख देता है कि तखमीने के अनुसार हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। तखमीना विभाग बना देता है उस आधार पर हम स्वीकृति देते हैं। फिर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

भी एक साल से सारे कार्य अधूरे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कालूलाल गुर्जर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि एक साल हो गया और बहुत लम्बा समय हो गया, मैं यह सारा विस्तृत बता देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सन् 2004 और 05 के जितने 13 कार्य स्वीकृत करवाये, वे सब कार्य पूरे हो गये। 06-07 के जो कार्य हैं आठ, उसमें से एक कार्य की एजेंसी पंचायत है जो कुआ गहरा करवाने का काम कर रही है। बाकी पाइप लाइन और कुछ टंकी बनाने का जो कार्य है जीएलआर का, वह पीएचईडी को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनका जो पहला काम पाइप लाइन पीवीसी 10 एम.एम. साइज, नाथावड़ा, मेड़ा सकला का था, इसकी अनुशंसा इन्होंने की थी तारीख 20.4.2006 को। 300 फीट पाइप लाइन मोहल्ला अंतरोली में डालने की अनुशंसा आपने की थी 15.5 को। तुलछाराम साहू की जीएलआर, इसके लिए भी आपने 15.5 को की थी। जीएलआर 10 किलोलीटर रामसुखजी बुडालिया की ढाणी, यह भी आपने 15.5 को की थी अनुशंसा। एक 17-5 को की थी और एक 15.5 को की थी और एक 15.6 को आपने अनुशंसा की थी। मेरा निवेदन करना यह है कि मई और जून के अंदर आपने अनुशंसा की, अनुशंसा करने के तत्काल बाद ही 22.5 को ही सारी प्रशासनिक स्वीकृतियां विभाग की ओर से हमारे सी.ई.ओ. साहब ने निकाल दीं। उसके बाद जब पीएचईडी में ये प्रशासनिक स्वीकृतियां गईं और टैक्नीकल स्वीकृति के लिए उनसे मांग की गई, तब उन्होंने समय पर नहीं निकाली। तो हमने वापस तारीख 7.7.2006 और 17.7.2006 को और फिर आठवें महीने में 28.8 को, फिर उसके बाद 20.9 को लैटर लिखा। चूंकि एक्स.ईएन. बदल गया था, पहले वाले सारे कार्य भी पीएचईडी के थे, पीएचईडी ने कर दिये, बीच में एक्स.ईएन. बदल गया तो नया एक्स.ईएन. जो आया, उसने कहा कि मैं तो बिना टेंडर प्रीमियम के इसकी स्वीकृति जारी नहीं करूंगा, न तो टैक्नीकल स्वीकृति जारी करूंगा और न यह काम करवाऊंगा। दो बार हमने लैटर लिखा कि पहले आप कई सालों से तो काम कर रहे हैं, अब आप नई इसमें यह कानूनी अड़चन क्यों डालते हैं। तो उन्होंने अंत में तारीख 26...(व्यवधान) आप सुन लें पहले।

श्री कैलाश त्रिवेदी: आप अब प्रीमियम एबव ब्लाक की कैसे बात करते हैं? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: आप सुन लो। आप समझा करें, पहले सुन लें। अध्यक्ष महोदय, तारीख 20.9 को अंत में उन्होंने लैटर लिख दिया कि हम तो इसमें करवाएंगे ही नहीं। तो हमने फिर यह तय किया कि हम इसकी कार्यकारी एजेंसी माननीय विधायक से पूछ करके बदल देंगे, आप अनुशंसा कर दें कि पंचायत से करवा दो। जहां तक आपने दूसरा यह पूछा कि...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मेरी एक बात का जवाब दे दें।

श्री कालूलाल गुर्जर: हां।

श्री अध्यक्ष: हमारे जिले के अंदर जीएलआर का निर्माण पंचायत भी करती है, पंचायत समिति भी करती है और विधायक की मंशा के अनुसार पीएचईडी भी करता है। तो क्या नागौर के अंदर सरपंच को, पंचायत को या पंचायत समिति को जीएलआर के निर्माण का प्रावधान नहीं है? एंटाइटल नहीं हैं वे बनाने के? आप यह बता दीजिये सिर्फ।

श्री कालूलाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, प्रावधान स्पष्ट है, गाइड लाइन यह है हमारे यहां पर। धारा 3(14) और 3(14)(2) और 3(14)(3) में इसका स्पष्ट प्रावधान है। इसमें यह लिखा हुआ है कि विधायक महोदय...

श्री अध्यक्ष: मैंने जो प्रश्न पूछा, उसका जवाब दें आप। (व्यवधान) मैंने पूछा उसका जवाब। (व्यवधान) प्लीज, आप बैठें, आसन पांवों पर है। मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब दें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर: हां, वह है। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को ही गांव के अंदर काम कराने का प्रावधान है। अगर विधायक महोदय चाहें तो पंचायतों को हम दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और...

श्री अध्यक्ष: हमारे यहां तो है, हमारे जिले में तो है।

श्री कालूलाल गुर्जर: जिन एक्स.ईएन. महोदय ने मना किया, उनके खिलाफ भी हम संबंधित विभाग को लिखेंगे ताकि एक्शन लें कि उन्होंने मना क्यों किया।

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया आज कि पेयजल योजना के विधायक कोष के कार्य पंचायत और पंचायत समिति करा सकती है, यह हम अर्थ निकालें।

एक माननीय सदस्य: हां, करा सकते हैं।

श्री जुबेर खान: क्योंकि नहीं कराते हैं, नहीं कराने देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये।

श्री कालूलाल गुर्जर: बिलकुल करवा सकते हैं, पूरा प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये। मैंने तो अपने अनेक काम जीएलआर पंचायत के मार्फत, पंचायत समिति के मार्फत और पाइप डालने तक का काम पंचायत समिति और पंचायत के मार्फत करवाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां इजाजत नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: पेयजल योजनाओं के काम कहीं नहीं होने देते ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों से, हम कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप एक साथ इतने बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।

श्री जुबेर खान: आप निर्देश दें सरकार को कि सभी जिलों में लागू करे।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप विराजिये। इस बात को स्पष्ट करने दें उन्हें।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इसका काम करवा सकता है तो पीएचईडी क्यों नहीं करवा सकता?

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है, यह आज की नहीं है। एमएलए साहब, एम.पी. साहब पेयजल योजनाओं के लिए पैसे देते रहे हैं और जब सरकार आपकी थी तब भी यह समस्या आती थी कि एमएलए के पैसे को पीएचईडी काम में नहीं लेता था क्योंकि एमएलए अपने हिसाब से जनता की, जहां पर उनके नोर्म्स में नहीं आता था, उन योजनाओं के लिए भी पैसे देते थे। पर जब से यह सरकार बदली है, मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह आश्वस्त किया है कि पेयजल योजनाओं के लिए, पानी की समस्या के लिए अगर किसी माननीय सदस्य को आवश्यकता है तो एमएलए फंड से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैंने यह अर्ज किया हुआ है, अगर हमको देवें तो हम उसको पूरा कराएंगे। नंबर-2 टेण्डर प्रीमियम की जो बात आयी, अगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी एमएलए साहब ने एक लाख रुपये का पैसा सैंक्शन किया और टेण्डर किया और टेण्डर में अगर डेढ़ लाख आ जाएंगे तो फिर वो

(श्री सांवर लाल)

पैसा तो देना पड़ेगा, इसलिए जो भी विलम्ब हुआ है ...(व्यवधान) बैठ तो जाओ न आप, क्यों ज्यादा ऊपर-नीचे हो रहे हैं?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) आप ढंग से बोलें, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्षः सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बात सुनिये आप पहले।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सही बात सुनने में भी आपको तकलीफ है तो इसका इलाज मेरे पास में नहीं है।

श्री अध्यक्षः मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अभी मैं माननीय सदस्य के एरिये में गया था...

श्री अध्यक्षः आप मंत्रीजी को सुनें उसके बाद यदि आपको कोई गलतफहमी हो या प्रश्न पूछना हो, तो पूछिये। उनकी बात तो सुनिये आप पहले।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी डेगाना भी गया था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप उन्हें सुन लें पहले।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तब भी एक समस्या हमारे सामने आयी थी, जैसे एमएलए साहब ने, एमपी साहब ने अपने एरिये में कहीं टंकी की डिमाण्ड की, टंकी बनवा दी। अब वहां पर सोर्स नहीं है पाइप लाइन नहीं है, ऐसे राजस्थान में कई केसेज, माननीय अध्यक्ष महोदय, हैं। वो सैंक्शन हो गये, काम हो गया, पर पूरा काम नहीं होने से सिस्टम डवलप नहीं होने से अभी भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैंने डेगाना में भी यह घोषणा की और हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी माननीय एमपी, एमएलए ने बनाया है और वो सिस्टम काम में नहीं आ रहा है उसमें क्या-क्या और चाहिए, वो सारी रिक्वायरमैंट हमारे पास भेजिये, उसको भी हम काम करवाएंगे पीएचईडी के माध्यम से, जनता को उसका लाभ मिलेगा। और भी कहीं राजस्थान में अगर कोई स्थिति ऐसी है ...(व्यवधान)।

श्री अमराराम (धोद): ये काम कब तक हो जाएंगे, आप बता दें? आपके विभाग के एक्सईएन मना कर दें पैसे देने के बाद कि वो काम नहीं करेंगे, जब कि सरकार ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी सरकारी विभाग

(श्री अमराराम)

एमएलए और एमपी लैड में प्रो-रेटा चार्जेज नहीं लेगा। फिर वो प्रो-रेटा चार्जेज के लिए मना करते हैं उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? इनके काम जो सैंक्शन किये वो कितने दिन में आप पूरा कर देंगे विभाग से, यह बता दें?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, एक प्रश्न है मेरा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब प्रश्न क्या जवाब ही दे रहा हूं क्योंकि जनरल मैंने सारी बात कह दी।

श्री अध्यक्ष : सारी बात तो कह दी और अब क्या बाकी रह गया?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने बात कही है कि अगर विधायक कोष द्वारा कंप्लीट कार्य करवाकर दे दिया जाए तो उसकी बिजली का भुगतान आप करवाने की व्यवस्था करेंगे क्या?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई नीतिगत सवाल उठाये गये हैं, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जो हमारी जानकारी में आया है, जो न्यूनतम समय टेण्डर में लगता है, वो करके हम काम को एग्जीक्यूट करवा देंगे। हमने नौ महीने, आजकल छोटी योजनाएं जो भी होती हैं, अधिकतम समय तय किया है। पहले दो-दो साल था, इस समय को भी हमने तय किया है। जो भी योजनाएं एग्जीक्यूट हों, उनका लाभ जल्दी से जल्दी लोगों को मिले, तो इसको हम जल्दी प्राथमिकता से करवा देंगे। बाकी आपने जो सवाल उठाया है, उसमें आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार कर लेंगे आपको मना थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर यह सवाल पूर्व में भी उठा था कि विधायक कोष के पैसे का काम समय में विभिन्न एजेंसियां नहीं करती हैं, लोक सभा के अन्दर भी इसके बारे में एक कमेटी बनी है, एमपीज की राज्य सभा के अन्दर भी एक कमेटी बनायी है। मैंने पूर्व में भी यह मांग की थी और उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक आश्वासन दिया था कि हम इसके बारे में विचार करेंगे। आभास ऐसा था कि शायद सदन की एक कमेटी बना दी जाएगी। इस प्रकार के प्रकरण अगर वहां मानिटर हो जाएंगे जहां काफी देर हो रही है, और दूसरी समस्या क्या खड़ी होती है कि इसमें कई पेच हैं, पीएचईडी वाले काम नहीं करते हैं, जो उनका एस्टीमेट आता है वह इनफ्टेड आता है। अब उसके कई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कारण हैं उस विगत में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या सरकार की मंशा है कि सदन की एक कमेटी बना दी जाए, जो इस प्रकार की अन्य समितियां हैं लोक सभा और राज्य सभा की भांति, जिससे इस प्रकार के मामले वहां पर एमएलएज ले जा सकें और उनका निराकरण शीघ्र हो जाए? आपसे भी मैंने निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदया, आपसे भी कई दफा मिला, इस बारे में दो दफा आपसे भी निवेदन किया था, कोई नयी कमेटी न बना कर किसी एग्जिस्टिंग कमेटी जिसके पास काम कम हो, उस समिति को यह कार्य सौंपा जा सकता है जिससे एमएलएज को राहत मिल सके। आपसे निश्चित कह रहा हूं, उस वक्त भी पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक खड़े हुए थे ।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण देने लग गये। आप प्रश्न पूछने की बजाय भाषण देने लग गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मेरा निवेदन सुन लें। मैं भाषण कहां दे रहा हूं? मुझे भाषण देने की आदत ही नहीं है। मैं तो बोलता ही नहीं हूं। आपके डर की वजह से बोलता ही नहीं हूं मैं तो।

इस बारे में मैं आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के उपरांत भी आज काफी समय बीत गया है, क्या सरकार इसके ऊपर अपनी सहमति देगी-सदन की कमेटी गठित करने के बारे में या एग्जिस्टिंग समिति है उनके लिए ? कई मामलों में, मुझे मालूम है कि तत्कालीन जिला कलक्टर ने एक एमपी का काम नहीं किया था तो राज्य सभा सचिवालय ने उनको दिल्ली तलब कर लिया था, इस प्रकार से जब एक दफा सदन के सामने आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस विकास के काम के अन्दर गति आएगी, यह मेरा आपसे अनुरोध है। इसके बारे में सरकार की क्या नीति है, अवगत कराने की कृपा करें?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह बात तो सही है, एमएलए लैड का जो काम है उसकी समयावधि तो होनी चाहिए कि इतने समय में वो पूरा हो जाएगा। कुछ तो समय होना चाहिए, कम से कम साल, दो साल, तीन साल। तीन-तीन साल चलते रहते हैं और काम नहीं होता है। आप कम से कम फिक्स करें कि इतनी अवधि में यह काम पूरा हो जाना चाहिए। चाहे छह महीने करें, चाहे आठ महीने करें, चाहे साल कर दें, लेकिन उसमें वो काम पूरा होना चाहिए, यह तो आप तय कर सकते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को सुनिये अब आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा एमएलए लैड के लिए जो स्वीकृति जारी की जाती है...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें और मंत्रीजी को सुनिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जो एमएलए लैड की स्वीकृति जारी की जाती है उसके अन्दर बिलकुल बाकायदा समय निर्धारित करके ही हम आदेश जारी करते हैं, लेकिन उसके बाद यदि कोई अधिकारी देरी से काम करता है तो उसको हम नोटिस देते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। लेकिन चूंकि...(व्यवधान) एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक के खिलाफ भी की क्या आज तक? एक के खिलाफ कार्यवाही की क्या आज तक?...(व्यवधान) एक के खिलाफ भी कार्यवाही की क्या आपने? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अन्य विभाग के जो अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं, उसके लिए माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने पहले भी विधान सभा में यह बात रखी थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया, यह आश्वासन अभी सितम्बर महीने में हमारे पास आ गया है और इस पर कार्यवाही हो रही है । मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और आप मिलकर जो भी कमेटी विधान सभा की इसके लिए बनाएंगे उसको हम जल्दी से जल्दी ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा सवाल... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. समरजीत सिंह। सारी बात आ गयी। डा. समरजीत सिंह। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। नो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिये, आप भले ही रिकार्ड न करवाएं। यह सारी प्राब्लम आपके डिप्टी सेक्रेटरी ने...

श्री अध्यक्ष: एक घंटा पच्चीस मिनट हो गये हैं। नहीं, अब कुछ नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अध्यक्ष: डा. समरजीत सिंह। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: नो। ऊर्जा मंत्री।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: I am not going to hear anything. अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: अब कोई माननीय अध्यक्ष नहीं। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। नो। स्थान ग्रहण कर लें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत विनम्रता से कह रही हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: क्या चुनौती दे रहे हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: मैं कह रही हूं आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: अब नहीं सुनूंगी। नहीं सुनूंगी। अब आसन आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: इसलिए नहीं सुनना चाहती कि आप अध्यक्ष को नहीं सुनना चाहते। आप अध्यक्ष की बात को नहीं मानते इसलिए नहीं सुनना चाहती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान) आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्षः इसलिए नहीं सुनना चाहते कि आप अध्यक्ष की व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आप अध्यक्ष की व्यवस्था को मानते हुए कोई बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर सुनूंगी। जब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया तो फिर आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दे दो। साहब, थोडा बड़ा दिल रखो ।

श्री अध्यक्षः फिर वही बात, अब क्या दे दो, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि दो मिनट दे दो।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री अध्यक्षः (व्यवधान) आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। (व्यवधान) अब कोई अध्यक्ष महोदय नहीं, स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कहती हूं, स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : (व्यवधान) बल्कि प्रावधान तो यह है कि टेण्डर भी किया जा सकता है, बस प्रिमीयम अलाउड नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री अध्यक्षः आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। जब नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया गया तो इस प्रकार से खड़े होना सही नहीं है। सब के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

सब माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके प्रश्नों का जवाब भी आए। एक प्रश्न पर 32 मिनट हो गये, कितना और समय दिया जाए एक प्रश्न पर? और आप अध्यक्षीय व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं हैं, सदन चलेगा कैसे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप खामख्वाह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नैक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आने दीजिए । आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आपके माननीय सदस्य थोड़ी व्यवस्था को बनाये रखें तो उचित रहेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो आपसे अनुरोध किया था कि दो मिनट उन्हें दे दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा आन्तरिक है जो यहां पर हो रहा है। प्रतिपक्ष के नेता ने कल भी सभी माननीय सदस्यों को कहा था कि मुख्य मंत्रीजी बहुत होशियार हैं, सावधान रहो।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा, क्लैवर है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी बात कोई सुनता नहीं है और कैसे इनका विदाई समारोह हो, प्रतिपक्ष के नेता के विदाई समारोह में लगे हुए हैं ये। यह झगड़ा है और यह झगड़ा सदन में निपटाना चाहते हैं। इनको काम से कोई मतलब नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपको मैं फिर कह रही हूं, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। मैने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है अब नैक्स्ट का ही जवाब आएगा, उसके पहले कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब तो दें, मंत्रीजी तो आराम से विराजे हुए हैं।

जोधपुर सम्भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

4. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेस विद्युत आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई और क्या इसके लिये कोई आदेश भी जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत वितरण कम्पनी, जोधपुर द्वारा या अन्य संस्थान द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर छपे पम्पलेट विद्युत विभाग के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियन्ताओं को इस घोषणा पर अमल करने के लिये व कार्यालय में चस्पा करने के लिये उपलब्ध कराये गये जिनमें 24 घंटे सिंगल फेस बिजली दिये जाने का उल्लेख था? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 24 घंटे सिंगल फेज बिजली दिये जाने की घोषणा की पालना करीब दो माह तक अधिकारी करते रहे? यदि हां, तो कहां-कहां पर इस घोषणा की पालना की गई? क्या अब इसे बंद कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि अब जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 24 घंटे विद्युत सिंगल फेज उपलब्ध कराने के कारण अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या व क्यों?

श्री अध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी जवाब दें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) फीडर सुधार कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 15 प्रतिशत से कम विद्युत छीजत वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों से जुडे गांवों में 24 घंटे घरेलू आपूर्ति करने का प्रावधान है। दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(2) जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा पम्पलेट/पोस्टर जोधपुर डिस्काम क्षेत्रान्तर्गत जन प्रचार एवं प्रसार हेतु वृत्त/खण्ड/उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को जल चेतना अभियान के तहत उपलब्ध कराये गये थे ।

(3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जिन फीडर पर छीजत 15 प्रतिशत से कम हुई, वहां 24 घंटे सिंगल फेज विद्युत उपलब्धता के आधार पर दी गई । परन्तु...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, जवाब सुनें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : पिछले कुछ समय से कुछ केन्द्रीय विद्युत उत्पादन इकाइयों के बन्द होने से उपलब्धता में कमी हो गई जिससे इन फीडरों पर विद्युत आपूर्ति कम कर दी गई । जैसे-जैसे उत्पादन इकाइयों में उत्पादन बढ़कर आबंटन बढ़ेगा इन गांवों में विद्युत आपूर्ति पुनः 24 घंटे कर दी जाएगी । जोधपुर डिवीजन के जिन ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति की गई, उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है ।

(4) जी नहीं ।

(प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, विभिन्न प्रकार से घोषणाएं करती रही है कि हम 24 घंटे विद्युत आपूर्ति गांवों में करेंगे, घरेलू कनेक्शन देंगे। आज भी हालात ये हैं, जैसा सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 3-4 घंटे से ज्यादा सप्लाई नहीं आ रही है । ऐसे हालात में मैंने जो मूल प्रश्न किया है उसमें इन्होंने जवाब दिया है। पहली बात तो मैंने पूरे जोधपुर डिस्काम का सवाल पूछा था, इन्होंने सिर्फ जालौर जिले का जवाब देकर मुझे संतुष्ट करना चाहा कि जालौर से आते हैं इसलिए जालौर से ही संतुष्ट होइए। आपने जो अभियान चलाया था जल चेतना यात्रा का, उसमें लोगों को प्रोत्साहित किया कि आपके यहां सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगेंगे और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगने से छीजत रुकेगी । यही भावना थी हमारी कि छीजत रुकेगी और उससे 24 घंटे सप्लाई दी जाएगी। अब आप यह कह रहे हैं कि 15 प्रतिशत से कम छीजत वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों से जुडे गांवों में 24 घंटे आपूर्ति करने का प्रावधान है, आपने जो जालौर

(डा. समरजीत सिंह)

जिले की लिस्ट दी है, मेरे अलावा भी जालौर जिले के 4 विधायक यहां बैठे हैं, कोई दावा कर दे कि गांवों में 18-20 घंटे सप्लाई मिली है । मेरी जानकारी में तो यह गलत सूचना है।

दूसरी बात यह है, जब आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा दिये, तब भी आप छीजत नहीं रोक पाये। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो नार्मल ट्रांसफार्मर से मंहगे आपने खरीदे, उसके बावजूद भी आपकी छीजत नहीं रुक रही है, यह साबित हुआ है। इसके अलावा जो चौथा प्रश्न मैंने पूछा था वह यह था कि क्या जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 24 घंटे सिंगल फेज उपलब्ध कराने के कारण अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। आपने सिंपल कह दिया, नहीं। आपके सैक्रेटरी डिस्काम बी.एल. मेहरा ने 5.8.2006 को 14 इंजीनियर्स को- ओसियां, सोजत, भीनमाल, घूमडिया, सिवाना इत्यादि को नोटिस जारी किया कि आपने जल चेतना यात्रा के बाद इन गांवों में 24 घंटे सिंगल फेज सप्लाई क्यों दी और यहां कह रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिस ही जारी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह गुमराह कर रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसमें क्लीयर लिखा है जोधपुर डिवीजन, और जोधपुर डिवीजन में 5-6 जिले आते हैं, पूरी डिस्काम नहीं आती है। इसलिए आपके प्रश्न का जो मैंने जवाब दिया है वह जोधपुर डिवीजन का है। या तो आपको प्रश्न में पूरी डिस्काम का जिक्र करना चाहिये था। आपने डिवीजन के बारे में कहा था तो मैंने आपको जवाब डिवीजन का दिया है।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): मंत्रीजी, जोधपुर डिवीजन में क्या पाली नहीं आता, जोधपुर नहीं आता, बाड़मेर नहीं आता? डिवीजन में सिर्फ जालौर जिला ही आता है? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): दूसरा, अध्यक्ष महोदय, 2005-06 के अन्दर 850 फीडर का रिनोवेशन हम कर चुके हैं, 2006-07 में साढ़े तीन हजार के लगभग फीडर रिनोवेट हो जाएंगे और जो बाकी बचे हैं, 2007-08 मार्च तक हम टोटल 8500 फीडर का रिनोवेशन कर देंगे। फीडर सुधार कार्यक्रम का...

श्री अध्यक्ष: फीडर का रिनोवेशन तो कर देंगे आप, बिजली कितनी देंगे, यह भी बता दें आप?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): आप तो यह बताओ कि... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इतनी देंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में यह सरकार पूर्णतया विफल रही है। (व्यवधान) एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, एक मेगावाट। पूरी तरह विफल रही है, गांवों में जाकर देखो आप, जगह-जगह आन्दोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान) जगह-जगह आवाज उठा रहे हैं। गांव को बिजली नहीं मिलती, किसान परेशान, मजदूर परेशान, घर वाले परेशान। फिर भी आप कहते हैं, पूरी बिजली मिल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ खड़े होकर इतने माननीय सदस्य बोलते हैं, मंत्रीजी बात तो सुन नहीं पाते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह सत्ता पक्ष के सदस्य टेबल बजा रहे हैं (व्यवधान) गांव में हालत बहुत खराब है। सिर बचाने की चिन्ता करिये आप।

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान तो ग्रहण करें। माननीय सदस्य, सब एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो मंत्रीजी सुन नहीं पाएंगे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी मिलेंगे कैसे गांव वालों को? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): 4 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, हालत बहुत खराब है। यह टेबल बजाने से, वाहवाही लूटने से काम चलेगा नहीं। जनता सिर पकड़ लेगी इनका।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फर्माया था...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब दें आप। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे फीडर हैं जहां पर 70 प्रतिशत से 20 प्रतिशत डाउन आ चुका है।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्नकर्ता का है, उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, शांतिपूर्वक सुनिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): मैं जो प्रश्न करता हूं, सीधे पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, आप बता ही नहीं रहे हैं उसका जवाब।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं और आप खड़े हो गये बीच में। (व्यवधान) नो, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप तीनों स्थान ग्रहण करें।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): आत्मदाह कर रहे हैं किसान।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): जोधपुर के अलावा किस-किस डिवीजन में छीजत पर कार्यक्रम हो गया? (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताएं, पूरे राजस्थान में किसान मर रहे हैं, बिजली 3-4 घण्टे मिल नहीं रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आपने 24 घण्टे बिजली सप्लाई की है, उनके भी नाम बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): केवल जालौर का ही कर दिया है जब कि जोधपुर डिवीजन में पाली है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। अकेले जालौर को ही ये जोधपुर डिवीजन समझ रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, यह बता दें कि फीडर रिनोवेशन जिनका हुआ है उनमें कितने दिन 24 घण्टे बिजली की सप्लाई की है? वह दिन बता दें कि 10 दिन की है या 15 दिन की है? (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सीधे सवाल पूछे हैं उनका जवाब तो दें आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अब आदेश था, जिन्होंने 2 दिन दे दी उनको तो इनके अधिकारियों ने नोटिस थमा दिया कि 24 घण्टे क्यों दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, बिजली की अवेलेबिलिटी होगी तो वहां पर 24 घण्टे मिलेगी। जब बिजली की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो कहां से मिल जाएगी?

श्री अमराराम (धोद): नहीं, फिर यह कहें कि देंगे ही नहीं। अवेलेबिलिटी तो पैदा करने पर होगी। पैदा करेंगे नहीं। पैदा करेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं, अवेलेबिलिटी होगी नहीं और 5 साल पूरे हो जाएंगे। फीडर रिनोवेशन के नाम से करते जा रहे हैं 5 हजार करोड़ रुपये को। मकसद क्या है? 5 हजार करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। केवल अधिकारियों और मंत्रीजी के सफा चट हो जाएं 5 हजार करोड़ रुपये तो क्या मतलब है, इससे? जनता को फायदा नहीं मिले, 24 घण्टे एक महीने भी नहीं दें पौने तीन साल में, तो क्या मतलब है इसका?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आर.पी. का काम कम्प्लीट हो गया जिन जी.एस.एस. पर, उन पर कहीं पर भी आज तक सिंगल फेज लाइट दी हो तो मंत्रीजी बता दें। एक साल हो गया, करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं आप एफ.आर.पी. पर।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी केवल 850 फीडर्स का रिनोवेशन हुआ है, अगले वर्ष साढ़े तीन हजार होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी को पूरा सुनें पहले। मंत्रीजी क्या कह रहे हैं, पहले सुनें आप। स्थान ग्रहण करें। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कह रही हूं मैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, यह तो बताएं, किस जी.एस.एस. पर आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नो, कोई जवाब नहीं देंगे। नहीं, स्थान ग्रहण करें, जवाब नहीं देंगे इनका।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सरकार की मंशा है कि जहां फीडर रिनोवेट हो जाता है और 15 प्रतिशत छीजत होती है वहां पर 24 घण्टे बिजली दी जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मंत्रीजी को सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और जहां पर 20 प्रतिशत से कम होती है, वहां पर हम अर्ली मार्निंग की बिजली मिलाकर 12 घण्टे देंगे।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

लेकिन यह सब्जैक्ट टू अवेलेबिलिटी है। आज जो हमारा उत्पादन है, 2600 मेगावाट तो है हमारी सरकार का और 2600 मेगावाट हमें बिजली मिल रही है सेण्ट्रल यूनिट से। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की तारीख 3 अक्टूबर को रिहंद 500 मेगावाट डाउन हो चुकी है सेण्टर की। सिंगरौली की 200 मेगावाट आज की तारीख में बंद है। (व्यवधान) ऊंचाहार की 210 मेगावाट बिजली डाउन है। एन.एस... की 220 मेगावाट डाउन है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपने कितनी बढ़ाई?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जो सवाल हम कर रहे हैं उसका तो जवाब दो। आपको जो पूछा गया, उसका जवाब तो दो। हमने पूछा, नोटिस दिये या नहीं दिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो गांव हमारे साथ चले चलिये, गांवों में घूमिये और गांव वालों से पूछिये। आपके ये सारे आंकड़े फर्जी हैं। सारी व्यवस्था चरमरा गयी है। बिजली के नाम पर, फीडर रिनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद ऐसी खराब स्थिति है बिजली के मामले में। आप हमारे साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चलिये, मंत्रीजी चलिये, आप गांवों में घुस नहीं सकते हैं बिजली के मामले में। बिजली एक पैदा नहीं की और बिजली-बिजली, काहे की सप्लाई है आपकी बिजली की?

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): आपकी कांग्रेस सरकार है, जो दिल्ली के लोगों को लाइट नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): अशोक गहलोत ने 1760 मेगावाट बिजली पैदा की है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): 3 साल में एक भी मेगावाट आपने जनरेट की है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आप हमारे साथ गांवों में चलेंगे, सरकार की कितनी तारीफ है, पता लग जाएगा बिजली के मामले में। आप चलो तो सही। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): 3 साल में कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की गयी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। मंत्रीजी, आपने सब बातें बताई, जनमत को जानते हुए एक निवेदन कर रही हूं कि नवम्बर के महीने में कम से कम...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो आदेश कीजिए, आपके आदेश की पालना आपके कक्ष में कर देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नवम्बर के महीने में ठीक कर देना, जनमत को जानते हुए...

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): अक्टूबर, नवम्बर दोनों में बुवाई है रबी की।

श्री अध्यक्षः अब आप मंत्रीजी को बोलने दें, मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी बोल रहे हैं, पहले जवाब सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह बहुत बड़ा मुद्दा है, 2003 से लेकर 2006 तक... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, नो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री अध्यक्षः अब आप बोलें। (व्यवधान) खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आप व्यवधान न करें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं यह बताना चाहूंगा, आज जो भी बिजली का संकट है यह कांग्रेस की पिछली सरकार की वजह से है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर) xxx

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): xxx

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्षः पता नहीं, माननीय सदस्यों को क्या हो गया आज? आप मंत्रीजी का जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। आप मंत्रीजी का जवाब सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, माननीय सदस्य, आप कृपया पहले मुझे सुनिये। नहीं,

(श्री अध्यक्ष)

आप स्थान ग्रहण करें। आप प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आपको सूचनाएं चाहिए।

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्षः वे जब सूचनाएं देना चाहते हैं किसी चीज की तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप सुनिये। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप क्यों खड़े हो गये एक साथ? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दीजिए। मेरी बात तो सुनिये आप। मेरी बात तो सुनिये आप। (व्यवधान) आपको फैक्ट्स एण्ड फिगर देता हूं। आपको शर्म आएगी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक साथ क्यों खड़े हो गये?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको शर्म आएगी when you will hear my facts and figures.

श्री अध्यक्षः वे जानकारी दे रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): वे जवाब सुनकर फिर बोल ही नहीं पाएंगे।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2003 के अन्दर जब हमारी सरकार आयी थी, पूछा जाए कि कितने मेगावाट के ऑन गोइंग प्रोजैक्ट छोड़कर गये थे? एक गिरल का 125 मेगावाट का और वह आपका जनवरी, 2007 के अन्दर ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्षः नो, बीच में नहीं बोलेंगे। बीच में नहीं बोलेंगे आप। जवाब देने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परियोजना तो यह छोड़कर गये थे 125 मेगावाट की दिसम्बर, 2003 के अन्दर। और जो यूनिट गिरल की 125 मेगावाट की थी, उसका उत्पादन, पहली यूनिट बिजली निकलेगी जनवरी, 2007 में, उन्होंने प्लानिंग की थी एक साल पहले। चार साल तो आपने लगा दिये, तो आप हमें तीन साल नहीं दे सकते हैं बिजली पैदा करने के लिए?... (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ... (व्यवधान) प्रोजैक्ट्स का काम चल रहा है। 5 प्रोजैक्ट्स का काम चल रहा है और 3 का और शुरू होने वाला है। सैंक्शन हो गयी है, टेण्डर भी हो चुके हैं।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले ढाई साल में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे आपको जो जानकारी देना चाहते हैं आप उसको सुनना नहीं चाहते, उसका क्या इलाज हो, यह बता दीजिए? एक साथ खड़े हो जाते हैं आप। वे जानकारी दे रहे हैं आपको।... (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ढाई साल के अन्दर यह रिकार्ड है कि हमने 30 परसेंट बिजली ... (व्यवधान) ज्यादा दिलायी। हम खरीद कर लाये चाहे हमने कुछ भी किया हो, 30 परसेंट ढाई साल के अन्दर ज्यादा दिलायी।... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने 150 करोड़ की बिजली खरीदी जब कि हम दो साल में ही करीबन 957 करोड़ की खरीद चुके हैं। 957 करोड़ ... (व्यवधान) आंकड़े देखो आप।... (व्यवधान) आपने केवल 150 करोड़ की बिजली खरीदी और हमने दो साल में ही यह खरीदी। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): xxx

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने 5 साल में 1070 मेगावाट बिजली दी और हम ढाई साल में 405 मेगावाट ... (व्यवधान) दे चुके हैं आलरेडी। (व्यवधान) हम आपसे तीन गुणा बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करके बताएंगे आपको।... (व्यवधान)

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा, नैक्स्ट क्वेश्चन। आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप लोगों को वे जानकारी देना चाहते हैं पर आप सुनने को तैयार नहीं हैं। एक साथ खड़े होकर दस-दस बोल रहे हैं, सुनने को आप तैयार नहीं हैं। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री अमराराम (धोद): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, अब तो विराजमान हो जाएं आप। आपके नेता खड़े हैं।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां।... (व्यवधान) आप, मंत्रीजी विराजिये।... (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान की बेटी हैं। खुद किसान हैं, बिजली का मामला है। आज सारा राजस्थान, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या बिजनेसमैन, सब बिजली से त्रस्त हैं और इसका संतोषजनक जवाब मंत्री महोदय नहीं दे पा रहे हैं और आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने मंत्रीजी को सुना ही नहीं है इसलिए आप यह कैसे कह रहे हैं? आपके दस-दस आदमी तो खड़े हो गये, सुन ही नहीं रहे आप उनको। आपने सुना ही नहीं उनको।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब हमारे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, मान्यवर, कि आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, न दिलवा रही हैं, न मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैंने जवाब देने के लिए कहा उन्हें लेकिन आपके एक साथ दस-दस माननीय सदस्य खड़े हो गये।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसी सूरत में हम हमारा विरोध दर्ज करना चाहते हैं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काहे पर दर्ज करवा रहे हो? काहे पर दर्ज करवा रहे हो?... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से नहीं कर रही है, करने की नीयत नहीं है। एक मेगावाट बिजली उन्होंने बनायी नहीं, पुरानी बिजली जो कांग्रेस के राज में बनी थी उसके आधार पर यह काम चला रहे हैं। शर्म के सिवाय इनके पास और काम नहीं है, हम ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं जब खड़े नहीं होते हैं। नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं जब बीच में बोलने के लिए खड़े नहीं होते हैं। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, जब लीडर आफ द हाउस और प्रतिपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो बीच में दूसरे लोग खड़े नहीं हुआ करते हैं।... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात, आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे दु:ख है, मान्यवर, कि सरकार के संतोषजनक उत्तर के अभाव में हमें बाहर जाना पड़ रहा है और हम जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप जवाब सुन लीजिए पहले और उसके बाद बाहर जाइयेगा।... (व्यवधान) नो, पहले जवाब सुनिये, पहले जवाब सुनो आप उनका।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप दिलवा नहीं रहीं और वे दे नहीं रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनका जवाब सुनिये शांतिपूर्वक और उसके बाद जाना बाहर आप।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसके खिलाफ हम वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आगे का पुकारिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह जवाब को सुनना नहीं चाहते।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बहिर्गमन कर रहे हैं, आप चले जाइये चुपचाप। शांतिपूर्वक जाइये। बहिर्गमन कर रहे हैं, जाइये शांतिपूर्वक। नेता प्रतिपक्ष। नहीं, मैं सुनाऊंगी, I will call him again. आप बहिर्गमन कर रहे हैं तो कृपया बहिर्गमन कर जाइये। आपके नेता ने बहिर्गमन का कहा है, बहिर्गमन कर जाइये।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके नेता ने...(व्यवधान) मुझे मजबूर नहीं करें आप।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी की सरकार ने बिजली रोकी हुई है और यह सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे मजबूर नहीं करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपके नेता ने बहिर्गमन किया है। (व्यवधान) बाहेती, बाहेती ही हैं न यह? इनका क्या नाम है, बाहेती? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैंने कहा, प्रश्न संख्या-5

श्री अध्यक्ष: मिस्टर प्रकाश चौधरी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने पुकारा है मुझे, आपने मुझे पुकारा है। आपने मुझे पुकारा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर प्रकाश चौधरी।

(समय : 12 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नेता ही नहीं मानते हैं उनको। (व्यवधान) जयपुर देहात से आने वाले माननीय बृजकिशोरजी प्रतिपक्ष के नेता को नेता नहीं मानते हैं और उनके विरोध में यहां यह प्रश्न पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपकी जो उपलब्धि हो तो बता दें आप।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने आगे वाला प्रश्न पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष: अब वह उपलब्धि बता रहे हैं न । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अब आपने आगे वाला प्रश्न पुकार लिया। अध्यक्ष महोदय, आपने आगे वाला प्रश्न पुकार लिया तो पीछे वाले मंत्रीजी कैसे उत्तर देंगे? सदन परम्पराओं से, नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। जब विपक्ष इस बात को लेकर, कि आपने बिजली का उत्पादन किया नहीं, बिजली की हालत बहुत खराब है, उस हालत में जब आप बहिर्गमन कर गये और मंत्रीजी की बात को सुनें नहीं तो मंत्रीजी अपनी बात तो कहेंगे कि उत्पादन की क्या कमी है, क्या नहीं।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने आगे का प्रश्न पुकार लिया। (व्यवधान) आप खुद कह रही हैं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आपने अगला प्रश्न पुकार लिया तो आप व्यवस्था नहीं बदल सकते। आपने व्यवस्था दे दी अगले प्रश्न की। यह गलत परम्परा आरम्भ हो जाएगी। अगर एक बार अगला प्रश्न पुकारने के बाद वापस यह कहेंगी कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: आपने मेरा क्वेश्चन पुकारा है, आप मुझे इजाजत दीजिये। मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाए।

(माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर शर्मा वैल में धरने पर बैठे)

(माननीय सदस्य श्री बृजकिशोर शर्मा द्वारा धरना समाप्त)

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न है जो छह महीने पहले किसानों ने सरसों बेची थी, उसका 125 करोड़ रुपया छह महीने से बकाया है। उस किसान की कुर्की की है, किसान का बकाया के नाम पर कनेक्शन काटा जा रहा है और दोनों सरकारों ने किसानों के पेमेन्ट को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मैंने नाम नहीं पुकारा, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष: आप किस नियम में इस बात को उठा रहे हैं ?

श्री अमराराम (धोद): xxx

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो आवर के अंदर आप पर्ची के माध्यम से ला सकते हैं, आप स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ला सकते हैं, 295 के माध्यम से ला सकते हैं, 131 के माध्यम से ला सकते हैं, किसी भी माध्यम से लाइये।

श्री अमराराम (धोद): xxx

अनुपस्थिति-अनुमति

वासुदेव देवनानी श्री, शिक्षा राज्य मंत्री को 30.10.2006 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री ने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाने के कारण दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : घनश्याम तिवाड़ीजी का क्या हुआ?

श्री हरिमोहन शर्मा: घनश्यामजी का भी है क्या कोई प्रार्थना पत्र?

मोहम्मद माहिर आजाद : घनश्याम तिवाड़ीजी का क्या हुआ? वह क्यों नहीं आ रहे?

श्री अध्यक्ष : अभी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था होगी, फिर पर्ची पर व्यवस्था होगी, फिर 295 पर होगी, उसके बाद जब प्रश्न आए तब प्रश्न करियेगा। मुझे व्यवस्था तो देने दीजिये।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. मोहम्मद माहिर आजाद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूमि पर हज हाउस का निर्माण कराने के संबंध में।

चूंकि उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद: यह तो कहीं नहीं है विचाराधीन। कोर्ट में कोई मामला पैंडिंग नहीं है। यहां टेबिल पर रखा जाए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, यह होने का सवाल ही नहीं उठता।

मोहम्मद माहिर आजाद: अध्यक्ष महोदय, आपको गलत सूचना दी गयी है। आप टेबिल कराइये।

श्री अध्यक्ष: अगर आसन कोई व्यवस्था देता है तो किसी को भी खड़े होने का अधिकार नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में हज हाउस बनाने के बारे में जवाब दिया है, उसका क्रियान्वयन कराया जाए। न्यायालय का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन की व्यवस्था के बाद में आप कुछ कह सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: सदन को गलत गुमराह किया है । अध्यक्ष महोदय, आपको गलत सूचना दी है । यहां पर बताया जाए कि कौनसे न्यायालय में है और क्या मामला है?

श्री बृजकिशोर शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन में घोषणा की है हज हाउस के संबंध में, उसका क्रियान्वयन कराया जाए। न्यायालय की आड़ में लेकर हज हाउस के काम को रोकना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: डा. चन्द्रशेखर बैद एंव 6 अन्य सदस्यों की ओर से... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव भी दिया है, उन्होंने संविधान के आर्टिकल 188 के अन्तर्गत सशपथ यह कहा है कि मैं इनके उपबन्धों का पालन करूंगा। यह स्थगन प्रस्ताव और अपने वक्तव्यों द्वारा यह इस सदन के माननीय सदस्य रहने के काबिल नहीं हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आपके केबिनेट मंत्री तो वक्तव्य देने के बाद भी काबिल हैं शपथ का उल्लंघन करने के बाद, और यह काबिल नहीं हैं? बोलो आप। (व्यवधान) आप खुद क्या बोले थे ? आप भी काबिल नहीं हो इस जगह पर रहने के लिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की है, उनका यह बयान है और जब मुख्य मंत्रीजी ने सदन में घोषणा की है तो उसका क्रियान्वयन कराया जाए इसी हउस हाउस पर।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद से दुःखी होकर हाउस से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, आप **बैठिये।**

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी। मैं एक मिनट प्रार्थना कर रहा हूं आपकी व्यवस्था के बाद आसन सर्वोपरि है, हम कोई भी सवाल आसन के प्रति नहीं उठा सकते। अब आप नैक्स्ट पुकारें, अध्यक्ष महोदय। इसमें आपने व्यवस्था फर्मा दी है कि यह न्यायालय में लम्बित है, इस पर विवाद नहीं हो सकता। न्यायालय में लम्बित है यह ।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण करें। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे यह निवेदन करना है कि जब अध्यक्षीय व्यवस्था हो रही हो तो जब तक अध्यक्षीय व्यवस्था होती है तब तक किसी भी माननीय सदस्य को खड़े नहीं होना चाहिये। यह सदन का नियम भी है, सदन की परम्परा भी रही है। लेकिन इस परम्परा को सब सदस्य तोड़ते नजर आ रहे

(श्री अध्यक्ष)

हैं। चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, कोई भी इस व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते। इसलिये मैं आपको याद दिला रही हूं, स्मरण करा रही हूं कि नियमों का और इस परम्परा का आप सख्ती के साथ पालन करेंगे तो ही यह सदन ठीक प्रकार से चल सकेगा । आप आखिर यहां जन हित की बात करने ही आये हैं, एक साथ दस-दस माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो पता नहीं लगता कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे । इस सदन की यह गरिमा रही है कि यहां एक माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो दूसरा बीच में खड़ा नहीं होता है। आप एक के बाद एक न जाने कितने खड़े हो जाते हो। मैं यह निवेदन कर रही थी, मैंने कहा इसको विचाराधीन कर दिया, मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। अब यदि आपको बाद में कुछ कहना है तो आप भी कहियेगा और माननीय, सरकारी मुख्य सचेतकजी, आपको जो कुछ कहना है तो आपको भी समय दूंगी, लेकिन अभी इस व्यवस्था के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने व्यवस्था ही दे दी।

श्री अध्यक्ष: (2) डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 21 लाख से घटकर 17.34 लाख कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या में भारी कमी कर दिये जाने के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव पर तो अनुमति देने में असमर्थ हूं क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा की जाए, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसके संबंध में वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप समय तय कर दें ।

श्री अध्यक्ष: No, I am not going to hear anything. अभी मैंने आपको व्यवस्था बता दी।

श्री हरिमोहन शर्मा: बारां में 10 हजार आदमियों ने प्रदर्शन किया है बीपीएल के मामले में, यह सरकार कुछ सुनना ही नहीं चाहती। एक विधायक आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और इस पर वक्तव्य अगर दिलाना है तो आज वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें आप। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 10 हजार आदमियों के साथ बैठे हैं विधायक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): आज गांवों-गांवों में जिस प्रकार के हालात हैं बी.पी.एल. के मामले में आपसे निवेदन करता हूं कि वह व्यवस्था आज ही दिलाएं आप इनकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी आज्ञा अनुसार सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है, समय तय कर दें। इनका समय तय कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप वक्तव्य कब दिलाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में आकर हम तय कर देंगे, जब भी आप समय तय करेंगे वक्तव्य देने के लिए, सरकार तैयार है।

श्री अध्यक्षः जब आप चाहेंगे उस दिन वक्तव्य हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज नहीं, अध्यक्ष महोदय। आज नहीं, कल दे देंगे। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आज दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आज तो देखिये, एक मिनट, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): बी.पी.एल. के मामले में बैठे हुए हैं। जो उनके साथ ज्यादतियां हुईं, उस मामले में बैठा हुआ है। वहां के अस्पताल की जो हालत बिगड़ी है, उस मामले में बैठा हुआ है। और दस-दस हजार आदमियों के साथ प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आदेश निकाले हैं नाम जोड़ने का, अपील करने के, उसको भी 27 तारीख को स्थगित कर दिया गया है। (व्यवधान) गांव-गांव में अपील के नाम से इस मामले को डिले करना चाहते हैं और एक आदमी की जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं ...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण कर लें अब आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इनसे आज ही वक्तव्य दिलवाएं।

श्री अध्यक्षः अब आप स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पांच आदमी भी नहीं हैं वहां पर ...(व्यवधान) वहां पांच आदमी भी नहीं बैठे हुए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो बोलने की स्थिति में ही नहीं हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पांच आदमी भी नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो बोलने की स्थिति में ही नहीं हो। दस हजार आदमियों के साथ प्रदर्शन किया है अगले ने, आप जाकर तो देखो। गांव-गांव में जाकर देखो, यह ओमजी बिरला, हमारे प्रभारी हो कर आये थे बूंदी में।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अध्यक्ष महोदय, वहां के जो माननीय सदस्य हैं इनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर सकती। सम्पत्ति से जुड़े हुए मामले हैं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गांव-गांव में बी.पी.एल. के मामले में आवाज है, गांव-गांव में बिजली के मामले में आवाज है, इनका घेराव तक हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हैं यहां बैठे-बैठे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): दस आदमी नहीं थे वहां पर। वहां दस हजार आदमी थे, हद करते हो आप।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें।

दो मिनट पहले कहा कि व्यवस्था के बीच में नहीं उठें, नहीं बोलें, न यह परम्परा है, न यह नियमों है, इसके बावजूद भी ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को देखो।

श्री अध्यक्ष: वो क्षम्य हैं, वो उनकी बात थी। वो क्षम्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो क्षम्य हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, वो क्षम्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह दादागीरी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं घुटनों के बल आया हूं।

श्री अध्यक्ष: उनको आने में समय लगता है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह तो झुन्झुनूं वालों की दादागीरी है, साहब।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह दादागीरी का क्या मतलब है?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): घुटनों के बल के ऊपर कोई भी आसन के सामने आ सकता है। (व्यवधान) आपको अनुमति होगी। आप सीधा सीना कर के नहीं आ सकते, घुटनों के बल आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, वो समय आ जाएगा।

एक माननीय सदस्य: आ जाएगा जब झुकना पड़ेगा आपको।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, आसन जब पांवों पर नहीं था तो वो चल चुके थे, आने में समय लगता है इसलिए क्षम्य हैं।

अब आप सुनिये। अब मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूं, आप लोग आसन की सदाशयता का बेजा फायदा उठा रहे हैं, मैं अधिक अब नहीं सदाशय रहूंगी, यह मैं सब से कह रही हूं। व्यवस्था के बीच में कोई बोलेगा, मुझे उसके खिलाफ कुछ न कुछ कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान) क्या?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, यह देखिये।

श्री अध्यक्ष: बैठ गये न वो, बैठ गये।

देखिये, पहले दिन ही मैंने माननीय सदस्यों को कहा था कि जब आसन पांवों पर हो तो एन्ट्रेन्स उनकी नहीं होनी चाहिए। स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया मुख्य मंत्री रहते हुए दस-दस मिनट तक यहां खड़े रहा करते थे। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, यह देखिये।

श्री अध्यक्ष: अरे वाह, भाई, क्या करें, कमाल है, छह-छह, सात-सात बार जीत कर आये हुए लोग हैं, मोहनलालजी सुखाड़िया का समय भी देखा है इन लोगों ने, इसके बावजूद भी अब इन्होंने इस असैम्बली को, विधान सभा को यों कर दिया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): यह तो पुरातत्व विभाग के लोग हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो गये? आप किसलिए खड़े हुए?

अब व्यवस्था के बीच में कोई नहीं बोलेगा। और, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, इतने उत्तेजित भी न हुआ करो कि एक मिनट में खड़े हो जाओ। नहीं, आप एक मिनट में खड़े हो जाते हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं इस बात का, मैं रिवाइण्ड करा रही हूं आपको।

कब देना चाहेगी सरकार इसके बारे में? मैं समझती हूं पूरी तैयारी के साथ, देखिये, चाहे आज न दें, कल दें लेकिन पूरी तैयारी के साथ दें ताकि कोई इनको किसी तरह का शक-शुबाह नहीं हो, कि क्या कारण रहे हैं इसके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिजनस एडवायजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि नौ तारीख को इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा हो जाए, अगर नौ तारीख फर्माएं तो नौ तारीख को दे देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, कल की तारीख में, कल दिलवाएं आप इनसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपकी आज्ञा कल के लिए होगी तो कल दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर कल की आज्ञा हो तो कल दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: कल, कल। कल हो जाएगा। इस पर स्टेटमेण्ट हो जाएगा गवर्नमेंट का कल।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वो भूख-हड़ताल पर बैठा है, नौ को देंगे तो क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: देखिये, यह तो बात सही है कि वो भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, चिंता की बात है, लेकिन सरकार यदि आधी-अधूरी अपनी जानकारी के आधार पर कोई स्टेटमेण्ट देगी तो वो भी उचित नहीं होगा, इसलिए पूरी तैयारी का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरी तैयारी के साथ जवाब दे सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल दे देंगे, साहब।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: यह शेखावाटी वालों को पता नहीं क्या हो गया? सीकर और झुन्झुनूं वालों को पता नहीं क्या हो गया?

श्री अमराराम (धोद): यह तो नाथद्वारा के हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: इतना अपना भी मत समझो मुझे। मैं अध्यक्ष हूं, दोनों के लिए बराबर हूं। इतना अपना भी मत समझो कि झुन्झुनूं और सीकर वाले बेजा फायदा उठा रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप आसन पर विराजें तो मैं एक बात अर्ज करूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अब नहीं, आसन पैरों पर।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सदन चल रहा है, एक विधायक के साथ जो एक घटना हो रही है, आप कृपा करके सरकार से कहें, उनसे जा कर बात करे।

श्री अध्यक्ष: (4) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में असमान वर्षा के कारण किसानों की फसल एवं बीजान के नष्ट होने के सम्बन्ध में।

बात यह है कि सारी गड़बड़ जो है यह नेता प्रतिपक्ष और उप-नेता प्रतिपक्ष करते हैं, क्या करूं, इलाज नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आदेशों की पालना करते हैं।

श्री अध्यक्ष: (5) श्री अमराराम धोद एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की कथित निष्क्रियता से जन-धन की भारी हानि होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेमाराम चौधरी एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के अनेक जिलों में माह अगस्त, 2006 में आयी बाढ़ एवं अतिवृष्टि से लाखों लोगों के बेघर होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के विषयों पर सदन में चर्चा होगी अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज ही चर्चा हो रही है इसलिए आपको पूरा मौका मिलेगा।

(7) श्री भरत सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैधानिक खनिज कार्य में लिप्त ठेकेदार के पास कार्यरत मृतक मजदूर के आश्रितों को पर्याप्त सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जुबेर खान एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला अलवर के ग्राम मूसाखेड़ा के दस-ग्यारह परिवारों की महिलाओं एवं बच्चों को पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घरों में प्रवेश नहीं करने देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य श्री जुबेर खान तो गत सत्र में भी अपने इस विषय को उठा चुके हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले की रेवदर तहसील में हत्या के मामले को आत्महत्या करार दिये जाने के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव का विषय तो नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य को सिर्फ दो मिनट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी ताकि गृह मंत्रीजी इस बारे में बात को स्पष्ट कर सकें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी है कि गत सत्र में मैंने, इसके सम्बन्ध में आप निकाल लीजिए, किसी भी, न तो 295 में, न 131 में, न 50 में, आपने अनुमति नहीं दी थी। मेरा अधिकार है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। मूसाखेड़ा में 150 बच्चे और औरतें और छोटे-छोटे बच्चे, परिवार में नौ साल से ऊपर की आयु का कोई भी मेल मैम्बर उनके साथ नहीं है, 11 महीने से दर-दर भटक रहे हैं। आपके परिवार के रिश्तेदार आपके क्या 11 महीने आ कर रह सकते हैं? उनको पुलिस प्रशासन घरों में नहीं घुसने दे रहा है, बच्चे 11 महिनों से स्कूल नहीं आ पा रहे। इस राज्य की राज्यपाल महिला, अध्यक्ष महोदय महिला, मुख्य मंत्री महिला और फिर 150 महिला और छोटे-छोटे बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इससे बड़े शर्म की बात इस प्रदेश के लिए हो नहीं सकती। मैं चाहूंगा, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, अनेकों बार मिले हैं हम इनसे...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य जो कहें, अंकित नहीं होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख सूचनाएं

श्री अध्यक्षः (1) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से हिण्डौली की ग्राम पंचायत मेण्डी के ग्राम गणेशगंज में वन विभाग द्वारा दिनांक 02.08.2006 को 50 वर्षों से काबिज झोंपड़ों को नष्ट कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) डा. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर में उपखण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में चिकित्सा सुविधाओं का समुचित विस्तार करने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर एवं झुन्झुनूं जिले में अवस्थित चौबीस कोसी परिक्रमा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री महीपाल यादव (बानसूर): xxx

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): xxx

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): xxx

(5) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमा) की नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षित वर्ग के साथ विसंगति के सम्बन्ध में।

(6) श्री खुशवीर सिंह जोजावर, सदस्य की ओर से मंदिर माफी की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में।

(7) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से बेरोजगार डिग्रीधारी कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: यह सदन नियमों और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं से चलता है, यदि किसी को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: यदि आपको अध्यक्षीय व्यवस्था से कोई नाराजगी है तो मेरे कक्ष में मुझ से बात करें, लेकिन यह तरीका बहुत गलत है और मैं इस तरीके को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे कह रही हूं यह सदन ...(व्यवधान) सुनिये आप। बीच में नहीं बोलें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष: यह सदन नियमों और अध्यक्षीय व्यवस्था के आधार पर चलता है ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: आप इनको भी स्थान पर तो बैठाओ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष: आसन न तो आपकी धमकी में आएगा न इनकी धमकी में आएगा, आसन नियमों से और अपनी व्यवस्थाओं से काम करेगा ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दो मिनट पहले मैंने कहा कि अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ यदि आपको कोई किसी तरह की आपत्ति हो तो बीच में जब अध्यक्ष

खड़े हों तब आप अपने स्थान से नहीं उठेंगे। उसके बावजूद भी आप अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ रोष में, आक्रोश में आकर वैल में आ जाएं, जो मर्जी आए तब बोलने लग जाएं, अध्यक्ष को पार्टीबाजी में डाल दें और यह कहें कि पक्षपातपूर्ण रवैया है, मैं समझती हूं कि यह आपका हित नहीं है और मैं इसको बहुत सीरियसली ले रही हूं । मैं यह भी देख रही हूं कि कुछ माननीय सदस्य हैं जो अपने स्थान पर बेवजह जब मर्जी आए तब खड़े होकर जो मर्जी आए सो बोलने लग जाते हैं । मैंने कहा, यह सदन नियमों से और अध्यक्षीय व्यवस्थाओं से चलेगा। आप अपने-अपने स्थान पर जाएं, हम यहां पर जन

हित की चर्चा पर आए हैं, जन हित में जो कोई बात होगी यहां पर उस बारे में चर्चा की जाएगी। आपको पूरा मौका दूंगी। जन हित के मुद्दे पर आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दूंगी लेकिन नियमों में दूंगी। और मौका है आपके पास । आप एक बार उठा चुके हैं इस बात को, कितनी बार उठाएंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: आपने पिछली बार भी उठाया था, सदन का यह नियम है, जो मुद्दा एक बार उठ जाता है, वह दुबारा नहीं उठाया जा सकता । आप अपने अपने स्थान पर जाओ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपने-अपने स्थानों पर जाओगे तो सुनूंगी, वर्ना मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप अपने स्थान पर उठे तो यहां नेता प्रतिपक्ष का भी कहना आप नहीं मानते। वह क्या इतने कमजोर हैं कि आप यहां खड़े रहो और वह बोलें, फिर उनको बोलने का भी अधिकार नहीं? अपनी पार्टी को व्यवस्थित नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष। मुझे बहुत ही ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के नियंत्रण में नहीं है। एक भी आदमी नियंत्रण में नहीं, एक भी माननीय सदस्य नियंत्रण में नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जब तक यह वैल में रहें एक चीज भी रिकार्ड पर नहीं लें। मेरी प्रार्थना है कि उनकी एक चीज भी रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिये जब तक ये सीटों पर नहीं बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय सदस्य जो मेरी पार्टी के हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वह हमारा विरोध सदन में आकर .... (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सीटों पर आ जाएं।

श्री अध्यक्ष: बाढ़ जिससे लोग मर गये, जन धन की हानि हुई उस पर तो चर्चा करना नहीं चाहते, पर मूसलखेड़ा पर चर्चा की चिन्ता हो रही है आपको। अकारण लोगों की जन धन की हानि हुई है, चालीस हजार पशु मर गये, इन्सान मर गये, उनकी तो चिन्ता नहीं है, बाढ़ पर आपको किसी को भी चर्चा करने की चिन्ता नहीं है और मूसलाखेड़ा की चिन्ता हो रही है आप सब लोगों को। बाढ़ वालों की चिन्ता नहीं है जहां हजारों पशु मर गये, सैकड़ों व्यक्ति मर गये, कर रहे हैं फालतू की। फालतू की बात करते हो। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिस पर आप, बाढ़ पर घेर सकते हो सरकार को, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी कृपा करके शांति धारण करें। नाराजगी जाहिर बहुत हो गयी और हमने भी नाराजगी प्रकट कर दी आपके सामने आकर, अब बात बहुत हो गयी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक माननीय सदस्य जिम्मेदार है अपने क्षेत्र का, उसके इलाके में एक परिवार इतने दिन से दर-दर घूम रहा है और वह अपनी बात सदन के सामने आपकी मार्फत लाना चाहता है, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, वह जानकारी नहीं दे सकते कि क्या हो रहा है? वह बात सुनते क्यों नहीं ? आप उनकी बात दो मिनट में सुनवा दीजिये और इनसे स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: यह आसन एक बार व्यवस्था देने के बाद में चाहे आप कितनी घुड़की पिलाएं और कितना ही कहें, यह आसन अपनी व्यवस्था को नहीं बदलेगा। आप यह भूल रहे हैं ...(व्यवधान) आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलिये और माननीय सदस्य को भी लाइये, मैं गृह मंत्रीजी को बुलाऊंगी, उनसे बात करूंगी इस बारे में और उनको राहत देने के बारे में करूंगी। उनसे निवेदन करूंगी लेकिन मेरी इस व्यवस्था को बदलने के लिये अब मैं कतई सहमत नहीं हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आसन इतना कठोर.. (व्यवधान) मैं आपको कहता हूं कि आसन इतना कठोर कभी नहीं हुआ है जितनी कठोरता आप दिखा रहे हैं। मान्यवर, आपको अभी इतनी कठोरता प्रकट करने की जरूरत नहीं है, आपको तो लिबरल होना चाहिये। किस तरह से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कठोरता का प्रश्न नहीं है, नियमों का प्रश्न है। यह अध्यक्षीय व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें कठोरता का सवाल नहीं है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, बहुत शर्म की बात है उन महिलाओं और बच्चों के बारे में आप नहीं सोच रहे और पिछले सत्र में कोई मामला नहीं उठाया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह कौनसी बात हुई ?

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया आपको, आप मेरे वेश्म में आइये, होम मिनिस्टर को बुलाऊंगी। मैंने कह दिया न आपको मेरे वेश्म में आइये, मैं बुलाऊंगी होम मिनिस्टर को, कहूंगी उनसे सारी बातें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम नियमों के हिसाब से अनुरोध कर रहे थे... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जेल में और भर दो इनको भी। भर दो, कौन रोक रहा है ? भर दो जेलों में, भरो।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से सारे माननीय सदस्य वैल में आ-आ करके और अध्यक्षीय व्यवस्था को रोजाना बदलवाएंगे उससे सदन नहीं चलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपकी तो सुन लूंगी बात, सुनाइये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इतनी कठोरता मत दिखाओ। आपकी इतनी कठोरता का नतीजा अच्छा नहीं क्योंकि वह हमें भी नुकसान देगा और गलत परम्पराएं कायम होंगी। मैं कोई कोई धमकी नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं अनुरोध कर रहा हूं, सादर अनुरोध, कि आप माननीय सदस्य की दो मिनट में बात सुन लीजिये, पहले यह बात कभी नहीं कही गयी है, और उसका आप गृह मंत्रीजी से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, यह चर्चा यहां आ चुकी है मूसलाखेड़ा की। मुझे याद अच्छी तरह से है परिप्रेक्ष्य....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं आयी है, नहीं आयी है। आप निकलवा लीजिये रिकार्ड पर। आपने अलाउ नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष: मैं उस दिन की कार्यवाही निकालूंगी। आपने गृह विभाग की डिमाण्ड के रोज इस बात को उठा दिया था और मुझे अच्छी तरह से याद है। अब आपको तो याद नहीं है लेकिन मुझे याद है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे अनुरोध तो कर ही सकते हैं, आप अपना रेफरेंस देख लीजिये। आप अपने टेबल आफिस को कह दीजिये, वह रेफरेंस देख लेंगे, कब आया है। आया है तो हम विथड्रा कर लेंगे। इनकी बात पहले आयी है, सदन में चर्चा हुई है तो हम विथड्रा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग की डिमाण्ड पर बोला है, यह दिया किसने? मैंने आपसे निवेदन कर दिया, मेरे वेश्म में आप भी पधारिये, उनको भी

लाइये, चाय भी पिलाऊंगी। होम मिनिस्टर साहब को भी बुलाऊंगी और इसका हल निकालेंगे। लेकिन अब मैं मेरी व्यवस्था को नहीं बदलूंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं हाथ जोड़कर, आप जितना हाथ जोड़ रही हैं उतना मैं भी ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को भी ..(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप देख लीजिये, अगर आयी है तो हम विथड्रा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग की डिमाण्ड पर बोल चुके थे वह, I remember it very well.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरी भी बड़ी सहानुभूति है, I remember it very well, गृह विभाग की डिमाण्ड पर बोल चुके थे वह।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सोनियाजी और प्रणव मुखर्जी के दौरे के बावजूद भी केन्द्र ने ..(व्यवधान) आज उसी पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह विषय ला रहे हैं... (व्यवधान) चर्चा का विषय बाढ़ और अतिवृष्टि का है, उसमें चर्चा नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान की बाढ़ पीड़ित जनता के साथ इनको कोई सहानुभूति नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आयी है तो आपके आफिस को कह दीजिये, कब आयी।

श्री अध्यक्ष: बोल चुके हैं वह तो। कह दिया न आपको कि आप मेरे वेश्म में पधारिये, इनको भी लाइये। गृह मंत्रीजी को भी बुला लूंगी, कह दिया न मैंने आपको।

संयम लोढ़ा। श्री संयम लोढ़ा, दो मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान) इम्पोर्टेंट बाद में होगी (व्यवधान) अंकित नहीं हो। मैंने श्री संयम लोढ़ा का नाम पुकार लिया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने कहा था कि व्यवस्था देने के

बाद में मेरे एक मिनट आप सुनेंगी इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने निरस्त किया है, एक मिनट मुझे उस पर कुछ कह लेने दें। आपको यह जानकारी दी है कि हज हाउस प्रकरण में न्यायालय में मामला विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप कुछ भी कहें, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई नियमों में लेकर आएं, श्रीमान इसे आप। माननीय सदस्य, सदन के समय को बर्बाद न करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): xxx

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करिये। अब आपने बहुत कुछ कह दिया, स्थान ग्रहण कर लें। मुझे मजबूर न करें। माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: तो मैंने नाम पुकार लिया संयम लोढ़ा का, आप उसके बाद बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में बात कहेंगे आप अपनी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पुलिस अत्याचार के कारण आत्महत्या

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सदन का ध्यान उस दु:खद घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें एक बहुत ही साधारण आदमी ओमपुरी की 27 मई को मृत्यु हो गयी और उसका अपराध रेवदर थाना में दर्ज हुआ। जिन व्यक्तियों के ऊपर यह आरोप लगाया गया और जिनको उसकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया गया, वे उसी दिन पुलिस थाने में ओमपुरी को लेकर गये। पुलिस थाने में ओमपुरी के साथ मारपीट हुई, उसके बाद वह इतना आतंकित

(श्री संयम लोढ़ा)

हुआ कि उसने पुलिस अधीक्षक और दूसरे लोगों को लिखित में यह रिपोर्ट किया कि मैं आतंकित हूं इनकी वजह से और मैं मरूंगा। उसके बाद जो लोग उसको थाने से लेकर गये, उन्होंने दुकान से जहर खरीदा, उसको जहर पिला दिया और एक तिराहे पर छोड़ दिया। बाद में दूसरे हास्पिटल में ले गये जहां उसकी मौत हो गयी। मिसरोही में आकर उस पीड़ित नवयुवक की मां कई दिन धरने पर बैठी, उपवास पर बैठी लेकिन चूंकि पुलिसकर्मियों का इस मारपीट में इनवाल्वमेंट था इसलिये लगातार पुलिस पूरे घटनाक्रम के प्रति उदासीन बनी रही। गृह मंत्रीजी का जब दौरा हुआ सिरोही में, पीड़ित व्यक्ति की मां गृह मंत्रीजी से मिली तब तो उनके बयान लिखे गये। पुलिस का इस कदर पूरे मामले में गठबंधन रहा कि पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत तक हो जाने दी। आज भी उस मामले को लेकर पीडि़त परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। जिन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की जिसकी वजह से वह आत्महत्या पर विवश हुआ, कोई मुकदमा उनके ऊपर कायम नहीं किया गया। जिन लोगों ने जहर खरीदकर जहर पिलाया उनके खिलाफ भी धारा 304 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और उनसे इस बात की फरियाद करता हूं कि वह पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलावें जिससे जिले में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास में जो दरार पड़ी है, वह विश्वास शासन के प्रति पुन: कायम किया जा सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, थैंक यू वैरी मच। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह घटना ध्यान में आयी, घटना तो सामान्य थी, एक मुकेश अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखायी थी कि उसको टेलीफोन पर धमकी दी। इस पर एक-दो केस पुराने भी थे उसके कारण से उसको 107 में लाये थे। थाने पर दोनों को बुलाकर आपस में समझौता कराकर उनको रवाना किया था। उसके बाद 28 तारीख के दिन उसका केस दर्ज हो गया कि उसने कोई जहरीला वस्तु खायी और वह बेहोश हो गया। पहले उसको आबू रोड में फिर उसके बाद महसाना के किसी हास्पिटल में भर्ती कराया। यह घटना थी 28 की और 7.6 को उसकी डैथ हो गयी। जो इनका 39/2006 पहले मुकदमा जिन धाराओं में आया, उसमें 304 जोड़ दी। उसकी तफ्तीश आई.जी. को दी है और आई.जी. के स्तर पर इसकी जांच हो रही है। जो भी इसमें सच्चाई होगी, जिसका भी दोष होगा, निश्चित रूप से जांच के बाद ही

इसमें आगे कार्यवाही करेंगे, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माहिर आजाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये, मैंने खुद ने पुलिस महानिदेशक से, जब उसकी मां सिरोही में बैठी हुई थी, फोन पर बात की, जब ये सारे तथ्य मेरे सामने आये। यह मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, मामला रेवदर का है।

श्री अध्यक्ष: आई.जी. जांच कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन उसके बाद भी आज तक, जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की उसके साथ में और उसके बाद उसने तुरंत फैक्स किया और थाने के अंदर मारपीट के वक्त जो व्यक्ति साथ था...

श्री अध्यक्ष: यह बहुत गलत बात है। जब उन्होंने सारी बात कह दी कि आई.जी. जांच कर रहे हैं और आप बोले ही चले जा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके निर्देश के बाद उसका बयान दर्ज हुआ, इसके बावजूद आज तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही आपने नहीं की है ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री माहिर आजाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपके दो मिनट देने का मतलब क्या हुआ, मैं यहां कोई भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था?

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा आरोप है कि पुलिसकर्मियों के शामिल होने की वजह से सरकार पूरे मामले को खराब कर रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इन्होंने आई.जी. को जांच दी, और क्या चाहते हैं आप? वह कह रहे हैं, जांच कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे मामले को, गृह मंत्रीजी बता दें, ओमपुरी के साथ में जो व्यक्ति थाने में था, क्या उसने बयान नहीं दिया कि मारपीट की? क्या उसने बयान नहीं दिया? जब उसने बयान दिया है कि मारपीट की, उसके बाद में उसने एस.पी. को फैक्स कर दिया कि मैं इस मारपीट की वजह से आत्महत्या करूंगा और जो लोग साथ लेकर गये उन्होंने जहर पिलाया, फिर आप क्यों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि चाहे पुलिस ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो, जांच आई.जी. को दी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर पुलिस का दोष निकला तो पुलिस के लोग सज़ा पाएंगे जिसका जो दोष होगा। लेकिन जब तक उसकी जांच स्पष्ट सामने नहीं आती तब तक मैं किसी को दोषी करार नहीं कर सकता हूं। जांच दी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वह पूरी होकर उसकी फाइंडिंग आऐ।

श्री अध्यक्षः मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): गृह मंत्रीजी, आप इस पर भी तो ध्यान दीजिये। आप इसमें क्यों चुप बैठे हुए हैं? मूसाखेड़ी वाले मामले पर आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? इसमें भी आप अपना वक्तव्य दीजिये।

श्री अध्यक्षः माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप इसके बारे में भी साथ-साथ क्यों नहीं बोल लेते हैं?

श्री अध्यक्षः अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है, मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः यहां निवेदन ऐसे नहीं होता है। मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। बहुत ही संवेदनशील मामला है, छोटे-छोटे बच्चों और महिलाओं को कहां लेकर जाएं? आप निवेदन करेंगे तो आपके घर ले जाकर बसा दें। अध्यक्ष महोदय, आपके घर ले आएं।

श्री अध्यक्षः आप नियमों में जाकर करें। मैंने मोहम्मद माहिर आजाद का नाम पुकार लिया है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप हमें समय मत दीजिए, हम यहां नहीं बोलेंगे इस मामले पर। आज भी नहीं उठाएंगे, अगले दो साल में भी नहीं उठाएंगे। आप हमें यह आश्वासन दे दीजिये कि इनको आपके घर ले जाकर बसा दें।

श्री अध्यक्षः बात तो हो गयी है। अब आप सुनते तो हो नहीं, कहीं

(श्री अध्यक्ष)

चले जाते हो। मैंने कह दिया है कि आप मेरे वेश्म में पधारें, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगी, होम मिनिस्टर साहब को बुलाऊंगी, सारी बात आपकी सुनूंगी। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आप चाय पिलाएंगी। हम उन महिलाओं और बच्चों को साथ ले आते हैं, आपके कक्ष में ही बता देते हैं।

श्री अध्यक्ष: फिर आप वही बात कह रहे हैं। जब एक बार बात हो गयी तो उसको क्यों उठा रहे हैं आप?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आसन का आदेश शिरोधार्य। मैंने रामसिंहपुरा, सांगानेर के हज हाउस की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपको सूचना दी थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जीरो आवर में काहे का है? मुझे अध्यक्षजी ने अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आसन ने व्यवस्था दी है आसन ने ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात कहने के बाद... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइंट आफ आर्डर नहीं उठा सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइंट आफ आर्डर है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं मेरी बात निवेदन कर दूं उसके बाद आप इनकी सुन लें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई भी एक सदस्य... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइंट आफ आर्डर उठा ही नहीं सकता है ...(व्यवधान) जीरो ऑवर में पाइंट आफ आर्डर उठा ही नहीं सकता

है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने मेरी बात कह दी, फिर आप इनकी बात सुन लें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसन ने व्यवस्था दी हुई है। आसन नयी व्यवस्था शुरू कर रहा है तो अलग बात है। (व्यवधान) लेकिन जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर आज तक नहीं उठा है। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के बाद आप बोलें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह एक नयी परंपरा शुरू कर रहे हैं, फिर हम भी पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान) जीरो आवर में आप इनको अलाउ करते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इनको पाइंट आफ आर्डर ... (व्यवधान) आदेश दे रहे हैं, इनको बैठाएं। (व्यवधान) आखिर यह सदन नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है, आपकी खुद की व्यवस्था है। यह बोले जा रहे हैं और आप इनको समय दे रही हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो नया सदस्य कोई भी ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको आप समय नहीं देते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नियमों में स्पष्ट व्यवस्था है ...(व्यवधान) कि एक मद समाप्त होने के बाद दूसरा ज्यों ही शुरू होता है...

श्री अध्यक्ष: नियमों में यह भी व्यवस्था है कि जीरो आवर में औचित्य का प्रश्न नहीं उठ जाता है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, यस। (व्यवधान) बैठ जाएं, बैठ जाएं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अब बैठ जाएं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थोड़ी-बहुत भी हया-शर्म है तो बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अब बैठ जाएं यही अच्छा है। (व्यवधान) नई परंपराएं मत कायम करें, बैठें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जीरो आवर में ही ...(व्यवधान) उठाया गया है, आज तक औचित्य के सवाल पर प्रश्न उठा

है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको बात तो कहने दीजिय फिर औचित्य उठा लेना। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने संविधान की शपथ ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात ही नहीं आयी ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे मौका दिया है, मैं खड़ा हुआ हूं, इससे पहले ही ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इनको, शनिदेव को बैठाएं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश को यह मान नहीं रहे हैं ...(व्यवधान) और आप भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आसन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सबने यह शपथ ली है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बोल किस पर रहे हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): शनिदेव महाराज, बिराजें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हाउस के फ्लोर पर मेरा पजेशन है, आप बैठ जाएं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा ...(व्यवधान) जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बोल काहे पर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकारी मुख्य सचेतक

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपकी व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसमें आप मददगार होते हैं, और आप तो अध्यक्षीय व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूं ...(व्यवधान) कहां बोल रहा हूं खिलाफ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं अनुमति से बोल रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कहां अनुमति दी बोलने की? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं अध्यक्ष की अनुमति से ही बोला हूं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष ने कहा है कि जीरो आवर में बोलने का ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह शनिदेव महाराज हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सवाल नहीं उठाया है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न उठाया है कि संविधान की जिस शपथ के बारे में चर्चा की, वह संविधान की जो शपथ है उसका क्या कोई उन्होंने उल्लंघन किया है जो आप कुछ कह रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या उल्लंघन कर दिया?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं बोला ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इतरा प्रिकाशन आप बाढ़ में रखते तो लोग नहीं मरते। (व्यवधान) इन्हें बोलने तो दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी बात तो मुझे बोलने दें, उसके बाद यह कुछ कहें। (व्यवधान) आपने मुझे अनुमति दी है, आप मेरे अधिकारों की रक्षा करें। (व्यवधान) हाउस के फ्लोर पर मेरा कब्जा है।

श्री अध्यक्ष: इनको कह लेने दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और यह बीच में खड़े हो रहे हैं। इनको या तो मुझसे अनुमति लेनी चाहिए या आपसे अनुमति लेनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कहने दें, पहले उनको कहने दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, कहने दो। (व्यवधान) फिर कहना आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): काहे के मुख्य सचेतक हैं यह? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले उनको कहने दें फिर आपको कुछ कहना हो तो कहना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, बैठाएं। आप देखिये इनका हाल ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब आप अनुमति देते हैं तो उसके बाद में बोलूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल बोलना। बोलने दें। (व्यवधान) लैट हिम स्पीक ...(व्यवधान) अब आप ही कर रहे हैं ...(व्यवधान) अब आप भी कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था के प्रति मेरा पूर्ण सम्मान है, आपकी अनुमति से मैं अपनी बात आपके सामने कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) संविधान के प्रति भी है, कानून के प्रति भी है। आपको देखने की जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सड़कों पर निपट लिया जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर.एस.एस. के प्रति नहीं है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह आपकी संविधान

में ...(व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): सड़कों पर निपटने का कौनसा तरीका है? (व्यवधान) आप हिन्दू-मुसलमानों के सांप्रदायिक दंगों ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्यमंत्री शिलान्यास करने गयीं ...(व्यवधान)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): आप हमेशा हिन्दू-मुसलमानों के दंगे कराना चाहते हैं ...(व्यवधान) सड़कों पर भी निपटा ...(व्यवधान) यह तो दंगा ही कराना चाहते हैं ...(व्यवधान) सड़कों पर हिन्दु-मुसलमानों के दंगें कराएंगे यह ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह सदस्य बनने के लायक नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने उनका नाम पुकारा है, उन्हें अपनी बात कह लेने दो। बीच में आप टोकं नहीं। आप तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

जयपुर में हज हाउस निर्माण हेतु जमीन आबंटन

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैंने और मेरे साथियों ने रामसिंहपुरा, सांगानेर में हज हाउस निर्माण के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने व्यवस्था दी, आपको सरकार ने सूचना दी कि उस पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश है।

श्री अध्यक्ष: स्थगन आदेश नहीं, न्यायालय में विचाराधीन। स्थगन नहीं कहा मैंने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): न्यायालय के विचाराधीन है, सबजुडिस नहीं। मैं उस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कहना चाहता। मेरा न्यायालय के प्रति भी पूरा सम्मान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हज कमेटी होम डिपार्टमेंट का एक पार्ट एण्ड पार्सल है और यू डी एच डिपार्टमेंट जिसके अण्डर में जे डी ए आता है सरकार के एक विभाग द्वारा सरकार के दूसरे विभाग को पाँच बीघा जमीन हज हाउस बनाने के लिए दी गयी। हज हाउस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा हो जाएगी। जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कोई चर्चा हुई नहीं। अब इन्होंने आपकी सदाशयता का फायदा उठाकर वह सारा चैप्टर खोल दिया। आप खुद देख लें, अध्यक्ष महोदय, न्यायालय के

विचाराधीन है, 9 तारीख उसमें है। 9 तारीख उसमें है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, अभी आपने कार्य सलाहकार समिति का उदाहरण दिया जबकि उसकी रिपोर्ट अभी हाउस में रखी नहीं गई है। आप तो कायदे कानून की जानकारी हासिल करो थोड़ी। हमको यह लिफ़ाफ़ा भेजा है, उस पर लिखा है, गोपनीय, अभी हाउस ने एप्रूव नहीं किया और आप उसमें बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में जो विचाराधीन प्रकरण हैं उन पर चर्चा इस सदन में नहीं होती, और यह वहीं आ रहे हैं। वहीं आ रहे हैं और आपने व्यवस्था भी यही दी है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने उनको बोलने की अनुमति दे दी, आप बीच में कहां आ रहे हैं, मान्यवर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह अनुमति नहीं दी उन्होंने। यह अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: आपको तीन मिनट का समय दिया है, उनको बोल लेने दीजिए। उन्होंने कह दिया कि न्यायालय का सम्मान करता हूं, जो कुछ कहना चाह रहे हैं कह लेने दीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत परम्परा कायम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप दो मिनट में अपनी बात कह लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, मैं दो ही मिनट में। आधा मिनट ही हुआ है, अभी तो, आपने तीन मिनट का कहा था पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार के एक विभाग ने सरकार के दूसरे विभाग को पांच बीघा जमीन आबंटित की। पिछली कांग्रेस सरकार ने कर्बला में जमीन आबंटित की थी, हम सब लोग चाहते थे कि वहां हज हाउस बने। लेकिन सांगानेर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद अब चूंकि पूरे राजस्थान की हाजी सांगानेर में आएंगे, इन्होंने रामसिंहपुरा में एक जमीन आबंटित कर दी। जमीन सरकार ने आबंटित की, उस जमीन को लेकर सरकार के एक मंत्री जो कैबिनेट में बैठे हैं श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, वह यह कहें कि, साहब, यह चरागाह भूमि आबंटित कर दी। तो यह जिम्मेदारी हमारी तो नहीं थी, यह अर्ज कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सारा प्रकरण

न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अब आप इसमें किसी भी मंत्री का नाम नहीं लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा ठीक है, नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपको हज हाउस निर्माण के बारे में अनुमति दी है। (व्यवधान) प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह उपस्थित भी नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इन्होंने नाम कैसे पुकारा?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): न्यायालय के विचाराधीन है, इस प्रकरण पर सदन में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आपको विस्तृत जानकारी है। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें, मैं आपको बीच में टोक रही हूं, माननीय सदस्य। जो सूचना रिकार्ड में है उस पर तो आज भी जे डी ए ने उसे चारागाह लिख रखा है। (व्यवधान) प्रकरण न्यायालय में गया, अब क्या बोलना?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नई परम्परा स्थापित कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। (व्यवधान) कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य को उस पर बोलने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उस पर यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: आप उसी पर आइए कि हज हाउस बनना चाहिए, बस उसके अलावा आप उसके मैरिट पर नहीं जा सकते, आप केस के मैरिट में नहीं जाएं, आप केवल इतनी-सी अपनी बात कहिए कि हज हाउस बनना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा ठीक है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सारी बात कह गये। जब प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है, फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, न्यायालय के फैसले के बाद होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई स्थगन आदेश नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): न्यायालय के अंदर विचाराधीन है तो इस सदन में काहे की बात? इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, माननीय न्यायालय का अपमान है यह सीधा-सीधा।

श्री अध्यक्ष: हज हाउस बनना चाहिए, यह कहकर बात खतम कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा, मैं यही बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गृह मंत्रीजी बैठे हैं जो इस हज हाउस कमेटी के विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, यह भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे जो शिलान्यास 20 तारीख को हुआ, संसदीय कार्य मंत्रीजी भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे और मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया है, मैं तो आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष: बात खतम हुई बस।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान के मुसलमान इस सदन के जरिए आपकी तरफ और सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हज हाउस का निर्माण सांगानेर में कब हो जाएगा, कितनी जल्दी होगा, होगा कि नहीं होगा, सरकार इस सदन के जरिए राजस्थान के उन मुसलमानों को आश्वस्त करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका शिलान्यास कर दिया, और जब आप यह बात कह रहे हैं कि चारागाह भूमि है, जो भी रिकार्ड में है तो शिलान्यास करने वाले को सोचना चाहिए था। यह तो कहने वाला जाने, इसमें हमारा कहां दोष है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रामसिंहपुरा, सांगानेर में हज हाउस बनना चाहिए, देश के दूसरे हिस्सों में भी हज हाउस बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: कर्बला में भी बनना चाहिए, यह भी कहो, कर्बला में भी बनना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी ने पिछली ईद पर यह आश्वासन दिया था कि दोनों जगह हज हाउस बनेगा, कर्बला में एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस बनेगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस सदन का सदुपयोग किया

जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्षजी ने मुझे अनुमति दी है, आप विराजिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने अनुमति दी है इनको, इनका औचित्य का प्रश्न था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके बारे में जो उन्होंने प्रस्ताव दिया, फिर आपने व्यवस्था दी कि मामला सब जुडिस है, उसके बावजूद आपने उनको उदारतापूर्वक बोलने का अवसर दिया। उस अवसर का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इस प्रकार के प्रसंग जो सब जुडिस है, जो कोर्ट के विचाराधीन हैं, उन सब प्रश्नों को उजागर किया। उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया, गृह मंत्रीजी उसमें थे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): क्या बोल रहे हैं, आपकी तो कोई व्यवस्था ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इनको समय दिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हम तो बैठ जाएंगे लेकिन यह बोल किस व्यवस्था पर रहे हैं? यह तो पता चलना चाहिए कि यह क्या बोल रहे हैं और किस विषय पर बोल रहे हैं तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोल रहे हैं। हज हाउस का मामला है, राजस्थान के पूरे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, आप मुस्लिम विरोधी हैं, सब लोग जानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के ...(व्यवधान) ये यहां इस बात पर केवल राजनीति कर रहे हैं, हज हाउस नहीं बनना चाहिए। यह मेरा आरोप है कि इन्होंने...

श्री हरिमोहन शर्मा : हज हाउस हमको बनाना है कि आपको बनाना है? आप बनाएंगे कि हम बनाएंगे? बनाने तो आप नहीं देना चाहते। (व्यवधान) आप यह कह दो कि आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम बनाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: वह गहलोत साहब बना गए न कर्बला में? बना लिया न उन्होंने कर्बला में? (व्यवधान) तो, माननीय अध्यक्ष महोदय,..

एक माननीय सदस्य: पांच साल तक तो आपने झख मारी है और अब आप कह रहे हो कि बना देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शपथ ली है संविधान की धारा 188 के अंतर्गत, आर्टिकल 188 के अंतर्गत, कि मैं प्रभुसत्ता, अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा रखूंगा। यह आपने शपथ ली और उसके बाद सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने....

श्री हरिमोहन शर्मा: यह शपथ तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने भी ली है, घनश्यामजी ने भी ली है और आपने भी ली है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ आप टीवी पर बोले खुद, फिर आपका क्या होगा?

श्री रमेश खींची (कठूमर): घनश्याम तिवाड़ीजी बोले, उनका क्या होगा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कमाल की बात है, आप तो बोलो तो कुछ का कुछ, आपके मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य, और फिर आप यह कहो कि यह बोल दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य सचेतक। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी तिवाड़ी ने ओथ ली है, उनका क्या होगा? उन्होंने ओथ नहीं ली क्या? घनश्यामजी तिवाड़ी ने नहीं ली क्या?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान् नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद ने..(व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शपथ नहीं ली क्या, घनश्यामजी तिवाड़ी ने, फिर इनको क्यों अनुमति दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो अक्टूबर को मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई और इन्होंने हज हाउस के मसले पर मुस्लिम संगठनों के प्रोग्रेसिव फ्रंट का गठन किया। कांग्रेस के विधायक माहिर आजाद ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर चेतावनी दी कि हज हाउस का काम रोका गया तो सड़कों पर निपटेंगे। इसमें रणनीति के लिए दो अक्टूबर को बैठक बुलाई गई। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की यदि किसी ने कोशिश की है...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी ने तो...

श्री हरिमोहन शर्मा: भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल वालों ने निपटा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने सड़कों पर तो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निपटा है, पत्थरबाजी इन्होंने की है, टायर इन्होंने जलाये हैं, उससे क्या होगा फिर?

(समय:13 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन: मुस्लिम समाज सड़कों पर निपटेगा, हिन्दू समाज को इस प्रकार की चेतावनी देकर इन्होंने इस प्रकार का मुद्दा खड़ा कर दिया कि आज नहीं, 100 साल तक हज हाउस नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि इन्होंने साम्प्रदायिक माहौल को बिगाड़ा है। इसलिए नहीं बन सकता कि इन्होंने वातावतरण को बिगाड़ने का काम किया है। संविधान की शपथ लेकर इनको यहां पर बैठने का भी अधिकार नहीं है, इनको सदन में रहने का भी अधिकार नहीं है। ये केवल धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। (व्यवधान) और केवल माहिर आजाद ही नहीं, कांग्रेस के सारे नेता .. (व्यवधान) कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि वहां पर फांसी ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अफजल को फांसी न दी जाए।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दूसरों की सुनती ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अफजल को फांसी न दी जाए और उनके मंत्री ने कहा कि उनको फांसी दी जाए। अब यह डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, देश का मामला हो चाहे और कोई मामले हों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल वोटों की राजनीति है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कोई सर्कस बना रखा है? .. (व्यवधान) आपने सर्कस बना रखा है सदन को?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपकी रूलिंग के बाद भी वे बोले और जिस प्रकार का उन्होंने षड्यंत्र करके प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की है उसके बारे में आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : इनके मंत्री कह रहे हैं कि 100 साल तक नहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा, कृपया अपना 295 पढ़ें। श्री हरिमोहन

शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह हाउस वाद-विवाद की बलि चढ़ गया। इसकी छह सिटिंग होंगी। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): छह सिटिंग में भी वाद-विवाद में यह समय निकल जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मुझे ऐसा लगता है कि अतिवृष्टि पर माननीय सदस्य चर्चा नहीं करना चाहते इसीलिए इन बातों में समय खो रहे हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जो इश्यू हज हाउस का था उसमें जो बयान मुख्य सचेतकजी ने दिया, यह बहुत गंभीर बयान है, यह सामान्य बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. हरिमोहन शर्मा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस बात को आप देखिए और गंभीरता से देखिए कि सरकार की नीयत सामने आ रही है ..(व्यवधान) सरकार की नीयत क्या है, मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्री मिलकर इस बात का ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं बनेगा और यह कह रहे हैं नहीं बनेगा। (व्यवधान) यह मुख्य मंत्री को चुनौती है। (व्यवधान) दो साल बाद बनवा देंगे हमारी सरकार आएगी जब। यह तो आपके मुख्य मंत्री को चैलेंज है। खुद को सोचना चाहिए। हमारा राज आएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कोर्ट में विचाराधीन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक द्वारा दिया गया बयान सही है या मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया बयान सही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ..(व्यवधान) 295 में केवल 250 शब्दों का ही होना चाहिए, इसमें तो 700 शब्द हो गये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 700 नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने देख लिया है, लेकिन भविष्य में थोड़ा संक्षेप में

लिखा करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके आदेश की अनुपालना कर दूंगा आइंदा और दूसरे में।

श्री अध्यक्षः चलिए, प्रारंभ करिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हिण्डौली की ग्राम पंचायत मेण्डी के ग्राम गणेशगंज में 50 वर्षों से काबिज किसानों की बेदखली

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मेरा विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है। तथ्य यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत मेण्डी के ग्राम गणेशगंज में दिनांक 2.8.06 को वन विभाग द्वारा गत 50 वर्षों से वहां काबिज किसानों के मकानों, फसलों एवं कुओं आदि को नष्ट कर दिया गया। प्रशासन एवं वन विभाग की इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से कई लोग बेघर हो गये। इस आशय का समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। ये लोग मय परिवारों के गत 50 वर्षों से यहां अपनी फसल कर रहे हैं, मकान बना रखे हैं और इन्होंने विधिवत रूप से बिजली के कनेक्शन भी ले रखे हैं। इस समय भी इनकी फसलें मौके पर खड़ी हुई हैं।

इनके साथ अत्याचार की पराकाष्ठा यह है कि एक औरत जिसने एक दिन पूर्व ही बच्चे को जन्म दिया और दूसरी औरत जिसने 6-7 दिन पूर्व बच्चे को जन्म दिया, उसे झोंपड़े से बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। एक पांच वर्ष का बच्चा कार्यवाही के दौरान मकान में दब गया जिसे मुश्किल से बाहर निकाला गया। एक व्यक्ति से मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। एक 75 वर्षीय महिला से मारपीट कर दुर्व्यवहार किया गया। वन कर्मचारियों, अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में झोपड़ों व मवेशी रखने के स्थान पर आग लगायी। इस वर्षा के मौसम में बेरहमी से उनके मकान तोड़ दिये गये। इनके व्यवहार से ऐसा लगा कि हम लोकतंत्र में नहीं बल्कि सामन्ती शासन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वयं वन विभाग की जानकारी में है कि ये 50 वर्षों से यहां काबिज हैं।

श्री अध्यक्षः आप बोलते कुछ और हैं और लिखा कुछ और है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक भी अक्षर नहीं।

श्री अध्यक्ष: पढ़िए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसके पास ही सैकड़ों बीघा जमीन वन विभाग की खाली पड़ी हुई है जिस पर लोगों के अतिक्रमण करने की निगाह है। उस स्थान पर प्लांटेशन लगाना वन विभाग ने क्यों मुनासिब नहीं समझा, यह समझ से बाहर है। मैं दिनांक 2.8.06 को जब मौके पर गया और इस हृदय विदारक घटना को मैंने मेरी आंखों से देखा तो इस प्रशासनिक अत्याचार के सामने हर किसी व्यक्ति का जो मानवीय दृष्टिकोण रखता है, उसका चेहरा शर्म से झुके बिना नहीं रह सकता। इनके परिवारजन को 24 घंटे से खाना तक नसीब नहीं हुआ और इस वर्षा के समय में उन्हें खुले आसमान के नीचे दो दिन व सात दिन के बच्चों सहित अपना समय गुजारना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थ, बिछाने के लिए बिस्तर, सोने की खाटों को भी जेसीबी की मशीन से जान बूझकर नष्ट कर दिया गया। यहां तक कि उन सामानों को मकान से बाहर निकालने का समय भी जान-बूझकर नहीं दिया। इन्हें रहने के लिए वैकल्पिक स्थान भी उपलब्ध नहीं कराया गया है बल्कि इन अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये जा रहे हैं। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जहां 200-250 पुलिसकर्मी व वनकर्मी मौजूद हों और वनकर्मियों ने झोपड़ों में आग लगायी, उनको पुलिस प्रशासन देखता रहा। जब अन्य स्थानों पर पुराने काबिजों को नहीं हटाया जा रहा है और वन विभाग के पौधे लगाने हेतु सैकड़ों बीघा भूमि उसी स्थान पर रिक्त पड़ी हुई है, तो इन्हें भी वहीं बसाते हुए बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

यही नहीं, वन विभाग के कर्मचारियों ने किसानों के साथ मारपीट की और उनको नुकसान पहुंचाया। नियमन होने योग्य होते हुए भी उनकी नियमन की कार्यवाही नहीं की। उनके खिलाफ इल्जाम संख्या 253/06 थाना हिण्डौली में बरधा वगैरह 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के खिलाफ 332, 323 का झूठा दर्ज कराया जिसमें अभी 5-6 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब चालान पेश करने की तैयारियां हैं। इसके विपरीत थाना हिण्डौली में जो 3 मुकदमे वहां के निवासियों ने वन विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराये थे, जिनका इल्जाम नम्बर 255/06, 256/06 और 259/06 है, उनको झूठा मानकर पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन देने की बात कही है। यह वन विभाग एवं पुलिस का सर्वाधिक झूठा और अनैतिक कृत्य है। इस संबंध में मैंने समय-समय पर पत्रों के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से माननीय वन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मंत्रीजी व अन्य अधिकारियों से मिलकर वस्तुस्थिति की जानकारी दी। सभी राजनैतिक दलों के नेताओं, कार्यकताओं और जन प्रतिनिधियों ने इस जघन्य कुकृत्य की सार्वजनिक रूप से निन्दा की, धरने व प्रदर्शन किये और इस सामन्ती रवैये की कटु आलोचना की।

मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से नियमन योग्य व्यक्तियों का नियमन कर उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाए और झूठे मुकदमे वापस लिये जाएं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संसदीय सचिव, प्रभारी मंत्री खुद वहां जाकर आये हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य खुद वहां जाकर आये हैं, व्यक्तिगत रूप से इनसे मिले, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्षः 295 का नहीं है। नो, 295 में केवल लिखा हुआ पढ़ा जाता है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, 295 में जो लिखा जाता है केवल उतना ही पढ़ा जाता है। आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझती हूं, यह शायद न्यायालय से कोई निर्णय हुआ होगा ..(व्यवधान)..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई न्यायालय का निर्णय नहीं है। माननीय वन मंत्रीजी ने खुद माना है, ज्यादती हुई है। मैं इनसे मिला हूं, इन्होंने टेलीफोन भी किया है। आपके संसदीय सचिव वहां गये, उन्होंने कहा कि ऐसी भीषण ज्यादती मैंने नहीं देखी। कोटा के लोक सभा के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ऐसा तो सामन्ती युग में इनके साथ नहीं हुआ। वैसा का वैसा ही अखबारों में छपा है। संसदीय सचिव विराज रहे हैं आप उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्षः डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने नहीं कहा कि वहां ज्यादती हुई है? आपके कार्यकर्ताओं ने कहा, आपने खुद सार्वजनिक रूप से कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वन विभाग को रोक लीजिए, अतिक्रमी जो चाहे सो करें।

मतलब तो आपका यही है। डा. चन्द्रशेखर बैद। (व्यवधान)

तारानगर में उप खण्ड कार्यालय की स्थापना

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर में उपखण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

महोदय, सरकार ने विशाल लोक हित एवं जन कल्याण की भावना से प्रायः सभी छोटी बड़ी तहसील मुख्यालयों को उप खण्ड का दर्जा दे दिया है। चूरू जिले में मात्र तारानगर तहसील को ही इस सुविधा से वंचित रखा गया है जो कि समान व्यवहार की क्रियान्वयन की नीति एवं समानता पोषक सिद्धांत के निर्वहन के विपरीत भाव को परिलक्षित करता है।

वर्तमान में तारानगर तहसील को राजगढ़ उप खण्ड मुख्यालय से जोड़ा हुआ है। तारानगर तहसील के कुछ ग्रामों की राजगढ़ मुख्यालय से दूरी 80-90 किलोमीटर तक है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़े सामान्य कार्यों के लिए राजगढ़ उप खण्ड मुख्यालय में जाने में उक्त दूर-दराज के निवासियों को काफी अर्थ एवं समय व्यय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस तहसील के लोग सहज व सुलभ प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तारानगर तहसील मुख्यालय पर कोई राजस्व न्यायालय भी नहीं है। उप खण्ड राजगढ़ में एक माह में केवल तीन दिन कैम्प लगता है, लेकिन वह भी नियमित रूप से संचालित नहीं किया जाता है। उप खण्ड मजिस्ट्रेट का मुख्यालय राजगढ़ हो जाने से पत्रावलियां राजगढ़ रहती हैं। छोटे से छोटे निर्णय की प्रति लेने के लिए भी राजगढ़ जाना पड़ता है।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र दिनांक 23.5.2006 के अनुसार तारानगर तहसील मुख्यालय पर सहायक जिला कलक्टर का न्यायालय खोला जाना प्रस्तावित है, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता तथा राजस्व मामलों के कार्य क्षेत्र की विशालता के मद्देनजर उप खण्ड न्यायालय का खोला जाना जन हित में अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा धन्यवाद यात्रा के दौरान तारानगर में उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि तहसील तारानगर की आबादी भूमि, राजस्व प्रकरण एवं भौगोलिक स्थिति तथा जनता को द्रुत एवं स्थानीय स्तर ही त्वरित एवं सुलभ न्याय तथा प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उप

खण्ड कार्यालय अविलम्ब स्थापित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मोहनलाल गुप्ता।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करवाने के संबंध में।

महोदय, विद्याधर नगर जयपुर की बहुत बड़ी कालोनी है तथा सीकर रोड पर भी अत्यधिक संख्या में जनसंख्या निवास करती है लेकिन इस क्षेत्र में एक भी सरकारी चिकित्सालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ऐसे बैठे-बैठे आप भाषणबाजी कर रहे हो, ऐसे काम कैसे चलेगा ? क्या करते हो आप?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जिससे इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बड़ा चिकित्सालय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र काफी विस्तृत है। इस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में दो बड़े चिकित्सालय हरिबक्श कांवटिया जिला चिकित्सालय, शास्त्री नगर और बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय स्थित हैं। महोदय, बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय लम्बे समय से बनीपार्क धर्मार्थ संस्थान द्वारा दिये गये भवन में चल रहा है और वहां प्रतिदिन की आउटडोर मरीजों की संख्या लगभग 700 है और इनडोर मरीजों के लिए 50 बैड्स की व्यवस्था है। इस चिकित्सालय में जनरल सर्जरी, आंख की सर्जरी, गायनी आदि के ऑपरेशन हेतु चिकित्सक पदस्थापित हैं लेकिन एक ही आपरेशन थियेटर है जिसके कारण मरीजों के आपरेशन उस अनुपात में नहीं हो पाते, जितने होने चाहिए। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है ....

श्री अध्यक्ष: एक थियेटर आप बना दो एम.एल.ए. लैड से, क्या फर्क पड़ता है?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, मैं बना दूंगा। मैं तो इनसे निवेदन ही कर रहा हूं, साहब, यह प्रस्ताव है, पैसे भी हम दे देंगे लेकिन उसको शिफ्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पढ़ें आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कि सिंधी कालोनी, बनीपार्क में

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की भूमि पर नया बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय का भवन बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह 3000 वर्ग गज भूमि में है, चिकित्सा विभाग की सम्पत्ति है। बनीपार्क सेटेलाइट चिकित्सालय का वर्तमान भवन में स्थान का बहुत ही अभाव है जिसकी पूर्ति नया भवन बनने से ही हो सकेगी।

हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय को जिला अस्पताल का दर्जा प्राप्त है लेकिन समुचित स्टाफ जैसे ईसीजी टैक्निशियन तो हैं ही नहीं और लैब में होने वाली जांचों की तुलना में लैब टैक्निशियन भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, महोदय, रात्रि में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की जांच एवं ईसीजी करने वाला कोई टैक्निशियन नहीं होता है जिसके कारण चिकित्सक मरीजों का समुचित इलाज नहीं कर पाते हैं। साथ ही, इस जिला चिकित्सालय में इनडोर मरीज काफी भर्ती रहते हैं लेकिन चिकित्सकों के कोई क्वार्टर नहीं हैं जिससे इन मरीजों तथा इमरजेंसी की स्थिति में चिकित्सकों के अस्पताल में आने में समय लग जाता है इसलिए इस चिकित्सालय भवन में कम से कम 5 क्वार्टर चिकित्सकों हेतु बनाये जाने चाहिए।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में समुचित चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

इसमें जनता का व अन्य दानदाताओं का पूर्ण सहयोग आपको रहेगा और मेरे एलएलए लैड फंड का पैसा निश्चित रूप से मैं प्रदान करूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती राजकुमारी शर्मा ।

झुंझुनूं में चौबीस-कोसी परिक्रमा-मार्ग का विकास

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव आपके समक्ष रख रही हूं।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए सीकर-झुन्झुनूं जिले में पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित लाखों लोगों की श्रद्धा के चौबीस- कोसी पैदल परिक्रमा मार्ग को विकसित करने के संबंध में निवेदन करना चाहूंगी।

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

मैं सीकर एवं झुन्झुनूं जिले में लाखों लोगों की श्रद्धा की चौबीस-कोसी दुर्गम परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाये जाने बाबत निवेदन कर रही हूं। सीकर जिले में इस चौबीस-कोसी परिक्रमा में भादव मास में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। यह चौबीस-कोसी परिक्रमा लगभग 84 किलोमीटर की है। न केवल भादवा मास में अपितु इस मार्ग में काफी धार्मिक एवं रमणीक स्थल होने के कारण वर्ष पर्यन्त लाखों लोग श्रद्धा के कारण आते रहते हैं। मैंने स्वयं इसी भादव मास में यह पद यात्रा तीन दिनों में पूरी की है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें नदी, नाले, पहाड़, पठार, तालाब, कुण्ड व मंदिर, पुराने कूप व बावड़िया अवस्थित हैं। इस पद यात्रा में वृद्धजन भी काफी मात्रा में भाग लेते हैं। यह चौबीस कोसी परिक्रमा सम्भवतः गत 100 वर्षों से निरन्तर भादवा मास में जारी रहती है। यह परिक्रमा रघुनाथगढ़, डाब पनोरा, कालाखेत, शोब, सकराय, नीमड़ी की घाटी चिराना व लोहार्गल आदि काफी ग्रामों के मध्य से गुजरती है। इन ग्रामों में से काफी ग्रामों में मार्ग ऐसे हैं जहां पहाड़ से गिरने का बराबर खतरा बना रहता है। कई दानदाताओं द्वारा बनायी गयीं काफी वर्षों पहले की सीढ़ियां व कहीं-कहीं जर्जर अवस्था में पुरानी बनाई गई रेलिंग विद्यमान है। इस यात्रा के दौरान कहीं भी कोई आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं रहती हैं। मात्र गैर सरकारी संगठन दान-पुन्य के स्थान पर जगह-जगह भण्डारे के आयोजन एवं विश्राम हेतु विश्रामालय की व्यवस्था करते हैं। मैं यहां मुख्यतः सदन को यह बताना चाहूंगी कि यह चौबीस- कोसी परिक्रमा मार्ग ही नहीं है अपितु रमणीक स्थलों का केन्द्र है, तथा जिस मार्ग पर लाखें लोग श्रद्धा के साथ पद यात्रा करते हैं, उसका विकास भी आवश्यक है। इस मार्ग को पर्यटन के नक्शे पर भी उभारा जा सकता है तथा इस मार्ग को सुगम बनाकर इसके दोनों तरफ वृक्षारोपण कर इस मार्ग की सुन्दरता में चार चांद लगाये जा सकते हैं।

अन्त में मैं पुरजोर शब्दों में सीकर व झुन्झुनूं जिले में अवस्थित चौबीस-कोसी परिक्रमा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व इस परिक्रमा मार्ग को सुन्दर, सरल बनाने एवं इस मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण की मांग करती हूं ताकि लाखों लोग जो श्रद्धा एवं इस मार्ग की रमणीकता के कारण इस पद यात्रा को करते हैं, उनके लिए सुगम, सौम्य रास्ता उपलब्ध हो सके।

वन्दे मातरम् ।

श्री अध्यक्षः मोहम्मद माहिर आजाद - अनुपस्थित।

श्री खुशवीर सिंह।

मंदिर माफी की भूमि पर हुए अतिक्रमण से मुक्ति

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मंदिर माफी की भूमि देव मूर्तियों के नाम करने व बेची गई भूमि का कब्जा देने बाबत्।

महोदय, सैकड़ों सालों से मंदिरों के नाम जमीनों की आमदनी से देव मूर्तियों की सेवा पूजा होती आ रही थी आजादी से पूर्व एक सुचारु व्यवस्था के तहत। कोई भी मंदिर बनाए उससे पूर्व मंदिर की पूजा-अर्चना व्यवस्थित हो, इस हेतु यह प्रावधान था कि उक्त निर्मित मंदिर के लिए उचित देखरेख हेतु कृषि भूमि, तय सीमा कितनी भी हो सकती थी, मंदिर के अधीन रहे। अब सरकार का अंकुश कम होने के कारण पुजारियों ने व व्यवस्थापकों ने मंदिर माफी की जमीनों का बेचान कर दिया। इस हेतु तत्कालीन सरकार ने 1992 में एक परिपत्र जारी कर मंदिर माफी की जमीन का खाता देवमूर्ति के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। लेकिन आज भी कई हजार बीघा जमीनें ऐसी हैं जिन पर स्थानीय भू-माफिया लोग कब्जा जमाये बैठे हैं। महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, रेवेन्यू बोर्ड तथा निचली अदालतों ने मंदिर माफी की जमीन का इन्द्राज देवमूर्ति के नाम करने व कब्जा हटाने की बात कही है।

महोदय, जिला चित्तौड़गढ़ के बान्सी ग्राम में 7 मंदिरों का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तथा वहां के अध्यक्ष ने जिला कलक्टर से निवेदन किया है कि देवमूर्तियों की जमीनों पर अतिक्रमण हटवाये जाएं जिससे पूजा-अर्चना विधि- विधान से हो सके। लेकिन आज दिन तक उन मंदिरों की जमीनों पर से अतिक्रमण नहीं हटाये गये।

अतः, अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त ग्राम की मंदिर माफी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को तुरन्त प्रभाव से हटवाये जाएं व राजस्थान प्रदेश की जितनी भी मंदिर माफी की जमीनें अतिक्रमियों के कब्जे में हैं, उन्हें भी मुक्त करवाया जाये।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। पहले आएंगे डाक्टर सुरेश चौधरी और उसके बाद आप आएंगे क्योंकि You have missed your oppourtinity.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो यहीं था।

श्री अध्यक्षः डाक्टर सुरेश चौधरी पहले और उसके बाद आप।

डिग्रीधारी कृषि स्नातकों को रोजगार के अवसर

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान हमारे प्रदेश में कृषि स्नातक एवं कृषि स्नातकोत्तर डिग्रीधारी बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के नये अवसर व साधन उपलब्ध कराने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) हमारे प्रदेश में लाखों हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि सरकार के अधीन बिना किसी उत्पादन कार्य के बेकार अवस्था में पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग प्रदेश के मान्यता प्राप्त कृषि स्नातक एवं अधिस्नातक डिग्रीधारी बेरोजगार नवयुवकों को आबंटित कर किया जा सकता है। इससे न केवल बेकार भूमि का सदुपयोग ही होगा बल्कि बेरोजगार कृषि डिग्रीधारियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा, जो अपने ज्ञान एवं नई तकनीक के माध्यम से इस बेकार भूमि का पूर्ण दोहन करते हुए भूमि उपजाऊ कर प्रदेश के कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी में सहायक सिद्ध होंगे।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा बेकार पड़ी भूमि का कृषि बेरोजगारों को आबंटन किया गया था जिसे बाद में किसी कारणवश बन्द कर दिया गया। अगर इसे वापस शुरू किया जाता है तो कृषि बेरोजगारों की समस्या से काफी सीमा तक निपटा जा सकता है तथा बेकार भूमि का सदुपयोग भी संभव हो सकेगा।

(2) दूसरी समस्या कृषि से सम्बन्धित कीटनाशकों, खरपतवार-नाशकों और खाद व बीज के लिए दिये जाने वाले लाइसेंस की है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त लाइसेंस कृषि से सम्बन्धित डिग्रीधारियों को ही आबंटित किये जाने चाहिए क्योंकि कृषि क्षेत्र का जानकार व्यक्ति ही इनका सही सदुपयोग कर सकता है। कृषि स्नातकों एवं कृषि डिग्रीधारियों को लाइसेंस आबंटित कर इस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी लाई जा सकती है, जो कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी आवश्यक तकनीक व जानकारियां भी उपलब्ध करा सकेंगे।

(3) हमारे प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय तथा 8 कृषि महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें कृषि से सम्बन्धित उच्च कोटि की शिक्षा छात्रों को दी जाती है। इन छात्रों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद इनको रोजगार मिलने की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती है। प्रदेश में 1996 के बाद कृषि विभाग द्वारा कोई

(डा. सुरेश चौधरी)

नियुक्ति नहीं की गई जिससे योग्यताधारी कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रीधारी नवयुवकों में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट हो गई है। अतः इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि प्रदेश की प्रतिभाओं का पलायन रोका जाकर इनका प्रदेश के कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहयोग लिया जा सके।

अतः मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन का ध्यान पुनः आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर फर्माकर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमा) की नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण की विसंगति

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमा) की नियुक्ति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा 1980 से 1982 की अवधि में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमा) के 462 पदों पर नियुक्ति की गई थी जिनमें अनुसूचित जाति के 22 एवं जनजाति के 7 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी गई। इस प्रकार अनुसूचित जाति के 51 एवं जनजाति के 49 पदों का बैकलॉग शेष रह गया। तदनन्तर दिनांक 01.4.1988 तक विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत इन वर्गों के कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियमित किया गया, या नहीं?

(13.25 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमा) से सहायक अभियन्ता के पदों पर 1996-97 से 27.9.2006 तक 625 पदों पर विभागीय पदोन्नति दी गई इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पद क्रमशः 100 एवं 75 कुल 175 के स्थान पर मात्र 60 व 28 कुल 88 को ही पदोन्नति दी गई। ऐसा क्यों? जब कि बैकलाग भरने के पक्ष में संविधान में 81वां संशोधन के उप नियम अनुच्छेद 16 (4-ख) के निर्णय एवं राज्य सरकार के

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-15(24)डी.ओ.पी./ए-11/75 दिनांक 14.12.2000 के जारी होने के उपरान्त भी दिनांक 27.9.2006 तक बैकलाग भरने के आदेशों की पालना नहीं की गई है।

वर्ष 2000 में सामान्य वर्ग के 213 कनिष्ठ अभियंताओं को बगैर पदोन्नति के सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यकारी व्यवस्था में लगाया गया था, इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई भी व्यक्ति नहीं लिया गया। क्या सामान्य वर्ग के ही व्यक्तियों को इतने लम्बे समय तक कार्यकारी व्यवस्था में रखकर लाभ देने का नियमों में प्रावधान है?

वर्तमान में सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के सिविल (डिग्रीधारी) सहायक अभियन्ता के पद पर कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है जब कि विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिग्रीधारी) 20 वर्ष का सेवानुभव रखते हैं।

मैं सदन एवं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को विशेष उल्लेख के माध्यम से सिंचाई विभाग में आरक्षित वर्ग के कनिष्ठ अभियन्ता सिविल (डिप्लोमा) की नियुक्ति एवं पदोन्नति में जारी उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात मंत्री महोदय तक पहुंच गई। (व्यवधान) जवाब आ जाएगा। माननीय सदस्य, इसका जवाब आपके पास आ जाएगा। माननीय सदस्य, भाषण नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लिखित में जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने पढ़ दिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपने पढ़कर सुना दिया, अब भाषण नहीं। अंकित नहीं होगा यह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। डा. श्रीगोपाल बाहेती। अजमेर जिले की निरन्तर बिगड़ती पानी-बिजली की व्यवस्था पर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अजमेर जिले में निरन्तर बिगड़ती बिजली-पानी की व्यवस्था

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से अजमेर जिले की निरन्तर बिगड़ती बिजली और पानी की व्यवस्था

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अजमेर जिले में पानी का हाल यह है कि दो दिन से, तीन दिन से, चार दिन से कब आएगा इसका न डिपार्टमेंट को पता है और न जनता को पता है। सरकार की बार-बार की घोषणा के बाद, निरन्तर प्रशासनिक मीटिंगों के बाद भी पानी की सप्लाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और स्थिति यह है कि वहां के लोग पानी के इंतजार में सब काम छोड़कर घर बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अजमेर जिले के लिए बनी बीसलपुर योजना जिसमें पर्याप्त पानी है, उसके बाद भी अजमेर जिले में पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो और उससे पहले उस पानी को जयपुर सहित अन्य जिलों में देने की व्यवस्था की जाए तो इससे अजमेर की जनता बहुत भयाक्रांत रहती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील है कि पानी की सप्लाई में समुचित सुधार किया जाए। माननीय मंत्रीजी भी हमारे जिले के ही हैं इसलिए उनसे विशेष आग्रह है कि अजमेर जिला आपका ऋणी रहेगा इस बात के लिए कि अजमेर जिले की पानी की व्यवस्था में सुधार हो।

आज की भी स्थिति शहर की यह है मंत्री महोदय, कि दो-तीन दिन में पानी वहां आता है। पानी कब आएगा, यह पता नहीं है। कितना प्रैशर आएगा, यह पता नहीं है। यह बात निरन्तर हर सैशन में मैंने अपने मुंह से विधान सभा में उठाई है उसके बाद भी अपेक्षित सुधार उसमें नहीं आया है।

साथ ही साथ निवेदन यह भी है कि यदि सरकार इस बात पर आमादा है कि बीसलपुर का पानी अजमेर के अलावा दूसरे जिलों को बांटना है तो चम्बल का पानी लाने की व्यवस्था अजमेर जिले के लिए की जाए। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जब स्वर्गीय रामसिंहजी विश्नोई मंत्री थे, उन्होंने सम्भवतः कोई आदेश भी दिया था इसके सर्वे के लिए। मैं उम्मीद करता हूं, मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, कि वह इसमें गति देंगे और अजमेर की जनता को पानी दिया जाएगा, क्योंकि अजमेर का आज तक का विकास पिछड़ा है। अजमेर की जनता ने 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन से पानी पीया है और अब बमुश्किल यह बीसलपुर भरा तो उस बीसलपुर के ऊपर पूरे प्रांत की गिद्ध दृष्टि हो गई है। वह पानी कब कहां जाएगा, इसको लेकर अजमेर का नागरिक बहुत भयाक्रांत है। उसको पीड़ा इस बात की है कि जब हमसे मजबूत आदमी या हमसे बड़ा आदमी इसमें हिस्सा मांगेगा तो हमारे पानी का क्या होगा? मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि

जब तक अजमेर जिले के पूरे गांव और ढाणियों को और शहर को पूरा पानी बीसलपुर से नहीं मिल जाए, तब तक बीसलपुर का पानी दूसरे जिलों को नहीं दिया जाए और साइमलटेनियसली चम्बल के पानी को लाने की व्यवस्था को गति दी जाए क्योंकि चम्बल का पानी अजमेर पहुंचने में कोई महंगा सौदा नहीं है, बहुत सस्ता सौदा है और उससे स्थाई समाधान पानी की व्यवस्था का हो जाएगा।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिले में बिजली की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। जिले में बिजली का हाल यह है कि सिंगल फेस की बिजली है, वह भी गांवों में तीन-चार घंटे बमुश्किल मिलती है। इस समय पूरा जिला चिकनगुनिया और वायरल फीवर से त्रस्त है, हर गांव के अन्दर सैकड़ों रोगी इस बीमारी के हैं जिनको बिना विद्युत के रात में सोना भी मुश्किल है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से कि गांवों के अन्दर सिंगल फेस की बिजली पूरी रात में मिले ताकि आदमी आराम से सो सके। गांवों में चोरियां बढ़ गई हैं, डकैती बढ़ गई है, झगड़े बढ़ गये हैं...(व्यवधान) मैं पर्ची पर बोल रहा हूं, मेरी पर्ची बिजली-पानी पर है। मेरा विषय है बिजली और पानी। मंत्री महोदय, विषय है बिजली और पानी...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष: बिजली-पानी दोनों ही हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं फिर कह रहा हूं आपसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि चिकनगुनिया का मरीज, वायरल का मरीज, बुखार का मरीज, उसको बिना बिजली के जो कष्ट होता है, उसकी कल्पना वही कर सकता है, आप और हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग और हम लोग तो यहां आराम से ए.सी. में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं कि बिजली की दिक्कत क्या है या गर्मी की दिक्कत क्या है? आज गांव का किसान, गांव का मजदूर, गांव का नागरिक इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि उसके बच्चे को पढ़ने के लिए रात को बिजली नहीं मिलती है, उसके बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते हैं तो यह सौतेला व्यवहार क्यों? एक तरफ सरकार बिजली पैदा नहीं करना चाहती है और बिजली जैसे मुद्दे पर गलतबयानी करके अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है और मैं जो बात कह रहा हूं, उस बात को मजाक में लिया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, गांवों में जाकर देखिये, गांवों में स्थिति क्या है? इसके अलावा आप देखिये, पहली बार

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

राजस्थान में यह हुआ है कि जिला मुख्यालयों पर और सम्भाग मुख्यालयों पर भी आपने पावर कट दिये हैं। पावर कट तीन घंटे की है, बिजली बंद पांच घंटे की है। तीन घंटे का घोषित पावर कट और दो घंटे का अघोषित पावर कट। इन परिस्थितियों के अन्दर अजमेर जिले की जो स्थिति बिगड़ी है बिजली और पानी की, उसको सरकार तत्काल सुधारे, अन्यथा जनता को कोई उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जनता पानी मांगने आती है, बिजली मांगने आती है तो सरकार अपना लोकतांत्रिक रूप एक तरफ रखकर सामंती रूप सामने लाकर उनसे लाठियों और गोलियों से बात करती है। ब्यावर के अन्दर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने दो बार आन्दोलन किया है- एक बार बिजली के लिए, एक बार पानी के लिए, दोनों बार उस पर मुकदमा लगाया गया। अजमेर में वहां के पार्षदों ने, वहां की जनता ने आन्दोलन किया तो उन पर मुकदमा लगाया गया। गांवों में गांव का नागरिक सरपंच या जन प्रतिनिधि से बात करता है तो उन पर मुकदमा लगता है। स्थिति इस प्रकार की है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिये, मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे अफसरों को लिखा था कि यह रमजान का महीना है, पूरे राजस्थान में मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, तो शहरों के लिए जो आप बिजली देते हैं सुबह पांच बजे, वह आप तीन बजे कर दें। कोई हमने वहां विशेष टाइम नहीं बढ़वाया, लेकिन वह भी उनसे नहीं हुआ। न बिजली सिंगल फेस की है, न बिजली थ्री फेस की है कि आखिर क्या करें, साहब? यदि थ्री फेस की बिजली मिलती तो राजस्थान के अन्दर जो फसल थी, उस फसल को देखते हुए अकाल की स्थिति नहीं रहती है और किसान आपका धन्यवाद करता। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले की पानी की बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल सुधार किया जाए, उसको दुरस्त किया जाए। उसमें जो कमी है धन की या बजट की, वह सरकार एक्स्ट्रा बजट वहां दे और उसको प्रारम्भ करे ताकि लोग आपका एहसान मानकर अपना जीवन बिता सकें। धन्यवाद, जय हिन्द।

कोटा के चिकित्सालयों में इलाज में बरती जा रही लापरवाही

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामनारायण मीणा, कोटा में निजी चिकित्सालयों में पैसे के लालच में इलाज कर, लापरवाहीपूर्वक इलाज कर मृत्यु कारित करने के सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ चिकनगुनिया और दूसरी मौसमी बीमारियों से आदमी मर रहा है और दूसरी तरफ, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा, आपके चिकित्सक निजी चिकित्सालयों में प्रैक्टिस करते हैं और अस्पताल में जाते हैं तो कहते हैं कि घर आ जाओ या इस चिकित्सालय में चले जाओ। यह आपके जयपुर में है। आप राजस्थान का ऐसा एक जिला बता दो। आप खुद मानते हो, आप खुद जानते हो इस बात को, चिकित्सा मंत्रीजी, यह संवेदनहीनता की दृष्टि से बहुत गम्भीर अपराध है।

मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा। हमारे कोटा में डाबर निवासी रामस्वरूप नागर, साधारण-सी बीमारी थी, बुखार था, वह मोटरसाइकिल पर खुद बैठकर, खाना खाकर चिकित्सालय में गया। वहां मिस्टर एम.बी. चित्तौड़ा नाम के राजकीय चिकित्सक थे, उसने उसको कह दिया कि सीधे अस्पताल चले जाओ। वहां चला गया, चार-पांच लाख रुपये खर्च हुए सात दिन में और जयपुर रैफर करने की स्थिति आई। उसके घर वालों से कहा गया कि यहां पर एम्बूलेंस नहीं है। 80,000 रुपये में यहां से उसके लिए एम्बुलेंस गई, उसमें भी कमीशन, वह मर गया, डाक्टर के खिलाफ वहां पर आन्दोलन हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या फैसला है कि जिस चिकित्सक के ऊपर यदि किसी तरह का होगा तो उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन लापरवाही की गई, उसके घर वाले बयान दे रहे हैं। पांच लाख रुपये खर्च हुए सात दिन में, ऐसी कौनसी दवाई दी गई है।

दूसरा मेरा आपसे अर्ज करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजमल वर्मा, एक वकील, वह देवपुरा के दीगोद तहसील का रहने वाला है, इसी तरह से वहां गया, उसी अस्पताल में भर्ती हुआ। उसका केस भी रजिस्टर है, माननीय गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, नम्बर 375/2006 दादाबाड़ी थाने में। उसके रिश्तेदार उमाशंकर मीणा ने सूरजमल वर्मा का मुकदमा दर्ज करवाया है। आज तक भी चालान नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केसेज मिलेंगे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय। भवानी मण्डी में एक डाक्टर को इसलिए पकड़ा गया कि उससे वहां के स्थानीय नेता नाराज थे क्योंकि झालावाड़ में कोई न कोई नेता ऐसा होगा जो मुख्य मंत्री से ज्यादा पावरफुल होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन

उप खण्ड अधिकारी ने एक चिकित्सक को, वह बेचारा कमरे में बन्द हो गया, वहां पकड़ा। फिर वहां से भगा, वहां पकड़ा। जयपुर में निजी चिकित्सालय में यदि हमारे एम.एल.ए. या हमारे मंत्री जाकर सरकारी डाक्टर के हैसियत से वहां प्रैक्टिस करते हैं तो वहां उससे काम करवाया, आपरेशन करवाया या दूसरा धंधा करवाया, आप मुझे बता दो। हमारे बूंदी में या कहीं भी जो डाक्टर का आप ट्रांसफर करते हो, ए.पी.ओ. करते हो, वह छुट्टी लेकर अपनी बीवी के चिकित्सालय में या भाई के चिकित्सालय में या खुद के नर्सिंग होम में काम करता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इस समय गरीब आदमी सरकारी चिकित्सालयों में इलाज नहीं करा सकता, हम सरकारी चिकित्सालयों से उसको दवाई नहीं दे सकते। बी.पी.एल. में सरकारी कर्मचारी आ गये, बड़े-बड़े पैसे वाले आ गये, गरीब आदमी की हालत खराब है। उस स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरते और अपने पावर का उपयोग करे, ऐसे डाक्टरों के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करे। कोटा में जैसे सुधा चिकित्सालय है, दूसरे चिकित्सालय हैं, आदरणीय डाक्टर साहब, आप तो देख सकते हो, अपनी रिपोर्ट ले सकते हो, कहां नहीं हो रहा है। जहां मुकदमा दर्ज हो गया, गृह मंत्रीजी और आप दोनों बैठकर इस बात का निर्णय करें। कि सरकार का क्या आदेश है, उन आदेशों की पालना नहीं हो रही है, किसी स्तर पर एक प्रतिशत पालना नहीं हो और वे डाक्टर बचकर जाते हैं। बूंदी में भी इस तरह का केस हुआ, डाक्टर को इसलिए बचा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का हवाला दे दिया गया, गरीब मारा गया। आपरेशन का पैसा नहीं दिया, उसकी नस काट दी, सारा खून बह गया। गृह मंत्रीजी तक आये, चिकित्सा मंत्री तक आये, संसदीय सचिव तक गये, मुख्य मंत्री तक गये, कहां नहीं गये, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह डाक्टर का पेशा है, बदनामी का पेशा है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप जिस भावना से स्टेथस्कोप लेकर देखते हो, वैसा इन डाक्टर्स को बनाइये ना, नहीं बना सकते हो तो हाथ खड़े करके जनता से माफी मांग तो लो कम से कम, सदन में माफी मांग लो। नहीं मांगते हो तो मजबूती से काम करो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको कौन रोकता है? प्रभारी मंत्री हैं, मुख्य मंत्रीजी इनसे बहुत खुश हैं, गृह मंत्रीजी इनके साथ हैं, आज सारा सदन इनके साथ है।

इसलिए इसके बारे में कोई कार्यवाही करें और मजबूती से कार्यवाही

करें, हमें आश्वस्त करें। छोटे-छोटे मामलों में मरीजों को सरकारी चिकित्सालयों में सरकारी डाक्टर भेजे, वह कतई उचित नहीं है। यह संवेदनहीनता है, गरीबों के साथ अन्याय है। ऐसे कौन से चिकित्सालय हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर डाक्टर्स पूरे हों, जहां पर नर्सें पूरी हों? मेरे नैनवां के अंदर नर्सों के दस पद खाली हैं, डाक्टर्स के पद खाली हैं। इसलिए गृह मंत्रीजी, हंसने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आपके वहां सुधा हास्पीटल के, आप कितने मजबूत हैं, इस बात का हमें पता चल जाएगा, आप मुकदमे का चालान कर देंगे। मुझे यही कहना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पूरा ध्यान देगी हमारी बात का और हमें निश्चित तौर पर उत्तर देगी, यही हम आशा करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री रामनारायण मीणाः यह सरकार बैठी है क्या?

श्री उपाध्यक्षः सब कर रही है। सब आपकी बात ध्यान में...

श्री रामनारायण मीणाः सो रही है, सेज पर पैसे कमा रही है...

श्री उपाध्यक्षः सब नोट कर रहे हैं, सब एक्शन हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणाः गरीबों को मार रही है, मुझे बता दीजिये कि किस जिले में मजदूर, गरीब नहीं मरा?

श्री उपाध्यक्षः सब जगह एक्शन हो रहा है, जहां-जहां भी...

श्री रामनारायण मीणाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं अर्ज कर रहा...

श्री उपाध्यक्षः हो रही है कार्यवाही।

श्री रामनारायण मीणाः संवेदनशील मामले में जहां मुकदमे दर्ज हों, गृह मंत्री हंसते रहें, चिकित्सा मंत्री सुस्त होकर सोते रहें, आखिर यह सदन किसलिए है?

श्री उपाध्यक्षः किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। गृह मंत्रीजी किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे।

श्री रामनारायण मीणाः इसलिए है कि अपनी बात कह दें। इसलिए है कि सरकार बोले नहीं? यह कौन-सी किताब में लिखा है कि सरकार मुंह के पट्टी बांधकर बैठेगी? इनका मुंह किसने सी लिया?

श्री उपाध्यक्ष: कोई किसी का भी...

श्री रामनारायण मीणा: और यह कालूलालजी देखो, पैंतालीस दिन में यह एमएलएज का फंड रिलीज कर रहे हैं। पांच-पांच साल में नहीं हो रहा है, कालूलालजी।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री रामनारायण मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश नहीं दे सकते?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुकदमा दर्ज है, एफएसएल में इसकी जांच गई हुई है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद इस केस में आगे जो कार्यवाही होनी है, वह होगी।

श्री उपाध्यक्ष: वह होगी, जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या चीज चाहते हैं आप? यह सब जानकारी होने के बाद भी बोल रहे हैं आज आप।

श्री रामनारायण मीणा: आदमी मर गये। नहीं, कितने दिन में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया: मर गये उसी का तो मुकदमा दर्ज हुआ, बाकी किस के लिए होता है?

श्री रामनारायण मीणा: यह एफ एस एल, एक मिनट..

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अगर नहीं मरते तो मैं मुकदमा थोड़े ही दर्ज करता? मरे हैं इसीलिए मुकदमा दर्ज किया है, क्या बात करते हैं।

श्री रामनारायण मीणा: गृह मंत्रीजी, मुकदमा तो पब्लिक ने दर्ज करा दिया, एफ एस एल में छह-छह महीने लगते हैं। आपका विभाग है, आखिर देर क्यों है?

श्री कालूलाल गुर्जर: आपका विभाग था तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हो रही है, जल्दी हो रही है। हो रही है जल्दी।

श्री रामनारायण मीणा: मैं ग्रामीण विकास विभाग में मस्टररोल थोड़े ही बांटता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय...

श्री महावीर प्रसाद जैन: सीट बदल गई है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: यह आपने बदल दी, साहब। हां, सीट बदल गई, मैं आपको कहना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बदलते-बदलते...

श्री उपाध्यक्ष: आपको देखकर बैठ गये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: बदलते-बदलते यूं ला रहे हैं, उस तरफ ले आएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: धन्यवाद, धन्यवाद। आइये, आइये, स्वागत है आपका।

नापासर में स्वीकृत विद्युत सहायक अभियन्ता कार्यालय का स्थानान्तरण

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नापासर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 132 केवी जीएसएस के अन्तर्गत चार फीडर पड़ते हैं-रामसर, मूण्डसर, बादनू और नापासर और इन चारों फीडर के अंतर्गत तीस से ज्यादा गांव आते हैं। यह इलाका वह इलाका है जो विशुद्ध रूप से कृषि कुओं का क्षेत्र है। जिला बीकानेर के विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का अधिकांशतः कृषि कुओं से उत्पाद लेने वाला कृषक इसी क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करता है और हजारों की संख्या में यहां पर कृषि कुएं हैं। क्योंकि यह इलाका पूरा वह इलाका है, जो बड़े-बड़े गांव हैं यहां पर घरेलू बिजली का भी उपभोग खूब होता है, उपभोक्ता इसके भी खूब हैं। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार चल रही मांग के उपरांत नापासर में उप खण्ड कार्यालय स्वीकृत किया गया, सहायक अभियंता को माह जनवरी 2006 से वहां पर पदस्थापित किया गया। पदस्थापित करने के साथ ही, क्योंकि उसके लिए कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी, औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे वहां पर नापासर का है, वहां पर उनके लिए भवन किराये पर लिया गया। महज तीन या साढ़े तीन महीने उन्होंने उस कार्यालय के अंदर गुजारे होंगे। इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय की सदाशयता के परिणामस्वरूप आठ लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी गई और 33 केवी जीएसएस परिसर के अंदर सहायक अभियंता के कार्यालय का निर्माण करवा दिया गया। कार्यालय का निर्माण होने के डेढ़ माह पश्चात् वहां पर सहायक अभियंता ने अपना कार्यालय स्थानांरित भी कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी माह में कार्यालय शुरू होता है और उसके तीन-साढ़े तीन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

महीने बाद में राशि स्वीकृत करके कार्यालय का निर्माण भी करा दिया जाता है। अब अचानक बड़े ही शुभ दिन, 23 तारीख को हमारे नवरात्र शुरू होते हैं उसके साथ ही सहायक अभियंता महोदय अपना सारा सामान समेट कर वापस बीकानेर चले जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह जानना चाहूंगा, हमने एक सेंटर पाइंट माना था नापासर को, जो बीकानेर शहर में 27 किलोमीटर दूर नापासर है, उस नापासर से लगभग 45 किलोमीटर के रेडियस के गांवों को, आम काश्तकारों को, आम उपभोक्ता को बार-बार बीकानेर जाने की समस्या नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए वहां पर हमने सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित किया, क्या ऐसे कारण थे और किन के ऐसे आदेश थे जिस आदेश के चलते वह कार्यालय वहां से स्थानांतरित हुआ ? क्या इस तरीके का कोई आदेश सरकारी स्तर पर हुआ है? क्या इस तरीके का कोई आदेश किसी स्थानीय अधिकारी ने दिया है? अगर दिया है तो क्यों दिया है, क्या इसका कारण है, यह माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करें तो थोड़ा लगे। और समस्या का समाधान करने का जो आपने प्रयास किया था, उसकी स्थिति स्पष्ट होगी।

इसके साथ-साथ, मंत्री महोदय, मैं आपको यह और निवेदन करना चाहूंगा, जिला बीकानेर के अंदर वर्तमान समय में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर कर्मचारी भी कम पदस्थापित हैं, इंजीनियर्स भी कम पदस्थापित हैं, जिसके चलते मैं एक क्षेत्र विशेष का आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड खाजूवाला के अन्तर्गत हजारों की संख्या में उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन चाहने के आवेदन लम्बित पड़े हैं जिनका आज तक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है, आप यह स्थिति एक तो स्पष्ट करने का कष्ट करें, आप यहां स्वयं विराजमान हैं, कि क्या आप पुनः नापासर के अंदर सहायक अभियंता को पदस्थापित करने का विचार रखते हैं, या नहीं रखते हैं? साथ में आप थोड़ा-सा यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि यह स्थानांतरित अगर हुआ तो किन के आदेश से हुआ और आने वाले समय में आप वहां की व्यवस्था को किस प्रकार से बनाये रखना चाहते हैं? थोड़ा आप फर्माने का कष्ट करें, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तो आपकी सुविधा के लिए हुआ दिखता है। आपकी सुविधा के लिए नजदीक लाये हैं, बीकानेर आप अच्छी तरह से संभाल पाओगे, शिकायतों को सुन सकोगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरी सुविधा को तो बिलकुल लाल पैन फेर दिया जाए, लेकिन आम काश्तकार की सुविधा का ध्यान रखा जाय, आम काश्तकार की समस्या का ध्यान रखा जाए। जहां सरकार ने इतनी सदाशयता का परिचय दिया कि तत्काल प्रभाव से आपने वहां पर उसको पदस्थापित करा दिया, उसके साथ-साथ कार्यालय का भी निर्माण करवा दिया, पैसे भी दे दिये, फिर क्यों आप उसको ले गये, किसके प्रभाव से आपने यह कार्य किया? अब आप क्या ए.ईएन. को रिलीफ देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, यह थोड़ा सा बताया जाय, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप मंत्री महोदय से मिल लें चैम्बर में, वह एक्सप्लेन कर देंगे। श्री जोगाराम पटेल।

राज्य में बिजली की उपलब्धता एवं आपूर्ति

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं, मुझे पर्ची के माध्यम से अपने विचार रखने की अनुमति दी। मेरे से पूर्व भी माननीय सदस्यों ने इस विषय को रखा है। सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में एक क्रियेशन आफ सब डिवीजन का मैंने निवेदन किया और माननीय मंत्री महोदय ने उस संबंध में सकारात्मक विचार रखकर उसको आगे बढ़ाया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसको शीघ्र मंजूरी दिलाएं। परंतु उसके साथ-साथ विद्युत व्यवस्था जीवन का अंग है और वर्तमान युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय के संबंध में दो शब्द मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस पवित्र सदन में। 2003-04 में जो बिजली की आपूर्ति थी वह 2685 करोड़ यूनिट थी, और मौजूदा सरकार के कार्यकाल प्रारम्भ होते ही दूसरे वर्ष 2004-05 में 2953 करोड़ यूनिट हुई, करीब दस प्रतिशत की वृद्धि हुई एक साल के अंदर-अंदर। तीसरे वर्ष 2005-06 में 3152 करोड़ यूनिट की वृद्धि हुई और पिछले वर्ष की अपेक्षा सात प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बिजली आपूर्ति में वृध्दि हुई, माननीय सदस्यों ने कई ने बताया कि बिजली की खपत अधिक है। आपूर्ति कम है,

परन्तु मैं इस मौके पर आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की मुख्य मंत्री के सहयोग, आशीर्वाद और मंत्रीजी के प्रयासों से एक वर्ष में दस प्रतिशत और दूसरे वर्ष में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपूर्ति में। से मैं मेरे प्रतिपक्ष के सभी वरिष्ठ साथियों से निवेदन भी करना चाहूंगा, आग्रह भी करना चाहूंगा कि आप अपने पावर का प्रयोग करें और केन्द्र सरकार पर दबाव डालें जिसकी वजह से ये आपूर्ति ठप्प हो रही है, जिसकी वजह से सारे गड़बड़-घोटाले हो रहे हैं रियाद जो यूपी में है वहां कल की तारीख तक पांच सौ मेगावाट यूनिट, सिंगरौली जो एपी में है वहां दो सौ मेगावाट यूनिट, पुनस्सर में 210 मेगावाट यूनिट, नेशनल पावर प्रोजैक्ट है इसमें 220 मेगावाट और कोटा थर्मल ऑटोमेटिक पावर यूनिट में 150 मेगावाट, इस तरह से करीब 1280 मेगावाट बिजली की आपूर्ति केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार, राजस्थान सरकार को तंग करने, राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिहाज से बंद की जा रही है, कम की जा रही है। जिससे मैं निवेदन करना चाहूंगा ..

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल: कि आप कृपया इसको सुनें और इसमें सुविधा दें काश्तकारों की सुविधा के लिए । आप कृपया मेरे बीच में नहीं बोलें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने कहा है यह पर्ची जो है ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं।

श्री जोगाराम पटेल: फ्लोर मेरे कब्जे में है, मेरा अधिकार है बोलने का और मैं उस अधिकार का प्रयोग करके बोल रहा हूं, मुझे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची इसलिए थोड़े ही है कि आप ...(व्यवधान) आप हमारे सामने आएं न।

श्री जोगाराम पटेल: विराजें। आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए ...(व्यवधान) आप अभी जवाब दे देना । आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्षमता भी है । क्षमता भी है और सब है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री जोगाराम पटेलः आप बीच में व्यवधान मत कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची में यह चीज आनी ही नहीं चाहिए।

श्री जोगाराम पटेलः आप पहले व्यवधान मंत्री रह चुके हैं अब नहीं हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पर्ची में यह चीज आनी नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेलः यह विषय आपका नहीं है। यह विषय जिनका है वो देखेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अटलबिहारी वाजपेयी संसद में बैठते हैं, उनसे कहलाओ न।

श्री जोगाराम पटेलः यह विषय आपका नहीं है, आप सुनिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): लालकृष्ण आठवाणी बैठते हैं उनसे कहलाओ न ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेलः सुनिये, विषय आपका नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेलः यह विषय आपका नहीं है, आप सुनिये। आपको सुनने में तकलीफ क्यों हो रही है?

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप इसमें दखल न करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसका है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमें इंगित करके कहा है, इनके नेता ने मुख्य मंत्री ने हमसे कभी नहीं कहा। ये कहें हमसे।

श्री जोगाराम पटेलः इस सदन के पवित्र माध्यम से मैं वास्तविकता सामने ला रहा हूं और वास्तविकता सामने ला रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमसे क्या चाहते हैं, आप हमसे कहिये।

श्री जोगाराम पटेलः मैं दूसरा निवेदन यह कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह पर्ची का मुद्दा नहीं है, न व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जोगाराम पटेल: 2003 में जब सरकार आयी ...

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप ऐसी व्यवस्था दें कि इस तरह की बातें नहीं करें सदन में। वो समझदार सदस्य हैं और बहुत संघर्ष के बाद आये हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं ।

श्री जोगाराम पटेल: आप सुनें।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें।

श्री जोगाराम पटेल: मेरा अधिकार है और आपने मुझे कम्प्लीमेंट दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि दिसम्बर, 03 से लगाकर मार्च, 04 में दो सौ करोड़ रुपये, 2004-05 में 322 करोड़ रुपये और 2005-06 में 635 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा करके किसानों को विद्युत आपूर्ति हो सके, सरकार ने बिजली खरीद करके किसानों को दी। इतना ही नहीं, कृषि कनेक्शनों के संबंध में विशेषकर राजस्थान में जो काश्तकारों को सुविधा दी जा रही है उसके संबंध में 2004-05 में 39841, जो आपके समय में दस बारह वर्षों से कनेक्शन पड़े थे उनकी पूर्ति की गयी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के कनेक्शन तो खतम कर दिये...

श्री जोगाराम पटेल: मैं बता रहा हूं, मैं आपका जवाब दे दूंगा, आपका शिड्यूल्ड कास्ट का भी जवाब दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) **:** मैं तथ्य बता रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के कनेक्शन कम कर दिये ।

श्री जोगाराम पटेल: आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोल सकते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सारी बात जानते हो।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके सामने असत्य कथन हो...

श्री जोगाराम पटेल: 297 मेगावाट, 65 करोड़ यूनिट... बिलकुल सत्य है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इतना असत्य कथा वाचन हो...

श्री जोगाराम पटेल: यह शत प्रतिशत सत्य है। आपको सत्य सुनने की आदत नहीं है, यह शत-प्रतिशत सत्य है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह क्या हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: आप चिन्ता काहे के लिए करते हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ऐसा अन्याय हो रहा है शिड्यूल्ड कास्ट के साथ में?

श्री जोगाराम पटेल: सत्य सुनने की आदत नहीं है, आदत डालें सत्य सुनने की।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अब आप कहेंगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा, पर वास्तविकता तो अर्ज कर दूं न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल: 2005-06 में 42789 काश्तकारों को कृषि कनेक्शन जारी किये। इस तरह से कुल 99 लाख 433 एग्रीकल्चर कनेक्शन इन दो तीन सालों में दिये गये हैं। आपको सत्य सुनना पड़ेगा और सुनकर वैरीफाई कर देना, गलत हो उस दिन मेरे को आकर उसका जवाब पूछ लेना।

इतना ही नहीं, इस संवेदनशील सरकार ने आपके समय से पड़े कनेक्शन जो जारी नहीं किये थे, काश्तकारों के साथ अन्याय किया था, उनको बिजली का संबंध नहीं दिया था, इस सरकार ने आने के बाद करीब 1,99,433 कनेक्शन जारी कर दिये हैं और आगे भी जारी करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कृषि श्रेणी में जो लगने वाला खर्चा था, उसको भी आप सुन लें। अगर तीन पोल लगाते थे तो आप 14,500 रुपये लेते थे इस सरकार ने उसको आधा कर दिया-साढ़े सात हजार । पांच पोल में जहां तेइस हजार लगते थे, वहां 12500 रुपये कर दिये । पांच पोल में जहां 24875 लगते थे वहां मौजूदा सरकार ने 18750 कर दिये। इस तरह से करके आठ श्रेणियों में बिजली कनेक्शन देने में

(श्री जोगाराम पटेल)

जो खर्चा आता था, काश्तकारों की सहायता के लिए इस संवेदनशील सरकार ने सारा का सारा खर्चा कम कर दिया, काश्तकारों को जीवनदान दिया।

मान्यवर, इतना ही नहीं, कृषि हेतु फीडर सुधार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिया। इस फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत 7 लाख 42 हजार जो राजस्थान में कृषि कनेक्शन दिये हुए हैं, उन सबके लिए पूरा वोल्टेज मिले ट्रिपिंग कम से कम हो, मोटरें नहीं जले इस हेतु पांच सौ करोड़ का प्रोजैक्ट हाथ में लिया है। 11-केवी फीडर सुधार के लिए 2005-06 में 1097 फीडर के। सात सौ करोड़ रुपये खर्च करके सही कर दिया है। 2006-07 में गवर्नमेंट का प्रोजैक्ट 1450 करोड़ रुपये करके हाथ में लिया गया है और इस वर्ष पूरा होने वाला है और इससे करीब पन्द्रह प्रतिशत छीजत कम हो जाएगी।

मान्यवर, अभी यह बताया गया है माननीय सदस्य की ओर से बीपीएल परिवारों को 15 हजार पिछले वर्षों में कनेक्शन जारी किये गये हैं और वर्तमान में 47 हजार जारी किये गये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन में ध्यानाकर्षण कर रहे हैं या सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं, आप यह तो तय कर लीजिये। यहां पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, सरकार की तरफ से जवाब नहीं देते हैं। आप यह नयी परम्परा मत डालिये।

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दीजिये इनको।

श्री जोगाराम पटेल: ...इसमें पचास प्रतिशत की छूट दी गयी, मान्यवर और आप जो 1.70 रुपये प्रति यूनिट देते थे उसको 85 पैसा प्रति यूनिट कर दिया। यह मौजूदा सरकार ने किया है, आपने नहीं किया, आपकी सरकार ने नहीं किया। बिजली के उत्पादन में भी आप देखिये, आगामी दो-तीन वर्षों के अन्दर जो प्रोजैक्ट हैं वो सब पूरे होने वाले हैं ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ऊर्जा मंत्रीजी, आप सुनिये, क्या जवाब दे रहे हैं आपकी तरफ से।

श्री जोगाराम पटेल: मैं जो निवेदन कर रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर आधारित कर रहा हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि वाहवाही लूटने के लिए ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा: ऊर्जा मंत्रीजी, ये सब आंकड़े होते हुए आप कहीं नहीं, मंत्री वो न बन जाएं।

श्री जोगाराम पटेल: ...(व्यवधान) आप भले ही बता दें लेकिन वास्तविक तथ्य यही हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि पर्ची के माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी की तरफ से ये जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान) प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, बैद साहब को बहुत तकलीफ हो रही है, माननीय मीणा साहब को बहुत तकलीफ हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री जोगाराम पटेल: मैं पर्ची के माध्यम से वास्तविक तथ्य हाउस के फ्लोर पर रख रहा हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. श्रीगोपाल बाहेती: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी बता दें, दो साल में कितने कनेक्शन दिये हैं और कब से बैन लगा हुआ है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। जीरो आवर समाप्त।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आठ दिन से बीसों लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गयी है। राजस्व मंत्री के आदेश से जिस व्यक्ति को शिकायत के आधार पर हटाया गया था, उस पटवारी को वहीं वापस लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हैं उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गयी है, उसके लिए राजस्त मंत्री से मैं चाहूंगा कि समस्या का निराकरण करें। मैं मेरी पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कोई अधिकारी भी वहां नहीं गया, उपाध्यक्ष महोदय। वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी तक वहां नहीं गया नेता तो नहीं जाए, मंत्री नहीं जाए, लेकिन कोई अधिकारी भी नहीं जाते हैं। आप इस समस्या का समाधान करावें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप अभी की अभी किसी को भिजवाएं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): लोग मर जाएंगे। एक पटवारी के लिए लोग मर जाएंगे और इनकी पार्टी के लोग ही बैठे हुए हैं ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें कि माननीय मंत्रीजी अभी की अभी किसी अधिकारी को वहां भिजवाएं और उनकी ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी सूचना नोट कर ली गयी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): लेकिन आपने व्यवस्था नहीं दी है उपाध्यक्ष महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि ।

सचिव, विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

श्री सचिव, विधान सभा: महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक –

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक -

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2006
2. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006

राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन विधेयक, 2006,

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006,

(14.00 बजे)

(श्री सचिव)

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक, 2006,

राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 2006,

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2006,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2006,

राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006,

राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2006,

दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 को निधियों का विवरण सदन की मेज पर रखा गया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाडी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, I am on a point of order.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पाइंट आफ आर्डर है मंत्रीजी आप बैठें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इसे रैगुलराइज कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं इसे रख तो दूं । (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रिमण्डल द्वारा संयुक्त उत्तरदायित्व का पालन नहीं

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर है । I have asked for point of order. (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .. (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ... (व्यवधान) इनके बोलने के बाद पाइंट आफ आर्डर का क्या मतलब रह जाएगा । (व्यवधान) इसलिए पहले पाइंट आफ आर्डर को सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पहले पाइंट आफ आर्डर आएगा। (व्यवधान) उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्या-19) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, I said 'point of order.' आप सुन रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान) आप सुनिए, आप विराजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उन्होंने कह दिया कि मैं पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं और उसके बाद मंत्रीजी जबरदस्ती विधेयक रख रहे हैं । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कल भी यही बात अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बोल चुका हूं, इनको मालूम है बात। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष के आदेश के बिना कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाइंट आफ आर्डर में अध्यक्ष नहीं चाहिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद इसका क्या मतलब रह जाएगा ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा आप विराजिए, आप सुनिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने अनुमति दे दी? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर रूल 294:- "A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or…."पार्लियामेंटरी मिनिस्टर सुन लें "...or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House…"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रैगुलेटेड ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जी रैगुलेटेड। हां अंग्रेजी पढा लिखा हूं, मैं आपकी तरह अनपढ नहीं हूं, रैगुलेटेड । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हमें धमका रहे हैं क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां जान रहे हैं आपको, धमका रहे हैं आपको। स्पीकर को नहीं धमका रहा हूं। "...regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker." उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल 208 के अंतर्गत, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 208 को कोट करना चाहता हूं, आर्टिकल 208 यह कहता है "A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, Hon'ble Mr. Parliamentary Minister, its procedure and the conduct of its business." उपाध्यक्ष महोदय, इस 208 के अंतर्गत ये विधान सभा के नियम बने हैं और कांस्टीट्यूशन को प्रोविजन क्या किया, कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं Part V, the States, Chapter II, the Executive. विधान सभा, एग्जीक्यूटिव और उसके बाद ज्युडीशियरी, इन तीन के संबंध में संविधान में व्यवस्था की गई है कि कांस्टीट्यूशन में एग्जीक्यूटिव के पावर क्या होंगे, विधान सभा के पावर क्या होंगे, और जुडीशियरी के पावर क्या होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्या कोई डिबेट प्रारम्भ करा दी? पाइंट आफ आर्डर है तो वह स्पेसिफिक बताएं। आपने कोई डिबेट चालू कर दी क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सुनो आप। अपनढ आदमी, सुनो आप। .. (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कानून पढ़ कर आया करो, किताबें देख लिया करो ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री से पास हुए तो कैसे पढ़े तकलीफ यह है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने, आपसे कहा, एग्जीक्यूटिव के संबंध में भारत के संविधान में 153 से लगाकर 167 आर्टिकल हैं, इनमें एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया गया है । एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन है The Governor, Council

(डा. सी. पी. जोशी)

of Ministers and the Advocate Generals, ये एग्जीक्यूटिव के ओर्गन हैं। और 163 में लिखा हुआ है Council of Ministers to aid and advise Governor. "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head…." मैं फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं Article 163. "Council of Ministers to aid and advise Governor. There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his function, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion." उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 164, "Other provisions as to Ministers. (1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor" उपाध्यक्ष महोदय, 163 का पार्ट 2 है, "The Council of Ministers shall be collectively responsible…" उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State." और उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा इसमें लिखा हुआ है "Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule." उपाध्यक्ष महोदय, मैं थर्ड शिड्युल्ड का वह पार्ट भी पढ़ना चाहता हूं जब मंत्री शपथ लेता है उसमें कहता है …that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will." उपाध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल आफ मिनिस्टर है, उसके संबंध में आर्टिकल 164 में प्रोविजन किये गये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 166 में यह कहा गया है, "Conduct of business of the Government of a State. The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with the respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion."

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष: स्पेसिफिक पाइंट आफ आर्डर बताइए ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात सुन लें, मैं 294 पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । 294 का जो पार्ट 2 है

(डा. सी. पी. जोशी)

वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं (3) Subject to conditions referred to in sub-rule (1) and (2), a member may formulate a point of order. Let me formulate my point of order. This is my right. I am formulating. Let me formulate my point of order then you say it. I am formulating my point of order. I have not concluded it. So I am formulating my point of order. That's why I am saying. I am bringing it your notice what I am saying is Article 166, then I am coming to the Article 167. यह सब एग्जीक्यूटिव की बातें कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूटिव में लिखा है Duties of Chief Minister as respect the furnishing of information to Governor etc. It shall be the duty of the Chief Minister of each State:- (a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation."

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी व्यवस्थाएं सब जानते हैं ... (व्यवधान) इसकी मुझे जरूरत नहीं है, माननीय सदस्य । सभी जानते हैं संवैधानिक व्यवस्थाएं, आपका पर्टीकुलर पाइंट आफ आर्डर क्या है, वह बताइए आप? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आपकी समझ में नहीं आने वाला है । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उनसे रिक्वैस्ट कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : इतने घंटे तक अगर आप फार्मुलेशन आफ पाइंट आफ आर्डर में रहेंगे तो यह ठीक नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) और मंत्रिमण्डल का क्या दायित्व है, इस पर अध्यक्षीय व्यवस्था और क्या यह सदन ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतना काम्प्लीकेटेड कांस्टीट्यूशनल पाइंट है, वह साधारण लोगों के बस की बात नहीं है । आपके बस की बात नहीं है, आप उलझो मत इसमें ।

एक माननीय सदस्य: आपसे तो ज्यादा समझदार हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .. (व्यवधान) यह अपनी राजनीतिक लड़ाई को यहां पर लड रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप इसका कोई समय तो निश्चित करें । (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर के नाम पर यहां डिबेट चालू हो गई, आप यह नई परम्परा डाल रहे हैं। आप नई परम्परा डाल रहे हैं । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, छात्र नेता की ट्रेनिंग है इनकी, असैम्बली की ट्रेनिंग तो है नहीं । छात्र नेता जैसे हल्ला करके विश्वविद्यालय में बोलना, I have to speak it. I have to formulate it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर के नाम पर आप कितना समय देंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): It is my privilege to raise a point of order. I will not concede it. I am on the Floor of the House let me formulate my point of order. It is my privilege. You have allowed it, let me formulate a point of order. I will not concede it.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी रखते हैं, अगर आपकी कोई पर्टीकुलर बात हो तो बताइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ये विद्वान आदमी हैं, मिनिस्टर हैं, मैं इनको यही कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान के अन्तर्गत इस राजस्थान विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा है। Let me complete it. It can not be forced.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): संविधान के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I have taken the permission from you. The rules say I have to formulate my point of order. You please permit me to formulate my point of order then you reject it. I have not concluded it. Let me formulate my point of order.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले यह बताइये, पाइण्ट आफ आर्डर किस पाइण्ट के ऊपर, किसी बात पर उठाना चाहते हैं? उसके बाद में फार्मुलेट करें कि आपका मेन आब्जेक्शन क्या है। पाइण्ट आफ आर्डर आप स्पेसिफिक कहिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष: हां, वह बताइये आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, दुबारा आकर्षित कर देता हूं। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है, 294 को मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपका पाइण्ट आफ आर्डर समझ गया। आप पाइण्ट आफ आर्डर, अभी एक मंत्री ने जो ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं, यह नहीं है। आप विराजिये। आप कैसे इन्फर करेंगे। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, तो अभी और भी हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं I am sorry. How do you infer that what I am going to say? I am not saying about Minister. I am not saying about anybody. आप इन्फर कैसे कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बिना आसन की इजाजत के नहीं बोल सकते हैं। बोलूंगा कैसे, यह कोई...

श्री उपाध्यक्ष: यह इस बात पर नहीं है तो फिर किस बात का पाइण्ट आफ आर्डर है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सुनिये तो सही, सुनिये आप। You have permitted me.

श्री उपाध्यक्ष: फार्मुलेट करके you must come to the conclusion.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पूरा संविधान बता देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप काहे के लिये खड़े हो? आप काहे के लिये खड़े हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको बताने के लिये। आप बताएंगे यहां पर।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संविधान का जवाब संविधान पकड़कर ही दो, महावीरजी। ऐसे नहीं दिया जाएगा। आप इनको पूरा करने दो, फिर आप देना जवाब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): संविधान के नियमों के तहत इस सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let me conclude it, Hon'ble Dy. Speaker, Sir. How you can infer it? It is my privilege to formulate it. You can not infer what I have to say. You can not infer what I want to say. Let me formulate it.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह आसन को चुनौती नहीं दे सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्परा डालने की बात कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कैसे इन्फर कर देंगे। I have not conceded the Floor. Let me conclude it. You have permitted me. I have not conceded the Floor. I am having the Floor. You have permitted me. Let me speak it. आप सुनेंगे नहीं, क्या बात करेंगे? (व्यवधान) आप मना कर दीजिये, आपको नहीं बोलने दूंगा मैं। You refuse it.

श्री उपाध्यक्ष: You have made it clear at the beginning that this is my opinion.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो मैं बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। यही तो कह रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: तो करिये, आप कब कम्प्लीट करेंगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह लिख रखा है, फिर दुबारा पढ़ रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह सब कहें। जहां पर वायलेशन हुआ, यह बताइये आप। आपके संविधान बताने से...

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनेंगे तो सही। ये बोलेंगे, आप सुनिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विराजिये आप। मैं आपका फिर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, यह लिख रखा है, 'such articles.' Let me say it. It is not article, It is a plural. 'Such articles of the Constitution.' Let me cite the articles. There are a number of article, जो कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, आप पढ़िये इनको। आप खुद वकील हैं। Let me conclude it that how many articles are there.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांस्टीट्यूशन का क्या वायलेशन हुआ है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर आर्टिकल्स की व्याख्या सुनने के लिये नहीं बैठे हैं हम। कोई अगर वायलेशन हुआ है तो आप पर्टीकुलर बताइये। आप तो किताब लेकर बैठ गये पूरी पढ़ने के लिये। हम उपदेश सुनने के लिये नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Let him say.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): Point of order should be particular कि किस व्यवस्था के सम्बन्ध में आप उठाना चाहते हैं, बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिये, कहने दीजिये इनको। काइंडली शार्ट में कहिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let me say. Hon'be Dy. Speaker Sir, I am very sorry I have not raised a point of order on the business of the House. I have raised the point of order about the Articles of the Constitution. They are violating it. Are you not saying about, मैं बिजनस थोड़े ही बोल रहा हूं। I am talking, पढ़िये इसको, प्रोफेसर साहब, इसमें लिखा हुआ है 'Articles' is a plural. It is not one 'Article'. There are number of 'Articles' being violated by this government. That's why I want to quote it. It is my privilege. You can not say it. Let me conclude it.

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): You must say particular कि कौन से आर्टिकल की।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बोल देना, आप बोल देना। बोल लेना आप। मैं बोल रहा हूं। मैं जितने आर्टिकल बोल रहा हूं, आप रिफ्यूट कर देना बाद में। जितने आर्टिकल मैं बोल रहा हूं, आप रिफ्यूट कर देना, आपको अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिये। Let him say.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Let me conclude it. I have cited all the 'Articles' मैं कहूंगा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी, हमें कोई एतराज नहीं है। माननीय सदस्य, अपनी बात कहें, इसमें भी कोई एतराज नहीं है। पर कोई समय तो निश्चित होगा? पाइण्ट आफ आर्डर के कहने से अगर आप नई डिबेट चालू करने की नई परम्परा डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? यह आपने पाइण्ट आफ आर्डर उठाया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय

(डा. सी. पी. जोशी)

से विधान सभा नहीं चल रही है, यह कांस्टीट्यूशन से चल रही है। इनको यह जानकारी नहीं है। वहां पर आपकी नहीं चलती है। वहां भी आपकी नहीं चलती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आपको यह जानकारी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार चल रही है, इतना काफी है। न भारतीय जनता पार्टी के संविधान को समझते हैं, न भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। ऐसे राज नहीं होगा। राज होगा संविधान के अन्तर्गत। इसलिये सुनना पड़ेगा आपको, हो क्या रहा है। सुनना पड़ेगा आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था आर्टिकल 167 पर "to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation." चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को इन्फर करना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है कि "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor." Not on the pleasure of the Chief Minister. Let me conclude the Constitution. उपाध्यक्ष महोदय, आप बताइये, इसमें जो लिख रखा है, चीफ मिनिस्टर अपाइण्ट करेगा मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर हटा सकता है। पर मिनिस्टर, जिनको अपाइण्ट करता है चीफ मिनिस्टर, उन मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा गवर्नर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके साथ में लिखा हुआ है कि "the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State." मैं कोट करना चाहता हूं, "Collective responsibility is assured by the enforcement of two principles; first, no person is nominated to the Council except on the advice of the Prime Minister, and secondly, no person is retained as a member of the Council if the Prime Minister demands his dismissal. The essence of collective responsibility is that a Minister is free to express his dissent when a policy is in the stage of discussion, but after a decision is taken every Minister is expected to stand by it without any reservation. The only alternative, therefore, for a Minister who does not see eye to eye with the Prime Minister in matters of policy or is not prepared to defend a Cabinet decision is to resign." यह किताब है, कौल और शकधर की, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या है।

(डा. सी. पी. जोशी)

(14.17 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, I am quoting it that what is the provision and what is the practice and procedure of the Parliament as mentioned by Mr. Kaul and Shakdhar at page No. 686 कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिल्टि का मतलब क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं, आर्टिकल 212 में भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल 212 है, वह डिबार करता है कि असेम्बली की जो प्रोसीडिंग्स होगी, उसको कहीं पर भी कोर्ट के अन्दर, यह व्यवस्था नहीं है, यह चैलेंज नहीं हो सकती है। 212 says that Courts not to inquire into proceedings of the Legislature. The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure." अब अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 166 में मुख्य मंत्रीजी, जो इसकी हेड हैं, काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की, जो उनकी एडवाइज पर बनी हुई है, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी उसके अन्दर डिफाइन की हुई है। आर्टिकल 164 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 163 का भी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि the Chief Minister is the head.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या वायलेशन हुआ, यह बताओ न?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी क्या होगी, हाथ लगाने से क्या होगा बोल रहा हूं, सुनिये आप। (व्यवधान) हां, बता रहा हूं, बता रहा हूं, आगे बढ़िये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई यह कह रहे हैं, क्या हो रहा है, बतायें। मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगी। वह क्या कह रहे हैं, आप कृपया ...(व्यवधान) आपको भी मौका दूंगी, आप बोलने दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह तो चाहते हैं, वह भी इनकी मदद नहीं करुंगा। Don't worry, मैं आपकी मदद करने वाला नहीं हूं। मैं आपसे मदद लेने वाला नहीं हूं, दोनों तरफ से ही। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी कहां-कहां खत्म हुई? अक्टूबर में हमने पढ़ा, अध्यक्ष महोदय, सेज के सम्बन्ध में कैबिनेट की मीटिंग में पूरे मिनिस्टर नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट के दो मिनिस्टर्स ने अख़बार में इंटरव्यू देकर अपनी

बात कही। उसके बाद कैबिनेट की एक सब कमेटी बन गयी। आज दिन तक कैबिनेट की सब कमेटी जिसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर साहब हैं, उनका अख़बार में स्टेटमेंट है कि मेरे पास इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इस तरह से सब कमेटी बनी है। काउंसिल आफ मिनिस्टर्स का पहला फैसला आया, मुझे नहीं कहना चाहिए, मंत्री को अमेरिका ले जाया गया, अमेरिका में दर्शक के रूप में बैठाया गया। फिल्मों में जो गैस्ट आर्टिस्ट होते हैं, गैस्ट प्रतिनिधि की तरह बैठाया गया। और सेज के सम्बन्ध में आज दिन तक फैसला नहीं हुआ कि कैबिनेट की सब कमेटी का क्या फैसला हुआ। आज दिन तक अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने क्या अनुमति दे दी कि पाइण्ट आफ आर्डर के नाम से यह पूरा ही डिस्कशन करते रहें, सब चीजें खोलते चले जाएं? कोई पाइण्टेड बात हो तो कहें। पाइण्ट आफ आर्डर, आपका 294, यह कहता है, अध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, let me formulate it.

श्री अध्यक्ष : संविधान के 164 के तहत आपने अपनी तरफ से एक इश्यू उठा दिया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरी बात सुनिये और फिर अपना मत रखिये let me say. अध्यक्ष महोदय मेरा पाइंट आफ आर्डर let me summarize it and let me speak on it. My point of order is very simple. कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 153 से 167 में एग्जीक्यूटिव के फंक्शन डिफाइन हैं। आर्टिकल 212 में यह डिफाइन है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। हाउस में यदि यह डिस्कशन है, काउंसिल आफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी लैजिस्लेचर के साथ में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत सीनियर सदस्य हैं। आप तो कामनवैल्थ की एग्जीक्यूटिव की मैम्बर हैं। दुनिया के सारे आदमी आपको देख रहे हैं, आपको यह बताना पड़ेगा। 153 में जो एग्जिक्यूटिव के जो पावर दिये हैं इनकी फर्स्ट एण्ड फोरमोस्ट रेस्पांसिबिलिटी है स्टेट असैम्बली के प्रति, स्टेट असैम्बली की रेस्पांसिबिलिटी है जनता के प्रति। यह स्टेट असैम्बली में पूछना चाहते हैं। काउंसिल आफ मिनिस्टर, जिसमें यह लिखा हुआ है कि काउंसिल आफ मिनिस्टर की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, क्या यह सरकार अपनी जोइंट रेस्पांसिबिलिटी के कर्तव्य को जो कांस्टीट्यूशन में

लिखा हुआ है, उसका पालन कर रही है? एक उदाहरण दिया मैंने सेज का, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर माननीय गृह मंत्रीजी जो बहुत काम्पीटेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने खड़े होकर रिलीजियस एनडोमेंट बिल के संबंध में क्या कहा, यह सदन के रिकार्ड में है। मुझे कहना नहीं चाहिए ... (व्यवधान) फैसला हुआ केबिनेट का उसके बाद, मंत्रीजी ने हाउस के अन्दर यह कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उस वक्त तो यह प्रश्न नहीं उठाया आपने। उस वक्त तो आपने यह बात नहीं उठायी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या?

श्री अध्यक्ष: उस वक्त तो आपने यह प्रश्न नहीं उठाया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह उठायी है मैंने, आप रिकार्ड देख लें, माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर तीसरे पाइंट की ओर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हज हाउस बने या नहीं बने, फैसला किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता पर कैबिनेट का एक मिनिस्टर यह कहे कि हज हाउस नहीं बनेगा, और यह आर्टिकल यह कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्टिकल 167 के अन्तर्गत ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आपको कहा है क्या? नहीं, आपको कहा है क्या यह? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं नहीं कह रहा । यह आप फैसला कर लें अपने हिसाब से। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आपको कहा है क्या यह? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कुछ नहीं कह रहा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी ने आपको कहा है क्या यह?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो बात आपने ई-टीवी पर कही है वही बात मंत्रीजी ने ई-टीवी में कही है। यह रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो बात आप यहां पर

पर्सनल नालेज के आधार पर बोल रहे हैं ... (व्यवधान) यहां पर्सनल नालेज के आधार पर कहा जाता है वह ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो बात आपने चीफ-व्हिप की हैसियत से कही है ई-टीवी में सरकार के खिलाफ, वह की वह बात ई-टीवी के अन्दर कही है, रिकार्ड मंगा लीजिए। विराजिये आप, सुनिये। आपको बोलना है तो आप बाद में बोल लीजिए। विराजिये। This is not a debate.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो बात आप यहां पर कह रहे हैं, वह किस आधार पर कह रहे हैं? मैंने ई-टीवी में जो कुछ कहा है वह ... (व्यवधान) यहां पर्सनल नालेज के आधार पर कहा जाता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, डिबेट का यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) I am on the possession of the Floor of the House.

श्री अध्यक्ष: आपने एक बात कह दी। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ... (व्यवधान) आपने कहा था कि 100 वर्ष तक नहीं बनेगा, अब आप खुद बदल रहे हैं। आपने खुद कहा है मुख्य सचेतकजी, कि हज हाउस 100 वर्ष नहीं बनेगा। आपने खुद अभी कहा है। आज की प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने यह कहा है कि यदि मुसलमान, यदि माहिर आजाद यह कहेगा कि ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यदि का कोई सवाल नहीं है, आज का सवाल है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): घनश्यामजी नहीं हैं, आप क्यों बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाकर हज हाउस 100 साल तक नहीं बनेगा। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपके रिकार्ड में है, आपने कहा कि 100 वर्ष तक नहीं बनेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कहा है कि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाकर 100 साल तक भी हज हाउस नहीं बन सकता। जो माहिर आजाद ने जो कृत्य किया है वह ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने उस समय कहा। मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में यह कहा था कि दोनों हज हाउस बनेंगे, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी क्या करती हैं और दूसरी तरफ आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्रीजी तो करना चाहती हैं लेकिन आप राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी बनाना चाहती हैं और आप राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। आम करवाना चाहते हो, हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो, इस हालत में वह नहीं बन सकता, यूं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मत बनाओ। मत बनाओ। कौन कह रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी, यह प्रश्न हज हाउस बनाने का या न बनने का यहां पर नहीं है, आप क्यों कह रहे हो इस बात को? आपने कही है क्या यह बात?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं, अपना काम ही नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बृजकिशोरजी ने जो कहा, उन्होंने कहा, मैंने उसका जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बृजकिशोरजी कुछ भी कहें ... (व्यवधान) इस समय सी.पी. जोशीजी का पाइंट आफ आर्डर चल रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वे कुछ भी कह दें, ऐसा थोड़े ही हो सकता है? हम कोई सुनने थोड़े ही आये हैं यहां पर? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उनको कौनसा घर पर जाकर कहा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दें ताकि आगे उसकी कार्यवाही हो सके। एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप कहेंगे तो मैं वैसे ही बंद कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। आप एक प्रिविलेज्ड मैम्बर हैं हाउस के, यह रिकार्ड में जाएगा। यह रिकार्ड में जाएगा कि आपने एक मैम्बर बनने के बाद ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्टिकल 164 के बाद ... (व्यवधान) आप कनक्लूड करिये। यस।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं, let me conclude it. Don't infer it. Let me conclude it. I said 'Articles'. I am not saying 'Article. Let me conclude it. No. 1, this is a violation of the Article. Let me say very categorically. I want to say. I want to quote it. Article 163 says that; " There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head." As a Chief Minister अपने काम को परफार्म करने में फेल रही है, नम्बर-1. नम्बर-2 आर्टिकल 164, Other provisions as to Ministers. The Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor." I have quoted the Kaul and Shakdhar. या तो मिनिस्टर जो उनके साथ डीसेंट रखते हैं पॉलिसी में, रिजाइन करें या खुद रिजाइन करें चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर परफोर्म करने में फेल रही हैं, आर्टिकल 164 (1). नम्बर- 2 आर्टिकल, माननीय अध्यक्ष महोदय, ''The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State." यह जो माननीय मुख्य मंत्री- वसुन्धराजी की सरकार है, इनके मंत्री अपनी कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी, जो स्टेट के लैजिस्लेचर के प्रति रेस्पांसिबल है, अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने में फेल रही है। यह जितना भी जो काम कर रही है यह गैर-कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य है इसलिए सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा 163, 167 ''It shall be the duty of the Chief Minister of each State; (a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs…" माननीय अध्यक्ष महोदय, ''...relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation." यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है कि कहां पर हज हाउस बनेगा या नहीं बनेगा, कहां पर यह कमेटी बनेगी, इतनी बनेगी, यह एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय को भी गवर्नर को कम्युनिकेट करने का काम चीफ मिनिस्टर का है। मुख्य मंत्री अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने में भी असफल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(डा. सी. पी. जोशी)

और चौथा, आर्टिकल 164 (3) के अन्दर इन मंत्रियों ने शपथ ली है, सब मंत्री इल-विल चाहे वह कोटा के मंत्री हों, माइनोरिटी, इसाई के प्रति रखना हो, या माइनोरिटी का काम रखना हो, यह इल-विल लगता है, संविधान की शपथ के प्रति ये निष्ठावान नहीं हैं इसलिए मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह आर्टिकल्स आफ कांस्टीट्यूशन, जिसके अन्तर्गत यह विधान सभा बनी है, जिसके अन्तर्गत यह नियम और कानून बने हैं, ये हमें कम्पैल करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 212 के अन्तर्गत हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की हैसियत से राज्य सरकार को निर्देश दें कि यह सरकार अपने जिन आर्टिकल्स का, कांस्टीट्यूशन का वॉयलेशन कर रही है, उनको ठीक करके सदन की दुबारा मीटिंग बुलाए और पास करे। यह सरकार को आप निर्देश दें।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): यह मनमोहन सिंहजी को समझा दें आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अन्यथा माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 356 के अन्तर्गत हम भारत सरकार से यह मांग करेंगे कि यह सरकार संवैधानिक सरकार नहीं है, इस सरकार को भंग किया जाए और नये चुनाव करवाये जाएं जिससे जनता का मैंडेट पता पड़ सके कि यह सरकार किस बात की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोएलीशन सरकार का एक अलग जोन होता है, या तो यह कह दें कि वसुन्धरा राजे की सरकार है तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यह सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है इसलिए मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोएलीशन, गवर्नमेंट के लिए अलग से कांस्टीट्यूशन है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपसे निवेदन है कि आप अध्यक्ष महोदय की हैसियत से क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल आफ इस कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत आप आफिसर हैं, Speaker is defined as an Officer. आफिसर है स्पीकर। एग्जीक्यूटिव का काम मंत्री और मुख्य मंत्री करते हैं। हम हाउस के मैम्बर्स हैं। आप सब की अकाउंटेबिलिटी लैजिस्लेचर, असैम्बली के प्रति है, आफिसर होने के नाते आप कंसोलिडेटेड फण्ड से पैसा लेते हैं,

(डा. सी. पी. जोशी)

राजस्थान की पांच करोड़ की जनता आपसे आशा करती है कि यह सरकार गैर-कानूनी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, इस सरकार को निर्देश दें कि या तो अपने काम-काज को ठीक ढंग से निर्वहन करे, कानून-सम्मत, अन्यथा इस सरकार को भंग करके नये चुनाव करने के लिए आप भारत सरकार को रिक्वैस्ट करें, यह हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः हां, पी.ए.डी. मिनिस्टर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जब मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 सदन के पटल पर रख रहा था तब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ आर्डर के नाम पर सैक्शन 294 को कोट करते हुए 1 घंटे का शानदार भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार होगा कि जब ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शानदार भाषण नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मान लूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है पर ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने आपको सुना है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं तो खाली यह पूछ रहा हूं, क्वालिफाई कर रहा हूं कि यह मुख्य मंत्रीजी की फ्लैटरी में हो रहा है या कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हो रहा है? यह पूछ रहा हूं। फिर कह रहे हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार होगा जब पाइंट आफ आर्डर को उठाने के नाम पर किसी माननीय सदस्य ने सदन के समय का दुरुपयोग किया होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 294, पाइंट आफ आर्डर की ओर दिलाना चाहता हूं। 294 औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय-औचित्य प्रश्न इन नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिससे सदन का कार्य अभिनियमित हो, ''as regulate the business of the House'' मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कौनसा ''as regulate the business of the House'' करने के लिए इन्होंने पाइंट आफ आर्डर उठाया जिसके बारे में इन्होंने इस तरह की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्याख्या की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं, यहां सदन में आने वाले सब माननीय सदस्य जानते हैं? कि राजस्थान विधान सभा से, जहां भी नियम और प्रक्रिया बनी, वह अर्टिकल 208 के अन्तर्गत बनी और उन सारे नियम और प्रक्रियाओं से हम सब बंधे हुए हैं। पहला मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आर्टिकल 208 के तहत जिस नियम और प्रक्रिया का जिक्र किया, इन्होंने उसका दुरूपयोग करके सदन का समय बिना मतलब जाया किया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आर्टिकल 163 की बात कही, आर्टिकल 164 की बात कही। एक मिनट (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो अपने पक्ष की बात कहो। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बहुत लिटरेट... (व्यवधान) आप तो अपने पक्ष की बात करो। मुख्य मंत्रीजी के घर पर भाषण नहीं देना है, यहां हाउस के अंदर भाषण देना है। Come to the point and talk about the point. Be relevant. You are not allowing to speak on it.

मोहम्मद माहिर आजाद: अगर आपके पास कोई मसाला है, कोई बात कहना चाहें तो तो कहें, समय आबाद किया, बर्बाद किया यह देखना आसन का काम है। यह अध्यक्षजी का काम है, यह आपका काम नहीं है संसदीय कार्य मंत्रीजी। इन्होंने बहुत कानूनी पेचीदगी की बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटैक्शन चाहिये, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे एक घण्टे पूरी बात सुनी है।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, जब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी बात एट लैंथ कही। अब जो कुछ वह कहना चाह रहे हैं तो वह भी सुन लीजिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Don't protect him. You see the proceedings. Don't encourage him. We expect from you, don't protect the Minister.

श्री अध्यक्ष: मैंने एट लैंथ ही तो कहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): From half an hour the Minister is talking and you are protecting him.

श्री अध्यक्ष: एटलेंथ ही तो कहा है, मैंने एक घंटा तो नहीं बताया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): This is very unfortunate.

श्री अध्यक्ष: एट लैंथ का मतलब समय सार होता है। मैंने एट लैंथ ही तो कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, यह इनकी बात है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह मेरी आदत तो ठीक है। आपकी आदत मुख्य मंत्रीजी के प्रति ....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: इसके कारण आप निकाल दिये गये, माफी मांगनी पड़ी, पर आप अपने आपको सुधार नहीं पाये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे किससे माफी मांगनी पड़ी, न मैं आर.एस.एस. के प्रति निष्ठावान हूं, न मुख्य मंत्री के प्रति निष्ठावान हूं, मैं कानून के प्रति निष्ठावान हूं इसलिये मुझे कोई चिन्ता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के आर्टिकल 163 का जिक्र किया, संविधान के आर्टिकल 164 का जिक्र किया। वैसे तो 163 और 164 मैं भी पढ़ूं तो सदन का समय जाया होगा, इन्होंने अपनी पूरी बात संविधान के आर्टिकल 164(2) पर आकर केन्द्रित की। 164(2) यह कहता है मंत्री परिषद् राजस्थान सरकार के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है, हम मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक मंत्री के कृत्य के लिये सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् उत्तरदायी है, हम यह भी मानते हैं। उसके बाद इन्होंने 164(3) में थर्ड है, उसमें ओथ का जो फार्मूला है, उसका भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि यह अपने पूरे भाषण के बाद क्या कहना चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिस समय आप भी सदन की माननीय सदस्या थीं। हम उधर बैठते थे, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, 17.04.2001 वह समय जब राजस्थान के इस विधान सभा के इतिहास में आपने किसी भी कारण से बजट लीक किया था और इसी सदन में उधर बैठे जब हम मांग कर रहे थे कि आप आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी कराओ। मैं आपकी बात और तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता और उप राष्ट्रपति महोदय की बात को कोट करना चाहूंगा5 आप कहें तो मैं प्रोसिडिंग आपको दे दूं- ''श्री भैरोंसिंह शेखावत: आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा बनाया जाए। डा. सी.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पी. जोशीः ठीक है, आप चाहते हैं। श्री भैरोंसिंह शेखावतः हां। डा. सी. पी. जोशीः हम मान लेंगे, हमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। श्री भैरोंसिंह शेखावतः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है। मैं सरकार को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। आपने आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा बनाकर इस पर कार्यवाही करने की बात को स्वीकार किया है। श्री खेतसिंह राठौड़, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर : यहां कहां से ले आये?'' गवर्नमेंट ने कहां एक्सैप्ट किया? यह तो इनकी व्यक्तिगत राय है। उसके बाद जो उस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय विराज रहे थे, उन्होंने यह कहा कि यह इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। रिकार्ड पर है अध्यक्ष महोदय, यह सारी प्रोसिडिंग्स।

श्री हरिमोहन शर्मा: बात कैबिनेट के डिसीजन की हो रही है, आप समझो बात को। वह कैबिनेट का डिसीजन नहीं था। यह कैबिनेट के डिसीजन की बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राठौड़ राठौड़ को लेकर आये। जैसे खेतसिंह जी राठौड़, वैसे राजेन्द्रजी राठौड़। कोट कर रहे हैं, किसको कोट कर रहे हैं? व्यवधान) लगाते हैं आप, ये बातें दूसरों को कहो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विराजो आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विराजिये आप। Don't quote irrelevant things. उसकी क्या हालत हुई पता है न? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप विराजो तो सही, आप नाराज क्यों हो रहे हो? आपकी बात हमने पूरी सुनी, आप नाराज क्यों हो रहे हो? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ये बातें दूसरों को बताया करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़: पोल खुल रही है आपकी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरी काहे की पोल खुल रही है, पोल तो आपकी खुल रही है। मुख्य मंत्रीजी को गलत राय देकर सरकार की दुर्गति कर रखी है। आप कह रहे हैं, पोल खुल रही है। एक आदमी मुख्य मंत्रीजी के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, क्या दुर्गति कर रखी है आपने। सारी दुर्गति कर रखी है मुख्य मंत्रीजी की और खड़े होकर बात कर रहे हैं। एक आदमी पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है और दुर्गति की बातें कर रहे हैं। दुर्गति खुद की कर रखी है और दूसरों की बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट डिसीजन के बाद कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात है, बात तो सही है । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Was it a collective decision? Don't quote it. Is it a Cabinet decision? Don't talk irrelevant things.

श्री हरिमोहन शर्मा: राजस्व मंत्री क्या कर रहे थे, दूसरे मंत्री क्या कर रहे थे? कैबिनेट डिसीजन के बाद कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात आपने नहीं निभाई, सवाल यह है, इसलिये रिजेक्ट किया जाना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह अपनी बात कह देंगे, और सुनेंगे नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य को बोलने का अधिकार है it was not a collective decision. I standby about which what I said. It was not collective. It was not a Cabinet decision. Don't misquote the things.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सैकण्ड, मैं पूरी कर दूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अब आपकी इस बात को क्या समझा जाए?

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यही नहीं, अभी केन्द्रीय सरकार ने सेज का एक्ट पारित किया। सेज का एक्ट पारित किया संसद में 2005 में, एक्ट बन गया, नीतिगत निर्णय हो गया और आपने देखा होगा, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री का अलग बयान आया, सोनिया गांधीजी का अलग बयान था, उद्योग मंत्रीजी का अलग बयान आया। इनकी दिल्ली की सरकार के मंत्री, कैबिनेट का फैसला, जिस फैसले के आधार पर एक्ट बना, पार्लियामेंट ने पास किया, कैबिनेट ने पास किया और उसमें विरोधी बयान दे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कैबिनेट के निर्णय के बाद में मंत्री बोले क्या, बताएं? फालतू बात कर रहे हैं, इर्रिलेवेंट बात कर रहे हैं। भारत सरकार के सेज के अंदर एक भी आदमी निर्णय के बाद नहीं बोला है। Don't misquote it.

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, कई अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, आप कहें तो इन अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को पढ़कर सुना सकता हूं जिनमें यह कहा गया, जब तक आपकी कोई व्यक्तिगत जानकारी पुख्ता नहीं हो। ऐसे अखबारों के माध्यम से कोई बात आई होगी, आशंकाओं के आधार पर इन्होंने कह दिया कि मुख्य मंत्री और मंत्रियों की राय अलग-अलग है, जबकि मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमण्डल उनके साथ है। यह अनर्गल इस तरह की बात कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी हाल में .....(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी हाल में ताली बजाई, वह भी रिकार्ड हुआ है। यह रिकार्ड हुआ है, वहां वीडियो कैमरा है किसने ताली बजाई, यह भी ध्यान रखना।

श्री हरिमोहन शर्मा: एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बायकाट किया है और अपने स्टेटमेंट दिये । (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसने ताली बजाई, नोट कर लेना । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इनके प्रधान मंत्रीजी अभी हवाना के अदंर गये।

मोहम्मद माहिर आजाद: हमारे प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री बोलो। पैसा लेने जाते हो तब तो लल्लों-चप्पो की, भारत के प्रधानमंत्री बोलिये। आपको इतना ही पता नहीं है, मनमोहन सिंहजी भारत के प्रधानमंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: मनमोहन सिंहजी और रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी, दोनों के बयानों का जिक्र करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी यह कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की ...(व्यवधान) मनमोहन सिंहजी यह कहते हैं कि आतंकवाद का पाकिस्तान के साथ मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारत सरकार को फालो कर रहे हैं ? सीधे-सीधे कह दीजिये, बात खतम हुई। आज जो भारत सरकार में हो रहा है, राजस्थान सरकार नहीं कर रही है, नियम और कानून नहीं मानती, बात खतम करते हैं। आप खड़े होकर बोल दीजिये यह बात कि राजस्थान सरकार संविधान से नहीं चल रही है। भारत सरकार जो कर रही है वैसा का वैसा हम कर रहे हैं, बात खतम। बातें कर रहे हैं अपनी। (व्यवधान)

प्रो. सांवर लाल: भारत सरकार बिना संवैधानिक व्यवस्थाओं के चल रही है क्या, आप यह बताइये?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और क्या है बोलो यह? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: इधर की सरकार तो नागपुर से चल रही है। जयपुर से नहीं नागपुर से चल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: अपना आइना तो देख लो पहले, अपना चेहरा तो देख लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह आतंकवादियों से तो नहीं चल रही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की वर्तमान सरकार की जो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर बात पर आपका बोलना आवश्यक नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा: आप दोनों इस दुर्गति के लिये पूरे जिम्मेदार हो। आप भी जिम्मेदार हो इसके लिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: केन्द्रीय सरकार की ऐसी दुर्गति भी कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, अभी संसद पर हमले की जिसने रणनीति बनाई आतंककारी मोहम्मद अफजल, उसको फांसी की सजा दी। सब को मालूम है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: अजहर मसूद को कंधार कौन छोड़कर आया था, राजेन्द्रजी, यह भी बताओ आप? अजहर मसूद को कंधार कौन छोड़कर आया था ? तत्कालीन विदेश मंत्री छोड़कर आये थे ।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री हरिमोहन शर्मा: और उन पैसों की अटैची का क्या हुआ ? हवाई जहाज में जो रुपयों की अटैची थी, उसका क्या हुआ ? अजहर मसूद की बात करते हो, अजहर मसूद को कौन छोड़कर आया था, इसका भी जवाब देओ। अजहर मसूद को कंधार कौन छोड़कर आया था, इसका भी जवाब देओ। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसंमद): सार्वजनिक फांसी दी जाएगी अफजल गुरू को, आप उसको बचा नहीं सकते। अफजल गुरू को सार्वजनिक फांसी दी जाएगी। संसद पर हमला करने वालों को बचाने वालों, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, आप क्या संसद के हमलावरों को बचाते हो ?

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, क्यों उत्तेजित हो जाते हैं आप हर बात पर?

श्री बंशीलाल खटीकः संसद पर हमला करने वाले लोगों को बचाने का काम करते हैं ये लोग।

श्री अध्यक्षः आसन पैरों पर है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उसको सार्वजनिक फांसी दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः आसन पैरों पर है। सदन में सब को अपनी बात कहने का हक है, आवश्यक नहीं है कि हर बात का आप जवाब दें। कोई आवश्यक नहीं है आपके लिए। (व्यवधान) नो, नो, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें आप।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): संसद पर हमला करने वालों का हम पक्ष नहीं लेने देंगे।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करें। वो कह रहे हैं न तो, आप क्यों बोल रहे हो बीच में? ऐसे तो सब जगह एक जैसा हो रहा है, किसने पहले क्या किया, अब क्या कर रहा है, सब को सब मालूम है कहां क्या हो रहा है। (व्यवधान) छोड़ो इन बातों को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो हो रहा है लेकिन आपका फैसला बिलकुल नये ढंग का होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है और कब क्या हो रहा है ...(व्यवधान) आप इतिहास कायम करो, मैडम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कब क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं दोनों तरफ से बात सुन रही हूं, फैसला उसके बाद दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि संसद पर हमले की रणनीति बनाने में अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई, जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री जो इनके बहुत बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद, वो यह मांग कर रहे हैं कि इनकी फांसी की सज़ा माफ कर दी जाए। और जम्मु-कश्मीर के उप-मुख्य मंत्री, मंगतराम कह रहे हैं कि इनको फांसी की सज़ा बहाल रखी जाए। (व्यवधान) इनकी कथनी और करनी का अन्तर देखिये। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह 294 कौनसा पढ़ रहे हो? (व्यवधान) यह आप कश्मीर कहां पहुंच गये?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह कौन से आर्टिकल में है, यह तो बता दो आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यह पढ़ो आर्टिकल। (व्यवधान) यह पाइण्ट ऑफ आर्डर का जवाब दे रहे हैं या कश्मीर पहुंच गये? (व्यवधान) हां, कहां पहुंच गये आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर के नाम पर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कहां पहुंच गये आप? (व्यवधान) अजहर मसूद को छोड़ आओ जब ठीक, तब नहीं बोलो। विदेश मंत्री आपका, तब बोली बंद। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक ही काफी है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): क्या मांग कर रहे हैं, अफजल को फांसी से छुड़ाया जाए, अफजल गुरु को तो सार्वजनिक फांसी देनी चाहिए और आप जैसे ऐसे पक्ष लेने वालों को भी सज़ा देनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य: हो गया फैसला, वो तो हो गया।

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं यह? आप क्या कह रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, गुलाम नबी आजाद को तो कोट कर दिया पर हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी मुख्य मंत्री पर अपने मंत्रियों की जासूसी करने और फोन टेपिंग करने के मंत्रियों ने आरोप नहीं लगाये होंगे, इसका जवाब दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कहां बात आ गयी यह?

श्री अध्यक्ष: इस बात से इसकी क्या रिलेवेन्सी है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पर बात हो रही है ...(व्यवधान) पूरे तीन साल सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन इस सरकार ने किया है, पूरे तीन साल।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): बेबुनियाद आरोप आप ही लगा सकते हो।

एक माननीय सदस्य: एक भी दिन नहीं किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दे रखी है आपने, मुझे मेरी बात पूरी करने की अनुमति आपने प्रदान कर रखी है।

श्री अध्यक्ष: उनको बात तो पूरी करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे बात तो पूरी करने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पाइण्ट आफ आर्डर की आड़ में कुछ काल्पनिक सवाल खड़े करने की कोशिश नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने की है। राजस्थान के मंत्रिमण्डल का फैसला नहीं था कि हज हाउस बने या नहीं बने और किसी भी मंत्रिमण्डल के फैसले के खिलाफ किसी मंत्रियों की दूसरी राय भी नहीं थी। कतिपय समाचार पत्रों में कोई समाचार प्रकाशित हुआ होगा, उसके आधार पर इस सदन के अन्दर एक बार नहीं, दो बार नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप यह कहें...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कटारियाजी खड़े होकर बोल दें तो विथड्रा कर लेंगे। कटारियाजी खड़े होकर बोल दें कि सेज के बारे में नहीं बोले उन्होंने कि यह जानकारी नहीं है। कटारियाजी खड़े होकर बोल दें कि इस एस.सी.एस.टी. की कमेटी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तब भी हम मान लेंगे। ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बोल दें, हमें विथड्रा करने में क्या तकलीफ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हज हाउस के लिए लैण्ड अलाटमेण्ट कैबिनेट में नहीं ली क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बोलिये, हम विथड्रा कर लेंगे, क्या तकलीफ है? अब ये काल्पनिक बातें हैं? माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, बोल देंगे न काल्पनिक। माननीय मंत्रीजी स्वयं बैठे हुए हैं, काल्पनिक है तो माफी मांग लेंगे। हम माफी मांग लेंगे। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी के नजदीक रहने के लिए आपने जो कहानी गढ़ी है न, वो कहानी मजबूत कहानी नहीं है, कोई अच्छी कहानी गढ़ा करो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यहां पर गृह मंत्रीजी बैठे हैं, वो कह दें इसको स्पष्ट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ, यह तो जब चाहें जब जो भी बात बोलें? अगर, अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, इस तरह सदन चलेगा तो दूसरे लोग भी बोल सकते हैं। यह कोई बात हुई क्या?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय प्रेस वालों को भी झूठा बता रहे हैं। प्रेस वालों को भी आप झूठा बताने की कार्यवाही कर रहे हो। प्रेस वाले झूठ लिखते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ये सारी बातें लिखी हैं, आपने सुनी हैं और आपने देखी हैं ...(व्यवधान) आज भी घनश्यामजी तिवाड़ी आफिस में नहीं हैं, आज भी यहां नहीं हैं घनश्यामजी, अध्यक्ष महोदय।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): सदन में कार्यवाही प्रमाणों के आधार पर चलती है, प्रेस का अधिकार है कुछ भी लिखे, उस पर हम फेवर नहीं करना चाहते लेकिन प्रमाण पेश करें कि किस मंत्री ने इसमें विरोध किया ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रेस कान्फ्रेंस के अन्दर फोटो कहां है? टी.वी. में फोटो है प्रेस कान्फ्रेंस का, वह प्रमाण लेकर आएं क्या फिर? प्रमाण तो है ...(व्यवधान) प्रमाण कहां तक रोकोगे आप, प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): एक भी डीसेंट नोट का पत्र सदन के पटल पर रख दें, (व्यवधान) जिसमें माननीय मंत्री ने मंत्रिमण्डल के निर्णय का विरोध किया है, वह सदन के पटल पर रख दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी बैठे हुए हैं सामने, बुलवा दो। बुलवा दो न आप, मंत्रीजी बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कंन्टीन्यू करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे न बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन काल्पनिक आधार पर, समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर इन्होंने पाइण्ट ऑफ आर्डर के आधार पर यह बात उठायी, एक बार नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई बार अध्यक्षीय व्यवस्था है, आप कहो तो, 31.03.1971 की यह अध्यक्षीय व्यवस्था है- ''सदन में समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चीज नहीं उठायी जा सकती, व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए।'' अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उसके बाद कई बार यह है...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Don't misquote. It is everything mentioned in the Articles. Don't misquote.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिन संविधान के अनुच्छेदों की बात की, उसको कोई भी पढ़ कर सुना सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा हुआ है। पर इन्होंने बिना किसी आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर जो कुछ इस पाइण्ट ऑफ आर्डर के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाये, वो मिथ्या हैं, भ्रामक हैं, आधारहीन हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पाइण्ट ऑफ आर्डर को निरस्त करें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक भी आर्ग्यूमेण्ट आपका रिलेवेन्ट नहीं है कांस्टीट्यूशन से। जनरल भाषण ठोक दिया, कोई जवाब माकूल दिया नहीं और न दे सकते। इसलिए इस कांस्टीट्यूशनल मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक इतिहास कायम करो हिन्दुस्तान में। (व्यवधान)आप एक इतिहास कायम करें, कांस्टीट्यूशन का जो पाइण्ट उठाया है उसके मामले में आपकी नजीर हिन्दुस्तान की दूसरी विधान सभाओं के लिए भी एक नजीर बने।

श्री अध्यक्ष: सर्वश्रेष्ठ विधायक को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): अब हमारे विशेषज्ञ सदस्य खड़े हैं, आप सुनो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा...

श्री अध्यक्ष: चुपचाप सुनें। आप बात सुनें, शोर नहीं मचाएं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, में रिलेवेण्ट बात बोल रहा हूं, आप चाहें तो मैं भी पोलिटिकली but I am not speaking on the political basis. I am quoting the Article of the Constitution.

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये, बोलिये। आप बैठे-बैठे तो न बोलें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय नाथद्वारा से आने वाले विद्वान सदस्य ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख करते हुए और

बाकी रूल्स सारे इन्होंने कोट करके यह कहने की कोशिश की कि कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी मंत्रिमण्डल में नहीं है, मैं जो समझ पाया हूं। इन्होंने जो कोट किया वह भी और कुछ दूसरे आर्टिकल्स भी, कौल और शकधर का अपना जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है उसमें से, मेज पार्लियामेंट, ये सब कोट करके मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी हमारी सरकार का मंत्रिमण्डल निभा रहा है, उन्होंने कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। मैं मेरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं फिर उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर है, उनकी भी बात आपने सुनी है, हमारी भी बात आप सुन रही हैं, उसके बाद आप जो भी निर्णय देंगी। दोनों तरफ से और कोई माननीय सदस्य सम्बन्धित बात में कहना चाहें तो आप सुनकर फैसला अंतिम उस पर व्यवस्था का जो उन्होंने प्रश्न उठाया, आप देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपने तर्क दें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इन्होंने कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी की बात कही है, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 164 का हवाला दिया है उसमें वन और टू आर्टिकल जो कोट किये हैं "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister…" यह बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो-तीन बात पर बोलें आप तो, कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): देखिये आप, मैं यह कोट कर रहा हूं "...and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor." It means 'Minister'. इसका गवर्नर का मतलब यह है कि मिनिस्टर प्लैजर ऑफ द गवर्नर, इसका मतलब प्लैजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर।

अनेक माननीय सदस्य: नो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यस। लिसन, लिसन। मैं बोल रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, वो कह रहे हैं न नो, नो,

(डा. एन. एस. गुर्जर)

नो, पीछे से सुन तो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की एडवाइज के ऊपर बनाया जाता है। अभी माननीय सदस्य ने भी यही बात कही है, में उनकी बात को रिपीट कर रहा हूं। अब आप कह रहे हो नो, नो, नो, वो बोलते हैं वो ही बात तो यस, यस, यस और मैं बोलता हूं तो नो, नो, नो। (व्यवधान) अब आप आगे सुनिये, इसमें दूसरा लिखा है, मैं इसका जो प्रोविजो है वो नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है। नैक्स्ट, सैकिण्ड इसका है The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State. इसका मतलब क्या है? असैम्बली से रिलेटेड जितने भी काम हैं । कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी का मतलब जो स्टेट असैम्बली से रिलेटेड काम हैं उनके प्रति काउंसिल आफ मिनिस्टर्स की कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है । इसका मतलब यह है कि एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर on behalf of the other Minister if he is ill or otherwise he is absent he may reply the questions entered in the name of that concerned Minister. वह उनके आधार पर उनके विभाग का उत्तर दे सकता है, पेपर्स ले- डाउन कर सकता है। बिल को उनके बिहाफ पर दूसरे विभाग का मंत्री पायलट कर सकता है । यह स्टेट लैजिस्लेटिव असेम्बली में कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है। इसका मतलब यह कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है क्या? और आगे फिर इसको डिफाइन किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह संविधान के विशेषज्ञ हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डेफिनिटली रेस्पांसिबल हैं । (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आगे सुनिये न।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): The contents will also be responsible of that person.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बात सुनिये । आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोला।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप विद्वान हैं आधा तथ्य मत बोलें ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैंने पूरी बात आपकी सुनी, मैंने इंटरफियर नहीं किया। आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, मैं भी स्वतंत्र हूं। (व्यवधान) मैं कोई आपके हिसाब से तो कहूंगा नहीं । यह तो लॉ है, अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं । सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट में वकील अपने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, जज अपने हिसाब से जजमैंट देता है। तो आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? (व्यवधान) मैं मेरे हिसाब से इंटरप्रेट करूंगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो बहुत प्रसन्नचित्त हो रहे हैं ... (व्यवधान) हम कहां परेशान हो रहे हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं मेरे हिसाब से इंटरप्रेट करूंगा लॉ को, आपके हिसाब से थोड़े ही करूंगा?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): लॉ का मतलब ...(व्यवधान) नौ के बराबर आप अकेले हो, यह कह रहे थे हम इतनी देर से ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आगे काल एण्ड शकधर का फिफ्थ एडिशन है इसका पेज 24 President and Houses of Parliament, इसके नीचे लिखा है, The Council of Ministers, under the Constitution, is collectively responsible to the Lok Sabha only. टू दी लोक सभा ओनली। लोक सभा से रिलेटेड वर्क के लिए कलैक्टिवली रेस्पांसिबल हैं । इसमें यह नहीं लिखा है कहीं कि गवर्नमैंट के किसी आर्डर के प्रति, इसमें यह नहीं लिखा है कि गवर्नमैंट के किसी डिपार्टमैंट का कोई परिपत्र निकल गया उसके प्रति, कोई आदेश निकल गया उसके प्रति। इसमें लिखा है "to the Legislative Assembly" और वहां टू दी लोक सभा ओनली वर्ड लिखा है। और आगे लिखा है "The collective responsibility implies that a motion of no-confidence can be moved in the Council of Ministers as a whole."

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आगे भी ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरे बाद खड़े होकर अगर आपको कोई आर्ग्यूमैंट देने हों तो दे दीजिए please don't interrupt me.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पूरा कोट करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पूरा आगे आ रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पूरा कोट करिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप मुझे बीच-बीच में एक-एक लाइन पर टोकेंगे तो पूरा कैसे पढ़ूंगा?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़ लीजिए अम्बेडकर का पूरा ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप मुझे एक-एक लाइन पर टोकना शुरू करेंगे तो I cann't go ahead. The collective responsibility implies

that a motion of no-confidence can be moved in the Council of Ministers as a whole and not as individual Minister. Regarding the concept of collective responsibility…" इसका मतलब यह हुआ कि आप लैजिस्लेटिव असैम्बली से संबंधित और लोक सभा से संबंधित क्या काम हैं, नो कान्फिडेंस मोशन करेंगे तो एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं कर सकते, आप पूरे मंत्रिमण्डल के खिलाफ लायेंगे। यह कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है और यदि वह डिफीट होता है तो पूरी गवर्नमेंट को जाना पड़ता है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोमा के आगे पढ़िए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आगे पढ़ रहा हूं Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly, आब्जर्व किया वह है। वह तो आब्जर्व किया है उन्होंने, That is not the part of the Constitution. लेकिन वह भी आप कह देंगे तो मैं बोल दूंगा ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप पढ़ दें वह ।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वह भी मैं बोल दूंगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मास्टरजी हैं यह ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मास्टर नहीं हैं ...(व्यवधान) मंत्री बना दो। खोटे आर्ग्यूमेंट करके मंत्री क्यों बना रहे हो । मंत्री वैसे बना दो, मान लेंगे हम तो। लिखा हुआ है कि these are the two…..(interruption)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Yes, I am quoting Dr. Ambedkar also.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): These are the two ……(interruption)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Yes, I am quoting Dr. Ambedkar also. Sit down first. Listen me. Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly. Yes I am going ahead.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नाथूसिंहजी, प्लीज, आपके कहने का अभिप्राय यह है कि खाली विधान सभा या लोक सभा के प्रति मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है? मैं आपकी बात से यही समझ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप सही समझ रहे हो, पोलिटिकली रेस्पांसिबल हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसका मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिमण्डल के सदस्य मुख्य मंत्री के प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ

(डा. प्रद्युम्न सिंह)

सदन के बाहर मनमाने तरीके से बकवास करते फिरें? क्या मतलब है आपका?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप पूरी बात सुनिये तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) की तरह नहीं करेंगे, अर्जुन सिंहजी की तरह आरक्षण के मुद्दे पर और सेज के मुद्दे पर प्रधान मंत्री के निर्णय के खिलाफ ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Let me complete first. I am not yielding, प्रद्युम्न सिंहजी, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य ......

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान) खाली सदन के अन्दर, सदन के प्रति उत्तरदायित्व है, सदन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिलेगा, आप भी कहिएगा। आप भी बोलिएगा, उसके बाद दूंगी व्यवस्था ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): You are very senior Member of this House, let me complete. आप बोलिये, आप बहुत सीनियर हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सी.पी. जोशीजी तो भागने की पूरी भूमिका बना रहे हैं ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप जब बोल रहे थे तो मैं भी यह बात बोल सकता था, यह पढ़िये आप, यह पढ़िये लेकिन मैंने नहीं कहा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): यह तो भागने की भूमिका बना रहे हैं कि बायकाट करके भागो। यह पता है मुझे आप मिले हुए हो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): नहीं तो क्या शिलाओं पर सिर फोड़ें शराबखाने के लिए ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप पहले सुनिये । अध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में, प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बोलते हैं, बैठे-बैठे नहीं बोलें । हरिमोहनजी हर बात पर खड़ा होना जरूरी नहीं है । आप सुनिये तो सही ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी आपत्ति है बीच में जो इंटरफियर कर रहे हैं । मैं जवाहर लाल नेहरूजी जो इनके नेता थे और हमारे देश के नेता थे, हम भी नेता मानते हैं, प्रधान मंत्री थे, उस समय प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे विदेश नीति पर बोल रहे थे, अच्छा भाषण दे रहे थे, उस समय कई कांग्रेस के माननीय सदस्य पीछे से हां, हुल्लड बार-बार कर रहे थे कि खड़े होकर। प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य थे उन्होंने कहा था माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय की तरफ देखकर और फिर अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए कि अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए वाणी चाहिए मगर चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए । यह बात कही थी, मुझे याद, है मैंने पढ़ी है लोक सभा की प्रोसीडिंग्स। उस समय नेहरूजी ने खड़े होकर अपने सदस्यों को डांटा था ।

श्री अध्यक्ष: विवेक रखिये ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): और कहा था कि आप पढ़कर आते नहीं हो और जो पढ़कर आते हैं उनको बोलने नहीं देते हो । मैं यह चाहूंगा माननीय लीडर आफ अपोजिशन से कि मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद कोई भी तर्क आप देने को स्वतंत्र हैं, लेकिन बार बार एक-एक लाइन पर बीच बीच में टोकना, यह मैं कह रहा हूं अच्छी परम्परा नहीं है । मैं इतनी देर तक आधा-पौन घंटे तक सी पी जोशीजी को सुनता रहा लेकिन एक बार भी न खड़ा हुआ और न एक शब्द बोला और न इनको टोका । इनको कोई अधिकार नहीं है मेरे को बीच में टोकने का। जो मैं कोट कर रहा हूं, बीच में बोल रहा हूं, यह जो इंटरप्रेट करेंगे उसके हिसाब से मैं इंटरप्रेट नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: इनके पास वाणी है, विवेक नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अब यह तो मुझे मालूम नहीं है । यह तो यही आब्जर्व कर लें, मुझे पता नहीं है। इस बारे में मैंने तो सेम कहा है जो पहले कहा गया है पार्लियामेंट में। और भी कहा है माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने है, जो प्रधान मंत्री रहे हैं इस देश के Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly; In my judgement, collective responsibility is enforced by the enforcement of two principles. One principle is that no person shall be nominated to the Cabinet except on the advice of the Prime Minister. Here the Chief Minister. It is very clear. जो मैंने पहली बार कहा था, and the second is क्योंकि कोई माननीय सदस्य, समय लगेगा, ''Secondly, no per-

son shall be retained as a Member of the Cabinet if the Prime Minister says that he shall be dismissed." If the Prime Minister says. Here if the Chief Minister says. इंग्लिश में बोल रहा हूं इसको ।

(समय : 15.00 बजे)

यह सी एम का राइट है कि कौन मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा। कौन कैबिनेट के अन्दर होगा, कौन बाहर होगा। You have no business to interfere in this matter. आपका कोई अधिकार नहीं है कि कैबिनेट के अन्दर क्या रेसपांसिबिलिटी है, कलेक्टिव नहीं है, कौन बाहर रहेगा और कौन नहीं रहेगा, It is sweet will of the Chief Minister. उनको पता है कि कलेक्टिव रेसपोंसिबिलिटी किसकी है और किसकी नहीं है, कौन क्या कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है, यह चीफ मिनिस्टर का अधिकार है, इसमें आप इंटरफियर नहीं कर सकते। 30.12.1948 में यह डिबेट हुई थी इसके अन्दर डाक्टर अम्बेड़कर ने यह बात कही थी।

मैं इसके अलावा आपको और भी कोट करना चाहूंगा जो इन्होंने कहा है, "pleasure of the Governor", यह इन्होंने कहा है कि काउंसिल आफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन होगा "relating to the business of the House" उसके प्रति उनकी रेसपोंसिबिलिटी है और यदि उससे वह डिसएग्री करते हैं, यह क्लीयर है इसमें और वह डिसएग्री करते हैं मंत्रिमंडल में डिसीजन होने के बाद डी सेंट नोट नहीं लगाते, डिसएग्री करते हैं, हाउस के अन्दर उसका अपोज करते हैं, the Minister will have to go. लेकिन, अध्यक्ष महोदया, यह वह केस नहीं है। यहां केस यह है कि इसके साथ 75(2) कांस्टीट्यूशन के अन्दर एक मिनिस्टर एक सिटीजन भी है पर आज मिनिस्टर का काम करता है तो एज ए मिनिस्टर काम करता है। जो इन्होंने ओथ ली है उस ओथ के अन्दर भी शिड्यूल थर्ड जिसको नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कोट कर रहे थे, कांस्टीट्यूशन के अन्दर थर्ड शिड्यूल में फिफ्थ एण्ड सिक्सथ, दोनों मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "Form of oath of office for a Minister for a State: I, A.B. do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India..." इसको चैलेंज ही नहीं किया किसी ने "...that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of...." अपनी ड्यूटी एज ए मिनिस्टर करने में इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है "...and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and

the law without fear or favour, affection or ill will." इन चीजों के अलावा अगर कोई मिनिस्टर कार्य करता है तो वह कलैक्टिव रेसपोंसिबिलिटी या कांस्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। इसके आगे फिफ्थ और सिक्सथ में, ''....that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration..." चूंकि यह तो कुछ है नहीं कि इन्होंने कोई रिवील किया हो इसलिये इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, ''75(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President." "Governor" that is "C.M" जो मैं कह चुका हूं उसके प्लैजर के आधार पर कर सकते हैं। अब 91 का एक मिनिस्टर है, एक तरफ तो वह एज ए मिनिस्टर वर्क कर रहा है दूसरी तरफ मिनिस्टर बनने से उसका जो सिटीजनशिप का राइट है, अगर वह इंडिया का सिटीजन है तो एज ए सिटीजन के जो राइटस हैं वे वायलेट नहीं हो सकते। वह घर में जाकर अपने बच्चों से क्या बात करेगा, वहां मिनिस्टर का कानून लागू नहीं होगा। वह घर जाकर अपने मां-बाप के पैर छुएगा वहां मिनिस्टर का कानून लागू नहीं होगा, वहां उसका सिटीजनशिप का राइट लागू होगा। इसमें आर्टिकल 91(1ए) पढ़कर सुनाना चाहता हूं, टू भी सुनाना चाहता हूं मैं जिससे सब क्लीयर हो जाए। आर्टिकल 91 का क्लाज है इसमें- (a) all the citizens shall have the right to freedom of speech and express. हर सिटीजन को फ्रीडम आफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है। इसी राइट का फायदा उठाते हुए, और इसमें आगे दिया कि कौन-कौनसी कंडीशंस पर फ्रीडम आफ स्पीच रोकी जा सकती है- जब कण्ट्री को थ्रेट हो और कई मामले हैं इसमें और इसका टू है जिसमें दिया है, "nothing in sub-section" एक मिनट पहले, let me complete. फिर उसके बाद बोल लेना। अध्यक्ष महोदया, 91 और 92, मैं यह ज्यादा पढ़कर आपका समय ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): He should come out of the Council of Ministers.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप एक मिनट सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): He should come out of the Council of Ministers.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): Let me complete please. I am not yielding.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह गलत कोट कर रहे हैं आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बैठिये तो सही, I am not yielding. अध्यक्ष वन, टू एण्ड फोर्थ 91 का है जिसमें उनको राइट है, "and they have also the personal right of speech and expression" इसी आधार पर कई बार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, आज से नहीं जब से सरकारें बनी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के जमाने से। 1977 से 80 तक मैं पार्लियामेंट में था, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, वहां माननीय चरण सिंहजी कृषि नीति के ऊपर कोई मसौदा आता था, कुछ चीजें वहां रखते थे, माननीय जगजीवन रामजी कुछ विचार रखते थे....

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। समाप्त।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं समाप्त कर रहा हूं। सेण्टर में इस समय अभी आरक्षण का मुद्दा है, अर्जुन सिंहजी कुछ बोल रहे थे, कपिल सिब्बल कुछ बोल रहे थे, प्रणव मुखर्जी किसी मामले में बोल रहे हैं, लालू प्रसाद जी कुछ बोलते हैं, पासवान जी कुछ बोलते हैं, मुलायम सिंहजी के मंत्रिमंडल के सदस्य कुछ बोलते हैं, डी एम के के कुछ बोलते हैं। यह सब हम देखते हैं वह बोलते हैं लेकिन बोलने के बाद एक लाइन जरूर जोड़ते हैं कि ये मेरे निजी विचार हैं। निजी विचार व्यक्त करने की 91 के तहत हर व्यक्ति को, सिटीजन को स्वतंत्रता है। निजी विचार, अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान) इसीलिये Government is Government whether it is a coalition or not. एक मिनट सुनिये..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इसमें कोई अलग नियम थोड़े बना है, संविधान थोड़े ही है? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं बोल रहा हूं, let me finish. अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन में काउंसिल आफ मिनिस्टर डिफाइन है। कोएलीजन गवर्नमेंट के बारे में अलग संविधान होगा उस मंत्रिमंडल का, या उस पार्टी का मंत्रिमंडल होगा उसका अलग संविधान होगा, यह कोट नहीं है....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त कर दें। आपने अपनी सारी बात कह दी। पूरी बात आपने फीड में..(व्यवधान) समाप्त कर दें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदया, एक लाइन बोलकर समाप्त कर रहा हूं। मैं समाप्त कर रहा हूं एक लाइन में ही। माननीय अशोकजी गहलोत जब मुख्य मंत्री थे, इसी हाउस में माननीय रामसिंहजी ने

(डा. एन. एस. गुर्जर)

यहां तक कह दिया था कि यह क्या पोपाबाई का राज है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप ...(व्यवधान) सवाल है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस तो नहीं डुबोएगी यह अशोक गहलोत डुबोएगा। यह कहा उन्होंने। यह कहा था कि नहीं कहा, यह बताओ? यह कहा कि वह इस अशोक गहलोत के कारण नाराज हैं और कांग्रेस को अशोक गहलोत डुबोएगा कांग्रेस को अशोक गहलोत मुख्य मंत्री डुबोएगा और फिर वह मंत्री बने रहे।

श्री रमेश खींची (कठूमर): रामसिंहजी विश्नोई साहब ने नहीं कहा, राधेश्यामजी गंगानगर ने कहा था जब वह मिनिस्टर नहीं थे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आप भी बोलो, पोपाबाई का राज है।

श्री अध्यक्ष: आइंदा आप स्वीट ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके ध्यान में केवल यह सब्मिट करना चाहता हूं, मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूं..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): तो आपको कौन डुबोएगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्या कर रहे थे उस वक्त? आपने कहा था न अशोकजी गहलोत के लिये ही। आप क्या बोल रहे थे, आप भूल गये?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा है, गहलोत से नाराज कांग्रेस से नहीं-विश्नोई। 17.5.2003 को उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस नहीं यह हमारा नेता जो है अशोक गहलोत, वह डुबोएगा। उन्होंने कहा, यह सुनिये आप।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं वह कोट नहीं करना चाहता था, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कोट कर दिया। मेरे पास और भी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, मैंने आपकी बात सुनी। कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 164 के मुताबिक आपकी बात सुन चुकी हूं और मुझे व्यवस्था देने दीजिये।(व्यवधान) अपने विचार हैं...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मुझे समाप्त करने दीजिये, चूंकि समय का अभाव है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप यहां पर पंचायती करना चाहते हो क्या? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नाथूसिंहजी ने कहा, पोपाबाई का राज है, रामसिंह जी ने..(व्यवधान) आप घसीटना चाहते हो क्या..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे समाप्त करने दीजिये। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं।

समय-समय पर हर मंत्रिमंडल में कई माननीय सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत राय कही है हमेशा से कि यह मेरी निजी राय है। पार्टी में भी विधायक कह देते हैं कि यह मेरी निजी राय है, पदाधिकारी भी कह देते हैं कि यह मेरी निजी राय है। कहकर एक्सप्रैशन ऑफ फ्रीडम का लाभ उठाकर यह बात बोलते हैं। यह बोलते आ रहे हैं और बोलते रहते हैं। इसलिए यह कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के उल्लंघन का जो यह आरोप लगा रहे हैं, वह बिलकुल गलत है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति मंत्रिमंडल का विश्वास है और मंत्रिमंडल में किसे रखना और किसे नहीं रखना है, यह मुख्य मंत्रीजी का पूरा अधिकार है। इसलिए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसको आप रद्द करें, यही मेरी आपसे अपील है, धन्यवाद।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): कल ही विधायकों ने कहा है कि मंत्रिमंडल लेकर डूबेगा भाजपा को। कल ही कहा है, आपकी मीटिंग में कहा है ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री को लेकर डूबेगा मंत्रिमंडल ...(व्यवधान) यह कल की मीटिंग में कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि पर बहस है, 25-26 माननीय विधायक बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप पहले अपने घर में झांककर आया करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अतिवृष्टि पर इन्होंने ही बहस मांगी है ...(व्यवधान) यह बहस इन्होंने ही मांगी है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसा आभास दिया था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार अपना स्टेटमेंट भी देना चाहेगी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप दोनों ही स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) हां, हां, आपको दे रही हूं न। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मुख्य मंत्रीजी तो लंदन चली जाएंगी, आपका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: खंडार से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हैं ...(व्यवधान) चाहे जब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) ऐसा है, बाढ़ पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है और इस संवैधानिक ...(व्यवधान) 64 पर ही लोग करना चाहते हैं, मैं प्रद्युम्न सिंहजी, आपको दो मिनट का समय दे रही हूं और उसके बाद में व्यवस्था दूंगी ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दो मिनट नहीं, पाँच मिनट दे दीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): अध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब मैं किसी को नहीं दूंगी समय ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने उठाया है उस पर मुझे कुछ कहना है ...(व्यवधान) और मैंने पहले हाथ रेज किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, प्रद्युम्न सिंहजी बोलेंगे और उसके बाद ...(व्यवधान) मौका दिया है ...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मैंने आपसे पहले अनुमति के लिए हाथ खड़ा किया था ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट ही कहना है ...(व्यवधान) मुझे दो मिनट ही बोलना है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के डिफरेंट आर्टिकल्स का हवाला देते हुए जिसके तहत सदन की कार्यवाही चलती है, इसके बारे में यहां पर अपने विचार रखे। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्रीजी ने, उनको रखने का हक था, लॉ मिनिस्टर की तरफ से उनका बिल यहां रखा, उनका यह आशय था जो मैं समझा हूं, कि नियमों और संविधान के तहत इस सरकार की कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी पूरी हो नहीं रही है। यह उनका आशय था। सम्मानीय डॉ. नाथूसिंहजी, एल.एल.एम. साहब ने ...(व्यवधान) एल.एल.एम. हैं, आप हंस क्यों रहे हैं इसमें क्या बात है? He is Master of Laws.

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पी.एचडी. हूं और वह मेरी मेहनत से हूं, किसी की मेहरबानी से नहीं हूं, एग्जाम पास करके आया हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप इतने पढ़े-लिखे हैं, इतने विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष: चाहे कोई एल.एल.एम. हो, चाहे कोई पांचवी पास हो, सब माननीय सदस्य यहां एक जैसे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आप जब एल.एल.एम. ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, बीच में मुझे बोलना तो नहीं चाहिये पर न तो मैं पढ़ा-लिखा हूं और न मेरे पास पुस्तक है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब को एक अपर्चुनिटी है और सब को एक अधिकार है बस ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह सही है ...(व्यवधान) एक मिनट रुक जाएं, खतम कर लेने दो। लेकिन यह बात निश्चित है जिसको कानून का ज्ञान ज्यादा होता है, उसका लोहा मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप मान लो लोहा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं मान रहा हूं, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने यहां पर जिस हिसाब से कहा, उनका इंटरप्रिटेशन यह था कि खाली सदन में ही सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सदन के बाहर कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं होती है जो मैं समझा हूं। उन्होंने जो यहां पर कहा है उसके बीच में मैंने उठकर एक सवाल किया था जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बड़ा अच्छा सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री के निर्णयों की मंत्रिमंडल के सदस्यों को बाहर आलोचना करने का, उनका विरोध प्रकट करने का, अपने साथियों को उकसाकर विरोध प्रदर्शन करने का क्या अधिकार है। उसके बाद सवाल है जिस तरह से यहां हुआ, इसके बारे में आपने बताया, एक पुरानी परंपरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त की आप बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप निकाल लीजिये जब स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ था, जब गुजरात राज्य बनाया गया था महाराष्ट्र में से तोड़कर, तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया था। वह इस बात से नाराज थे, हालांकि निर्णय था मंत्रिमंडल का, लेकिन एक तरफ नैतिकता का वह जमाना था, he resigned from the Council of Ministers. He went out. अब यहां पर तिवाड़ी जी, मैं नाम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लेकर कह रहा हूं, माननीय तिवाड़ीजी का सारे अख़बार में आया है, जैसा संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है, उनका इस बात का विरोध है कि सांगानेर के अंदर यह नहीं बनना चाहिए। मूल के अंदर यह बात थी, इसको घुमा-फिराकर कोई कुछ कह ले, कैसे भी कह ले। तो आज एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण प्रश्न यह आया है कि आप खाली सदन के प्रति जिम्मेदार हैं तो इस लोकतंत्र का क्या होगा? (व्यवधान) सदन के अंदर तो आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन के बाहर मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्य मंत्री के अधिकारों को, मुख्यमंत्री के निर्णयों को, प्रशासनिक आदेशों का अगर मखौल उड़ाते फिरेंगे तो यह लोकतंत्र का मखौल हो जाएगा यह मेरा आपसे निवेदन है. "The essence of collective responsibility ..." इन्होंने आधा हिस्सा पढ़ा उसका, आधा हिस्सा जो इनके मतलब का था वह पढ़ गये, आधा हिस्सा यह दबा गये, "The essence of collective responsibility is that a Minister is free to express his dissent when a policy is in the stage of discussion, ..." चर्चा हो रही थी, सब को मालूम था कि यह बनने वाला था, मुख्य मंत्रीजी शिलान्यास करने पहुंचीं, उसके पूर्व ही कार्ड बंट गये, निर्णय हो गया कि वह जाने वाली हैं। वह भी अतिथि थे। माननीय गृह मंत्रीजी का महकमा था वह भी वहां पर अतिथि थे।

श्री अध्यक्षः आप अनुच्छेद 166 जो उन्होंने कहा है, उस पर चर्चा करें ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं इसी को कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः क्या हुआ, क्या नहीं हुआ यह छोड़ो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): थोड़ा इलेबोरेट तो करना पड़ेगा...(व्यवधान) अब थोड़ा तो रखेंगे। आपने नाथूसिंहजी को आधा घंटा...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी आप इसके बाद अगर इजाजत दें तो इनको याद दिलाऊं इनके पड़ौस के मध्यप्रदेश का मामला, इसी संबंध में हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन किया, वह भी मैं आपको बताऊंगा ...(व्यवधान) मैं इंटरफियर नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बैठिये न, महाराज। "The essence of collective responsibility is that a Minister is free to express his dissent when a policy is in the stage of discussion, but after a decision is taken every Minister is expected to stand by it without any reservation. The only alternative, there-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

fore, for a Minister who does not see eye to eye with the Prime Minister in matters of policy or is not prepared to defend a Cabinet decision is to resign." कोई चारा ही नहीं है आपके पास।

श्री अध्यक्ष: The portion you are citing, यह आपने साइट किया है, किस किताब से किया है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह Practice and Procedure of Parliament by M.N. Kaul and S.L. Shakdher, page 686 निकाल लीजिये।

श्री अध्यक्ष: पार्लियामेंट का न ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Practice and Procedure of Parliament. जी हां, जी हां, अब मैं आपसे निवेदन कर दूं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनका जो पाइंट ऑफ आर्डर था वह यह था, नाथद्वारा से आने वाले माननीय, का अब यह बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट था माननीय नाथूसिंह जी का कि सिर्फ हाउस के लिए कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है और कहीं के लिए नहीं है। यह तो समझ में आता है कि माननीय पार्लियामेटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉ मिनिस्टर साहब के बिहाफ पर पेश किया, वह यहां सदन में अस्वस्थ होने के कारण नहीं आये, जैसा अख़बार में पढ़ा है, ठीक है, नो प्रोब्लम. Any minister can pilot a Bill. Any minister can, on behalf of other ministers, reply to questions and he can lay papers on the table of the House. He can do anything with the permission of the Chair. That too with the permission of the Chair. Not without the permission of the Chair. He has to seek the permission of the Chair. Then only he can lay any paper on the table of the House. मेरा तो आपसे केवल यही निवेदन है कि निर्णय किया जाता है, एक मखौल की स्थिति बन जाएगी। यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और इस प्रदेश के लिए एक मखौल बनकर रह जाएगा। या तो मुख्य मंत्री इस्तीफा दें या वह मंत्री इस्तीफा दे या उसको बर्खास्त किया जाए, मेरा आपसे यही निवेदन करना है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज नहीं आयी जो आपने कोट किया है, आधा मिनट लूंगा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) जो बातें यहां पर आ गयी हैं ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आधा मिनट लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं बोलने का समय नहीं दूंगी, मैं दुबारा बोलने का समय नहीं दूंगी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं जी वी मावलंकर को कोट करके बैठ जाऊंगा अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) उससे सारा क्लीयर हो जाएगा। जी वी मावलंकर को रिकार्ड में आने दीजिए, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान) जी वी मावलंकर को कोट करके बैठ जाऊंगा, पाँच-सात लाइन।

श्री अध्यक्षः आप सर्वश्रेष्ठ विधायक हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आधा मिनट में, अध्यक्ष महोदय, आप परमिट करें।

श्री अध्यक्षः आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपने बोला है उसके आधार पर।

श्री अध्यक्षः आप आसन की आज्ञा का उल्लंघन करते हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, मैं आपका उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, परमिशन सीक कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः वह जो कुछ कर रहे हैं, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी आसन की है, आसन व्यवस्था देगा। जो बातें अब तक कही जा चुकी हैं, आपके इधर से काफी कुछ कह दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कोई रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दस लाइनें कोट करना चाहता हूं, सिर्फ एक मिनट में।

श्री अध्यक्षः नहीं सुप्रीम कोर्ट का नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ एक मिनट में नाथू सिंहजी ने जो बात कही है उसी के रेफरेंस में दस लाइन कोट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस होनी है, सरकार का स्टेटमेण्ट आना है, 27 माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ दस लाइन कोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः जो कुछ हो रहा है, उसकी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी आसन की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप व्यवस्था दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ दस पंक्तियां माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यदि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हाउस में क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है और यह रिकार्ड हमें दिया जाए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, सक्षम है यह हाउस, इण्डिपिडेण्ट है। कोई कोर्ट में ये सब बातें नहीं कहे, आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए। यदि कोई नई बात जो अब तक नहीं आई हो...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं आई है, मैं वही बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे रहे हैं और क्या नई बात कह रहे हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरे ऊपर धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाए हैं, मैंने पूरा कोट नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब प्रोफेसर तगारामजी अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो प्रश्न उठाया गया है, आप क्या बोलना चाहते हैं? जो बात अब तक कही जा चुकी है वह नहीं कहेंगे आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, रिकार्ड में है, मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फिर मैंने कोट किया है, मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं उसी का।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कह चुके हैं पहले।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैंने मिसकोट किया है।

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब देने की जिम्मेदारी आसन की है, आपको अब दुबारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है। आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं मावलंकर को कोट करना चाहता हूं, मावलंकरजी ने क्या कहा, आप इजाजत दें तो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पुस्तकों का ज्ञान तो नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घर का मुखिया कोई बात कह दे तो वह मान्य होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति घर में कोई बात बोले, यह नहीं होना चाहिए। तो, अध्यक्ष महोदय, वह घर चाहे कांग्रेस का हो चाहे बी जे पी का हो, चाहे किसी दल का हो, इतनी-सी बात को लेकर इस हाउस का समय बर्बा कर दिया दो घण्टे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आज आपने क्या तय कर लिया?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य के सवाल पर विधान सभा के कार्य और प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 294 के आधार पर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप स्थान ग्रहण कर लें। मैंने नाम पुकार दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कांस्टीट्यूशन की धारा 164...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने तय किया हुआ है कि सफेद बाल वाले ही बोलेंगे, सफेद बाल वालों को ही बोलने का मौका देंगे, यह तय कर लिया तो कल मैं भी सफेद कराकर आऊं बाल?

श्री अध्यक्षः मैंने कुछ तय नहीं किया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो कल मैं भी सफेद कराकर आऊं बाल। यह क्या मतलब हुआ?

श्री अध्यक्षः यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियमों के उल्लंघन की क्या बात हुई? आप एक मिनट का समय भी नहीं दे सकतीं? आपने हर को बोलने का मौका दिया है दूसरों को।

श्री अध्यक्ष: आप नियमों का उल्लंघन करेंगे, आसन की व्यवस्था को नहीं मानेंगे, आसन की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उसको बोलने नहीं दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो निकालो न फिर। निकाल दीजिए फिर। क्या करेंगे, निकाल दीजिए, नहीं बोलने देना चाहते तो। निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आपकी धमकी से नहीं चलेगा यह सदन।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या बात हुई? मैं भी किसी से नहीं डरता। (व्यवधान) आपको धमकी कौन दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आप जो कह रही हो, आप बोलने नहीं दे रही हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आसन की अवहेलना करते हैं, क्या समझते हैं आप? (व्यवधान) आपकी धमकी से आसन नहीं डरने वाला है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन को धमकी देने जैसी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फालतू की बात कर रहे हो। (व्यवधान)... आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान) आपकी मनमानी से भी नहीं डरता मैं?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) व्यवस्था होनी चाहिए। इनको बाहर निकालो। सीधे-सीधे आसन को चैलेंज करना, आसन को चेतावनी देना ...(व्यवधान)।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी कहा गया है उसको कार्यवाही से निकलवाइए, आसन को धमकी भरे शब्दों में बोले हैं, यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान)... आसन की गरिमा को कम नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकालो, आसन के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आसन का अपमान करने वाले को इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं है। आपको व्यवस्था देनी चाहिए, ऐसे सदस्य को सदन से बाहर निकालना चाहिए, आसन का अपमान किया है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह आसन का अधिकार है, उनसे बोलने की परमीशन मांगी है इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हम आसन का अपमान नहीं होने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सहृदय होने का ये लोग इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, आप थोड़ा कठोर रुख अपनाइए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, (व्यवधान) मैं सदन को निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जब तक इस आसन पर हूं, किसी की धमकी से कोई व्यवस्था नहीं करने वाली, चाहे प्रतिपक्ष कहे चाहे सत्ता पक्ष कहे, मैं अपने विवेक के अनुसार ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखती हूं, निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश करती हूं, इसलिए मैंने इसे अलाउ किया वरर्ना हो सकता था कि मैं अलाउ ही नहीं करती तो क्या करते आप? इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देती हूं, इसलिए देती हूं कि आपके पास कहने के अलावा कुछ नहीं है। जन हित के जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो संवैधानिक इश्यू हैं उन पर यदि हम बहस नहीं करें तो फिर किस बात पर बहस करेंगे। इसलिए मैं जन हित के मुद्दों पर भी आपको अवसर देती हूं। चूंकि इन्होंने एक कांस्टीट्यूशनल मामला उठाया है इसलिए मैंने कहा कि इस पर चर्चा हो जाए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिल जाए। आपकी तरफ से दो लोगों ने, सी पी जोशी साहब ने उठाया, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य तो वित्त मंत्री रह चुके, बहुत विद्वान आदमी हैं, उधर से भी बोल लिये, पी ए डी मिनिस्टर बोल लिये, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक बोल लिये, अब और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रही हूं कि फिर भी आपको जो बात अब तक इन्होंने नहीं कही है, 293 पर तो बात खतम हुई, लेकिन उसके अलावा भी यदि इस मामले में कुछ कहना है तो आप जरूर कह दीजिए तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए, फिर मैं व्यवस्था दूंगी। (व्यवधान) मैं किसी को नहीं बोलने दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट दे देना आप। इतनी कठोर तो मत बनो, एक मिनट में क्या चला जाएगा हाउस का?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के विभिन्न आर्टिकलों के तहत जो व्याख्या की, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है जो उन्होंने व्याख्या की, वह सबने पढ़ी, सबने सुनी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप शांतिपूर्वक बात सुनिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और मंत्रिमण्डल का गठन एक सामान्य प्रक्रिया है, राज्यपाल महोदय मंत्रिमण्डल को शपथ दिलवाएंगे, मुख्य मंत्री की अनुशंसा पर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: उनकी सलाह पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनकी सलाह पर करेंगे और सब की जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वह इस मंत्रिमण्डल के प्रति जिम्मेदार होंगे, इस विधान सभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं है। और यह...

एक माननीय सदस्य: नई बात बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) नई बोल रहा हूं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिस कांस्टीट्यूशन का हवाला देते हुए, औचित्य प्रश्न का हवाला देते हुए जिन बातों को खड़ा किया गया कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी घनश्यामजी तिवाड़ी ने कोई वक्तव्य दिया ...(व्यवधान) आप किस बात की बहस कर रहे थे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): I have raised a point of order. I have not said it. Don't misquote it. I have never said it. Don't misquote.

श्री अध्यक्ष: कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 164...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 164 में मंत्रिमण्डल का जो गठन है उसके बारे में आपने कहा और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा 164 की सारी व्याख्या करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने मुख्य मंत्री हज हाउस के शिलान्यास में गयी, उसका विरोध किया, यही मामला मैं समझता हूं कि आपने उठाया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत कोट किया जा रहा है। मेरा बिलकुल स्पष्ट मत है कि 164, 167, 163 जो एक्जीक्यूटिव के पावर हैं, उन पावर की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन नहीं हो रहा है। This is I have given example of. I have not raised anything else. इसलिए, अध्यक्ष महोदय ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने एक पाठ पढ़ाया ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यहां तो सब प्रिजुडिस हैं, मन हाइपोथेटिकल हैं, मैंने क्या उठाया है, उत्तर भी इनके पास है, क्वेश्चन भी इनके पास है। मेरा सीधा प्रश्न है कि कांस्टीट्यूशन के अंदर लैजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और ज्युडिशरी इनके फंक्शन डिफाइन है। मैंने एग्जाम्पल दिया आर्टिकल 294 के अंतर्गत, आर्टिकल जो कांस्टीट्युशन के हैं उन आर्टिकल के अंतर्गत एक्जीक्यूटिव के जो पावर हैं इसके अंतर्गत स्टेट लैजिस्लेटर को रेस्पोंसिबल होना है, उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए इस सरकार के संबंध में या तो आप निर्देश दें या इस सरकार को भंग करने की कार्यवाही की जाए, यह बात कही, और कोई बात ही नहीं की हमने। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एग्जाम्पल दिया है मैंने। मान्यवर, सेज का एग्जाम्पल दिया ..(व्यवधान) मंत्री बैठे हुए है, मंत्री खड़े होकर जवाब नहीं दे रहे हैं, What else you want?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका मतलब यह हुआ कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने केवल माननीय सदस्यों के ज्ञान के लिए यह सारा कहा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जो काल्पनिक मंत्री बनने वाले हैं वे काल्पनिक तथ्य का उत्तर दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई इनके पास स्पष्टीकरण ऐसा नहीं है कि जिसके कारण यह कह सकें कि इस प्रोविजन का यहां उल्लंघन हुआ है। ये किस बात की व्यवस्था चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पाया। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य ने इन प्रोविजनों का, इन विभिन्न आर्टिकल्स का या प्रक्रिया और नियम हैं उनका कोई पालन नहीं किया और उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ, उसके कारण कोई स्थिति पैदा हुई तो उस पर चर्चा का था। जब आपने कहा कि मैंने यह कहा ही नहीं है तो फिर अब प्रश्न ही नहीं उठता है। इन्होंने केवल समय व्यर्थ करने के लिए, बल्कि इन्होंने 272 में जो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

एक माननीय सदस्य के लिए पालनीय नियम हैं उनकी पालना भी नहीं की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब विराज जाओ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जो एस्पर्शन लगा रहे हैं मैं सुनने को तैयार नहीं हूं कि 272 में उठाकर मैंने टाइम जाया किया। मैं आपकी परमिशन से नहीं बोला हूं. Don't cast aspersion. With the permission of the Chair, I have raised it. 272 में यह किया, मैंने वह किया, आप अनपढ़ आदमी की तरह बहस न करें। आप पार्टी के जिम्मेदार व्हिप हैं, आप आर्टिकल का एग्जाम्पल दे दें, 165 का दे दें, 163 का दे दें, 167 का दे दें, जो मैंने उदाहरण दिये उनका क्या हुआ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह बातें न करें कि 272 में टाइम खराब किया। आपका राज है, बहुमत आपका है, सरकार आपकी है, आप मनमानी करें, पर हमारा अधिकार है कि कानून की व्यवस्था के अंतर्गत हम प्रश्न उठाएं, आप करें या न करें, मत मानें। आप कौनसी बात मान रहे हैं? आप मुख्य मंत्री की बात नहीं मान रहे हो, चीफ व्हिप बने हुए हैं। आप मानते हैं मुख्य मंत्री की बात? चल रहे हैं, आप गाड़ी-घोड़े का उपयोग ले रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि कोई मंत्रिमण्डल में उस बात का कोई उल्लंघन भी करता है, संयुक्त जिम्मेदारी से दूर भागता है तो माननीय विपक्ष के नेता और सदस्यों के प्रति ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 132 में यह प्रोविजन है कि वह मंत्रिमण्डल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। जो इनको करना चाहिए वह तो किया नहीं और ये केवल पाठ पढ़ा रहे हैं। यह समझ में नहीं आया कि किन आर्टिकल्स का और किन नियमों का उल्लंघन हुआ है। यह विधान सभा इस संविधान के उपबंधों पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी सक्षम है या नहीं है? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के उपबंधों का कहीं उल्लंघन हुआ है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

यह हमारा विषय नहीं है। या तो कोर्ट में जाएं और यदि मंत्रिमण्डल में अविश्वास है तो अविश्वास का प्रस्ताव लाएं, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्षः अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रिकार्ड पर तो बहुत बातें हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्षः अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब आप नहीं सुनोगे तो पाइंट ऑफ आर्डर की कार्यवाही का मैं बहिष्कार करता हूं।

श्री अध्यक्षः कर दीजिए आप बहिष्कार।

(श्री संयम लोढ़ा, माननीय सदस्य द्वारा से बहिर्गमन)

व्यवस्था

मंत्री परिषद् या उसके किसी एक सदस्य की वैधानिकता के निर्णय की अधिकारिता अध्यक्ष को नहीं है

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया और कांस्टीट्यूशन के अंदर अनुच्छेद 164 है वह पढ़कर उन्होंने सुनाया, ''...The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.'' यह बात सही है कि लैजिस्लेटिव असेम्बली के अंदर कलैक्टिव, उनकी ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। मैं इस बात से भी इंकार नहीं करती कि उनकी ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी बाहर नहीं है। उन्होंने 167 में बताया, ''It shall be the duty of the Chief Minister of each State – (a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation; (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for; and (c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.'' यहां मुख्य मंत्री का नाम नहीं बल्कि मिनिस्टर का नाम है।

(श्री अध्यक्ष)

इस बारे में मैं सदन को थोड़ा रिमाइंड करना चाहूंगी। वैसे तो हाउस के अंदर तो राजनैतिक उत्तरदायित्व है और राजनैतिक उत्तरदायित्व के अंदर ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी में कोई भी मिनिस्टर किसी भी दूसरे मिनिस्टर का जवाब भी दे सकता है, बिल को भी पारित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन 1992 में इसी प्रकार एक बार पहले भी प्रश्न आ चुका है। उस बारे में मुझे निवेदन करना है कि किसी मंत्री की नियुक्ति अथवा उसका मंत्री पद पर बना रहना वैधानिक है, इसका निर्वचन करने की अधिकारिता अध्यक्ष नहीं रखता है। अतः प्रक्रिया के नियम 119 के अंतर्गत, खैर यह अलग बात है, लेकिन इस बारे में कौल एंड शकधर ने भी जो कहा है वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। कौल और शकधर ने इस बारे में कहा है, ''एक प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह है कि अध्यक्ष के कृत्यों में किसी भी मंत्रिपरिषद की वैधानिकता के प्रश्न को अथवा किसी एक मंत्री की नियुक्ति अथवा उसका मंत्री पद पर बना रहना वैधानिक है अथवा नहीं, इस पर निर्वचन करने की अधिकारिता अध्यक्ष नहीं रखता है।'' इस संबंध में कौल एंड शकधर ने जो लिखा है कि यदि ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो आपको मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, वह आपका अधिकार है, सेंसर कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में अध्यक्ष की अधिकारिता नहीं है कि वह इस बारे में किसी प्रकार का निर्णय दे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा। मैंने यह प्रश्न उठाया ही नहीं जिस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। मैंने किसी मंत्री को हटाने के लिए आपसे रिक्वैस्ट नहीं की।

श्री अध्यक्ष: आपने जो मंत्रिपरिषद की ..(व्यवधान)..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं मैंने 294 जिसका ओरिजिन कांस्टीट्युशन की धारा 208 से हुआ है, उसमें जो आर्टिकल्स ऑफ कांस्टीट्यूशन है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया, Let it be very clear. I have not said.

श्री अध्यक्ष: कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलटी है, यह मैंने कहा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Ma'm, let me say one thing. I have quoted 163, I have quoted 164 and I have quoted 167, I have not asked anything जिसमें मैंने आपको यह कहा हो, एक व्यक्ति मंत्री या दूसरे मंत्री को

(डा. सी. पी. जोशी)

त्यागपत्र के लिए मैंने नहीं कहा। (व्यवधान) मैंने आपको कहा है, अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रे किया है कि आप सरकार को डाइरेक्शन दें कि इन नियमों का पालन करके संविधान के अंतर्गत आए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि सदन संविधान के नियमों के, कानून के जो प्रोविजन हैं उसके अंतर्गत चल रहा है। आपको भी पावर, सदन की जो क्रिएशन है वह क्रिएशन कांस्टीट्यूशन के कारण है। आप अध्यक्ष हैं कांस्टीट्यूशन के कारण हैं। कांस्टीट्यूशन का उद्भव हुआ है वह लैजिस्लेशन के कारण हुआ है। वहां यदि कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, आपने निर्णय दिया, I don't want to challenge it, I accept but मेरा सब्मिशन यह था, मेरे प्रश्न के रेलेवेंट आपका फैसला होता तो उचित होता, बाकी मुझे कोई कमेंट नहीं करना।

श्री अध्यक्षः असेम्बली में, इस विधान सभा में मंत्रीगण संयुक्त रूप से भी और पृथक रूप से भी विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहें यह देखने का काम आसन का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आगे पुकारें, साहब।

श्री अध्यक्षः अधिसूचनाएं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस पर तो फैसला किया ही नहीं आपने कि राजेन्द्रजी राठौड़ और नाथूसिंहजी में नम्बर किसको मिले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आज्ञा से ...

श्री अध्यक्षः अधिसूचनाएं । श्री कालूलाल गुर्जर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे रखना है, अभी मैं रख रहा था पहले।

श्री अध्यक्षः रख तो दिया था न आपने?

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

पंचायती राज विभाग

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.186(14) (23) एकाउण्ट्स/इन्स-1/

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मिस/2648 दिनांक 7.6.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या-.4(27)पराविं/विधि/शिक्षकभर्ती/एली.एज्यू./ 2006/3002 दिनांक 28.6.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-एफ.1(2)आरडीपीआरडी/पीएचई/रूल्स 99-2000/3089 दिनांक 5.7.2006 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-एफ.8(58) सानि/77/126 दिनांक 15.6.2006 जिसके द्वारा यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.10.1994 में संशोधन किया गया है, को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

ऊर्जा विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/45 दिनांक 28.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विवादों का औम्बडस्मैन द्वारा निपटारा) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

2. अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/44 दिनांक 15.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड और संबंधित मामले) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं।

3 अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/46 दिनांक 16.3.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का सम्पादन) विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन) विरचित किये गये हैं।

4 . अधिसूचना संख्या-राविविआ/सचिव/विनियम/47 दिनांक 11.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2006 विरचित किये गये हैं ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान भूमि विकास निगम का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-05

श्री अध्यक्षः प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 की धारा 37(9) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05
राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का
26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 एवं
27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री अध्यक्षः श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 एवं राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 एवं 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का
अंकेक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च, 2005

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का
चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04

श्री अध्यक्षः श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य

(श्री गजेन्द्र सिंह)

विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला ।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (सं0 14)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। सरकारी मुख्य सचेतक।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 को मध्यान्ह 12.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 से 9 अक्टूबर, 2006 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2006	राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार
गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर, 2006	1. अतिरेक मांगें वर्ष 2000-2001, 2001-02 एवं 2002-03 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।
	2. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006, राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006, एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

	3. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006	1. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक, 2006
	2. राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) विधेयक, 2006, पर विचार एवं पारण ।
शनिवार, दिनांक 7 अक्टूबर, 2006	बैठक नहीं होगी
रविवार, दिनांक 8 अक्टूबर, 2006	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2006	1. राज्य में अकाल एवं बिजली की स्थिति पर विचार।
	2. राज्य में मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृति)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री। समिति का प्रतिवेदन।

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण, 2006 पर गठित

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण, 2006 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 के प्रतिवेदन क्र.सं. 43 से 55

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2006-07 समिति के निम्नांकित13 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

1. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-99] से संबंधित समिति का 43वां प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001] से संबंधित समिति का 44वां प्रतिवेदन ।

3. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003] से संबंधित समिति का 45वां प्रतिवेदन ।

4. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004] से संबंधित समिति का 46वां प्रतिवेदन ।

5. राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1996-97] से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2002-2003 के 58वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 47वां प्रतिवेदन ।

6. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1991-92] से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2003-2004 के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 48वां प्रतिवेदन ।

7. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1993-94] से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 49वां प्रतिवेदन ।

8. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 15वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् परिपालनात्मक समिति का 50वां प्रतिवेदन ।

9. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का 51वां प्रतिवेदन ।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

10. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् परिपालनात्मक समिति का 52वां प्रतिवेदन ।

11. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95] से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् परिपालनात्मक समिति का 53वां प्रतिवेदन ।

12. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल [अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000] से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2004-2005 के 21वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् परिपालनात्मक समिति का 54वां प्रतिवेदन ।

13. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2005-2006 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई क्रियान्विति विषयक् परिपालनात्मक समिति का 55वां प्रतिवेदन ।

जन लेखा समिति, 2006-07 के प्रतिवेदन क्र.सं. 140 से 168

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। डा. सी. पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (सभापति, जनलेखा समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2006-07 के निम्नांकित 29 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

1. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 67वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 140वां प्रतिवेदन ।

2. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 212वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 141वां प्रतिवेदन ।

3. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 140वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 142वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

4. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 125वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 143वां प्रतिवेदन ।

5. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 का अनुच्छेद संख्या-3.6 महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 2002-2003 का अनुच्छेद संख्या-1.8.3 सहायता विभाग, 2.4 एवं 4.4.1 वित्त विभाग 4.2.1 पर्यावरण विभाग, 5.1.1 अल्प बचत विभाग, 5.1.2 राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं 5.1.4 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 144वां प्रतिवेदन ।

6. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-2003 में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या-3.2 एवं 4.4.3 तथा आयुर्वेद विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या-3.4 से संबंधित मामलों पर समिति का 145वां प्रतिवेदन ।

7. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 160वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 146वां प्रतिवेदन ।

8. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-2003 के पैरा संख्या-2.5 ग्रामीण विकास विभाग, वर्ष 2003-2004 पैरा संख्या-4.2.9, 4.2.10 एवं 4.3.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग पैरा संख्या-2.4 ग्रामीण विकास विभाग एवं पैरा संख्या-4.4.2 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 147वां प्रतिवेदन ।

9. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1997-98 में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या-2.6 से संबंधित मामलों पर समिति का 148वां प्रतिवेदन ।

10. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 158वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 149वां प्रतिवेदन ।

11. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 93वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 150वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

12. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 151वां प्रतिवेदन ।

13. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 30वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 152वां प्रतिवेदन ।

14. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 206वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 153वां प्रतिवेदन ।

15. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 179वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 154वां प्रतिवेदन ।

16. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 का अनुच्छेद संख्या-6.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 155वां प्रतिवेदन ।

17. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 पैरा संख्या-4.5 एवं 4.7 तथा वर्ष 2002-2003 पैरा संख्या-4.1.2 एवं 4.3.1, सिंचाई विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 156वां प्रतिवेदन।

18. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-2003 का पैरा संख्या-1.8.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.6.4 वर्ष 2003-2004 का पैरा संख्या-2.5, 2.6, 4.1.3 एवं 4.2.13 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 157वां प्रतिवेदन ।

19. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 180वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 158वां प्रतिवेदन ।

20. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 159वां प्रतिवेदन ।

21. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 160वां प्रतिवेदन ।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2002-2003 पैरा संख्या-3.7 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 161वां प्रतिवेदन ।

23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 का अनुच्छेद संख्या-4.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 162वां प्रतिवेदन ।

24. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 138वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 163वां प्रतिवेदन ।

25. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 पैरा संख्या-3.4 (माध्यमिक शिक्षा), वर्ष 2001-2002 पैरा संख्या-3.1 (माध्यमिक शिक्षा), वर्ष 2002-2003 पैरा संख्या-4.6 (प्राथमिक शिक्षा) तथा वर्ष 2003-2004 पैरा संख्या-4.2.4 (प्राथमिक शिक्षा) विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 164वां प्रतिवेदन ।

26. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 96वें एवं 2002-2003 के 176वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 165वां प्रतिवेदन ।

27. जनलेखा समिति, 2002-2003 (11वीं विधान सभा) के 133वें व 145वें एवं 2004-2005 (12वीं विधान सभा) के 97वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक् समिति का 166वां प्रतिवेदन ।

28. वर्ष 2001-2002 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व) में समाविष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 167वां प्रतिवेदन ।

29. वर्ष 2002-2003 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट राज्य आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 168वां प्रतिवेदन ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2006-07 पशुपालन, मत्स्य, सैनिक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के वर्ष 2001 के लम्बित आश्वासनों से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: 2006-07 का है यह तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): साहब, यह तो इसमें लिखा है, विभाग के 2001 के जो लम्बित थे।

श्री अध्यक्ष: इसमें तो 2006-07 लिखा है। समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 2006-07 में पेश किया जा रहा है न ?

श्री अध्यक्ष: प्रथम प्रतिवेदन।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी, हां।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने तो 29-29 कर दिये और आप प्रथम ही कर रहे हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 2001 के लम्बित पुराने पड़े हुए हैं, अब मैं यहां कहना नहीं चाहता कि पूर्व में ...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I don't want to comment anything.

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या करूं?

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थपित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन), 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन), 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63-1 के अन्तर्गत राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन), 2006 का अध्यादेश संख्या-4 जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2006। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक्सेस डिमांड्स का उपस्थापन। वित्तीय कार्य।

अतिरेक मांगों वर्ष 2000-01, 2001-02 व 2002-03 का उपस्थापन

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री अध्यक्ष: अब राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार होगा और विभिन्न दलों ने जो अपनी सूची दी है उसी के मुताबिक।

इससे पूर्व कि माननीय सदस्य इस बारे में कहें, मैं चाहूंगी कि सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दे ताकि कुछ लोगों की शंकाओं का निराकरण हो सके और जो सुझाव उन्हें देने हैं, आपके वक्तव्य में जो बात नहीं आई है उस बारे में उन्हें सुझाव देने होंगे, वो दे सकें। आपको बोलने का मौका मिलेगा न, बोलने का मौका मिलेगा आपको। सरकार आपको बताएगी कि क्या कर दिया फिर आपको जो कमी लगे उस बारे में पूरी बात कहें आप, कौन ना कर रहा है? सुनिये, वक्तव्य तो इसलिए कि सरकार ने कहा, हम आगे होकर खुद बताना चाहेंगे कि हमने क्या लिया। लेकिन इसको स्टेटमेंट की तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर जितनी देर आप चाहेंगे, आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्टेटमेंट को लिया है तो एक नई परम्परा हो गई स्टेटमेंट की। चर्चा होनी चाहिए इसके ऊपर। (व्यवधान) मतलब यह नई परम्परा हो गई। जब आपने कार्य सलाहकार समिति में यह डिस्कशन कर लिया है तो पहला अधिकार हमारा बनता है कि हम चर्चा करें उसके बाद ये कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, जैसा आप कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार वक्तव्य आ जाए फिर कोई सवाल करते हैं तो उसका उत्तर वो दे देंगे। एक बार वक्तव्य तो आ जाए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर जो सुझाव हम देंगे या कमी बताएंगे तो क्या वापस जवाब देंगे ये? पहले तो स्टेटमेंट और बाद में जवाब, सरकार दो बार बोलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, वापस देंगे। पूरा जवाब देंगे। आप लोग जो चर्चा करेंगे वो उसका जवाब देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जून से 22 अगस्त, 2006 तक राज्य की औसत सामान्य वर्षा 379.22 एम.एम. के विरुद्ध 526.81 एम.एम. हुई जो सामान्य से 32 प्रतिशत अधिक है। राज्य के 12 जिलों में जो अधिक बरसात हुई है उसको मैं शार्ट में बोलना चाहूंगा क्योंकि स्टेटमेंट लम्बा है। उदयपुर में जो डीविएशन है वह 177 परसेंट है, बांसवाड़ा में 185 परसेंट है, चित्तौड़गढ़ में 94 परसेंट है, डूंगरपुर में 130 परसेंट है, राजसमन्द में 94 परसेंट है, झालावाड़ में 54 परसेंट है, कोटा में 53 परसेंट है, बाड़मेर में 180 परसेंट है, जालौर में 113 परसेंट है, पाली में 69 परसेंट है, सिरोही में 103 परसेंट है और जैसलमेर में 119 परसेंट है। राज्य में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से लगभग 8814 गांवों की 67.44 लाख जनसंख्या एवं 29.98 लाख हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ किन्तु भयंकर बाढ़ की स्थिति से बाड़मेर के 55 गांव, जैसलमेर के 9 गांव, झालावाड़ के 5 गांव एवं कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा शहर के निचले हिस्सों में बसे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए। राज्य में करीबन 13.57 हैक्टेयर कृषि फसल बर्बाद हुई जिसकी कृषि विभाग द्वारा कीमत 1600 करोड़ रुपये आंकी गई। बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में 2,68,198 मकान निम्न प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए:-

पूर्णतया क्षतिग्रस्त 2231 पक्के मकान, 47218 कच्चे मकान। गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त 1390 पक्के मकान, 49856 कच्चे मकान। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 3674 पक्के मकान और 1,63,830 कच्चे मकान।

राज्य में 19.8.2006 से 6.9.2006 तक बाढ़ से 59386 पशुधन एवं 147 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिसमें से बाड़मेर जिले में 109 व्यक्ति बाढ़जनित विभिन्न हादसों में मरे हैं। इन 12 जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 8179.72 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई जिसकी क्षति लगभग 200 करोड़ रुपये आंकी गई। इसी प्रकार से 105 करोड़ रुपये की क्षति विभिन्न नगरपालिकाओं की सड़कों की हुई एवं 28.77 करोड़ रुपये की क्षति कृषि उपज मण्डी की सड़कों की हुई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 2032 गांवों की पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं जिनकी क्षति लगभग 53.70 करोड़ रुपये आंकी गई। सिंचाई विभाग के 258 बांध, तालाब, नहरें क्षतिग्रस्त हुए जिनकी

क्षति लगभग 37.11 करोड़ रुपये आंकी गई। बाढ़ के कारण 2783 गांवों में बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई तथा करीबन 74.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पंचायती राज संस्थाओं के 2374 तालाब, बांध एवं अन्य परिसम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई जिनकी कीमत 28.76 करोड़ रुपये आंकी गई। राज्य स्तर पर राज्य सरकार ने पहली बार बाढ़ संहिता तैयार कर जिले के सभी अधिकारियों एवं बाढ़ से सम्बन्धित सभी विभागों को जारी की तथा उसके अनुसार ही बाढ़ प्रबन्धन की व्यवस्था की गई। माह मई, 2006 में बाढ़ से सम्बन्धित सभी विभागों एवं जिला कलक्टर्स को आवश्यक बंदोबस्त करने के निर्देश दे दिये गये। मेरे द्वारा राज्य में सम्भावित बाढ़ की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 8.6.2006 को सभी विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(समय : 15.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा 15.6.2006 से प्रत्येक सोमवार को वैदर वाच ग्रुप की लगातार बैठक आयोजित की गई तथा मौसम विभाग के अनुसार समय-समय पर भारी वर्षा की चेतावनी जिला कलक्टर्स को दी गई।

वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होते ही राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर दिनांक 15.6.2006 से नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिये गये। दिनांक 19.8.2006 को उदयपुर सम्भाग में बाढ़ के हालात की सूचना मिलते ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई तथा मीटिंग में निर्णय लिया गया कि उदयपुर एवं जोधपुर में बाढ़ बचाव हेतु वायु सेना के हैलीकॉप्टर की रिक्वीजिशन तुरन्त भेजी जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे कहीं भी रवाना किया जा सके। जिला कलक्टर्स को आवश्यकता पड़ते ही आर्मी को बुलाने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया जिसकी सभी जिला कलक्टर्स को फोन पर सूचना दी गई एवं आर ए सी की कोटा, भरतपुर, जोधपुर में स्थित तीनों बटालियनों, जिन्हें बाढ़ बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया है, को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मय नावों के तुरन्त रवाना करने के निर्देश दिये गये। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अपने स्थानीय संसाधनों के अतिरिक्त 19 अगस्त से आर्मी एवं वायु सेना के हैलीकॉप्टर मांग लिये। राज्य में 4 हैलीकॉप्टर- वायु सेना के

दो, निजी एक किराये पर, एक केयर्न एनर्जी के हैलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों को खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लगातार बैठक आयोजित कर बाढ़ की स्थिति की प्रति दिन समीक्षा की गई। सेना से लगातार सम्पर्क कर जरूरत के अनुसार हैलीकॉप्टर एवं सेना की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था एवं जिलों की स्थिति पर लगातार निगरानी के साथ आवश्यक राहत व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के भरसक प्रयास किये गये। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बाढ़ की स्थिति एवं राहत प्रबन्धन के सम्बन्ध में लगातार समीक्षा की गई। राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टर्स से लगातार सम्पर्क एवं आवश्यक निर्देश एवं राज्य स्तर से आवश्यक सहायता जैसे बाढ़ राहत व्यवस्था के लिए धनराशि का आबंटन, हैलीकाप्टर एवं सेना की व्यवस्था, आवश्यक मार्गदर्शन एवं राहत व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। प्रभावित जिलों में बाढ़ राहत व्यवस्था हेतु जिला कलक्टर्स की सहायतार्थ आई. ए. एस. अधिकारियों को भिजवाया गया। बांध आदि की निगरानी एवं पानी की निकासी के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में वरिष्ठ सिंचाई अभियन्ताओं को भिजवाया गया। राज्य स्तर पर प्रभावित जिलों में मेडिकल एवं पशु चिकित्सकों के दल भिजवाने के साथ-साथ आवश्यक दवाइयों इत्यादि की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट प्रावधान के अतिरिक्त, हेमारामजी, 510.98 करोड़ रुपये की तात्कालिक बाढ़ सहायता उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है अब तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 510 करोड़, कल्लाजी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): गई कहां?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह भी बता दूंगा कि कहां गई। यह बता दूंगा, अभी आ रहा हूं। राहत विभाग के निर्देशानुसार सभी जिला कलक्टर्स द्वारा वर्षा से पूर्व बाढ़ बचाव की आवश्यक तैयारियां की गईं। राज्य सरकार एवं मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला कलक्टर्स को समय-समय पर सूचित किया गया जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि से होने वाले सम्भावित क्षेत्र में लोगों को सावचेत कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए समय-समय पर हिदायत, चेतावनी दी गई। बाढ़ से पूर्व सम्भावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए अस्थायी शरण स्थलों की स्थापना एवं उनके खाने-पीने की पूर्ण व्यवस्था की गई। दिनांक 19.8.2006 को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा पाली जिलों में भारी वर्षा हुई जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। बाली के पास स्थित नाना गांव के जी एस एस पर फंसे 30 व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया।

कोटा बैराज से पांच लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने के कारण कोटा के निचले इलाके में चम्बल नदी का पानी घुस गया। वहां से लगभग 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खाने-पीने की व रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई।

(समय : 16.00 बजे)

उदयपुर शहर के निचले क्षेत्रों में बसी 13 कालोनीज के लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वायु सेना का एक हैलीकाप्टर उदयपुर में स्टेशन किया गया। उदयपुर में एक महिला तीन दिन तक पहाड़ों के बीच में फंसी रही। उसे हैलीकाप्टर से बचाया गया। मेरे द्वारा दिनांक 20.08.2006 को उदयपुर, सिरोही, पाली क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया व राहत कार्यों की समीक्षा की गई। उदयपुर में तैनात किये गये हैलीकाप्टर के साथ जोधपुर में भी दो अतिरिक्त हैलीकाप्टर राहत कार्यों में मदद के लिए तैनात किये गये।

दिनांक 20.08.2006 को मौसम विभाग ने जोधपुर सम्भाग में भारी वर्षा की चेतावनी दी थी जिसके फलस्वरूप सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए तथा बचाव कार्य हेतु हैलीकाप्टर तथा नाव की व्यवस्था तथा सेना से लगातार समन्वय कर सभी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 20.08.2006 को सिरोही जिले में आर्मी का एक कालम, उदयपुर में दो कालम स्टेशन कर राहत कार्यों में सेना की मदद ली गई। दिनांक 20.08.2006 को उदयसागर में बैकवाटर की वजह से उदयपुर का कानपुरा गांव पानी से घिर गया था। वहां से सेना की मदद से नाव द्वारा फंसे 10 लोगों को तथा दूसरे स्थानों के 40 लोगों को बचाया गया।

इसी प्रकार जयसमन्द बांध के भराव क्षेत्र में 150 लोगों तथा मट्टूर

के चार व्यक्तियों को पानी से घिर जाने की स्थिति में बचाया गया। उदयपुर में बाढ़ प्रभावित 3000 लोगों को अस्थाई राहत तथा अस्थाई कैम्प में भोजन की व्यवस्था की गई।

राजसमन्द में सवारियों से भरी एक बस नदी में फंस गई थी। बस के यात्रियों को बचाने के लिए वायु सेना का एक हैलीकाप्टर भेजा गया था परन्तु अंधेरे की वजह से सफल नहीं हुआ। इसके बाद आर्मी तथा स्थानीय स्तर पर दो क्रेनें व सीढ़ियों की मदद से फंसे हुए सभी 85 यात्रियों को सुरक्षित निकालने का सराहनीय कार्य किया गया।

दिनांक 21.08.2006 को जोधपुर सम्भाग में भारी वर्षा की वजह से बाड़मेर, जैसलमेर में काफी पानी घिर गया। तत्काल युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य शुरू किये गये। जोधपुर में सामरा स्टेशन पर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने से रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया तथा ट्रेन में काफी यात्री फंस गये। जिला प्रशासन द्वारा इन यात्रियों को रोडवेज की बसों से व अन्य वाहनों से गन्तव्य स्थान पर पहुंचाया गया।

दिनांक 21.08.2006 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली इत्यादि जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया गया एवं राहत कार्यों की समीक्षा की गई तथा बाढ़ प्रभावित लोगों से सम्पर्क कर वस्तुस्थिति का आकलन भी किया गया। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जिन सार्वजनिक सम्पतियों एवं निजी भवनों को बाढ़ से क्षति हुई, उनका तुरन्त सर्वे करवाकर तत्काल जन-जीवन सामान्य कराने के निर्देश दिये गये। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उदयपुर में तैनात वायु सेना के हैलीकाप्टर के साथ एक निजी हैलीकाप्टर भी तैनात किया गया तथा इसके अतिरिक्त आर्मी के दो कालम उदयपुर में तथा एक कालम पाली में तैनात किया गया।

बाड़मेर में राहत कार्यों की वस्तुस्थिति:- बाड़मेर जिले में तीन दिन में 192 एम.एम. सामान्य वर्षा के विरुद्ध 441 एम.एम. अप्रत्याशित वर्षा हुई। दूसरे शब्दों में तीन साल की औसत सामान्य वर्षा मात्र तीन दिन में हो गई। यह बारिश अधिकतर रात में हुई और उस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। यह पानी मलवा और कवास क्षेत्र जो कि भौगोलिक दृष्टि से निचले क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहां जमा हो गया। पानी के प्राकृतिक निकास के अभाव में जल स्तर भी अतिरिक्त तेजी से बढ़ने लगा एवं अल्प समय में ही ये गांव पानी से

लगभग पूरी तरह से डूब गये जिसमें भारी जान-माल की क्षति हुई। जिला कलक्टर द्वारा तुरन्त सेना एवं बी.एस.एफ. की मदद लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य सरकार से जिला कलक्टर को लोगों के बचाव हेतु हैलीकाप्टर की मांग करने पर वायुसेना के दो हैलीकाप्टर भेजे गये। सेना की छह नाव, आर.ए.सी. की पाँच नाव, नागरिक सुरक्षा की दो नाव तथा अन्य 12 नाव, इस प्रकार कुल 25 नावों के द्वारा 2850 लोगों को बचाया गया। सेना के द्वारा लगभग 3000 लोगों तथा हैलीकाप्टर के माध्यम से 252 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यद्यपि आर.ए.सी. के 25 तैराकों तथा स्थानीय एवं अन्य जिलों से भेजे 40 तैराकों की मदद ली गई परन्तु घरों में दबे हुए व्यक्तियों को निकालना सम्भव नहीं था। अतः दिनांक 26.08.2006 को बाड़मेर में नेवी के विशेषज्ञ गोताखोर मय उपकरणों के साथ मुम्बई से राहत कार्यों में शामिल हुए जिन्होंने लगातार पानी में डूबे लोगों को और शवों को निकालने का कार्य किया जिससे दिनांक 26 से 29.08.2006 तक 54 शव तलाश कर निकाले गये। दिनांक 29.08.2006 तक बाड़मेर जिले में कुल 109 व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। दिनांक 22.08.2006 से 4.9.2006 तक चार हैलीकाप्टर के माध्यम से करीब 107 टन खाद्य सामग्री, 50,000 फूड पैकेट्स, 20 क्विंटल प्लास्टिक शीट्स का वितरण किया गया तथा अन्य जिलों से प्राप्त राहत सामग्री बाड़मेर भेजी गई। बाड़मेर जिले में 67 चिकित्सा दल बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की चिकित्सा जांच एवं सहायता हेतु लगाये गये तथा 20 चिकित्सकों की टीम गांव-गांव में घूमकर पशुओं के टीकाकरण का कार्य एवं 28 टीम मृत पशुओं के निस्तारण हेतु लगाई गई। दिनांक 4.9.2006 तक लगभग 47000 मृत पशुओं के शवों का निस्तारण किया गया। लगभग एक लाख से अधिक पशुओं को दवाइयां पिलाई गईं। मृत पशुओं के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका को जिम्मेदारी दी गई जिसमें प्रत्येक को 200 रुपये सफाई कर्मियों को दिये गये। चिकित्सा विभाग द्वारा जहां-जहां भी पानी भरा हुआ है, वहां मलेरिया नहीं फैले, इसके लिए डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया। विभाग द्वारा 67 मोबाइल टीम लगाई गई तथा 63 से 67 स्थानों पर जल शुद्धिकरण का कार्य किया गया। बाड़मेर जिले में हर पंचायत मुख्यालय पर 10 क्विंटल आटा, 50 किलोग्राम मूंगफली का तेल, एक क्विंटल आलू और प्याज मुहैया कराये गये। बिजली आपूर्ति से 820 गांव प्रभावित हुए जिनको 5.9.2006 तक पूरी तरह से चालू

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कर दिया गया। इसी प्रकार पीएचईडी के स्रोतों में लाल दवा डालने का काम किया गया। 1100 गांव प्रभावित हुए थे, जिनको सब को ठीक कर दिया गया है और जलापूर्ति बहाल कर दी गई। बाड़मेर जिले के मलवा गांव में मैंने खुद हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद में मैं खुद वहां पर बाढ़ कैम्प में गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

दिनांक 25.08.2006, 30.8.2006 तथा 2.9.2006 को तीन बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाड़मेर-जैसलमेर का दौरा किया। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री और डाक्टर दिगम्बर सिंहजी ने 25 और 26 को वहां पर कैम्प किया और राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादन कराने के लिए पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियन्ता, जयपुर डिस्काम के एम.डी. और डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ और एनीमल हजबैंड्री के डाइरेक्टर को वहां पर लगा दिया गया। राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर में राहत-बचाव कार्यों के प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी को वहां पर संयोजक बनाया गया जिसमें बायतू इलाके में रामनारायणजी डूडी, बद्रीसिंह राठौड़, हरीश कुमावत विधायक, अमरारामजी चौधरी मंत्रीजी, जीवाराम चौधरी विधायक, जीतराम विधायक, रामलाल विधायक, बन्नेसिंह राठौड़ विधायक, सुरेन्द्र गोयल विधायक, किशनलाल सोनगरा पूर्व मंत्री, जोगाराम पटेल एमएलए इत्यादि थे।

शिव में मदनजी दिलावर व बाबू लाल वर्मा मंत्री थे, उनके साथ जोगेश्वरजी गर्ग विधायक, शंकरसिंह राजपुरोहित विधायक, लक्ष्मीनारायण बैरवा विधायक, हीरालाल रैगर विधायक, रामचरण बोहरा, भंवरलाल राजपुरोहित, नवरतन राजोरिया, धनसिंह सांसद एवं विधायक थे।

बाड़मेर में सुरेन्द्र सिंहजी टीटी और युनूस खां लगाये गये थे, जिनके साथ चिरंजी लालजी, वीरेन्द्र सिंह, जसवन्त सिंह विश्नोई, अर्जुन सिंह देवड़ा, लालचन्द, ओ.पी. महेन्द्रा, धर्मेन्द्र मोची, हरीसिंह रावत, सुरेश और निहालचन्द सांसद महोदय वहां पर लगे थे।

इसी प्रकार से प्रभुलालजी सैनी ने जैसलमेर को सम्भाला जिनके साथ कनकमल कटारा, सुरेन्द्र सिंह राठौड़, वासुदेव देवनानी, खेमाराम मेघवाल और भवानी जोशी आदि थे जिनको पांच-पांच पंचायतें बांट दी गईं और इन्होंने बहुत प्रभावी व्यवस्था और देखभाल वहां रहकर सात दिन तक की।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

राज्य सरकार द्वारा अब तक बाड़मेर जिले में 140.93 करोड़ रुपये दिये गये जिसमें से बाढ़ बचाव के लिए 22.7 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ राहत प्रबन्धन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के रिस्टोरेशन के लिए, 6.80 करोड़ रुपये पीएचईडी को, 5.50 करोड़ रुपये बांधों और तालाबों की मरम्मत के लिए तथा बीमारी इत्यादि की रोकथाम के लिए तीन करोड़ रुपये और टीकाकरण और मृत पशुओं के निस्तारण के लिए 3.55 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

कवास और मलवा में पानी भर गया था। इस भरे हुए पानी को निकालने के लिए एक्सपर्ट टीम राजस्थान की सरकार ने बनाई थी। पानी किस ढंग से निकले, इसके लिए दो तरह के सुझाव आये थे। एक, पानी को पम्पों के द्वारा निकाला जाए और कवास के पानी को साढ़े छह किलोमीटर लम्बी एक चैनल खोदकर निकाला जाए। शुरू में जब यह पानी पम्पों के द्वारा निकाला गया तो इसका विरोध हो गया। फिर यह चैनल वाली बात आई तो इसका भी विरोध हो गया तो माननीय दिगम्बर सिंहजी ने सर्वदलीय वहां पर सब की एक मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेस के लोग भी थे, सभी थे और उन्होंने यह निर्णय लिया और सर्वसम्मत निर्णय के बाद द्वितीय विकल्प को सर्वसम्मत माना गया। जिला कलक्टर की रिपोर्ट के आधार पर सर्वदलीय कमेटी के अनुसार राज्य सरकार ने द्वितीय विकल्प की स्वीकृति दिनांक 7.9.2006 को जारी कर दी परंतु जेसीबी मशीनों के द्वारा चैनल खुदाई का कार्य ज्यों ही शुरू हुआ तो चैनल के रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों ने मशीनों को रोक दिया। पानी की निकासी की आवश्यकता को देखते हुए ओएनजीसी के तीन पम्पों के द्वारा इस पानी को निकाला जा रहा है। नया भुरतिया की ओर से 3.7 किलोमीटर का एक नया चैनल खोदा गया है जिसमें इस पानी को छोड़ा जा रहा है। रेलवे द्वारा भी पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार इस कार्य हेतु 72 हाइड्रेंट जलदाय विभाग द्वारा लगाये गये हैं। प्रतिदिन 70 रेलवे वैगन, 15 लाख लीटर पानी तिलवारा के पास खाली किया जा रहा है। कवास और मलवा क्षेत्र में, कवास में अब पानी 1.70 मीटर रह गया है और मलवा में 1.78 मीटर रह गया है। कवास में पहले पानी चार मीटर था वह 1.70 मीटर रह गया है। मलवा में तीन मीटर था वह घट कर 1.78 मीटर रह गया है। बाड़मेर जिले में बाढ़ राहत कार्यों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता, विद्युत कम्पनी के प्रबंध निदेशक, चिकित्सा विभाग

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

के डाइरेक्टर तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक स्टेशन कर दिये गये हैं, साथ ही श्री ललित के. पंवार, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग को बाड़मेर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया तथा उनकी सहायता के लिए कृषि सचिव श्री परविंदर सिंह भी वहां पर रहे।

राज्य सरकार ने बाढ़ से तत्काल राहत के लिए दिनांक 1.10.2006 तक बाढ़ प्रभावित बारह जिलों के लिए 520.29 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। राज्य सरकार ने तात्कालिक आवश्यक सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए प्रथम फेज में ही पी डब्लू डी को 20 करोड़, पीएचईडी को 15 करोड, इस ढंग से राशि मेडिकल एण्ड हैल्थ को 5 करोड़, इर्रिगेशन को 35 करोड़, यह राशि सैंक्शन कर दी थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देश पर सभी प्रभावित जिलों के बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए नुकसान का तुरंत सर्वेक्षण करवाया गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रधान मंत्री महोदय, भारत सरकार को 3200 करोड़ की राशि सहायता हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत करने हेतु 29.8.2006 को ज्ञापन दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 1.9.2006 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 3284 करोड़ का ज्ञापन भेजा जिसमें सीआरएफ नोर्म्स से छूट मांगी गई। हाल-फिलहाल नार्म्स जो भारत सरकार ने जारी कर रखे हैं, उसमें मृतक के आश्रित को पचास हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है जिसको हमने कहा है कि इसको पचास हजार से बढ़ा कर एक लाख किया जाए। पक्के मकान का मात्र दस हजार रुपया देते हैं तो उसको हमने कहा है कि इसको पच्चीस हजार रुपये किया जाए। कच्चे मकान का छह हजार रुपया देते हैं जिसको हमने कहा है कि यह साढ़े बारह हजार रुपये किया जाए। कृषि उपयोगी मृत पशुओं के स्थान पर सभी प्रकार के पशुओं को सहायता दी जाए। बाढ़ प्रभावित बेघर परिवार को कपड़ों के लिए मात्र पांच सौ रुपये दिये जाते हैं, इसे डबल किया जाए और बरतनों के लिए भी पांच सौ रुपये दिये जाते हैं, इसे भी डबल किया जाय। भारत सरकार को जो हमने मेमोरेंडम दिया है वह 3284 करोड़ रुपये का है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 3.9.2006 से 6.9.2006 तक श्री डी.के. सीकरी, रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना विभाग के नेतृत्व में नौ अधिकारियों का दल राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में चार दिवसीय दौरे पर भेजा गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मैंने 5.9.2006 को व्यक्तिश: मिलकर माननीय प्रधान मंत्रीजी को निवेदन किया था कि हमको अधिक से अधिक मदद अविलम्ब की जाए। मुख्य सचिव द्वारा भी 13 सितम्बर, 2006

को कैबिनेट सचिव, भारत सरकार को पुनः राज्य को विशेष पैकेज देने का निवेदन किया गया। परंतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 19 सितम्बर को, एक हमने रिलैक्सेशन मांगा जो मैंने ऊपर बताया वह, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने रिलैक्सेशन देने के लिए मना कर दिया। प्रधान मंत्रीजी को मुख्य मंत्री महोदय की और से दिनांक 27.9.2006 को पुनः विशेष पैकेज हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 29 और 30.9.2006 को भारत सरकार के द्वारा चार सदस्यीय विशेषज्ञ दल पुनः बाड़मेर आया, वह दल भी अध्ययन करके चला गया। बाड़मेर व जैसलमेर जिले के जलमग्न गांवों के पुनर्वास का राज्य सरकार ने तय किया है, इसके तहत आवास विकास लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार एवं जन सहयोग से प्राप्त राशि से बाड़मेर, जैसलमेर जिले में 1280 मकान बनाये जाएंगे जिसमें से कवास व मलवा गांव में प्रथम फेज में पांच सौ मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। आवास विकास लिमिटेड ने अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट में प्रत्येक मकान की इकाई की लागत 1 लाख 25 हजार रुपये आंकी है। इसके अतिरिक्त गांव का आधारभूत ढांचा जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, पेयजल आदि की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी। स्थायी पुनर्वास हेतु आवासों के निर्माण की गाइडलाइन तैयार करने एवं तकनीकी डिजाइन बनाने के लिए आवास विकास लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी बनाया गया। बाड़मेर के मलवा और कवास पंचायत क्षेत्र के जलमग्न गांवों के लिए अस्थायी पुनर्वास हेतु राज्य सरकार ने 12 हजार टेंटों की व्यवस्था की है। पांच सौ लीटर क्षमता के 2500 सिंथेटिक टेंक पेयजल हेतु उपलब्ध कराये गये हैं तथा तीन हजार चारपाई उपलब्ध कराई गयी है। राज्य सरकार द्वारा लघु, सीमांत कृषक मजदूरों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हैं, उन्हें दुधारू एवं कृषि उपयोगी मृत पशु के स्थान पर पुनः पशु क्रय करने हेतु सीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अधिकतम दस हजार रुपये प्रति परिवार तथा अन्य श्रेणी के लोगों के लिए साढ़े सात हजार रुपये नकद राशि दी जा रही है। राज्य के बारह जिलों में कृषि विभाग के अनुसार 13.57 लाख हैक्टेयर जमीन पर कृषि फसल का खराबा हुआ है, इस हेतु राज्य सरकार के लघु एवं सीमांत कृषकों को जिनका गिरदावरी के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक का खराबा है, उनको एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर दो हैक्टेयर तक तथा दो हजार रुपये तथा जिन जिलों में गत वर्ष किसी भी आपदा की वजह से फसल खराब हुई उन जिलों के बड़े काश्तकारों

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

को भी दो हैक्टेयर तक दो हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। बारह बाढ़ प्रभावित जिलों में 2032 गांवों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है उनमें से 2021 गांवों की पेयजल व्यवस्था बहाल कर दी गई है। विद्युत व्यवस्था, सड़क व्यवस्था से 553 गांवों को जोड़ दिया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में चिकित्सा विभाग की 233 टीमों का गठन किया गया है, अकेले बाड़मेर में 67 टीमें हैं। 1 लाख 73 हजार 065 मरीजों का चैक-अप हो चुका है तथा 1 लाख 13 हजार 453 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालन विभाग की 225 टीमें कार्य कर रही हैं जिन्होंने 6 लाख 25 हजार 566 पशुओं का टीकाकरण तथा 3 लाख 67 हजार 592 पशुओं का उपचार किया है। माननीय महामहिम राज्यपालजी वहां जाकर आई हैं जिन्होंने हमारे कार्य को अत्यंत संतोषजनक बताया है। महामहिम उप राष्ट्रपतिजी बाड़मेर, जैसलमेर दो दिन रह कर आये हैं, उन्होंने भी कार्य को बहुत संतोषजनक बताया है। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री 25.8.2006 को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं तथा तत्काल भारत सरकार की विशेष सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दे गये। श्रीमती सोनिया गांधीजी और प्रणब मुखर्जी भी ट्यूर कर चुके।

श्री राजेन्द्र राठौड़: उन्होंने क्या दिया?

एक माननीय सदस्य: दिया कुछ नहीं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: देश में 17 हजार करोड़ रुपये दिये हैं आपदा से प्रभावित चार स्टेट्स को, जो आपने अख़बार.....

मोहम्मद माहिर आजाद: अटलजी कितनी तारीख को आये?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : फालतू बात मत करो, अटलजी काहे के लिए आएं। अटलजी ने बहुत दिया है आपको। यह लोग चले जाते थे, आप इस बात को, 17 हजार करोड़ रुपये माननीय उपाध्यक्षजी....

मोहम्मद माहिर आजाद: वह आये क्या, राजनाथ सिंहजी आये हों, पार्टी अध्यक्ष?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं गया था, वसुंधराजी गई थीं, सोनियाजी गई थीं। सोनियाजी अकाल में भी आई थीं।

श्री जालम सिंह रावलोत: हमने बात की है, कहीं नहीं दिया केन्द्र सरकार ने। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह: माननीय, जनता के कोई काम करो तब पता लगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं इसीलिए कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको महामहिम राज्यपाल ने कहा कार्य संतोषजनक, महामहिम उप राष्ट्रपति ने कहा कार्य संतोषजनक। सोनियाजी आईं, काम देख गईं और पीड़ा भी देख गई कि लोग बहुत परेशान हैं, उनको भी यह पीड़ा हुई कि अब मदद दी जानी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब 17 हजार करोड़ रुपये चार स्टेट्स को दिये तो राज्य को एक पाई नहीं दी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसजनक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: यह गलत बात है। इनके आने के बाद 350 करोड़ रुपये मिले हैं आपको और आपके पास 700 करोड़ रुपये पहले से पड़े हुए हैं। एक हजार पचास करोड़ रुपये आपको सहायता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: एहसान था क्या, सीआरएफ का पैसा था, हमारा हक था। सीआरएफ का पैसा था, कांस्टीट्यूशन में प्रोवीजन था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप ईमानदारी से बताओ एक रुपया भी आपने खर्च किया हो तो। (व्यवधान) अपने स्टेट के बजट से एक रुपया भी खर्च किया हो तो बताओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस के चुनाव फंड में दिया है, कांग्रेस के चुनाव फंड में दिया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: 17 हजार करोड़ रुपये थे, एक फूटी कौड़ी नहीं दी आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला: एक रुपया भी आपने अपने मद से खर्च किया हो तो बतायें, एक रुपया खर्च नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़: राजस्थान के साथ अन्याय किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ...(व्यवधान) राज्य बजट से एक नयी कौड़ी खर्च नहीं की है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस रैली के लिए दिया है चंदा। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह: बाली आये थे कल्ला साहब ने खाली तीन पत्र दिये हैं बाली आकर कल्ला साहब ने ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके पास एक पैसा ही नहीं है, सारे पैसे भारत सरकार के हैं, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। या तो दानदाताओं से लिया ...(व्यवधान) आपने कितना खर्च किया ? आपने पैसे खर्च किये हैं, दानदाताओं से लेकर दिये हैं। हजारों लोग मर गये हैं और आप कुछ नहीं कर सके। हैलीकाप्टर ले आये ...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह: प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बाली आये थे और बाढ़ पीडितों से मिलने गये, वहां मिलने पर उन्होंने खाली ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख: पाली में गये थे, पूछिये पाली में ...(व्यवधान) फोटो खिंचवा कर स्वागत किया ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): दानदाताओं से लिये हैं ...(व्यवधान) सरकार ने क्या किया? वो भी भारत सरकार के पैसे से और दानदाताओं से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पचास साल के इतिहास में आज दिन तक बाढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान के साथ केन्द्र सरकार ने लगातार सौतेला व्यवहार किया ...(व्यवधान) बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) सोनिया गांधी ने दौरा किया, हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण ...(व्यवधान) एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा: आपने क्या दिया? आपकी सोनियाजी आयीं और उन्होंने ...(व्यवधान) और आप लोग गांव में पहुंचे तो गांव की जनता ने आपको दुत्कार दिया। आप लोग बिस्किट भी लेकर गये क्या? ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बैठी सरकार बाढ़ पीड़ितों को धन पहुंचाती है ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत: आपके लोगों ने वहां केवल राजनीति की है और फूटी कौड़ी राजस्थान सरकार को नहीं दी। वहां जाकर फोटो खिंचवाने के अलावा कोई कार्य आपने नहीं किया। पर वहां राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने इतने मंत्रियों को और विधायकों को लगाकर ...(व्यवधान) वहां पर रहकर काम करके आये हैं। आप लोगों को उन क्षेत्रों की बिलकुल परवाह नहीं है केवल राजनीति से आपको मतलब है, राजनीति आप लोग कर रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह: ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको अगर इतना ही है, इतने पीड़ित हैं, तो इनको पूछो कि ये कितने गांवों में जाकर आये, मकराना में क्या काम किया? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कुछ दिन पहले बाली आये और बाली आकर मात्र तीन पत्र ...(व्यवधान) ये प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के ...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा: ये मेरी कांस्टीट्युएन्सी में गये तो वहां के लोगों ने इनको दुत्कार कर बाहर निकाला, कांग्रेस के लोगों को ...(व्यवधान) आप केवल राजनीति करना ही जानते हैं, 22 तारीख को आपके ...(व्यवधान) कुछ नहीं दिया। आपने क्या किया? आप कुछ देकर तो जाते वहां से।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): सत्ता पक्ष के पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर महोदय ...

श्री बंशीलाल खटीक: ...(व्यवधान) आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार को दिया, राजस्थान की जनता को एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी है ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आप सुन लें पहले। अंकित नहीं हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह: xxx

श्री ज्ञानचन्द पारख: xxx

श्री बंशीलाल खटीक: xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय जब कोई बात कहने के लिए खड़े हों तो आप कृपया सुनिये पहले।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से जो पाइंटेड डिस्कशन है उसके ऊपर वास्तविक स्थिति का एक स्टेटमेंट दिया है अगर विरोध करना होता तो उनके हर वाक्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

पर विरोध हो सकता था और जिस तरह से आप कर रहे हो, हम भी नहीं सुनने देते, न उनको पढ़ने देते। लेकिन एक तरीका है जो अध्यक्ष महोदय, ने व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जो इनके पास सूची है बोलने के हिसाब से, वो हम बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, वो तो एक तरीका है और सब लोग हमसे क्या डिसाइड कर रहे हैं? राज तो आप कर रहे हैं। स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ दिया, हम हमारी बात कहेंगे आप अपनी बात कह देना, बात खतम हो जाएगी। बात तो सुनें किसी की ...(व्यवधान) यह कोई तरीका है क्या? तरीका तो यह है कि इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। आप खड़े हो ये भी खड़े हो गये। ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप किसान पुत्र हो ...(व्यवधान)

श्री राइया मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर बांसवाड़ा ट्राइबल एरिया है और हजारों लोगों के मकान गिरे, आपने दिया क्या ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो दिलाओ न पैसा। दिल्ली से पैसा दिलाओ न।

श्री राइया मीणा: एक आठ सौ रुपये, एक बारह सौ रुपये और एक हजार रुपये आंके और लोगों को दे दिया, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आठ सौ रुपये में क्या आता है? बली आती है क्या, क्या आता है? क्या दिया, सरकार ने?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राइया मीणा: फसल नष्ट हो गई, पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया । क्या दिया अभी तक?

श्री उपाध्यक्ष: डा. बी. डी. कल्ला। माननीय सदस्य ।

श्री राइया मीणा: और हमारे लोग, ट्राइबल के लोग अभी भी ...(व्यवधान) कोई अनाज नहीं है, क्या राज्य सरकार...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राइया मीणा: राज्य सरकार आंख मूंद कर, पाटा बांधा कर बैठी हुई है, लोगों को ...(व्यवधान) क्या आपने व्यवस्था की है, लोगों के खाने के लिए अनाज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंहः xxx

श्री राइया मीणाः xxx

श्री बंशीलाल खटीकः xxx

श्री राइया मीणाः xxx

श्री उपाध्यक्षः राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री बंसीलाल खटीकः xxx

श्री राइया मीणाः xxx

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य। डा. बी. डी कल्ला।

श्री बंशीलाल खटीकः xxx

श्री राइया मीणाः xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल गये, अब एक बार मेरे को बोलने दें, उनके सवालों का जवाब दे दूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लास्ट में दे देना।

श्री उपाध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष तो ठीक कह रहे हैं, साहब ये तो कह रहे हैं कि डिस्कस्न होने दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं तो बोला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप तो यही कह रहे हैं कि डिस्कस्न होने दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप विराज रहे हैं, मैंने जब बाढ़ आयी थी तो इनसे प्रार्थना की थी कि बाढ़ की हालत है, क्योंकि किसानों का इलाका था, ये किसानों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं, किसान पुत्र हैं, यह दुर्भाग्य रहा कि इनके उस टाइम हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन इन्होंने मेरे से यह कहा कि आप देख आओ, सरकार का बहुत संतोषजनक चल रहा है, बहुत अच्छा काम है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपने यह कहा है तो उसके बाद बहस की बात ही नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के बारे में सारे राजस्थान में प्रसिद्ध है कि सही बात को सही बात और सही जगह पर कहते हैं, इन्होंने अगर यह सर्टीफिकेट हमें दिया है, मंत्रीजी को प्रमाण पत्र दिया है कि सरकार सही काम कर रही है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर बाढ़ के प्रति...

श्री कैलाश त्रिवेदी: यह पूर्ण आपका दायित्व है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बाढ़ के प्रति इतने गम्भीर होते तो भारतीय जनता पार्टी के श्री अटलबिहारी वाजपेयी, आडवाणीजी या राजनाथ सिंहजी एक भी आये पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर के अन्दर? भारतीय जनता पार्टी बाढ़ के प्रति कतई गम्भीर ही नहीं है। हमारे सोनिया गांधीजी भी आयी, प्रणव मुखर्जी भी आये, जायसवाल भी आये, कर्नलजी भी गये, अशोक गहलोत भी गये। आप चाहते ही नहीं हो राजस्थान के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री नरेन्द्र नागर: xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाडा) : xxx

श्री उपाध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए । (व्यवधान) सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx*

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री राईया मीणा (आसपुर): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अतिवृष्टि के मामले पर सारा सदन चिंतापूर्ण है, इसमें हर सदस्य को बोलने का मौका दिया जाएगा। बीच में व्यवधान नहीं डालें, कृपया शांतिपूर्वक सुनें। डा. बी. डी. कल्ला ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में 19, 20 और 21 अगस्त को भारी बरसात हुई जिसके कारण 12 जिलों में औसत बरसात से अधिक बरसात हुई और उसमें 54 प्रतिशत से लेकर 185 प्रतिशत तक ऊंचे में बरसात 12 जिलों में हुई । इस बरसात के पहले हर जिले में बाढ़ राहत कमेटी की मीटिंग होती है आप सब जानते हैं, मैं समझता हूं कि इसमें निश्चित रूप से बाढ़ से पूर्व जो प्रबन्ध किये जाने थे, उनकी राज्य सरकार को गम्भीरता से समीक्षा करनी चाहिये थी । न तो वहां जिलो में कोई सीमेंट का थैला, न सुरक्षा पेटी और न ही बाढ़ से रोकथाम के लिये कोई नाव की व्यवस्था, न कोई गोताखोर। (व्यवधान) कृपया सुन लो, आपके काम आएंगी ये बातें ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): हम तो आपके स्वागत में तैयार थे और आप नाव का मना कर रहे हो । 6 नावें थीं ।

श्री उपाध्यक्ष: किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, यह अप्रत्याशित घटना थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): (व्यवधान) आपको मौका मिलेगा तब बोल लेना, विराजो ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : अकाल के कारण सब व्यवस्था भूल गये लोग।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाली से आने वाले माननीय सदस्य, अभी भी 12 जिलों में अकाल पड़ा है, आप क्या अकाल अकाल कर रहे हो? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन 12 जिलों में जो बाढ़ आई उसके पहले जो आपदा प्रबन्धन किये जाने थे, वे पूरी तरह से विफल साबित हुए । इसी के कारण खास तौर से जैसलमेर का जो पठार का इलाका है, उसमें भारी बरसात हुई । उसके कारण पानी भाडका से दो भागों में गया- एक कवास की तरफ और एक मलवा की तरफ और दोनो इलाके नीचे होने के कारण वे गांव जलमग्न हो गये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दो। कल्ला साहब को बैठा दो, यह कोई बात हुई? बोलने ही नहीं देते । हर बात में टोका-टोकी करते हैं । केवल एक तोला अफीम लाकर दे दो इनको तो बोलना बंद हो जाए ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपको मौका मिलेगा बोलने का ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): भाडका किधर रहा आपको पता ही नहीं है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं हवाई रास्ते से, पानी के रास्ते से और थल रास्ते से तीनों से वहां गया हूं । भाडका से दो रास्तों में पानी फटा है, वहां सड़क टूटी है ।

श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर): आपने देखा क्या जाकर?

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): भाडका की आप सही कह रहे हो लेकिन जो मलवा में पानी गया, वह तो ऊपर से दूसरी जगह से आया है । वहां से 50 किलोमीटर की दूरी से आया है ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपको क्या पता पानी कहां से आया और कहां गया? किसी की सुनी सुनाई कर रहे हो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आपको पता है मैं चार बार बाड़मेर होकर आया हूं सड़क से और पानी से, आपका एक भी मंत्री नहीं गया, मैं पानी के रास्तों से जाकर देखकर आया हूं उन स्थलों को और एक-एक व्यक्ति को सम्भाल कर आया हूं । मुझे पता है, कहां कहां कैसे क्या स्थिति हुई ।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: यह तो मगरमच्छी आंसू बहाने गये थे, इनको क्या पता पानी किधर से आया? यह तो बाडमेर वालों से पूछो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):: मैं देखकर आया हूं ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे को पता है पानी कहां से आया और कहां से नहीं आया ।

श्री कैलाश त्रिवेदी: आंसू बहाने का अनुभव है आपको, मान गये ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा पानी से गांव घिरे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य तगारामजी आपकी बारी आएगी बोलने की, तब आप बोलिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । बीच में नहीं, इनको कहने दो ।

श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर): यह यूं ही डींगें मार रहे हैं । 17 हजार करोड़ में से कितने रुपये दिये राजस्थान को यह बताएं, अगर आप राजस्थान का भला चाहते हो तो नहीं तो। आप राजस्थान का भला नहीं चाहते। 17 हजार करोड़ में से क्या दिया राजस्थान को, वह आप बताइए?

श्री उपाध्यक्ष: आपका मौका आए तब बता देना आप ।

श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर): 17 हजार करोड़ रुपये में राजस्थान को कितने रुपये दिये, वह आप बताओ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, बता दूंगा अभी । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि भाडका से पानी कवास की तरफ गया और ऊपर के एरिये से जो पानी आया उससे मलवा जो डूब में था वह जलमग्न हो गया । हम लोग एक एक गांव में जाकर आये। झिझनियावाली गांव जहां मुख्य मंत्रीजी गई थीं, वह वहीं से आ गई वापस लेकिन घाले की बस्ती नहीं गईं । घाले की बस्ती जलमग्न थी, आपने देखा होगा। ताणुराम की बस्ती जलमग्न थी, भीलों की बस्ती जलमग्न थी । मेऊ की ढाणी में नुकसान हुआ । इन एक-एक गांव में हम लोग जाकर आये हैं । वहां लोगों की मदद करके आये हैं । घाले की बस्ती में पीने के पानी का प्रबन्ध आप सितम्बर के पहले सप्ताह तक नहीं करके आये थे, मैंने वहां तत्काल 3 हजार रुपये देकर मेऊ की बसती के लोगों से ट्रैक्टर के द्वारा पानी पहुंचाने का इंतजाम किया, उसके बाद वहां पर पानी पहुंचा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राजस्थान की विधान सभा में 3 हजार रुपये की सहायता का जिक्र, 3 हजार रुपये दिये आपने, 3 हजार की सहायता!

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजिए न!

श्री कैलाश त्रिवेदी: मंत्री महोदय, मरने वाले को आक्सीजन चाहिये और आक्सीजन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने दे दी ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 6 दिन के पानी का प्रबन्ध कर दिया था, उसके बाद पाइप लाइन से वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। उसके बाद जरूरत नहीं रही । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप बीच में नहीं बोलें, आपकी बारी आयेगी तब कहना आप ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): देखिए, इस तरह से आप करोगे तो आप लोग भी बोल नहीं पाओगे ऐसे। यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह कह रहे हैं कि 3 हजार रुपये देकर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह बात छोड़ो। सच्ची बात कह रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): सच्ची बात बता दो। उपाध्यक्ष महोदय, वह असत्य बोलेंगे तो उसका जवाब देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, वह यह कह रहे हैं। ...(व्यवधान) वे हाथ ऊपर रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह एहसान नहीं। और 3 हजार का क्या एहसान?

श्री उपाध्यक्ष: वह जो दे सके, वह कहा है इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सवाल तीन हजार रुपये का है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राहत मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया तो उनको सबसे पहले एन.जी.ओ. ने काम किया, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिसने 50 ट्रक सामग्री राहत कार्यों में भेजी। पानी की टंकियां, सरकार ने अभी कहा कि हमने 3 हजार चारपाइयां भेजीं ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): जो कुछ किया है, वह आर.एस.एस. ने किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह क्या तरीका है?

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आर.एस.एस., आर.एस.एस.।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, या तो आप व्यवस्था करो, या एडजोर्न करो, यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका हुआ, आपने नाम पुकारा और बोलने नहीं दें? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तरीका है इनका। यह संसदीय कार्य मंत्री दूसरे को तो बैठाते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। इनके स्प्रिंग लग रही है क्या? हम इनके एक आदमी को नहीं बोलने देंगे, अगर कल्लाजी का भाषण नहीं हुआ तो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजेन्द्रजी, यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके अकाल राहत मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया, हमने बोला क्या कुछ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आपने उनका नाम पुकारा है, ये बीच में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं तो कल्लाजी सही बात कहें। असत्य क्यों बोलते हैं ये? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बड़े दु:ख की बात है, आपने सदन को किस तरह गुमराह कर रखा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको जो बात करनी है, अपनी बारी आए, तब कहना। (व्यवधान) आपकी बारी आए, तब कहना। (व्यवधान) कौनसा असत्य बोल रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): साम्प्रदायिक तरीके से काम किया है आप लोगों ने। (व्यवधान) पैसा राजस्थान सरकार का है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दानदाताओं से लाकर दिया, इसमें आपका क्या है?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): कांग्रेस वालों ने सब व्यवस्था भेजी है वहां पर। (व्यवधान) कांग्रेस गरीबों के घर में गयी है। (व्यवधान) यह क्या बात है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस तरह हाउस नहीं चलेगा। यह कोई बात हो गयी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों...(व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): देवल साहब गरम हो रहे है, इनका एरिया तो बाढ़ में आया ही नहीं अभी तक तो। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यही तो कह रहा हूं। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, इसलिये पाली की बात कही, मुझे चिन्ता है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तभी आप खाली हाथ गये थे वहां पर।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी तरह खड़े-खड़े.... (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इसलिये आप खाली हाथ गये थे। आपका फर्ज यह कहता है क्या आप खाली हाथ जाएं वहां पर?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): विधायक कोष से पैसा कटा लो, फिर कहो, इतना दिया। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं इसलिये खाली हाथ पहुंच गये, आपका यह फर्ज बनता है क्या? आप पंचायती करते हैं तो आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप व्यवस्था करें?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): हमने तो हमारा फर्ज अदा किया, आप तो वहां गये भी लेट हैं। आपके क्षेत्र में 3 दिन बाद गये हो, हम तो पहले दिन ही... (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): देवल साहब, आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप गये हैं तब लोगों ने आपको दुत्कारा है। तब आपके पूर्व जिला अध्यक्ष ने थोड़ी-बहुत राहत सामग्री भेजी। आपको तो पूरी तरह दुत्कार दिया। (व्यवधान) 4 दिन बाद में आप गये, हम नहीं। हम तो एक दिन पहले पहुंच गये थे। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह तो हमने क्या किया, आपने क्या किया, यह तो आने वाला समय बताएगा। अब तो बहुत कम दिन रह गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): किया कुछ नहीं और ऐसे ही आलोचना कर रहे हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजेन्द्रजी, कोई तरीका है क्या आपका ? मंत्रीजी बोले आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई बोला क्या। यह क्या तरीका है ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): विधायक दल की बैठक में यही ट्रेनिंग दी है क्या आपने कि किसी को बोलने नहीं दो ? यही ट्रेनिंग दी है आपने? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): खतम करो फिर। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप सरकार में बैठे हो, सुनने की क्षमता रखें आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप हाउस कण्ट्रोल में करिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या मतलब हुआ, इतनी गम्भीर चर्चा हो रही है और इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारी बात तो सुन लें, आवाज तो पहचानो हमारी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पीड़ित लोगों पर बोला जा रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। (व्यवधान) यह कहना, खड़े हो जाना, यह बताया जाता है आपको? यह तरीका है आप लोगों का?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करुंगा कि इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, आप एक दूसरे को बीच में न टोकने की मेहरबानी करें। उससे अपनी सारी चर्चा का उद्देश्य खतम हो जाएगा। इसकी गम्भीरता को आप बनाये रखें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। बीच में टोका-टाकी मत करें। आपका नम्बर आए तब आप अपनी बात कह सकते हैं। एकदम से यह कहना आप असत्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): तो इतना असत्य थोड़े ही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार ने पूरे हिन्दुस्तान में शर्मिन्दा किया है, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान को कलंकित किया है। 51 घण्टे तक भी लोगों को बचा नहीं सके आप लोग। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी शालीनता का फायदा उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि असत्य बोलते हैं। (व्यवधान) असत्य बोलेंगे हम तो, बोलो क्या कर रहे हो? हम तो असत्य बोलेंगे, आप असत्य मत सुनना। असत्य बोलेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह पूछो जाकर, किसने काम किया, जवाब दे देंगे आपको। वह तो वहां की जनता बताएगी, किसने काम किया वहां पर। काम हमने किया वहां पर, आपने नहीं किया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हम असत्य बोलने के लिये बैठे हैं। (व्यवधान) आप बोलिये। हमारा काम असत्य बोलने का है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम असत्य बोलेंगे। हम असत्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप जाकर पूछो, पुष्पेन्द्रजी ने काम किया, लक्ष्मीजी ने काम किया, मदनजी ने काम किया। हमने काम किया वहां पर। आपने कुछ नहीं किया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप सत्य बोलें। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, असत्य बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बी.डी. कल्लाजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वहां से भागना पड़ा, क्या बात करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): तकलीफ किस बात की हो रही है? असत्य बोलेंगे, हमारा काम असत्य बोलने का है, और बोलो, क्या चाहिए आपको?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मदनजी ने काम किया, लक्ष्मीजी ने काम किया, मंत्रीजी ने काम किया हमारे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी असत्य बोलेंगे, हम बोलेंगे बीच में। यह कोई तरीका है क्या? क्या तरीका है, बात करते हो। बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय कल्लाजी। माननीय सदस्य से मैं फिर निवेदन करुंगा कि बीच में आप टोका-टाकी न करें और जो कोई बात आपको उचित नहीं हो तो आपका जब मौका आए, तब आप अच्छी तरह से बात कह सकते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): तो हम असत्य नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: तो असत्य का कोई तय करेगा अभी से? यह गलत बात है, नहीं। अभी से कैसे तय कर देंगे कि असत्य बोल रहे हैं? बीच में थोड़ा सुनने की क्षमता रखिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संवेदनहीनता से सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, सैकड़ों पशुधन की मौत हुई है। क्या गुनाह है इसके अन्दर। (व्यवधान) पूरा राजस्थान कह रहा है। (व्यवधान) यह सच्चाई है आपकी। असत्य बोल रहे हैं, क्या असत्य बोल रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी पार्टी के लोगों ने हिन्दुस्तान में राजस्थान को... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी मुख्य मंत्रीजी वहां बार-बार गयीं, क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कुछ भी नहीं किया है आपकी पार्टी ने। जान-बूझकर राजस्थान की नाक कटवा दी। (व्यवधान) एक टका नहीं दिया राजस्थान को। आप मजबूर करते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज भी सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, आज भी सैकड़ों गांव, क्या है आपका रिलीफ मैनेजमेंट? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आपके बोलने का नम्बर आए, तब बोलना।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई और सदस्य कहते तो अफसोस नहीं होता, लेकिन पाली से आने वाले माननीय सदस्य पढ़े-लिखे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति असत्य भाषण करता है तो नियमों में प्रावधान है, उसके खिलाफ आप प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं कहता हूं, जिंजनिया वाले गांव में मुख्य मंत्रीजी गयीं, लेकिन गाला की बस्ती, 10 किलोमीटर दूर थी, वहां वह नहीं गयीं। यदि यह असत्य हो तो आप मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाइये। मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं उन गांवों में गया हूं, कि गाला की बस्ती में मुख्य मंत्रीजी नहीं गयीं। दाणूराम नहीं गयीं, भीलों की बस्ती में नहीं गयीं। वहां 10 किलोमीटर सड़क के रास्ते जाना पड़ता था, कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था, इसलिये नहीं गयीं। वहां के लोगों को नहीं सम्भाला। (व्यवधान) इसका हमें अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसी प्रकार अभी माननीय मंत्रीजी ने यह कह दिया कि प्रणव मुखर्जी और हमारी अध्यक्षा आयीं, उसके बाद क्या दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मंत्रीजी, आपको बताना चाहिये था कि प्रणव मुखर्जी के दौरे के बाद राजस्थान सरकार को 350 करोड़ रुपये रोकड़ी दिये गये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मुख्य मंत्रीजी जितने गांवों में जा सकती थीं, पूरे एरिया में गयीं। (व्यवधान) क्या कहते हो आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और उससे पहले पैसे दिये गये। कुल मिलाकर इस वितीय वर्ष में 513.66 करोड़ रुपये क्या आपको केन्द्र सरकार से मिले या

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं मिले? आपको यह भी जवाब देना चाहिए था कि आपके पास प्राकृतिक आपदा कोष के लगभग 1050 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के पड़े हुए हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सोनियाजी कितने गांवों में गयीं, आप बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तगारामजी, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यह भी आपसे जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने बजट से एक फूटी कौड़ी भी खर्च की है तो बताएं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बीच में नहीं। बार-बार बीच में नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने केन्द्र का कितना पैसा खर्च किया और राज्य सरकार ने अपने बजट से कितना पैसा खर्च किया, यह मैं पूछना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। तगारामजी, बैठिये आप। आप बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो बहुत गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बारी आएगी। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): देखिये, मेरी रैली है। मेरा गला आपसे तेज है लेकिन कल रैली में बोलना है इसलिए आप कृपा करके व्यवधान नहीं डालें। ...(व्यवधान) व्यवधान पैदा नहीं करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। आपकी बात तब बोलेंगे आप जब ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह तो, मंत्रीजी, आप रास्ता खोल रहे हैं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आप रैली में असत्य बोलना, यहां पर असत्य मत बोलो। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर हम लोग भी ऐसे ही व्यवधान डालेंगे। आप मना नहीं कर पाएंगे।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इनका आप जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह भी एक षड्यंत्र है, आज गला खराब करने के लिए शायद यह प्रयास हो रहा है। ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन का समय अतिवृष्टि पर चर्चा होने तक ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, अतिवृष्टि नहीं, कार्य सूची पूरी होने तक । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: और तो कार्य सूची में कोई है ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): है।

श्री उपाध्यक्ष: लास्ट यही है। नहीं है। इसके बाद में कुछ भी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है, कुछ विधेयक पास होने हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद में तो है नहीं कुछ। यही है कार्य सूची। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): विधेयक तो कल है। विधेयक पारित होने का आज नहीं है। आपको पता ही नहीं है, क्या है। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पुर:स्थापित करने का ही है। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसीलिए आपको मंत्री नहीं बनाया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसीलिए मैंने कहा कार्य सूची तक। कार्य सूची है वह पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने ठीक कहा, यह चर्चा समाप्त होने तक, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या चर्चा का समय अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात बता रहा था कि केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस वित्तीय वर्ष में 513.66 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए राज्य सरकार को प्रदान किये हैं और पिछले वर्षों का प्राकृतिक आपदाओं के लिए पैसा दिया हुआ है, यह मिलाकर लगभग 1050 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास है। मैं आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार का कितना-कितना पैसा किस-किस मद में खर्च किया और राज्य सरकार के बजट से कितनी-कितनी राशि बाढ़ से बचाव के कार्यों के लिए या राहत कार्यों के लिए खर्च की, इसका ब्यौरा दें तो सदन के...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सदस्य जो बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं उनके स्प्रिंग लगी हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है? कोई बोलते हैं तो वह स्प्रिंग टूटने लगती है। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): खाली व्यय का ही पूछ रहे हो, मैं पूछ रहा हूं कि 17 हजार करोड़ में से क्या दिया? वह बताइये न आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस पैकेज में राजस्थान सम्मिलित नहीं था।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उस पैकेज में से क्या दिया? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उसमें गलती है राहत मंत्रीजी की और मुख्य मंत्रीजी की ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): पैकेज में क्या दिया, वह बताओ? सोनियाजी आयीं उन्होंने क्या दिया, वह बताओ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो 17 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया था उसमें ... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सोनियाजी बाड़मेर पहुंचीं और क्या देकर आयीं, वह बताओ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि उससे संबंधित कार्यों के लिए राज्य सरकार ने कितना रुपया मांगा? वह राहत मंत्रीजी अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दें कि 17 हजार करोड़ का पैकेज जो चार राज्यों को दिया गया है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सोनियाजी ने बाड़मेर आकर जो पैकेज दिया वह बताओ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो आपने बाढ़ के लिए किया है। बाढ़ के लिए ऋण माफी योजना के लिए क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के सामने कोई अपनी योजना प्रस्तुत की थी? यदि आपने की है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप उसके लिए पैसे मांगो नहीं और कहो कि 17 हजार करोड़ में हमको क्या मिला? आपने कोई ज्ञापन दिया नहीं, आपने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। केन्द्र सरकार के सामने आपकी कोई प्रार्थना पैंडिंग है नहीं और आप कहते हो कि हमको उसमें कुछ भी पैसा नहीं मिला, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आप घड़ियाली आंसू बहाने बंद कर दो। 17 हजार करोड़ और सोनियाजी आयीं, कितने पैकेज देकर गये, वह बताओ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं तो घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाप आपकी चमचागीरी पूरी हो गयी, आप विराज जाओ। हो गयी। आपका नाम नोट कर लिया कि आप बोल रहे हो सरकार के पक्ष में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य तगारामजी, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपका भी दर्ज हो गया। आपका भी कर लिया न। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, आप अपना स्थान ग्रहण करो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसे माननीय सदस्य जो सामान्य वाद-विवाद में व्यवधान डालते हैं उनको आपको मार्शल से निकालना चाहिए।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): काहे का, काहे का व्यवधान? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह क्या बात हुई ? कोई सत्तापक्ष के लोगों ने पट्टा ले रखा है व्यवधान पैदा करने का? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): कहना तो पड़ेगा ही कि 17 हजार करोड़ में से क्या दिया और सोनियाजी आयीं उन्होंने क्या दिया। आप भी तो कहिये, आप कहते क्यों नहीं हो? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाहर निकलवाइये ऐसे सदस्य को। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): तगारामजी को यह दे देना।

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बीच में नहीं, आपकी बारी आने वाली है, आप बोल लेना।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): 17000 वाला जवाब नहीं दे रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या है यह? यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सुनाने को कुछ हो तो बताओ न आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन में, क्या तरीका है इनका? (व्यवधान) क्या है यह, बताइये? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): वहां पर आत्महत्याएं हुई थीं इसलिए दिये हैं। तुम पहले वह काम करो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तगारामजी सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान) इनको मार्शल के द्वारा बाहर निकलवाओ। यह क्या तरीका है इनका? (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यहां पर आत्महत्या को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): वहां पर आत्महत्याएं हुई थीं इसलिए दिये थे। यहां पर इसलिए नहीं दिये जा रहे हैं, यह कोई बात बोलने की है ? आप पुराने सदस्य होते हुए भी इस तरह की बात बोलते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): राजस्थान के किसान बड़े हिम्मत वाले हैं, वे ऐसे आत्महत्या नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): हां, ऐसे आत्महत्या करने के लिए उतारू थोड़े ही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप किसान के लिए मगरमच्छी आंसू बहाना छोड़ो। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): कुछ भी बोल लेते हो, हम नहीं सुनेंगे यहां पर। (व्यवधान) कभी कहते हैं कि उड़न खटोला है, हमारे सदस्यों को ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, यह हम भी नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजकुमारीजी, इनको बैठाओ। राजकुमारीजी, सुनो, इनको बैठाओ। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): इनका क्षेत्र है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हाउस कण्ट्रोल में लो न आप। आप सुनो मत इनको। बैठाओ न इनको। हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उन्होंने कहा है, माननीय सदस्य का क्षेत्र है। माननीय सदस्य का क्षेत्र है इसलिए बोलते हैं वह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्षेत्र है तो यहां बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): हां, यहां बोलेंगे, इस सदन में ही बोलेंगे, और कहां पर बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या तरीका है इनका? फिर बाद में बोलो न। जवाब आए जब बोलो। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आपका क्षेत्र तो है नहीं, उनका तो क्षेत्र है इसलिए बोलेंगे वह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बाद में बोलो न, यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): और उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है, यह तो बाद में गये हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): कोई तरीका है क्षेत्र के बारे में बोलने का यह? क्षेत्र के बारे में बोलने का तरीका यह है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): और फिर यह पिकनिक मनाने के लिए ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह क्या तरीका है? यह नहीं बोलेंगे क्या? इस तरह बोला जाता है क्या? आपको मालूम है कि क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है? बाद में बोल लेना, कोई मना कर रहा है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): बाड़मेर आपका क्षेत्र है क्या? आपके सदस्य का क्षेत्र है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: श्रवणजी, हमारी भवानियों से मुकाबला नहीं कर सकते हो।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा आयीं और वहां पर एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं लेकर गयीं, आप क्या बोलते हो? और वहां पर वह बोलीं कि मेरी साड़ी गंदी हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। उनको यह भी पता नहीं है ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इस तरह बोला जाता है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): उनको यह पता नहीं है कि बाड़मेर में टीले होते हैं, क्या होते हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में बाढ़ 21 तारीख को आ चुकी थी, 25 तारीख को गृह राज्य मंत्री जायसवालजी का दौरा बना। उस दौरा बनने के सेम दिन मुख्य मंत्रीजी वहां पर पहुंचीं। मैं जानना चाहता हूं कि 22, 23, 24 तारीख को वे कहां रहीं? ... (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलिये। माननीय सदस्य, यह गलत है। आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। बीच में नहीं, आपका नम्बर आए जब आप बोल लेना, जो कहना हो। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन को आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। तगारामजी, बैठिये आप, गम्भीरता से लीजिए इसको। बीच में खड़े नहीं होना है। आपकी जगह बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तगारामजी का मैं पड़ौसी हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विघ्न नहीं डालें। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये आप। बैठिये आप।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पहले इनको बुला दीजिए, कल्ला साहब बाद में बोल लेंगे। एक बार इनको बुला दीजिए। एक बार तगारामजी को और एक बार जालमसिंहजी को बुला दीजिए। आप भाषण दे दो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): बुला दो। बोलो, बोलो। (व्यवधान) तुम्हारा नाम जल्दी आ जाएगा। मंत्री बना देंगे तुमको। तुम्हारा नाम दर्ज हो गया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कारण से इनके एम.पी. को भी कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांगनी पड़ी। मांफी मांगनी पड़ी। यह वही विधायक हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कारण से इनके एम.पी. को वहां माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष को। इनके कृत्य पर माफी मांगनी पड़ी। मेरे सामने मांगी है। मेरे सामने एम.पी. बाड़मेर ने आपके लिए माफी मांगी है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

(समय : 17.00 बजे)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आपके एम.पी. को माफी मांगनी पड़ी आपके कृत्य के लिये। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैंने तो सम्माननीय ...(व्यवधान) लेकिन बहुत जोर देकर राजस्थान के बाहर की बात की है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप चिन्ता मत करिये, आप जो कृत्य कर रहे हैं, अगली बार आपको कोई भेजने वाला नहीं है, चिन्ता मत करिये। (व्यवधान) आप जो कृत्य कर रहे हैं न, इससे राजस्थान की जनता आपको अगली बार भेजने वाली नहीं है, आप चिन्ता मत करिये।

डा. जालम सिंह रावलोत: आप बताओ, सड़कों का क्या हुआ ? इसका जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : हमारी चिन्ता आप न करें कृपया। जनता हमको भी जानती है और आपको भी जानती है। आपने गये पांच साल में क्या किया, यह जनता जानती है।

डा. जालम सिंह रावलोत: ऐसा है, बी. डी. कल्लाजी, मैं दूसरे जिले से एमएलए बनकर आया हूं। मैं रहने वाला जैसलमेर का हूं, लेकिन बाड़मेर से एमएलए हूं, छोड़िये बात। राजस्थान की जनता और मेरे दो जिलों की जनता देख रही है। (व्यवधान) आपके दिग्गज को हराकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हम भी ऐसे ही करते थे तब ही आप आये हो और आप भी ऐसा करोगे तो हम अपने आप आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : मैंने आपसे दो ही सवाल पूछे हैं, आप उनका जवाब दे दीजिये। इन दो सवालों के जवाब बता दो आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप इनको नाम से पुकारो न । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इस पर चर्चा नहीं चाहते क्या ? क्या बात हुई यह?

डा. जालम सिंह रावलोत: उपाध्यक्ष महोदय, असत्य नहीं बोलने देंगे । चोरी और सीनाजोरी, यह नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नम्बर आएगा तब बोलना, बीच में बोलना अच्छा नहीं है। माननीय सदस्य, फिर आपको टोकाटोकी होगी, आप महसूस करेंगे। आप सुनिये पहले, उसके बाद फिर गलत बात लगे तो आपका जब समय आए तब जवाब देना उसका।

श्री श्रवण कुमार: इनको बोलना थोड़े ही है, इनको बीच-बीच में टोकना है। पहले इनको बुला लो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बाढ़ से लगभग दो लाख से ऊपर कच्चे, पक्के और जो झोंपड़े हैं, उनका नुकसान हुआ है। इसके बाद में केन्द्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि पक्के मकान के लिये

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

10 हजार रुपये, कच्चे मकान के लिये 6 हजार रुपये और झोंपड़े के लिये 2 हजार रुपये दिये जाते हैं, लेकिन क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ित ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी हैं नहीं, सकरारी मुख्य सचेतकजी हैं नहीं, आपकी बात यह मान नहीं रहे। इतने सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं और यह बार-बार आपकी अवहेलना करे जा रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। यह हाउस कैसे चलेगा ? कोई तरीका हुआ क्या यह ? इनको शर्म नाम की चीज नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी : इस बात की, कल्ला साहब, आपको जानकारी ज्यादा है कि मेरे को ज्यादा जानकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी ज्यादा है इनसे। बाढ़ के पानी को मालवा में पहुंचा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तगारामजी, आप बीच में नहीं बोलें । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: यह क्या बात हुई, बुजुर्ग के नाते इज्जत कर रहे हैं। इनको ये पीछे वाले उकसा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: यह आपके लिये भी बुरी बात है। हमारे लिये ही नहीं, आपके लिये भी बुरी बात है। कोई व्यक्ति बोलता है तो बीच में बोलने से कोई फायदा मिलता है क्या? यह कोई सही बात थोड़े ही है। यह कानून-कायदा भी नहीं है। यह नहीं मान रहे हैं तो यह हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। (व्यवधान) यह कोई अच्छी बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: आपका नम्बर कट गया मिनिस्टरी से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसको आप गम्भीरता से लीजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: इनके कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या ? (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : जितनी जानकारी मेरे को है, उतनी इनको नहीं है।(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप जब तक नाम से नहीं पुकारेंगे तब तक नहीं बैठेंगे।

श्री तगाराम चौधरी : मेरे क्षेत्र में जो कहर ढहा है, बाढ़ का तांडव रचा है, जनहानि भी हुई है, धन हानि भी हुई है, जलमग्न हो गये कितने ही गांव, वह मुझे जितनी चिन्ता है, उतनी और किसी को नहीं है। (व्यवधान) 17,000 करोड़ में से राजस्थान को क्या मिला? सोनियाजी ने दौरा किया, घड़ियाली आंसू बहाये, लेकिन उन्होंने क्या दिया ? इस बात की मुझे चिन्ता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: इस आसन की तरफ से इतनी खुली छूट कभी नहीं दी जाती है, आपको कंट्रोल में रखना चाहिये सदन को। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: हाउस कंट्रोल में रखिये, यह कोई तरीका थोड़े ही है। (व्यवधान) आपने कह दिया फिर उसके बाद भी यह हालत है। यह बर्दाश्त करने के बाहर की बात है। (व्यवधान) हर व्यक्ति पर लागू होती है यह बात।

एक माननीय सदस्य: भांग खाकर आ गये आज । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कर रहे हैं यह कानून के विपरीत कर रहे हैं। आप इनको जो छूट दे रहे हो, यह कानून के विपरीत दे रहे हो। आप देखिये न, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। आप बर्दाश्त मत करो इस बात को। (व्यवधान) चाहे मैं खड़ा होऊं या कोई और ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब बोल रहे हैं, ठीक है, पर तगारामजी की तरह मुस्कुरा कर बोल लेते तो मामला इतना नहीं बिगड़ता। ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: मैं तो उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके बोल रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल: कल्ला साहब, आपको जाना चाहिये था .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में आपकी कमेंट्री की आवश्यकता कहां है ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: जिसकी अंगुली के लगती है, दर्द तो उसी को होता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप अपने मंत्रियों के लिये व्यवधान कराने की अच्छी शुरूआत कर रहे हो। (व्यवधान) ठीक बात कर रहे हो आप।

श्री हीरालाल : इतना अच्छा प्रबन्धन किया, सब को दवाई दी, पानी भिजवाया, यह राज्य सरकार की बड़ाई की बात है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, लगभग दो लाख मकान राजस्थान में क्षतिग्रस्त हुए। मैं आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी से यह जानना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं, क्या यह सही है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा 600 रुपये, 800 रुपये और 1200 रुपये दिया गया है और अगर दिया गया है तो किस आधार पर दिया गया है ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : भारत सरकार के नार्म्स के आधार पर।

डा. बुलाकीदास कल्ला: भारत सरकार का नार्म्स तो मिनिमम दो हजार हैं। दो हजार रुपये मिनिमम देने का है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप तो प्रदेश अध्यक्ष हो, ज्ञानी आदमी हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप बोलें, तब बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, जब मैं पहली बार बाड़मेर में गया तब लोगों ने मुझे शिकायत की कि पटवारी पैसे मांगते हैं, तो मेरी बात को इन्होंने काटा था। आपके एसीडी ने एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा और यह बताया गया कि पटवारी मुआवजा देने में रिश्वत मांग रहा था। वह एसीडी द्वारा पकड़ा गया, क्या यह बात सही है? यदि सही है तो आपको इन चीजों को रोकना चाहिये। भारत सरकार ने खुले हाथ से आपको मुआवजा देने के लिये नोर्म्स दिये हैं, आपके पास कापी नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा। आपको 10 हजार रुपये पक्के मकानों के लिये, 6 हजार रुपये कच्चे मकानों के लिये और 2 हजार रुपये झोंपड़े के लिये देने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इतना रुपया हर व्यक्ति को मिलना चाहिये।

श्री तगाराम चौधरी : वहां भुगतान हो रहा है। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में किसी पटवारी ने पैसे नहीं लिये और ईमानदारी से भुगतान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बारी आए तब कह देना।

डा. बुलाकीदास कल्ला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, यदि राहत मंत्रीजी थोड़ी भी ईमानदारी रखते तो इनको कहना चाहिये था कि श्री प्रकाश जायसवालजी के आने के बाद, कांग्रेस अध्यक्षाजी के आने के बाद और प्रणव मुखर्जी के आने के बाद राजस्थान को 350 करोड का स्पेशल पैकेज मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय तगारामजी, आप बैठिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला: सेन्ट्रल स्टडी टीम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार

के पास विचाराधीन है। हम लोग पूरा दबाव डाल रहे हैं कि राजस्थान को इस प्राकृतिक आपदा के वक्त ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये। लेकिन आपके +++ जो हैं, जो बयान देते है, वह निश्चित रूप से आपको नुकसान करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दें।\

श्री तगाराम चौधरी : आप क्या बोल रहे हैं ? आप अपशब्द नहीं बोलोगे । +++ बोलेगा वह +++ होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इनको भी अपने बयानों के ऊपर निश्चित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केन्द्रीय सरकार के माध्यम से कराने में मदद करें। लेकिन एक तरफ सारा पैसा केन्द्र का और आपने कहा फूटी कौड़ी नहीं दी, एक पैसा नहीं दिया। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सदन को बताएं कि प्राकृतिक आपदा के पेटे आपको 1050 करोड़ रुपये मिले हैं कि नहीं मिले। उसमें से आपने कितना पैसा खर्च किया ? आपने अपने राज्य के मद से कितना पैसा खर्च किया? लेकिन आपने बयानों में इस तरह से कहा कि राजस्थान सरकार ने सारा काम कर दिया । आपके पास वायु सेना नहीं होती और हमारे देश की सेना नहीं होती तो 3102 लोगों की जान नहीं बचती। आपको वायु सेना को, थल सेना को धन्यवाद देना चाहिये कि अपनी जान जोखिम में डालकर जूझते हुए 3102 लोगों को बचाया।

इसी प्रकार मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने हवाई जहाज के माध्यम से कम से कम 1200 टैण्ट आपको भेजे। कितने टैण्ट भेजे, 1200. आपको स्पेशल ट्रेन मिली कि नहीं मिली ? वह कितने दिनों तक खड़ी रही? आपने कितने दिन तक उसका उपयोग नहीं किया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य तगारामजी, बीच में नहीं बोलें। तगारामजी बैठ जाइये।

श्री तगाराम चौधरी : आप सत्य पर पर्दा नहीं डालो ऐसी बात करके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में खड़े मत होइये। तगारामजी, बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: आज यह शपथ लेकर आये हैं कि आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री तगाराम चौधरी: नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। मेरे से सहन नहीं होता। हमारे वहां बहुत त्रासदी हुई है और आपको खोटी राजनीति करनी है, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। यह मेरे क्षेत्र की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तगारामजी, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) है तो ठीक है, बात खतम। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह मेरे क्षेत्र की बात है। (व्यवधान) पर्दा डाल कर आप खोटी राजनीति करना चाहते हो। वोटों की राजनीति करना चाहते हो और आत्महत्या को बढ़ावा देना चाहते हो। जो कहा है वो ही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तगारामजी, स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बस, हो गया आपका। जब इनकी बारी आएगी तो क्या बोलेंगे? यह तरीका नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इन्होंने कहा है, +++ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बारी आएगी। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, विराजें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कोई तरीका नहीं है, राहत मंत्रीजी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यह तरीका तो यही होगा इस तरह से बोलोगे तो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप खड़े होंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। अब देख लेना भले, एक शब्द बोलो तो मेरे को बता देना। हम भी जानते हैं, नहीं बोलने देना कैसे होता है। यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, +++ को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह +++ क्या होता है, यह कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया, कह दिया, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) वो अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह असंसदीय नहीं है, मैं संसदीय मंत्री रहा हूं, मैं कभी भी गलत बात नहीं बोलता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, असंसदीय नहीं होगा भले ही, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना संजीदा और एक पार्टी का प्रान्त अध्यक्ष और पहले विपक्ष के नेता रहे वो ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करे, यह वास्तव में अशोभनीय है, बड़ी शर्मनाक बात है, इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मुझे अफसोस है कि आपको राजस्थानी भाषा नहीं आती, +++ शब्द बहुत बड़ा उपयोगी शब्द है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह क्या होता है? यह +++ क्या है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): भूरिया व्यक्ति का नाम है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह किस को बोल रहे हैं? आपके बाल भूरे दिखते हैं हमको तो ...(व्यवधान) भूरे बाल तो हमको आपके दिखते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको पता होगा, कोई आदमी खुश होता है तो कहते हैं- जीता रह +++ । इसलिए आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, यह असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? सीधी बात कहो न जो कहना चाहते हो। +++ यह क्या बात है? ऐसे लोगों को यह बोलना चाहिए? हम तो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप वरिष्ठ हो। हम सोचते हैं हर बात पर कुछ सीखें, हम नये सदस्य हैं लेकिन क्या सीखें? +++ यह सीख कर जाएं? जो नहीं बोलते हैं उनको ज्ञान नहीं है लेकिन हम को तो ज्ञान है, हम तो बोल रहे हैं, हमारा आपसे एक ही पूछना है...

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): 17 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार ने जो दिये हैं और किसानों की आत्महत्या के बहाने दिये हैं, उसमें से राजस्थान को कितने दिये, यह बताओ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसका जवाब देता हूं, आप विराजो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और सोनियाजी ने आकर क्या दिया, वह भी बताओ? आप कब की बात कर रहे हो, राजस्थान को कितना दिया, पिछले अकाल में भी कितना दिया, वो भी बता दो और साथ ही कितने गेहूं दिये, कितने रुपये दिये, वो भी बता दो।

श्री उपाध्यक्षः माननीय तगारामजी, आप अपनी बारी आए जब कहना यह बात, बीच में नहीं। आप स्थान ग्रहण कीजिए अपना, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए 17 हजार करोड़ की जो बात कर रहे हैं, मैं सरकार से ही जानना चाहता हूं कि इस पेटे क्या आपने भारत सरकार को कोई ज्ञापन दिया था? दिया है तो सदन की मेज पर रखें, हम उसको पस्यू करेंगे, भारत सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि चार राज्यों ने जो पैसा मांगा था, हमारी सरकार ने भी उस पेटे पैसा मांगा है, आप इनको भी दो। लेकिन आप मांगा नहीं, ज्ञापन देओ नहीं और आपके सदस्यों को यह पता नहीं कि हमने पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है और आप यहां पर उसकी वकालत करो, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): यहां सराहनीय कार्य कर रही है इसलिए पता है हमको। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक नया पैसा भी अपने बजट से खर्च नहीं किया।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): राज्य सरकार ने बाढ़ में जितना काम किया उतना कोई कर नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कुल-मिलाकर सांचोर जहां मैं गया था, 37 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं, न तो वहां राहत मंत्रीजी गये, न इनका और कोई मंत्री गया। मैं स्वयं वहां गया हूं, चार हजार मच्छरदानियां वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): असत्य बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बोलें तब बोल लेना। आपकी बारी आए तब बोल लेना।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): बारी आए, लेकिन आप यह कह रहे हैं कोई नहीं गया। हम सब वहीं थे, आप बाद में पहुंचे हैं। हमारी ड्यूटी बाड़मेर में लगायी है, आपके पहले हम पहुंचे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मंत्री नहीं हो, मैं मंत्री का कह रहा हूं, आपका नहीं। आपके मंत्री नहीं गये कोई, मैं मंत्री का कह रहा हूं। आप सुनो, मैंने विधायक का कहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): कुछ दायित्व है।

एक माननीय सदस्य: यह भी खुद मंत्री रहे हैं और वहां के मंत्री हैं, आपको क्या मंत्री नहीं लगते यह? मंत्री का दर्जा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कहा, आपके राहत मंत्रीजी नहीं गये, आपका कोई मंत्री नहीं गया। यह विधायक हैं, मंत्री बन जाएंगे तो कह देंगे, यह गये थे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या निहाल कर आये, आपने क्या दिया? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बांटा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। मैं पूछना चाहता हूं कि बी.जे.पी. ने कितना किया वहां पर? आपकी बारी आए तब बता देना आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में व्यवधान मत डालिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, कुल-मिलाकर यह मेरे को तो कहते हैं, आपने कभी अपने अध्यक्ष को कहा है? बारह जिलों में से एक जिले में भी कभी कोई दौरा करके आये हैं? मैं तो कम से कम उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर सभी स्थानों पर गया हूं, जालौर भी गया हूं, और कई स्थानों पर दो-दो, चार-चार बार गया हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके अध्यक्ष कितनी जगह पर गये, आपका कौनसा राष्ट्रीय नेता बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को सम्भालने गया?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या दिया आपने राजस्थान सरकार को? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जाओ नहीं, काम करो नहीं और असत्य की वाहवाही लेना चाहो तो यह तो उचित नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, खाली दौरों से ही काम चलेगा नहीं, दिल्ली सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, क्या दिया?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने जालौर में कहा है आपको, आप जालौर नहीं गये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो बात सत्य हो उसको कहो। तो आप जो बात सही है वो कहो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप जालौर गये थे क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या दिया, आप कुछ बोल नहीं रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप जालौर गये हैं तो मैं अपनी भूल सुधार लूंगा। जालौर गये हैं क्या आप? मैं जालौर की बात कह रहा हूं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): राजस्थान की जनता की आत्मा रो रही है ...(व्यवधान) दिल्ली की सरकार राजस्थान से सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या दिया दिल्ली की सरकार ने? कुछ ही नहीं दिया। आप दौरा कर आये, खाली दौरों से काम नहीं चलेगा, क्या दिया दिल्ली की सरकार ने?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बाड़मेर गये तो मैं कहता हूं, जैसलमेर गये थे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर हाउस को चलाना है तो आप इस व्यवस्था को सुधारिये, आपकी व्यवस्था को यह नहीं मानते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप सुनिये, जालौर में कोई मंत्री नहीं गया, यह बात मैंने कही है और अधिकारपूर्वक कही है। आप बाड़मेर गये थे, जैसलमेर गये थे लेकिन जालौर में नहीं गये आप। आप हवाई सर्वे करके आये थे, नीचे नहीं गये।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): देवड़ाजी वहां के विधायक हैं, इनको मंत्री का दर्जा है और वो वहीं थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चलो, कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: किस से जाया गया, नहीं जाया गया ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हम तो वहां जाकर आये थे। जहां आप कभी पहुंच नहीं पाते, वहां-वहां जाकर आये थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने वहां कौनेसे राहत कार्य शुरू किये जिनके कारण उनकी राज़ी-रोटी की व्यवस्था हो गयी? कौन से पुनर्वास के काम किये? इनको आपको बताना चाहिए। कितने लोगों को आपने मकान बना कर दिये, कितने लोगों के लिए टैण्ट आपने अपने बजट से दिये,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

केन्द्र ने कितने टैण्ट आपको दिये, कितनी दवाइयां दीं केन्द्र सरकार ने? क्या यह सही है कि पांच करोड़ रुपये की दवाइयां आपको दीं? और क्या-क्या केन्द्र सरकार ने आपको अलग-अलग मदों में दिया, इसका ब्योरा आपको देना चाहिए था। यह प्रोफेशनल आनेस्टी आपको बतानी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्षः बीच में, तगारामजी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन ये सारी बातें जान-बूझकर नहीं बतायीं और यह कोशिश की ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः अब यह एक की तो मजबूरी है। (व्यवधान) निकाल कर बाहर क्यों नहीं करते आप?

श्री उपाध्यक्षः माननीय तगारामजी, बीच में नहीं बोलें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सोनियाजी ने क्या दिया?

श्री उपाध्यक्षः तगारामजी, आप भी यही कहोगे और क्या बात कहोगे, बीच में नहीं बोलना अब। आप कहोगे कुछ नहीं किया, यह कहेंगे किया है, सुनिये आप थोड़ा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सदस्य, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने क्या दिया?

श्री उपाध्यक्षः अब यह बीच में आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप कह रहे हो, हमारे वालों ने कुछ नहीं दिया, बहुत किया, आपने क्या दिया और सोनियाजी ने क्या दिया?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बता रहा हूं। 513.66 करोड़ रुपये तो इस साल में आपको प्राकृतिक आपदा के पेटे दे दिये और कुल-मिलाकर 1050 करोड़ दिया हुआ है आपको।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी.आर.एफ. में दिया है यह तो। सोनियाजी जब आयी थीं यहां, क्या देकर गयीं?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह सोनियाजी ने दिया या प्रधान मंत्री ने दिया?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केन्द्र की सरकार ने दिया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): तो मनमोहन सिंहजी का नाम नहीं ले रहे हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, मनमोहन सिंहजी ने दिया है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, तो कहो, नाम ही नहीं ले रहे हो, आप सोनियाजी, सोनियाजी कर रहे हो। आप कह रहे हो, सोनियाजी ने दिया, प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सोनियाजी सब जगह गयी हैं और वहां पैसा देकर आयी हैं? (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): केन्द्र सरकार ने राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया है, राजस्थान की जनता की आत्मा रो रही है, कुछ नहीं दिया राजस्थान को।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सोनियाजी कहां से लायीं, इटली से लायीं? इटली से लाकर दिया सोनियाजी ने? आप सोनियाजी का नाम ले रहे हो, सोनियाजी ने कहां से दिया?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी चार राज्यों में 17 हजार करोड़ का जो पैकेज ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां संगठन और सत्ता में एका है, मेलजोल है, इनकी तरह लड़ाइयां नहीं हैं। यह कह रहे हैं सोनियाजी कहां से लायीं, सोनियाजी ने कहा तो प्रधानमंत्रीजी ने दिया। हमारे यहां एका है संगठन और सत्ता में, आपकी तरह नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसका मतलब यह हुआ, बिना सोनियाजी के कहे प्रधान मंत्री कुछ नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी.आर.एफ. से दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके तो मुख्य मंत्री कहती हैं हज हाउस बनेगा और चीफ व्हिप कहते हैं सौ वर्ष तक नहीं बनेगा। यह आपका चित्रण है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यह कहना चाहते हैं, ममताजी, कि प्रधानमंत्रीजी सोनियाजी की कठपुतली हैं? यह कहना चाहती हैं कि सोनियाजी कहेंगी इतना ...(व्यवधान) इसके अलावा चलेंगे नहीं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): केवल राजनीति करने आयी हैं सोनियाजी यहां।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): केन्द्र सरकार ने 17 हजार करोड़ रुपये का चार राज्यों को ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यह कहना चाहते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप हमारी बातों से सहमत होओ मत होओ ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लोग मर गये। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा ...

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मनमोहन सिंहजी ने पैसा दिया और आपके राजनाथ सिंहजी कहां घूम रहे हैं उनका पता तो करो ...(व्यवधान) वह कहीं लापता तो नहीं हैं । सोनियाजी तो उनकी पूछ कर गयी हैं ...(व्यवधान) लेकिन आपके नेताओं में तो इंसानियत भी नहीं है जो अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सोनिया-सोनिया के सहारे चल रहे हो, एक अरब से ऊपर की जनसंख्या है, क्या करना चाह रहे हो आप ?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): हम तो सोनियाजी के परिवार के साथ चल रहे हैं लेकिन आप तो कुंवारी के साथ ही ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चार राज्य वे हैं जिनमें किसानों ने सुसाइड किया और राजस्थान में इतने लोग बाढ़ से मर गये, उनको पैकेज देने की आवश्यकता केन्द्र सरकार ने नहीं समझी। राजस्थान में भी अभी और लोग सुसाइड करेंगे ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दीजिए अपना प्रतिवेदन, हम मदद करेंगे। कब मना कर रहे हैं? और चार राज्यों को नहीं दिया ...(व्यवधान) बार-बार उठाते हैं चार राज्यों को क्या दिया, आप अपना मैमोरेण्डम दीजिए, हमारी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी। हमारे नेता कोई मना कर रहे हैं क्या आपको सपोर्ट करने के लिए? लेकिन आप ज्ञापन दोगे तब ही तो सपोर्ट होगा ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको सात बार बता दिया कि एक रुपया भी नहीं दिया, फिर खड़े हो रहे हैं क्या दिया, क्या दिया। दिया तो है ...(व्यवधान) हमारे बी डी कल्ला पूरे राजस्थान में गये हैं आपके अटल बिहारी जी गये, आडवाणीजी गये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारे जसवन्तसिंहजी आये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जसवन्त सिंहजी जब आये, सारा साफ हो गया था तब आपके जसवन्त सिंहजी आये थे उसके पहले आये ही नहीं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मनमोहन सिंहजी की मुठ्ठी से पैसा दिलवाया क्यों नहीं ? चार राज्यों में मनमोहन सिंहजी ने पैसा दे दिया तो राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया ?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मना किसने किया है? पैसा तो मनमोहन सिंहजी ने दिया है, आपके पास है क्या? (व्यवधान) सर्व शिक्षा अभियान किससे चला रहे हो? प्रधान मंत्री सड़क योजना किससे चला रहे हो ...(व्यवधान) इसके अलावा क्या है? बार-बार कह दिया ...(व्यवधान) क्या कर लोगे भारत सरकार का ? यह सोनिया गांधी का करिश्मा है ...(व्यवधान) सरकार बन गयी आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया । तगारामजी, कांग्रेस है जिसने आपको बोलना सिखा दिया । कांग्रेस है जिसकी वजह से आप पैरों पर खड़े हो गये । आने वाले समय में आपका पता ही नहीं लगेगा ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अपना ध्यान रखो आप तो ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपने ही तो मेरे को सब कुछ किया ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): प्रधान मंत्री सड़क बन रही है ...(व्यवधान) उसका पैसा मिल रहा है । आंगनबाड़ी का पैसा भारत सरकार ने दिया है ...(व्यवधान) है क्या, खाली पुरसगारी कर रहे हो, उसमें कह रहे हो कि हम जीमण जिमा रहे हैं ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप बीच में नहीं बोल सकते ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके सवाल का जवाब दे दूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, मैं पूरा अपना करूं उसके बाद बोल लेना। 26 तारीख को गृह राज्य मंत्रीजी ने खासा कोठी में मीटिंग ली उसमें राज्य के तीन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि आपका कितना खर्चा हुआ? उस समय तक राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में मात्र नौ करोड़ रुपए आबंटित किए थे । उन्होंने कहा, आपके पास इतना रुपया केन्द्र का पडा हुआ है, आप मुक्त हस्त से काम करो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः तगारामजी, आप बार-बार मत खड़े होओ ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पूरे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर आप इसको हमारा अंतरिम पैकेज मानकर हमारे इस काम को करो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो .....

श्री उपाध्यक्षः बुजुर्ग आदमी हैं ...(व्यवधान) व्यथा है तो बताएं, पर आप बीच में नहीं कहें ...(व्यवधान) पहले सुनें ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उन्होंने यह भी कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि बाढ़ के लिए आपको कितने पैसों की आवश्यकता है आप अपना ज्ञापन दीजिए। तो माननीय राहत मंत्रीजी ने कहा, दे दिया । राहत मंत्रीजी ने कहा, हमको सात दिन दीजिए, सात दिन के बाद हम आपको ज्ञापन देंगे । सात दिन के बाद आपने ज्ञापन तैयार करके भेजा । मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार अपना ज्ञापन भी तैयार नहीं कर सकी ।

(समय : 17.24 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

गुजरात की सरकार, महाराष्ट्र की सरकारों ने अपना ज्ञापन तत्काल बनाकर भेजा, उसका उनको लाभ मिला। लेकिन राजस्थान की सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति का ज्ञापन तैयार करने में कम से कम दस-पन्द्रह दिन लगा दिये । क्या इस लेट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन ये मुद्दे इसलिए आपको गलत लगते हैं क्योंकि हम इन सब बातों को तथ्यात्मक दृष्टि से आपके सामने रखते हैं । आपकी मशीनरी, आपकी सबकी प्रशासनिक लापरवाही के कारण आपका ज्ञापन देरी से बना जिसके कारण राजस्थान को जो तत्कालिक सहायता और जल्दी मिल सकती थी, उसमें देरी हुई । इसके साथ-साथ ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय, प्लीज ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज ऐसा लगता है कि बी जे पी स्प्रिंग लगाकर आई है ।

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, आप बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बोलिए, प्लीज नो इंटरप्शन । आप जब बोलो तो ये नोट कर लीजिएगा बातें, उनका जवाब बोलते समय दे दीजिए । प्लीज बीच-बीच में नहीं ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ज्ञापन देने में देरी हुई ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सच बात नहीं कहोगे तो हम बोलेंगे ।

श्री सभापतिः आप बोल लिए ना तगारामजी, प्लीज आप बोल लिए न।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं, हम बोलते हैं तो बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री सभापतिः नहीं, आप बोल लिए ना, बार-बार खड़ा होना थोड़े ही जरूरी है । आप विराज जाओ ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वास्तविकता है ।

श्री सभापतिः तगारामजी, आप बार-बार खड़े होकर बोल रहे हो यहां नोट नहीं हो रहा है । एक बार बोल लिए, बार-बार नहीं खड़ा हुआ जाता। (व्यवधान) लीपापोती दीपावली पर होती है, अभी दीपावली आई नही।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं यह सदन को बताना चाहता हूं, बारह जिलों में बाढ़ आई, उसमें राज्य सरकार ने किस-किस जिले में कितने-कितने पैसे अब तक खर्च किये? उसमें मैं स्पष्ट जानना चाहूंगा कि उसमें राज्य सरकार के बजट से कितने पैसे खर्च हुए, केन्द्र सरकार के बजट से कितने पैसे खर्च हुए? केन्द्र सरकार से अब तक इनको किस-किस मद में ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः तगारामजी बैठिये। नो, नो, बीच में नहीं। यह जो बोलें वह नहीं लिखें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापतिः यह नहीं कि हर बार खड़े हो जाएं । एक-एक लाइन पर खड़ा होना जरूरी है क्या ?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): घंटा भर हो गया, कितनी देर में सम अप करेंगे ?

श्री सभापतिः अपनी पार्टी के टाइम पर बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप सब को मेरे बोलने पर एतराज है क्या?

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: आप बैठ जाओ, तगारामजी प्लीज ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किस-किस मद में आपको कितना-कितना पैसा मिला और अब तक कुल कितना पैसा आपने किस-किस जिले में खर्च किया है, इसका ब्यौरा आबंटन का हमको आपने दिया है ।

श्री सभापति: तगारामजी विराजिए ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन आपने कितना-कितना पैसा कहां-कहां किस-किस मद में खर्च किया?

श्री सभापति: तगारामजी, माननीय सदस्य, खड़े-खड़े नहीं ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए । आपको यह तो ध्यान रखना चाहिए लीडर आफ अपोजिशन रहे हैं, इस समय एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं यहां पर सब को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और आपको उसका जवाब देना चाहिए । उसके बजाए एक-एक लाइन में खड़े होकर बोल रहे हैं, इंटरप्शन कर रहे हैं, This is not good. I would not allow it , जो भी बीच में इंटरप्शन करे, उसका नोट नहीं करें, This is my direction.

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापति: तगारामजी, आप विराज जाइये । आप बोल रहे हो, नोट नहीं हो रहा है, आप बैठ जाओ । आप बोल चुके हो। नहीं बोले हो तो बोल लेना बाद में, लेकिन बार-बार खड़े नहीं हों बीच में ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): xxx

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): xxx

श्री सभापति: प्लीज आप बैठ जाइये । यह आसन का काम है ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं राहत मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जब तक पुनर्वास के क्या-क्या काम

किये? क्या आपने इनके लिए कोई नये मकान बनाने की योजना बनाई है? मैंने स्वयं गृह राज्य मंत्री प्रकाशजी जायसवाल जो भारत सरकार के केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे यह मांग की कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो बाढ़ पीडित लोग हैं ...

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री सभापतिः तगारामजी, प्लीज चीफ व्हिप हैं क्या यहां? मैं आपको वार्न कर रहा हूं, प्लीज सिट डाउन । बैठ जाइये । यह गलत है, मैं आपको तीन बार टोक चुका। आप खड़े होंगे तो ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये। बैठ जाइये आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री सभापतिः यह मेरा काम है, आप बैठ जाइये। विराजिये न, मेरा काम है कण्ट्रोल करने का।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री सभापतिः आप मदद करिये कण्ट्रोल करने में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री सभापतिः हां तो मैंने रोका है, आप बैठ जाइये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री सभापतिः आप चुप रहिये। मेरा काम है यह देखने का। आप बैठिये, यह मेरा काम है। बीच-बीच में आप क्यों खड़े हो गये ? आप बैठिये, This is very bad. आप बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, जब केन्द्र की स्टेडी टीम आयी थी तो उसको और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रीजी को हमने यह कहा था कि जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिये इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाकर दिये जाएं, चाहे वह बी पी एल कैटेगरी में हैं अथवा नहीं हैं।

श्री सभापतिः माननीय मंत्रीजी, बीच-बीच में बातचीत नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका सर्वस्व खतम हो चुका है। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो लखपति-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करोड़पति थे लेकिन बाढ़ में सारा उनका बह गया। उनके मकान, उनका पशुधन, उनकी खेती सब बर्बाद हो गयी। ऐसी परिस्थिति में बी पी एल कार्डधारक न होते हुए भी वे बी पी एल से भी बदतर हो गये हैं। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार ने उन लोगों के लिये इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाकर देने की योजना बनायी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चूंकि उनकी खेती बर्बाद हो गयी, उनके काम-धंधे बर्बाद हो गये, जिस किसी का कोई उद्योग था तो वह बर्बाद हो गया, ऐसी परिस्थिति में आपने क्या कोई राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं ? किये हैं तो उसमें कितने श्रमिकों को आपने काम दे रखा है ? ये सारी चीजें वक्तव्य में स्पष्ट होनी चाहिये थीं। आपके पाली में खारी नदी में बाढ़ इतनी भयंकर आयी कि वहां पर पांच आदमी ग्यारह घंटे तक जीवन और मौत से संघर्ष करते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि वहां हेलीकाप्टर क्यों नहीं भेजा ? हैलीकाप्टर इसलिये नहीं वहां पर आ सका कि वहां पर जिला कलक्टर नहीं था और सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आज दो महीने से वहां पर कलक्टर की पदस्थापना नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है ? राज्य की मुख्य मंत्री कार्मिक मंत्री हैं। क्या कार्मिक मंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता कि जिस जिले में बाढ़ आयी हुई है वहां पर कलक्टर की नियुक्ति करे। मैं इस्तीफे की मांग करता हूं। मुख्य मंत्रीजी के की बिलकुल प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में और उसके बाद गांवों के पुनर्वास में अटर फेल्योर रही हैं इसलिये उनको इस्तीफा देना चाहिये। इस्तीफे का कारण एक और भी है, सभापति महोदय, खुले आम मंत्री मुख्य मंत्री के कार्यों की अवहेलना करें, उनकी नीतियों के विरुद्ध बोलें। हज हाउस कोई कहता है बनना चाहिये, कोई कहता बिलकुल नहीं बनेगा। आज मुख्य सचेतकजी ने तो यहां तक कह दिया कि सौ साल तक नहीं बनेगा। या तो मुख्य मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिये या ऐसे मुख्य सचेतक और ऐसे मंत्रियों को जो उनके खिलाफ बोलते हैं, दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक देना चाहिये, बर्खास्त कर देना चाहिये। नहीं तो जो कानून का राज है, ये लोगों को क्या कानून का राज देंगे? इनके मंत्री इनका कहना नहीं मानें, इनके चीफ व्हिप इनका कहना नहीं मानें, इनके विधायक इनका कहना नहीं मानें, और तो और...

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाढ़ जो आयी इस बाढ़ के बाद हमने कहा था कि महामारियां फैलेंगी राजस्थान में, मलेरिया फैलेगा, डेंगू,

चिकनगुनिया, मंकीगुनिया फैलेगा, लेकिन इसके लिये भी कोई प्रबंध नहीं किया गया। 296 लोग मारे गये, सरकार कह रही है 27 लोग मारे गये। मैं कहता हूं, पूरे राजस्थान की आप गणना करें तो मरने वालों की संख्या 296 को पार कर गयी है। आज बारां का विधायक अनशन के ऊपर बैठा हुआ है और वह कह रहा है कि सौ आदमी करीब-करीब उसके जिले में....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे लिये कुछ कल्ला साहब ने बोला बताया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आपने क्या कहा ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने जो भी कहा है, आप पढ़कर जवाब दे देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, पढ़कर जवाब नहीं, मैं उपस्थित हूं मेरे सामने कहो न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो मेरे बाद में बोल लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, बोलो पहले।

श्री सभापतिः आप विराजो ना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने क्या कहा था, वह पूछ लेना। मैंने यह कहा कि आपने मुख्य मंत्रीजी को चुनौती दी है कि सौ वर्ष तक हज हाउस नहीं बनने देंगे आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने मुख्य मंत्रीजी को चुनौती नहीं दी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है कि साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर, लोगों को सड़कों पर लाकर तलवार और बंदूकों के आधार पर हिन्दुओं को जैसे कोई वे नेस्तनाबूद हो गये हों, उनको चैलेंज कर हज हाउस बनाने का यदि किसी ने किया है तो नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह मैंने कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कुछ नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इस आधार पर सौ साल भी नहीं बना सकते, यह कहा है मैंने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कहा है न मैंने। और मुझे यहां रहना है, यह आप तय करोगे क्या कि यहां रहना है कि नहीं रहना है ? उठाकर फेंक देना चाहिये, मैं आपको उठाकर फिकवा दूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप विराजे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का सर्व धर्म सम्भाव में विश्वास है। हम तो हिन्दू-मुसलमान, सिख-ईसाई सब को साथ में लेकर चलते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल मुस्लिम वोट लेने के लिये कश्मीर में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलेते हैं, सेज पर कुछ बोलते हैं, फांसी की सज़ा पर कुछ बोलते हैं और यहां हज हाउस के बारे में कुछ बोलते हैं। यहां अशोकजी गहलोत कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं।

एक माननीय सदस्य : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी कथनी और करनी में अंतर है। यह तो सारा प्रदेश देख रहा है कि मुख्य मंत्री ने शिलान्यास किया और आप लोग विरोध कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल तुष्टिकरण के आधार पर ..(व्यवधान) न कोई नीति है, न कोई ...(व्यवधान) अब तो आप जैसे रह गये जो शर्म आने की बात है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये। आप बीच में कहां आ गये?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके मित्र ने यह कहा कि मैंने पैसा खाया है। आपको शर्म आनी चाहिये। शांति धारीवाल ने यह क्या

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कहा, आपको शर्म आनी चाहिये। उन्होंने यह कहा कि हां, मैंने पैसा खाया है और मैं खाऊंगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का वह! मुख्य मंत्री के..(व्यवधान) आदेश पर रोक लगायी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर आपने क्या सब को अलाउ किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुख्य मंत्री ने दो मंत्रियों को कांग्रेस से बाहर निकाला, अशोक गहलोत साहब ने। जवाई नहर के पानी को लेकर दो मंत्रियों में घमासान...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो तबादला उद्योग खोल रखा है, खुले आम लूट रहे हैं लोगों को। राजस्थान की जनता को लूट रहे हैं आप लोग।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बेच दिया और बेचूंगा, यह आपके धारीवाल ने कहा है।

आप उसकी बात कर रहे हो, इस्तीफा दो। मैं हमेशा अपनी बात पर कायम हूं लेकिन आपकी मेहरबानी पर नहीं हूं। आपकी मेहरबानी पर नहीं हूं मैं।

प्रेरणा क्या करेगा? यह प्रजातांत्रिक तरीका है। जब पंडित जवाहर लालजी नेहरू सबसे बड़े नेता के रूप में यहां प्रधान मंत्री थे उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार पटेलजी के कश्मीर के मामले में अलग-अलग विचार थे और रहेंगे। वहां कश्मीर पर किसका कब्जा रहे, इस पर अलग-अलग विचार थे। नेहरूजी और उनमें मतभेद भी थे। नहीं थे क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई मतभेद नहीं थे।

श्री सभापति: हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह सोनिया गांधी ने क्या कहा? सोनिया गाधी और अर्जुन सिंह ने...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न हमने भाषण दिये, न हमने प्रोत्साहित किया, हम सरकार के साथ थे। लेकिन यह जो माहौल बिगाड़ा है वह आपने बिगाड़ा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उनसे पूछो। बायकाट-बायकाट...(व्यवधान) सदभाव की बात करते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। एक मिनट, अभी बाढ़, अतिवृष्टि और मौसमी बीमारियों पर चर्चा हो रही है, यह बीच-बीच में आप नयी चीजें निकालकर भाषण में ले आते हैं, उसको लेकर विवाद होता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) सुनिये पहले। मैं कल्ला साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप सब्जेक्ट तक सीमित रहिये। बीच-बीच में आप नयी चीजें लाते हैं तो फिर उत्तेजना पैदा होती है दूसरे लोगों में और फिर बहस शुरू हो जाती है, इसलिये प्लीज आप सब्जैक्ट पर ही बोलें। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, उस तक ही सीमित रहें, कोई और मामला उठाना है तो दूसरे तरीके से आप उठाइये, स्वतंत्रता है सब को।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और भी माननीय सदस्य बोलेंगे, 40 माननीय सदस्य बीच में बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: कल्ला साहब, समाप्त करें। समाप्त करिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री सभापति: हां, मैंने बोल दिया न, आप जो बोल रहे हो। मैं पहले बोल चुका हूं। बैठ जाओ। मैं बोल चुका हूं। कल्ला साहब अब समअप करिये ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राहत मंत्रीजी तो हैं ही नहीं, किसको सुनाएं? (व्यवधान) यह तो सदन की व्यवस्था है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे हैं, दो-दो, तीन-तीन मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी एक-एक बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये आप। (व्यवधान) आप छोड़िये मत, बोलिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं चार-पांच बातों का जवाब राहत मंत्रीजी से चाहूंगा। एक तो वह इस बात का खुलासा करें कि उन्होंने जो बताया है कि लगभग दो लाख से अधिक मकान ध्वस्त हुए हैं, तो कितने-कितने मकानों का मुआवजा दिया और उसमें क्या आधार रखा? कितने कच्चे मकानों का मुआवजा दिया और कितने पक्के मकानों का मुआवजा दिया? कितने झोपड़ों का मुआवजा दिया और उसमें कितने भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने पकड़े।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पुर्नवास की योजना बनाकर कहां-कहां स्थान चिन्हित किये हैं जहां-जहां लोगों को बसाया जाएगा। कितने लोगों को आपने दवाइयां बांटी? केन्द्र सरकार से जैसा मैंने बताया, मदवाइज बताएं कि आपने कितना-कितना पैसा प्राप्त किया और उसमें कितना खर्च किया? अब तक कुल कितना खर्च किया और आपके पास कितना पैसा केन्द्र का बकाया है? ताकि हम आगे इनकी पैरवी कर सकें, केन्द्र सरकार के माध्यम से इनको ज्यादा पैसा दिला सकें। जब आप खर्चा नहीं करेंगे, इसमें एक बहुत बड़ा राइडर है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक निश्चित सीमा में सारा काम करना पड़ता है। जो नुकसान हुआ है, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल रिलीफ से संबंधित काम हो, सारे के सारे काम यथा समय करने पड़ते हैं यदि समय पर इनका काम नहीं किया जाए तो पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए इन बाढ़ के मामले में यदि आपने सदाशयता नहीं रखी, पैसा आपके पास पड़ा रहा, बचा रहेगा और यह पैसा उपयोग में नहीं आया तो रिअम्बर्स नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वह इस संदर्भ में जितना भी रिहैबिलिटेशन का काम है उसको त्वरित गति से करे। आपने कौन-कौन से स्थानों पर बिजली, कौन-कौनसे स्थानों पर सड़कें, किन स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था कर दी है? मेरी जानकारी के हिसाब से अभी भी कई स्थानों पर टैंकरों से पानी जा रहा है। वहां पर पाइप लाइन शुरू नहीं हो सकी है। पानी की निकासी के लिए भी आपने बताया है कि कई जगह आपने चैनल्स की खुदाई की है, कई जगह रेल डिब्बों से। मेरी

जानकारी के अनुसार रेल के डिब्बों से लगभग एक वर्ष में भी वह पानी पूरा बाहर नहीं हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में सदन को अवगत करायें कि वहां पर कितने क्यूसेक्स पानी है और किस प्रकार की पानी निकासी की योजना है। उस पानी को वहां आप अंडरग्राउंड कोई टयूबवैल खोदकर उसमें समाहित करना चाहते हैं? क्या आपकी योजना है। इन सब चीजों के बारे में सदन को अवगत कराएं? यह भी बताएं, जिनका पशुधन बर्बाद हो गया है उसके लिए नार्म्स यह है कि नया पशु वह खरीदें तब उनको सब्सिडी देंगे, आज तक आपने कितने पशुओं के लिए दी? इसके लिए आपने कितने बजट का प्रावधान किया है? आपने डी.डी.टी. दवाइयों का छिड़काव, फिनाइल का छिड़काव या मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि मलेरिया के पैरासाइटस को समाप्त करने के लिए आपने कोई गम्बूसा मछलियों को मंगवाया है, वह कितनी मात्रा में मंगवायी है, कहां-कहां छोड़ी? क्या उसका कोई असर हुआ कि नहीं हुआ? प्रदेश में और खासतौर से बाढ़ग्रस्त और अतिवृष्टि वाले इलाकों में मलेरिया, वायरल और चिकनगुनिया काफी मात्रा में फैला है।

गृह मंत्रीजी, आप घंटी दिखा रहे हैं लेकिन आज आपके माननीय सदस्यों ने, वह तो मैं पुराना आदमी हूं, बोल लिया, नहीं तो एक मिनट भी नहीं बोल सकते थे, कितना व्यवधान किया है? कभी आपको ऐसा व्यवधान हो तो आप एक शब्द नहीं बोल सकेंगे, इतना व्यवधान आया है इसलिए मैं पूरी बात नहीं कर सका।

श्री सभापति: इनको स्टेटमेंट देना है, जाना है इसलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा, सारी, मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा था कि आप मेरे लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, उनको स्टेटमेंट देना है, जाना है, समअप करिये प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं समअप कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी कम से कम सदन में बोलें तो इस बात में ईमानदारी रखें। प्रदेश और केन्द्र की सरकारें सब वैलफेयर गवर्नमेंट हैं, कम से कम प्रोफेशनल ईमानदारी रखनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हमने अब तक इतना पैसा प्राप्त करके यह-यह काम किया है और हमारी रीहैबिलिटेशन की यह योजना है।

सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन में और पुर्नवास दोनों में सरकारी, पूरी तरह से विफल रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आइंदा कम से कम आपदा प्रबंधन में कलेक्टर्स को, ए.डी.एम. को ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग में लोगों को इतना परिपक्व कर दें कि चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, भूकंप हो अथवा कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उससे बचने के लिए हमारे पास जिला स्तर पर भी प्रबंध होना चाहिए कि किसी भी आपदा का सामना कर सकें, मुकाबला कर सकें। आपको यह भी बताना चाहिए अपने स्टेटमेंट में, मैं पुनः यह याद दिलाना चाहता हूं कि एन.जी.ओ. जिन्होंने काम किया है, आपने उनको धन्यवाद नहीं दिया है। एन.जी.ओ. ने बहुत अच्छा काम किया है। आपके एस.डी.एम. सैनी ने अपने जान की बाजी लगा दी, वह दो-तीन बार डूबने से बचा, उसकी आज भी जिप्सी गायब है। उनको भी अवार्ड देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कोताही बरती है, जिन्होंने बार-बार जनता के द्वारा सूचना देने पर काम नहीं किया है, उनको आप प्रताड़ित कीजिये। उनके खिलाफ एक्शन लीजिये, तब जाकर प्रशासन चुस्त-दुरुस्त और काम करने वाला होगा।

सभापति महोदय, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी को कलक्टर, पाली की पदस्थापना करनी चाहिए और ऐसे मामलों में राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कलक्टर के न होने से पांच आदमी नहीं बचाये जा सके। इसी प्रकार से मुख्य मंत्रीजी गाले की बस्ती में नहीं गयी, तानूराव और बीलवा की बस्ती में नहीं गयीं, इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को माफी मांगनी चाहिए। जहां हैलीकाप्टर उनका पहुंच गया और पांच-सात किलोमीटर की दूरी पर ...(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ने नहीं जाकर वहां की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है ...(व्यवधान) उसके लिए राहत मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री सभापतिः समअप प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बाढ़ में जो आप विफल रहे हैं उसके लिए राजस्थान की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी।

श्री सभापतिः अपने स्थान पर जाएं, जालिम सिंहजी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना

चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से मनमोहन सिंहजी, प्रणव मुखर्जी जी और कांग्रेस की अध्यक्ष के आने के बाद यहां पर राजस्थान को भरपूर सहायता मिली है।

श्री सभापतिः आपका नाम है ...(व्यवधान) आप बैठ जाएं। आपका नाम है, जालिम सिंहजी, टेक योर सीट प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आगे भी हम पूरे राजस्थान को सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने आपदा प्रबंधन में जो कोताही रखी है, उसके लिए मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः माननीय गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें।

श्री सभापतिः आपका नम्बर आएगा उस समय बोल लेना। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक मिनट का ही निवेदन है।

श्री सभापतिः इस समय बहस नहीं। नम्बर आएगा उस समय बोल लेना। आपने पर्ची दी है बोलने के लिए ...(व्यवधान) अब आपका नम्बर आएगा सब अपना-अपना बता दें। माननीय गृह मंत्रीजी को जाना है, गृह मंत्रीजी ...(व्यवधान) जालिम सिंहजी, आपका नाम बोलने में है, उस समय बोलिये सब ...(व्यवधान) नाम है आपका, तगारामजी आपका भी नाम है। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनके कांग्रेस अध्यक्ष ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आपका नाम है न बोलने में।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): एक पैसा नहीं दिया है, यह असत्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः जब आपका नाम है, आप बोलें उस समय विस्तार से बोलिये, अभी एक लाइन बोलकर बैठ जाएंगे, क्या बोलेंगे? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

मूसाखेड़ी में घरों से बिछड़े लोगों का पुनर्वास

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, सवेरे इस सदन में मूसाखेड़ी के जो लोग घरों से बिछुड़े हुए हैं, बड़े लंबे समय से हैं, उनको बसाने के बारे में एक तरह से काफी आक्रोश था। स्वाभाविक है। मैंने भी मूसाखेड़ी के लोगों को फिर से स्थापित किया जाए, इसके लिए बराबर प्रयास किया और पिछली 22.09 को ही हम उन्हें जमीन पर खेती करने के लिए उनको वापस अपने स्थान पर ले आये। उन्होंने अपना खेत जोत लिया, बाकी का काम उन्होंने किया है। उन्हें घरों में बसाने के लिए हमने कोशिश की है, बिना टकराव के और आपसी रजामंदी से अगर वे फिर स्थापित हो जाएं जन हानि किस तरह से बच जाए, और इसके कारण से समय अधिक लगा, यह बात सही है, लेकिन प्रयास यह किया कि इसके कारण से कोई वातावरण में विषाक्तता न हो जाए। इसका बराबर ध्यान रखा और अभी भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है और यह मेरा कर्तव्य है कि उन लोगों को उनके स्थान पर बसाऊं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपस में दोनों में सुलह होकर के अगर बसाएंगे तो हमेशा आगे जाकर वे शांतिपूर्वक वहां रह पाएंगे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस काम को कर पाएंगे। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि वे लोग शांतिपूर्वक अपने स्थानों पर आकर बस जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): धन्यवाद दें। अब का जवाब है।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): धन्यवाद दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब क्या बच गया? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद भी नहीं दूं? (व्यवधान) राठौड़ साहब कहते हैं तो नहीं दूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, जरूर दें।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मैं आपकी बात ही कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बड़ी मुश्किल से धन्यवाद मिलता है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्रीजी को कि उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया और यह निवेदन और करना चाहूंगा कि समय बहुत ज्यादा हो गया है तो इनको हफ्ते भर के अंदर ही बसाने का काम आप करेंगे। जो आपने स्टेटमेंट दिया है जिसके लिए सुबह हीटेड डिस्कशन हुआ था हाउस में, आपने उसकी महत्ता को समझा, उसके लिए धन्यवाद।

राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री सभापतिः श्री मदन राठौड़ ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान में हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ट्रेनों से भी पानी पहुंचाना पड़ता है, यह स्थिति भी रही। इस बार भी जब जून में बरसात नहीं हुई, जुलाई का दूसरा और तीसरा सप्ताह भी निकल गया तो हमारे कई कांग्रेसी मित्र भी बोलने लगे, हमारी आस्थाओं का मजाक बनाने लगे कि आप लोग मंदिर-मंदिर जाते हो, आपकी मुख्य मंत्रीजी भी कभी किसी के दर्शन करके वहां मत्था टेकती हैं, कभी कहीं जाकर ईश्वर की आराधना करती हैं कि बरसात हो। भगवान ने हमारी सुनी और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, बहुत अच्छी बरसात हुई। 28 जुलाई को जब सबसे पहले बरसात हुई...।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी प्रार्थना को थोड़ा ज्यादा सुन लिया और बाढ़ आ गई, यह भी बोलो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि 28 जुलाई को ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग सभी बांध भर गये। सेही बांध भर गया, सेही ओवरफ्लो होने लगा, उससे जवाई बांध में पानी आने लगा, सिन्दरू बांध भर गया, भाखली बांध भर गया और तख्तगढ़ भर गया। सभी बांध भर गये, नदियां चलने लग गयी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपके क्षेत्र में है क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनकी कण्ट्रोलिंग मेरे सुमेरपुर से ही है। आपकी जानकारी में नहीं हो तो बता दूं। पहले तो आप अपनी सीट से जाकर बोलिए।

श्री सभापतिः आप अपनी सीट से बोलिए, यहां से नहीं। बोलना है तो अपनी सीट पर जाइए। (व्यवधान) यह अपनी सीट नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, पहले आप अपनी सीट से बोलो और केवल नाम नहीं, संयम रखो भी। इनकी कण्ट्रोलिंग सुमेरपुर से है। आपकी जानकारी में नहीं हो तो कृपया दुरुस्त कर लें, सेही का कण्ट्रोलिंग सुमेरपुर से ही है, उसका एक्स ईएन भी सुमेरपुर में ही बैठता है, उसको अपग्रेड कराने के लिए भी मैंने ही निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया और अपग्रेड हो भी रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांध तो भर गये, नदियां भी चलीं लेकिन पहली बार जब भाखली बांध में पानी आने लगा, तो रात को दो बजे जब वहां पर ट्रकें खड़ी थीं, बसें भी खड़ी थीं लेकिन एक कार लेकर कुछ लोग जो शिवगंज के निवासी थे, संयमजी के क्षेत्र के निवासी थे, उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की, मना करने के बावजूद भी अपनी कार को अन्दर लेकर चले गये, वे छह के छह बह गये और मर गये। यह बात भी बिलकुल सही है। अब ये दोष दें प्रशासन को, दो बजे रात को यदि वहां ट्रकें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं और वे लोग यदि चले जाएं, आप यदि दोष हमको देना चाहें तो यह आपकी मर्जी की बात है, लेकिन इसमें किसी को भी दोष नहीं है, उनको विवेक से काम करना चाहिए था। वहां लोगों ने उनको मना किया कि आप इस प्रकार से अंदर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की।

सभापति महोदय, उसके बाद भी 19 अगस्त को फिर बरसात हुई और जमकर बरसात हुई और उस बरसात में भी जवाई बांध ओवरफ्लो हुआ। नदियां इतनी तेजी से चलने लगीं मैं आपकी जानकारी में निवेदन करना चाहूंगा कि एक ट्रक जो शिवगंज और सुमेरपुर के बीच जो नदी बह रही थी वहां एक पुल है, उस पुल पर से एक बड़ा ट्रोला बहकर तीन किलोमीटर दूर तक चला गया, नदी में इतना बहकर के, अब जब इतना वेग, प्रचण्ड वेग हो, आपकी जानकारी में ला रहा हूं, अब कोई कल्पना करे। अभी आदरणीय कल्लाजी बोल रहे थे कि वहां खारी नदी में लोग बह गये जब इतना प्रचण्ड वेग से पानी आ रहा हो, कि ट्रक भी तीन किलोमीटर लुढकता-लुढकता चला जाए। ट्रक नदी में धंस गया, आज तक भी वह बाहर नहीं निकल पाया है और थोड़ा बहुत बाहर दिखता है। यह स्थिति जब वहां बनती है तो क्या आप

(श्री मदन राठौड़)

सोचते हैं कि कलक्टर वहां रह जाता तो कलक्टर उन लोगों को बचा कर निकाल ले आता। यह मजाक की बात, यह हास्यास्पद बात मत कीजिए, जरा विवेक से काम कीजिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक धारिया बांध था जो देसूरी विधान सभा क्षेत्र में बना है, कांग्रेस के जमाने में बना, एक भी बरसात सहन नहीं कर पाया, एक भी बार वह बांध भरा नहीं। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पहली बार वह बांध भरा और वह बांध टूट गया। टूट ही नहीं गया, वहां पर डूठारिया बांध को भी बहा कर ले गया। आप क्या कर रहे हैं, जरा विवेक किया होता तो बांध का नक्शा तो सही बनाते। बांध का मैप भी सही नहीं बनाया, गलत तरीके से बांध बना। सिंचाई विभाग ने उसकी जांच की है और जांच के आधार पर यह पाया कि यह बांध गलत तरीके से बना था। केवल पैसा लूटने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की थी और बांध बनवा दिया गया था। आनन-फानन में, बिना विवेक से और इस प्रकार का फैसला किया, इस प्रकार का बांध बनाया कि वहां पर लोगों की जान का खतरा बन गया। आप जरा अपने गिरहबान में तो झांक कर देखिए, दूसरों पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता, वास्तव में धरातल पर आकर काम करना पड़ता है, काम करना चाहिए।

(17.54 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात हुई, बाली में भी बांध टूटे। बाली से पानी आया, ढारिया बांध भी टूटा, उसका भी पानी आया। पूरा पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहकर आया, कई खेत कटे, कई कुए ढह गये यह बात बिलकुल सही है कि मकान भी गिरे, कई लोग भी बह गये, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहे। लेकिन आप खारी नदी की बात करते हैं, मैं उस पर भी अभी आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। हम स्वयं मौके पर मौजूद थे, मैं भी था और वन मंत्रीजी भी वहां मौजूद थे, सारे प्रयास किये गये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि बाढ़ तो पहले भी कई बार आई होगी लेकिन पहले जब बाढ़ आई, इन्होंने केवल दिया दो सौ रुपये। वह भी तब दिये कई महीने गुजर जाने के बाद जब लोग बाढ़ को भूल गये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप इनको कहो, गलत बता रहे है, पांच-सात आदमी बह गये हमारे सामने।

श्री सभापति: बैठो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उनको दो सौ रुपये देते थे, पाँच सौ रुपए देते थे लेकिन मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार और हमारी संवेदनशील सरकार है, दो दिन में यदि किसी का कच्चा मकान था तो छह सौ रुपये उसके घर तक पहुंचाये, पक्का मकान था तो दस हजार रुपये उसके घर पहुंचाये। दो या तीन दिन में पहुंचा दिये। हम सब जन प्रतिनिधियों ने भी यह कह दिया कि हमारा इन्तजार मत कीजिए, पटवारी तुरन्त मौके पर जाकर जरूरतमन्द व्यक्ति को रुपये और सहायता उपलब्ध करवा दे। हमने केवल छह हजार रुपये कच्चे मकान के ही नहीं दिये, जिसका अनाज बह गया, उसको पांच सौ रुपये अतिरिक्त दिये। जिसके बर्तन ढह गये, टूट गये और अनाज दब गया उसको पांच सौ रुपये अतिरिक्त दिये, इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है।

यही नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कई गांव जैसे सोनपुरा और नोवी, ऐसे हैं जो चारों ओर से कटे हुए थे, शिवगंज से वहां जाया नहीं जा सकता, सुमेरपुर से जा नहीं सकते। पानी के अन्दर से होकर ही, इतने-इतने पानी में से, कमर-कमर तक पानी में से होकर हमारे लोग वहां पर गये हैं और मंत्री भी गये हैं, विधायक भी गए हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर हम उन गांवों में पहुंचे हैं। भामाशाहों से सहयोग लिया- पांच किलो आटा, एक किलो दाल, ढाई सौ ग्राम तेल, नमक, मिर्च मसाले, सारे पैकेट तैयार करवाकर, दानदाताओं से पैकेट तैयार करवाकर उन गांवों में पहुंचे हैं। कई नांवों से सामग्री लेकर हम लोग गए हैं। नोवी गांव चारों ओर से कटा हुआ था, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि आपकी सरकार होती तो वे गांव आज तक अंधेरे में ही डूबे रहते, लेकिन यह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने दो दिन में वहां पर लाइटों की व्यवस्था कर दी और नोवी गांव में बिजली की व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से होने लग गई।

अब आपको बताना चाहूंगा, इन गांवों में हां, पानी भरा पड़ा था, वहां पर और बीमारियां फैली है। मच्छर पैदा हो गये, बीमारियां फैलीं। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में दो टीमें भेजी हैं, टीमों ने जाकर वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, भामाशाहों ने भी

(श्री मदन राठौड़)

जो सामग्री दी उस सामग्री को लेकर हम स्वयं भी गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 72 गांवों में गए हैं, राहत मंत्रीजी के साथ मैंने भी हैलीकाप्टर से भी पूरे इलाके का सर्वे किया है। स्वयं मुख्य मंत्रीजी मेरे सुमेरपुर में वहां आई, उन्होंने आकर सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर प्रति व्यक्ति 10 किलो आटा, दाल सामग्री, सभी उपलब्ध रहनी चाहिए और गांव का कोई व्यक्ति, बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की।

यही नहीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ था, सुमेरपुर से शिवगंज के बीच में नदी के बीच में जो पुल बना हुआ है वह पुल टूट गया था, नेशनल हाई-वे का पुल है, लेकिन हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने कतई परवाह नहीं की, नेशनल हाई-वे अथारिटी का उन्होंने इन्तजार नहीं किया कि केन्द्र सरकार पैसा देगी, उन्होंने तुरन्त आदेश दिया कि 24 घंटे के अन्दर यहां पर आवागमन चालू हो जाना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी लोगों, जन प्रतिनिधियों ने भी वहां प्रयास किया और वहां पर टेम्पोरेरी व्यवस्था तो कर दी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, नदी इतनी तेज बह रही थी कि 24 जे.सी.बी. लगाकर कई जगह पर ब्लास्ट करवाकर पत्थर तोड़े गए, उनको ट्रकों में लादकर आवश्यकता की जगह गिराया गया। पत्थर गिराकर, कट्टे रखवाकर वहां पर आवागमन चालू करवाया, यह कोई कम बात नहीं है, यह कोई मजाक की बात नहीं है। जादू के डण्डे से काम नहीं होता, काम धरातल पर आकर करना पड़ता है। आप कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक संदेश दिया। अटलजी ने जो संस्कार दिये वे संस्कार आज काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी बनकर काम करने लगा। आप यह भूल जाते हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने क्या किया। आपके कई लोग वहां पर गये...

(18.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अटलजी के जो संस्कार थे वो राजस्थान में क्यों नहीं दिख रहे? कोई ऐसे संस्कार थे उनके जो आप सड़क पर आ रहे हो? (व्यवधान) अटलजी के संस्कार ऐसे थे जो राजस्थान की सरकार भी कर रही है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान) आप में ऐसे संस्कार नहीं थे। आप इस बात को समझ भी नहीं सकेंगे। आपमें तो व्यवधान करने के संस्कार हैं, आपको संस्कार मिल नहीं पाये और आपको मिल भी नहीं पाएंगे। आप कभी संस्कारित हुए भी नहीं। आप संस्कारित होना चाहते हैं इटली से, आप संस्कारित होना चाहते हैं कहीं बाहर से। इस प्रकार के संस्कार हिन्दुस्तान में काम नहीं करेंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। समझ जाएंगे तो आपको संस्कार भी मिल जाएंगे। चाहें तो आप हमारे साथ में आइए, आपको भी सेवा का संस्कार मिल जाएगा। लेकिन सेवा करने की भावना नहीं है।

आपने चंदा जरूर एकत्रित किया, लेकिन हमको तो मालूम नहीं कहां खर्च किया। यह आप जानते हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपका दिल जानता होगा, आपने क्या किया। हमारे यहां तो भामाशाहों ने दिया तो दिल खोलकर दिया, पैकेट बनाकर दिये। एक-एक गांव की जानकारी है कि किस गांव में किस व्यक्ति के पैकेट हैं गांव में जाते थे, चौपाल पर बैठते थे, गांव के मुअज्जिम लोगों के सामने पूछते थे कौन जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सूची तैयार करें। वह सूची देते थे और सूची के आधार पर तुरंत पैकेट देते थे। यही नहीं कई गांवों में दो-दो, तीन-तीन बार भी गये। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा नौवी जैसे गांव, जहां पर ये स्वयं वन मंत्रीजी भी पानी में गये, हमारे सांसद भी पानी में गये। रस्सा पकड़कर लोगों के सहयोग से वहां पर गये और गांव में जाकर सहायता उपलब्ध करायी। नावों में गेहूं की बोरियां लेकर ठेलते हुए गांवों में लेकर गये। हमको तो आप कहीं नहीं दिखायी दिये, आपका कोई नुमाइंदा दिखायी नहीं दिया। अब मुझे नहीं मालूम, उस समय आप कहां लगे हुए थे। खासा कोठी में मीटिंग करते हो, अभी बोल रहे थे आदरणीय कल्ला साहब, हमने खासा कोठी में मीटिंग की। खासा कोठी, फाइव स्टार में आप मीटिंग करोगे या अच्छी होटलों में आप मीटिंग करोगे, अच्छी जगह पर मीटिंग करोगे ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके मुख्य मंत्रीजी ने अब तक सारी मीटिंगें फाइव स्टार में की हैं। सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारी मीटिंग फाइव स्टार में की हैं और पार्टी मीटिंग भी फाइव स्टार में हुई है आपकी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो घर-घर जाता हूं, एक-एक घर गया हूं, एक-एक झोपड़ी में गया हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप कोई काम करो तो आपको पता चलेगा, काम किस प्रकार होता है। हर पंचायत मुख्यालय पर हमने यह व्यवस्था की कि 10 क्विंटल आटा रखाया, 50 किलो तेल, एक क्विंटल आलू, एक क्विंटल प्याज, 50 किलो दाल। यही नहीं, वहां पर जब पशु मरे, मृत पशुओं का किस प्रकार से निस्तारण करना चाहिए ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप वाइंड अप करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आप मुझे 10 मिनट दो, मैं अपनी बात को कहूंगा। वैसे अभी मंत्रीजी और विपक्ष के नेता ही बोले, विधायकों की तरफ से तो मैं खड़ा ही हुआ हूं बोलने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः दो मिनट में आप वाइंड-अप करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मृत पशुओं के निस्तारण के लिए अहमदाबाद से एनीमल हैल्थ फाउंडेशन संस्था से 150 विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गये, यह कोई कम बात है। वहां से विशेषज्ञ आये, उन पशुओं का निस्तारण किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार के प्रयास भी किये।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर 122 लाख रुपये राज्य सरकार ने पहली बार दिनांक 25.8.2006 को वितरित करवा दिये तीन लाख पशुओं की दवाओं के लिए। मैं केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की बता रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। सुमेरपुर उप खण्ड में 35.5 लाख रुपये मकानों के लिए मुआवजा दिलाना चाहिए था, वह दिया। आपने क्या किया? आपने नार्म्स बना दिये किसी का खेत कटा तो वहां पर एक नोर्म्स बना दिया सीमान्त किसान को ही राहत दी जा सकती है। अब सीमान्त किसान क्या हो गया? जिसका खेत कट गया, बहाव में बहकर चला गया, मान लो, 50 बीघा थी वह सीमान्त किसान तो नहीं हुआ लेकिन उसका खेत पूरा ही कट गया तो वह सीमान्त अब बन गया। आप इस सीआरएफ की गाइडलाइन्स में से हटाओ तो सही। अभी ये बोल रहे थे, हमने 350 करोड़ रुपया दिया। 186 करोड़ तो पहले का हमारा सीआरएफ का बकाया था वह देकर कौनसा एहसान कर दिया? 86 करोड़ आगामी जो हमारी किश्त होती है, हमारा हिस्सा होता है, वह दिया। आपने तो कुछ भी नहीं दिया। केवल इस प्रकार से बोलने से काम नहीं चलता। आप 100

(श्री मदन राठौड़)

करोड़ का इशारा करना चाहते हो तो क्यों ढिंढोरा पीटते हो 350 करोड़ का? जब आप एक अंगुलि ऊंची कर रहे हो तो सही बोलो। सही बोलेंगे तो बीच में कोई व्यवधान करने के लिए खड़ा नहीं होगा। सही बोलोगे तो बात चल जाएगी, लेकिन आप गलत बात करोगे तो ठीक नहीं है, कोई भी सहन करने को तैयार नहीं होगा।

सभापति महोदय, थारी नदी की बात मैं करूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, मैं बताना चाहता हूं आप सुनिए इस बात को। मैं निवेदन करूं, वहां पर भी जब मैं मौके पर पहुंचा ..(व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): पांच आदमी बह गये, आप उनको निकालकर नहीं ला सकते थे?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मेरा टेलीफोन रिकार्ड है।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): जब इंडिका कार बहकर नहीं जा सकी तो आप ट्रक लेकर अंदर जा सकते थे, छह आदमियों को ला सकते थे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि माननीय सदस्य, की देखरेख में पांच आदमी बह गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ये यह कहना चाहते हैं कि 5-6 व्यक्ति मंत्रीजी की देखरेख में बह गये। आप उपलब्धियों का बता रहे हैं क्या? बताओ तो ढंग से बताओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं, यह मेरे द्वारा उस दिन किये गये टेलीफोन की सूची है जो मैं टेलीफोन विभाग से लेकर आया हूं। मेरे मोबाइल से इतने टेलीफोन हुए जिसमें केन्द्र के रक्षा मंत्री से मैंने बात की कि हैलीकोप्टर उपलब्ध कराओ। केन्द्र के कई मंत्रियों से बात की, यह इसमें इन्द्राज है। यह टेलीफोन रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा .. (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): राजस्थान वाला हैलीकाप्टर कहां गया? आप मंत्रीजी की कार सेवा कर रहे हो क्या ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केन्द्र के रक्षा मंत्री ने कहा कि हैलीकाप्टर नहीं मिल सकता। सेना के एयर चीफ मार्शल से बात की, जोधपुर के कलक्टर से बात की, सेना के कमांडर से बात की, उनसे हमने कहा कि आप हैलीकाप्टर उपलब्ध कराइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। आप विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उन्होंने कहा कि बरसात हो रही है, हैलीकॉप्टर नहीं आ सकता। जब उन्होंने कहा कि हैलीकाप्टर नहीं आ सकते तो हमने कहा, फौज भेजिए। फौज की चार गाड़ियां आईं, वहां भी नाव लेकर आये। सैनिक आये 50, उनकी व्यवस्था भी हमने की। सैनिकों को साथ में लेकर हम लोग वहां पर गये। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो ये टीवी पर दिखाते हैं वह कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, वह क्रेन है। हम लोग क्रेन लेकर चले। वन मंत्रीजी भी उसके ऊपर चढ़ गये थे। क्रेन जब बहने लगी तो क्रेन को वापस लाये, उसकी हवा निकाली गई। हवा निकालने से वज़न बढ़ता है, उसके ऊपर पत्थर की छीणा रखी। छीणा रखकर फिर क्रेन को आगे भेजने की कोशिश की। लेकिन वह क्रेन भी वहां नहीं जा सकती थी, पानी का बहाव बहुत तेज था। इस बात को आप समझिए, कोई अधिकारी वहां पर बचा नहीं सकता था। हैलीकाप्टर आ नहीं सकता था, बरसात लगातार हो रही थी। इस प्रकार से केवल बातें करने से काम नहीं चलता, केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता। इसके बाद एक जगत सिंह राणावत का ट्रैक्टर वहां पर पहली बार गया, उन लोगों को कहा आप लौटकर आ जाइए, आप क्यों आ गये बाढ़ में, पानी बढ़ रहा है। उन्होंने कह दिया, हमारी कार को निकालो, वर्ना हम नहीं आएंगे। जब दुबारा कहा, कि आप बच नहीं पाओगे तो उन्होंने कहा, जा, जा, अपना काम कर, पानी कम हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। इस प्रकार की बात हैं। आपको वास्तविकता का पता नहीं है। पता नहीं है इसलिए हल्ला मचाते हो टीवी पर और जगह-जगह। मैं निवेदन करूं, उसके बाद में जब पानी कम हुआ, हम सब लोग वहीं खड़े थे, कहीं गये नहीं। जब चार लोग बह गये, एक व्यक्ति बचा हुआ था तो उसको बचाने के लिए हम लोग ट्रैक्टर पर गये। सैनिक भी थे और जनता के कार्यकर्ता भी थे, आर्मी दल के भी थे और गोताखोर भी थे। हम सब लोग थे। वह ट्रैक्टर आगे जा रहा था, पीछे-पीछे लोग। 10-10 फुट पर कोई सैनिक था तो कोई जनता का आदमी था। जो सैनिक बचाव में बहा वह ट्रैक्टर पर खड़ा नहीं बहा था, लगभग 150 फीट दूर वह सैनिक भी रस्सा पकड़कर खड़ा था, पिलर की आंटी दी हुई थी। वह पिलर थोड़ा सा हिल गया

(श्री मदन राठौड़)

और वह सैनिक फिसल गया और वह सैनिक बहकर चला गया। उसके बाद भी हम लोग वहीं रहे, चारों ओर नदी के किनारे पर टार्च लेकर लोगों को भेजा और लोग ढूंढने का काम करने लगे। उसमें से एक सैनिक को बचाया जा सका। बाकी बात आप सोचिए, जब इतना पानी बह रहा है, पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, आप कल्पना करो, जो कार आपने टीवी पर देखी है वह कार क्या नदी के पुल पर खड़ी रह सकती है? वह कार एक पिलर के सहारे टिकी हुई थी, उसके ऊपर आदमी खड़े थे। पुलिया के ऊपर इण्डिका कार, इण्डिका कार लगभग साढ़े चार फीट होती है उसके ऊपर जो आदमी खड़े थे उनकी कमर तक पानी था। दो-ढाई फीट पानी है। पुलिया के ऊपर जब 6-7 फीट पानी हो, आप कल्पना करो, जब पुलिया पर कोई 6-7 फीट पानी बह रहा हो तो वहां पर कोई कलक्टर जाकर बचाकर ला सकता था? कौन बचाकर ला सकता था? यह प्राकृतिक आपदा थी जो किसी को बताकर नहीं आती है। सभापति महोदय, अगर ये होते तो वे लाशें भी नहीं मिल पातीं। हमने प्रयास किया, मालवीय बंधुओं को भेजा और एक-एक व्यक्ति की लाश ढुंढवायी चाहे कोई जालौर में मिली हो, चाहे कोई लूणी नदी में, चाहे बाड़मेर के पास में मिली हो। हम सब लोग वहीं लगातार लगे रहे और वहां लगकर इस प्रकार की व्यवस्था की। यही नहीं, जो लोग मर गये, उनके परिजनों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा भी दिया। यह कोई कम बात नहीं है। हमने समय पर पूरा काम किया।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः सभापति महोदय, यह क्या कर रहे हैं?

श्री सभापतिः समय की सीमा है। 30-35 लोग बोलने वाले हैं। (व्यवधान) अब आप प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः आप सब वहां पर आये भी।

श्री सभापतिः माननीय श्री पुष्प्रेन्द्र सिंह।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः यह मुझे नहीं मालूम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे।

बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे, उनकी जितनी सांसों में आंटियां हैं उतनी उनके दिल में हैं, वह आए, गए कहां, जब वह कुठारिया गए। मैं जानता हूं यह विधायक वहां मौजूद हैं जब वहां जनता ने उनको धक्के देकर निकाला

कि आप आए और किया क्या ? कुछ लेकर तो नहीं आए, कुछ भी लेकर नहीं आये, केवल क्या फोटो खिंचवाने के लिए आए थे? क्या अख़बार में फोटो दिलवाना था अपना, कुछ लेकर आते। आपने कोई सहायता की? आपके पास भामाशाहों की कमी है? क्या आपके सम्पर्क इतने नहीं हैं ? आप कुछ मदद नहीं कर सकते थे, आपने कोई मदद नहीं की, आपके कई नेता भी आए, हवाई सर्वेक्षण भी किया वे आये लेकिन दिया कुछ भी नहीं। मैं आपको विश्वासपूर्वक कहूं, मेरे सुमेरपुर क्षेत्र में इन्होंने एक धेला नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। सारा कुछ किया या तो मदन लाल राजस्थानी ने किया या वहां के जो स्थानीय भामाशाह थे उन लोगों ने सामग्री उपलब्ध करवाई, वह सामग्री हमने वितरित करवाई। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के सभी मंत्रियों ने बहुत सहयोग किया, पूरी सरकार जनता के साथ कंधे से कंधा लगाकर लगी हुई थी। पूरी सहायता उपलब्ध करवाई, पूरी राहत दी, जनता बहुत खुश है और हमारे क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से इस आशीर्वाद में और बढ़ोतरी होगी।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप 17 सौ करोड़ की जो बात कर रहे हैं वह तगारामजी ने कह दी और यह फिर भी कहते रहेंगे।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इनको तो जरूर बुलवाएं।

श्री सभापतिः हां, बुलवाएंगे। इनका अब की बार नम्बर आएगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें। प्लीज नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): साहब, एक मिनट में।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, 19 अगस्त

को बाड़मेर में मूसलाधार बरसात हुई, 20 को हुई और 21 को शाम तक इतनी बरसात पड़ गई जिससे ऐसी स्थिति हो गई कि अब क्या करें। मैं भी गया पानी देखने, कवास की तरफ तो पानी आने का पूरा खतरा था। आगे गया तो मेरी गाड़ी भी उस पानी में रह गई। आगे गया तो दूसरी गाड़ी वाला मिल गया, भगवान ने मेरे को बचा दिया और मैं बाड़मेर पहुंचा। उस दिन रात को कवास में पानी इतना वेग से आया, तीन-तीन नदियों के द्वारा, प्रशासन ने पहले सचेत भी किया लोगों को परन्तु कुछ ऐसा भी विश्वास था क्योंकि कवास पहले कई बार डूब चुका है इसलिए कई घर बच गये, कई डूब गये, इस तरह से हुआ। इस कारण से कुछ लोगों ने यह सोचा कि हम बच जाएंगे। बाकी तो बाहर निकल गये, लोग अटक गये अंदर और डूब भी गये, यही हाल मलवा, उसी दिन रात को, मलवा इतना डूबा नहीं था कभी भी लेकिन मलवा डूब गया और 22 के दिन को कवास में इतना पानी आ गया था, उस समय राहत कार्य भी शुरू हो गये, प्रशासन पैरों पर खड़ा था और हैलीकाप्टर भी पहुंचा, नावें भी पहुंचीं, यह सारा प्रबंध हुआ, परन्तु उसके उपरांत भी इतना पानी आया था कि उसको जेसीबी से तोड़कर फिर आगे प्रवाहित किया। 9 गांव और जलमग्न हो गये, वहां के लोगों को भी हमने दौड़कर बचाया कि बाहर चले जाओ। तो वह तो 9 गांवों की पूरी जनता बच गई, लेकिन कवास और मलवा में पानी एकदम आने के कारण यह मौतें हुई हैं। उसका मुझे बहुत एक इतना गहरा सदमा है कि अब क्या करें हम। हमारे मतदाता हैं, वे पानी में बह गये, कुछ घरों में डूब गये, कुछ भी हुआ लेकिन इतना ही नहीं था। घरों में रूके हुए भी थे, हैलीकोप्टर से, नांवों से कितनों को ही बचाया, नदी के बीच में से भी कितनों को ही बचाया है। वह संख्या तो अभी राहत मंत्रीजी बोल रहे थे, उनके पास है। मैं तो दौड़-भाग में ही रहा इसलिए टोटल करने का तो मेरे को समय ही नहीं मिला। अभी भी यहां विधान सभा थी इसलिए आया हूं, वर्ना वहीं बीच में राहत सामग्री बंटवाने में, बांटने में लगा हुआ था तो प्रशासन ने कोई कमी नहीं रखी जनता को बचाने के लिए। कवास जब डूब गया, पहले भी कई बार डूबा मेरे देखने में लेकिन इतना पानी पहले कभी नहीं आया, इस कारण से 9 गांव और जलमग्न हो गये- बाटपुरा, बरवाला के सात और मुरडिया का एक और चवा का एक, इस तरह से 9 गांव और जलमग्न हो गये थे। वहां भी उनके घर बाकायदा सारा सामान डूब गया, लोग-बाग़ बच गये। उसके बाद में मदद करने में प्रशासन ने, मुख्य मंत्री महोदया स्वयं ने तीन

बार पधार करके अधिकारियों की मीटिंगें लेकर जिसमें मुख्य सचिव महोदय भी थे, सारे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मीटिंगें ले लेकर बाकायदा सब को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए, यह कार्य किया है। यह वहां की जनता जानती है। मकान कितने ध्वस्त हो गये, पक्के कितने, कच्चे कितने, उनका भी मुआवजा- पक्के का 10 हजार और कच्चे का 6 हजार, यह दिया है तुरन्त। इससे पहले, सबसे पहले तो क्या दिया है, उन परिवारों को जिस घर से किसी की मौत हो गई थी, आश्रितों को सबसे पहले 50 हजार रुपये तत्काल बंटवाये मुख्य मंत्री महोदया ने। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री और राहत मंत्रीजी तो पहले ही पहुंच गये और जलदाय मंत्रीजी भी साथ में थे, तो उन्होंने वहां खड़े रहकर, और रोड्स तो आपने देखी नहीं हैं, देखी हैं वे बता सकते हैं, अभी पता नहीं बीकानेर से पधारने वाले माननीय सदस्य कल्ला साहब ने कहा कि बिंदयाणी गया, कहां गया...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): वह जो कैलाश इंटरनेशनल होटल है उसमें मुर्गे की मांग कौन से मंत्रीजी ने की थी, यह भी फर्माना जरा।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): क्या, क्या ?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): क्या हुआ ?

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह दिल्ली के मंत्री थे, भारत सरकार के।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं, नहीं, यहीं के थे, वह रिकार्डिंग है। मैं मंत्रीजी का नाम नहीं लेना चाहता, यहीं के थे। उन्होंने यह कहा, कैलाश इंटरनेशनल में बहुत दिन हो गये मुर्गे तोड़े हुए, मुर्गा लाओ मेरे लिए, वीडियो क्लिपिंग है इसकी।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): जानकारी नहीं है आपको।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह आपकी जानकारी सही नहीं है, भारत सरकार के मंत्री थे। और देख लेना एक बार।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं, नहीं। आप क्या कह रहे हैं, मेरे सुनने में नहीं आ रहा है, जोर से बोलो?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कह रहे हैं कि तगारामजी को मंत्री बना दो तो सब ठीक हो जाएगा। यह कह रहे हैं ये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): वह तो आपके हाथ की बात है नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम तो चाहते हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): नहीं, आपके कहने से नहीं होगा।

श्री सभापति: अब आप बीच-बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): इतना पानी आया, इतना पानी आया, आज की तारीख में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का मलवा, कवास, सबसे बड़ा गांव तो कवास है और मलवा ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और अंडाणियों का तला, पेसावा आगोर...

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखकर बोलें। आप उधर नहीं देखें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से। माननीय सभापति महोदय, आज भी मैने कहा, कवास एक, मलवा दो, लापणलाणी तीन, अंडाणियों का तला, चार, और पेसावा आगोर, कुछ घर डूबे हुए हैं पांच, नया बुरडिया छह, उतरलाई सात, कुड़ला आठ, इन गांवों में अब भी पानी है और घर पानी के अन्दर हैं परन्तु उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है राजस्थान सरकार ने, जिला प्रशासन ने। मंत्रीगण सारे वहां मौजूद, विधायक पूरे हमारी पार्टी के मौजूद और मैं तो वहां का हूं इसलिए मैंने तो रात-दिन एक किया। दुर्भाग्य से उस समय मेरे भाई का देहांत हो गया था, उस शोक से बीमार भी पड़ गया था, लेकिन बीमारी को भी मैंने ताक में रखकर और कंधे से कंधा मिलाकर राहत पहुंचायी। मैंने मेरे हाथ से कितने ही हजार को राहत बांटी।

राजस्थान सरकार का तो मैं किस तरह से आभार व्यक्त करूं, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने वो जो नेशनल हाई-वे जगह-जगह से टूट गई थी, दूसरी सड़कें टूट गई थीं, आवागमन रुक गया था, उसको तत्काल चालू करवाया है उसकी मैं वास्तव में आभार के साथ प्रशंसा करता हूं। जलदाय मंत्रीजी ने भी पानी की पाइप लाइनें बहुत जल्दी ठीक करवायीं। नहीं हुई हैं जहां पर उनके स्रोत पानी में डूबे हुए हैं, कवास जैसे क्षेत्र में, वहां पर टैंकरों से

(श्री तगाराम चौधरी)

पानी पहुंचाया और दूसरी पानी डालने की टंकियां बंटवाकर सारा प्रबन्ध किया। इतना प्रबन्ध मैंने कभी नहीं देखा है बाढ़ में। बाढ़ तो बालोतरा में आती रही है, मैं देखता रहा हूं, लेकिन मेरे वहां इतनी बाढ़ इस बार आई और कभी नहीं हुआ, इतना अच्छा प्रबन्ध हुआ है।

अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्षजी कह रहे थे कि क्या किया, क्या किया, मैं तो कह रहा हूं कि गिनना भी मुश्किल है कि कितना बांटा, कितना बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वह सारी एक मुहिम चल पड़ी है। यह बात जरूर है कि सेना के जवानों ने हैलीकाप्टरों से, नाव से तैराकों ने, इन्होंने सब ने भी बहुतों को बचाया है। जो संख्या राहत मंत्रीजी बता रहे थे, उससे भी ज्यादा बचाये हैं, कम नहीं बचाये हैं। परन्तु इतना बड़ा यह तांडव होने के उपरांत भी मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय सोनिया जी पधारीं, साथ में अशोकजी भी, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई घोषणा वहां पर नहीं की। इस बात को सुनकर मुझे बहुत आघात पहुंचा कि भारत सरकार क्या करना चाहती है इतनी बड़ी आपदा में, इस तरह की त्रासदी में। राजस्थान सरकार ने सब कुछ किया है बिजली, पानी, सड़कें, चिकित्सा इन सब में। खाद्य सामग्री भी मुफ्त में बंटवाई, वह तो अलग है। लेकिन जहां पर खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाई थी, उसको भी तत्काल पहुंचाने में, किसी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस प्रकार का प्रबन्ध मैंने आज तक नहीं देखा है। परन्तु इसके उपरांत मैं यह भी सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी राहत और ज्यादा पहुंचे, और जितनी जमीन किसानों की पानी के साथ में बहकर गई है, खड्डे पड़ गये, धोरे पड़ गये, उनको सुधारने के लिए भी तत्काल और सहायता की आवश्यकता है। परन्तु अब मैं तो यह मानता हूं कि ज्यादा दायित्व ऐसी आपदा में भारत सरकार का होता है। अब सी आर एफ है, उसका पुराने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं।

श्री सभापतिः अब आप रिपीटीशन कर रहे हैं, कृपया समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मुझे गहरा अफसोस है कि हिसाब मांग रहे हैं। यह हिसाब मांगने का समय है? यह राहत पहुंचाने का समय है, राहत देने का समय है। वह तो गया। स्टडी टीमें भेज दीं, एक भेज दी, दो भेज दीं। सोनियाजी के साथ मंत्रीजी मुखर्जी साहब आये थे और मुखर्जी साहब पत्रकारों से पीछा छुड़वाकर भाग निकले। कवास से लोग पैकेज मांगने आ गये थे

(श्री तगाराम चौधरी)

इसलिए वहां सोनियाजी और अशोकजी कुछ नहीं बोले। अभी आप में से माननीय कल्ला साहब बता रहे थे कि मैं वहां गया झिंझलियावाली, क्यों गये झिंझलियावाली? कवास आते। बाडगा की बात कर रहे हैं, बाडगा से पानी गया है मलवा। पता ही नहीं है आपको कि कहां मलवा है, कहां बाडगा है। मेरे को पता है, मेरे को पीड़ा है, मेरी जनता है वह दुःखी है।

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): तगारामजी, वो पैसे दे गये जिनका तो आपने एरोप्लेन खरीद लिया 25 करोड़ का।

श्री सभापतिः अब आप बीच-बीच में व्यवधान क्यों खड़ा कर रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पूरा एरोप्लेन खरीद लिया। गरीबों को दो, क्या करते हो? आप समझाइश करो, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, आपकी बात नहीं मानतीं क्या मुख्य मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पैसा दिया है, इनके पास कमी नहीं है धन की। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जोगारामजी तो जोश ही जोश में बोल रहे हैं, आप तो सत्य बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अपनी सीट से तो बोलो।

श्री सभापतिः आप बीच-बीच में खड़े नहीं हों।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सीट से बोलें, कुछ भी बोलें, बोलने दो। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। माननीय तगारामजी, अब आप समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, मैं गलत थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हां, उनको बिठाओ, वो गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजें आप। आप समाप्त करें अब।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): समाप्त कर दूं?

श्री सभापति: हां।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): शुरू ही किया है और समाप्त कर दूं?

श्री सभापति: आपको जो कहना है वह कह दिया। अब 15 मिनट में आपने शुरू ही नहीं किया तो फिर और क्या कहेंगे आप? समय की सीमा है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें अब।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आप इनको कह रहे हो या मेरे को कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: कौन किसकी पोल खोल रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है, सब को पता है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बात चल रही है पानी को निकालने की कवास से। कवास पहले कई बार डूब चुका है उस समय तो किसी ने पानी निकाला नहीं, मैंने यह देखा नहीं। लेकिन इस बार एक प्रचार भी चला, उसमें राजनीति थी कि पानी निकाला जाए, पानी निकाला जाए। पानी निकाला लेकिन निकल नहीं रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर बांध बनाया जाएगा तो उत्तरलाई का हवाई अड्डा है वह भी बच सकता है, नहीं तो आज भी पानी से भरा हुआ पड़ा है। (व्यवधान) और जो नदियां कवास आ रही हैं और उन्होंने रास्ता बना लिया है.....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आपका स्वास्थ्य कमजोर है इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कह रहे हैं कि आप विराज जाओ, ठीक रहेगा। स्वास्थ्य कमजोर है इसलिए कह रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं तो कमजोर नहीं हूं, आप कैसे कह रहे हो? कमजोर कैसे हूं? दूसरे लोग रात को सोते हैं, मैं तो रात को भी दौड़ता रहता हूं और आज भी खड़ा हूं।

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। माननीय श्री हेमारामजी चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): तो मैं यह कह रहा हूं कि प्रबन्धन में तो कोई कमी नहीं है परन्तु जिनका दायित्व बनता है, आपदा कोष में भरपूर मदद देनी चाहिए उसका अफसोस है। 17 हजार करोड़ का अख़बार में देखा, उसमें भी कुछ नहीं है। वह तो आत्महत्या करते हैं, उनको देते हैं। आत्महत्या करने वाली बात जनता समझती है, आत्महत्या नहीं, वह तो चुनाव जीतने के लिए पैसा दिया गया है। लेकिन यहां चुनाव नजदीक नहीं हैं इसलिए राहत

(श्री तगाराम चौधरी)

पहुंचाई नहीं गई। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप कृपया, कल भी आप इकट्ठे कर रहे हो, करो, कुछ भी करो लेकिन सही नहीं करोगे और आपके मन में कुछ और बाहर कुछ दिया तो फिर आपको और भुगतना पड़ेगा। अभी तो हमारे को शिक्षा दे रहे हो कि तुम्हारा क्या होगा। हमारा तो अच्छा ही होगा, ईमानदारी से बात कर रहा हूं। लेकिन भीतर पाप रखकर पिछले अकाल में भी कुछ नहीं दिया, अभी भी कुछ नहीं दिया और फिर कह रहे हैं कि यह कर दो, वह कर दो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। एक नाली खोद दी लेकिन आगे भी बहुत गांव हैं, आगे जाकर उनको भी खतरा रहेगा इसलिए बाँध बन जाए और उत्तरलाई के पानी को जोड़ दिया जाए तो फिर हवाई अड्डा बचेगा और वहां बहुत अच्छी खेती होगी और एरिया सरसब्ज होगा, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापतिः अब आप समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): और जिन किसानों की जमीन खराब हो गई है उनको भी भरपूर मुआवजे का प्रबन्ध होना चाहिए। अभी कह रहे थे कि हमको कहा नहीं, नहीं तो मंगवा देता। अभी भी मंगवा दो। धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हेमारामजी चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, आज बाढ़ के विषय पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने सुझाव रखना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व तीन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। बाड़मेर जिले में इस प्रकार की बाढ़ पहली बार आई है, आज से पहले कभी भी इस प्रकार की बाढ़ नहीं आई है। न तो किसी ने देखा, न किसी ने सुना।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): बाड़मेर जिले में तो कई बार आई है, कवास में नहीं आई।

श्री सभापतिः जहां आई है, वहां की ये बात कह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बाड़मेर जिले में नहीं आई। लूणी नदी है, सूकड़ी नदी है, ये हमेशा चलती रहती हैं। कभी इनमें ज्यादा पानी आता है तो थोड़ा-बहुत पास में नुकसान हो सकता है लेकिन बाढ़ नहीं है। उसको बाढ़ नहीं कहते। वह तो नदी आती है, कभी नदी आती है, कभी नहीं आती है। अभी आप चाहते हो लेकिन नहीं आई।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): 1979 में बालोतरा में पानी

आया था, यह आपको पता है, आपकी ढाणी तक पानी पहुंचा था। वहां कोई नदी थोड़े ही है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): वह लूणी नदी ही थी, वह लूणी नदी का था। जो आप चाहते हो, जो आप चाह रहे हो लेकिन नहीं आया तब। जो आप चाह रहे हो वह तो हुआ नहीं, जो नहीं चाह रहे हो वह हुआ। ऐसा होता है, प्रकृति की वजह से होता है लेकिन आपके कुछ कर्म भी ऐसे ही होंगे। शायद आपके कर्मों की वजह से यह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपके कुछ कर्म ही ऐसे होंगे, इसलिए हो रहा होगा।

सभापति महोदय, जो बाढ़ आई, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा बरसात जब होती है, उससे पहले जिले में बाढ़ राहत कमेटी की बैठक होती है। सभी जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और पूर्व तैयारी की जाती है बाढ़ के बारे में कि अगर बाढ़ आ गई तो क्या किया जाना चाहिए होती थी पहले, मुझे ध्यान है। मैं विधायक था और मैंने कई बार मीटिंग में भाग लिया है। लेकिन इस बार बाड़मेर जिले में इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं बुलाई है गई (व्यवधान) मुझे क्या, मेरे ख्याल से मीटिंग ही नहीं की गई। अगर बुलाई गई तो आप बता दो। ऐसी कोई मीटिंग बुलाई हो तो आप बता दो। ये 19 से 21 तारीख के बीच में इतनी बरसात हुई और बाढ़ आई, उससे पहले कभी भी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इनके कहने का मतलब है कि बाढ़ आ ही नहीं सकती, जैसा कि इनको कोई आगे का सारा पता पड़ता होगा। यह तो पूर्व तैयारी होनी चाहिए। अगर बाढ़ नहीं आती तो मीटिंग में क्या हर्ज था? पहले से आपको तैयारी करने में क्या दिक्कत थी? आपको नावों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपको सारी व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए थी तो इस बाढ़ से निपटा जा सकता था आसानी से, लेकिन आपने कोई तैयारी नहीं की। आपको बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना देनी थी क्या? अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोग जान-बूझकर नहीं गये। लोगों को सूचना ही नहीं मिली। आप बता दो, 19 को बारिश हुई, 20 को बारिश हुई और 21 की शाम को बाढ़ आई, 21 की रात को लोग बाढ़ से घिरे। तीन दिन तक लगातार भयंकर बारिश हुई, 400 एमएम. आप

(श्री हेमाराम चौधरी)

बता रहे हैं तो आपने 19 को इत्तला दी क्या? 20 को आपने इत्तला दी क्या? 21 को आपने इततला दी क्या? आपने पत्रों के माध्यम से लोगों को सूचित किया क्या? किसी प्रकार से क्या तरीका था जिसके द्वारा आपने लोगों को सूचना दी? कोई न कोई तरीका तो होगा, आप बता दो, आपने कैसे लोगों को सूचना दी? कोई सूचना थी नहीं प्रशासन की ओर से।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय हेमारामजी, 19 तारीख को थानेदार बायतू मनीष चारण ने जाकर सब को इत्तला की कि पानी आ रहा है। जो रामदेवरा की बस जा रही थी, पुलिस की चौकी के सामने की बात आप कह रहे हो कि पुलिस की चौकी थी, बस नहीं रोकी। ऊपर-नीचे भरी हुई थी बस तो उसने देखा कि मेरा चालान हो जाएगा, मैं रोकूंगा गाड़ी तो मेरा चालान हो जाएगा, वह चालान के भरोसे आखिर तक भागता रहा और पानी में गिर गया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप विराजो तो सही। 19 तारीख को आप कह रहे हैं कि आपका मनीष चारण सूचना देने गया। एक व्यक्ति जाकर एक गांव में कितने परिवारों को सूचना देगा? एक कवास की 700 की आबादी है और जैसलमेर से यह पानी आया है, फतेहगढ़ से पानी आया है। कितने किलोमीटर दूर से चलकर पानी आया है? और इस बीच में कितने गांव और कितनी ढाणियां आई हैं? उन सब जगह पर एक आदमी जाकर सूचना दे सकता है? आपको पत्रों के माध्यम से सूचना देनी चाहिए थी, अखबारों में यह बात देनी चाहिए थी कि इतनी बरसात हो रही है, मौसम का खतरा है, बाढ़ आ सकती है, सावचेत रहो, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाओ। लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी। कह रहे हैं अभी कि चुन्नीलाल जी एस.डी.ओ. कवास गये, बाढ़ में घिर गये, उनकी गाड़ी भी पानी में डूब गई, उनका ड्राइवर भी पानी के अन्दर रहा। भगवान ने बचा दिया। जो सूचना देने की बात मनीष चारण की है, एस.डी.ओ. साहब कवास क्यों गये थे? वह भी तो सूचना देने ही गये थे, और क्या वह पानी के आगे हाथ लगाने के लिए गये थे क्या, पानी को रोक रहे थे क्या, वह पानी को रोक सकते हैं क्या? वह सूचना देने गये थे। वह सूचना देने कब गये, बाढ़ आई तब। वह खुद ही फंस गये और लोग कैसे निकलें, बताओ? जो सूचना देने गया, वह खुद ही बाढ़ में फंस गया, अब लोग कैसे निकलें, बताओ? लोगों को सूचना कैसे मिलती? लेकिन यह सही चीज को कोई स्वीकार नहीं करता। सच्ची बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सच्ची

बात कहना कोई नहीं चाहता। कहते हैं मारवाड़ी में कि सच्ची बात कहना मेरे माथे पर मारना है। इनको सच्ची बात कहो तो इनको बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है, इसलिए सच्ची बात कोई सुनना नहीं चाहता। मत सुनो, हमें क्या तकलीफ है? सुनो तो आपकी मर्जी है। आप तो कह रहे हैं कि पहली बार बाढ़ में इतना प्रबन्ध हुआ है, पहली बार। यह बाढ़ ही तो पहली बार आई है, उसके पहले प्रबन्ध क्या होता? प्रबन्ध पहले क्या होता, बाढ़ ही पहली बार आई? मरे ही अब की बार है, डूबे भी अब की बार हैं। आज से पहले कौन डूबे, कितने डूबे, कितने आदमी डूबे? मरा हो कोई तो आप बता दो। लूणी नदी की बात है, वह तो अलग है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): आपको पता नहीं है, पहले भी कवास में डूबे हैं। पहले भी डूबकर मरे हैं, नोसल में मरे हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बोल लिये, अब इनको बोलने दो पाँच मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, पहले कितने डूबे, यह बता दो? अभी 109 आदमी डूबे हैं, 109 आदमी कहां डूबे? सब बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में। डूबे। कवास, मलवा, दो जगह और तीसरी नीमला और भाडखा के बीच में, अभी गृह राज्य मंत्रीजी बता रहे थे कि नीमला और भाडखा के बीच में, शिव से 14 किलोमीटर नीमला के आगे चार किलोमीटर भाडखा और नीमला के बीच में, शिव से 14 किलोमीटर पड़ता है, शिव थाना नेशनल हाई-वे के ऊपर है और उस थाने के आगे से बस निकली, ऊपर-नीचे बस ठसाठस भरी हुई थी। ये अभी कह रहे हैं, उस बस को थाने वाले रोक नहीं सके। अगर उस बस को रोक देते 21 तारीख को, यह बस 20 तारीख को निकली है, बस को रोक देते तो वह हादसा थोड़े ही होता, वे लोग थोड़े ही मरते? कितने लोग मरे उस बस में? एक स्कोर्पियो गई नदी के अन्दर, यह भी तो नहीं रोक सकते थे क्या? उन्होंने नहीं रोकी बस। गृह राज्य मंत्रीजी ने अभी सदन में कहा कि बस को रोकने की कोशिश की लेकिन वह रुका नहीं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जब उनको देखा, बस देखते ही पीछे दौड़े पुलिस वाले कि रोको, रोको, लेकिन वह आगे भागता रहा और पानी आ गया, नदी आ गई।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक मिनट, पीछे रोकते रहे और

वह भागता रहा, उसको रोका नहीं। भागता गया तो आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): वे पानी में डूब गये हैं, अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाओगे? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनको कहो कि ऊपर जाकर करें मुकदमा। इनको कहो ऊपर जाकर मुकदमा दर्ज करवाना। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अब वह मना करने के बावजूद चले गये ...(व्यवधान) पुलिस क्या करेगी?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, जब बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं एक शब्द नहीं बोला, अब यह सुन तो लें। अब इनके सुनने में भी तकलीफ है, ये सुन भी नहीं सकते।

श्री सभापतिः आप बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ये सुन भी नहीं सकते तो ये आखिर में करेंगे क्या? इनको सुनने में क्या तकलीफ हो रही है? आप सुन तो लें मेरी बात, इतना तो धैर्य रखें। करें या नहीं करें, यह इनकी मर्जी की बात है, करो आपके जंचे वैसा। फायदा हो वैसा करना, कोई बात नहीं, करना मत, लेकिन सुन तो लो। शिव से आने वाले माननीय सदस्य बाढ़ के प्रति कितने गम्भीर हैं, यह इससे स्पष्ट होता है। मैं इनसे क्या खोस रहा हूं? मैं इनका नाम लेकर इनकी कोई गलती निकाल रहा हूं क्या? मैं तो यह एक हकीकत तथ्य है, उसको रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तथ्य सही नहीं हो तो बाद में जवाब दे दें मंत्रीजी, लेकिन इस तरह से बीच में नहीं बोलें।

श्री सभापतिः अब आप बीच में नहीं बोलें प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि उस गाड़ी को रुकवा देते। ये कह रहे हैं कि पीछे भागे, मुकदमा क्या दर्ज करवाते। मुकदमा सिणधरी के अन्दर दर्ज करवाया है। सिणधरी के अन्दर एक जीप को पुलिस ने इशारा किया रुकने का लेकिन वह जीप वाला रुका नहीं और उसने जीप नदी के अन्दर डाल दी, आगे क्रास करने की कोशिश की, नदी के अन्दर पानी आया हुआ था, वह आगे रुका नहीं। उसने देखा कि निकाल लूंगा नदी से और नदी में जीप उलट गई, एक आदमी खतम हो गया। उसके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है 279/304, एक आदमी मर गया। मर जाता तो मर जाता, बच गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): ये कह रहे हैं कि मर जाते, जब सिणधरी थाने के अन्दर मुकदमा दर्ज हो सकता है, गाड़ी नहीं रोकी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है तो शिव थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो सकता? वहां तो एक आदमी मरा सिणधरी में और शिव थाने के आगे से गाड़ी निकली, वहां तो कम से कम 40 आदमी मरे हैं। उस सड़क के ऊपर नदी में डूबने से 40 आदमी मरे हैं। यह लापरवाही नहीं है क्या? यह जिम्मेदारी नहीं थी पुलिस की रोकने की? पुलिस को मालूम ही नहीं था क्या कि आगे पानी है, नदी चल रही है? पुलिस को ही मालूम नहीं, पुलिस थाने को ही मालूम नहीं था। फिर सूचना कहां देते, किसको देते, कैसे देते, आप बताओ तो सभापति महोदय, कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं कुछ गलती तो हुई है। ऐसी बात नहीं, खैर, स्वीकार तो कौन करे? स्वीकार तो कोई दुनिया में करने वाला है ही नहीं। गलती कौन स्वीकार करेगा? अपने को कौन बुरा कहेगा? यह तो सभी जानते हैं। आप बहुत बखान कर रहे हैं, बहुत प्रबन्ध हुआ तो फिर बहुत प्रबन्ध हो गया तो ठीक है, फिर हमारे को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही और आप लोगों को भी कुछ कहने की बात रही ही नहीं। फिर आप लोग प्रशंसा करने के लिए ही खड़े हुए हैं क्या यहां? जो आप यह कह रहे हो कि बहुत हो गया, पहली बार हो गया, मेरे कहने का मतलब है कि यह पहली बार बाढ़ है, यह कुछ भी नहीं हुआ है। अभी दस हजार रुपये दे रहे हो आप पक्के मकान वालों को, क्या दे रहे हो, यह क्या काफी है? छह हजार रुपये दे रहे हो कच्चे के, आप कह रहे हैं, राठौड़ साहब बोल रहे हैं पचास हजार रुपये दिये, दूसरे स्टेट्स में कितने दिये हैं? गुजरात में भी बाढ़ आई है, गुजरात में बाढ़ से मरने वालों को कितनी सहायता राशि दी है मृतकों के परिवार को? एक-एक लाख रुपये दिये हैं। अगर मैं गलत बयान करता हूं तो आप मुझे अभी कह दें कि आप गलतबयानी कर रहे हैं। दूसरी जगह दिये हैं, बिहार में दिये हैं, नीतिश कुमार ने दिये हैं, गुजरात में इनकी गवर्नमेंट है, बिहार में भी इनकी है, वहां पर एक-एक लाख रुपये दिये हैं। तो राजस्थान में आप नहीं दे सकते थे

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एक-एक लाख तो हमने भी दिये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी: किसको दिये हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं बताऊं आपको।

श्री हेमाराम चौधरी: किसको दिये हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणा: दिये हैं न।

श्री हेमाराम चौधरी: अभी बाड़मेर में दिये हैं क्या?

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हां, एक-एक लाख दिये हैं, हां।

श्री हेमाराम चौधरी: एक-एक लाख इन मृतक परिवारों को? पचास हजार रुपये दिये हैं आपने।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: पचास भी दिये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी: एक दिये होंगे...

श्री अमराराम चौधरी (गृह राज्य मंत्री): सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक ने पचास हजार रुपये दिये हैं और पचास हजार रुपये वह, मिलाकर।

श्री हेमाराम चौधरी: सेंट्रल कोआरेटिव बैंक ने दिये हैं वे तो उनके जो सदस्य हैं..

श्री अमराराम चौधरी: हां, वह मानते हैं। वे शामिल नहीं हैं, यों ?

श्री हेमाराम चौधरी: वे शामिल नहीं हैं और उसमें...

डा. किरोड़ी लाल मीणा: वे भी शामिल हैं।

श्री हेमाराम चौधरी: वे भी शामिल है, जो कोआपरेटिव बैंक के सदस्य नहीं हैं उनको आप कहां से दोगे, कैसे दोगे, आप बात करते हो। उनको आपने दिये हैं, उनको आप कैसे दोगे? ये आपने एक-एक लाख रुपये नहीं दिये, कम है। आपको कम से कम एक-एक लाख रुपये तो देने चाहिए, नहीं दो तो मर्जी है आपकी, हमारा तो कहने का है। सीआरएफ नार्म्स के हिसाब से केन्द्र सरकार से मेरे को पचास हजार रुपये मिले हैं, तो आपने फिर क्या दिया? पचास हजार रुपये तो केन्द्र सरकार के...

श्री अमराराम चौधरी: वे कृषि मंडी के तहत वह एप्लाई करेंगे तो वह भी मिलेगा।

श्री हेमाराम चौधरी: यह तो पचास हजार रुपये केन्द्र सरकार ने दिये, वही तो आप दे रहे हो। सीआरएफ की बात कर रहे हो तो आपने फिर घर से क्या लगाया? आपने कोई हींग न फिटकरी लगाई, आपके तो महावीरजी वाली आंगली है, आप तो यों ही, आपने महावीरजी को कहा, खीर जोरदार बनी और महावीरजी ने कहा, भई मेरी तो यह आंगली है, बाकी तो मेरे घर से कुछ लगा नहीं। पैसा तो भारत सरकार का, गाली भारत सरकार को दो, घर से कुछ

(श्री हेमाराम चौधरी)

टका, हींग-फिटकरी लगाई नहीं और प्रशंसा यहां करवाना चाहो और हमारे से भी करवाना चाहो कि हम भी आपकी प्रशंसा करें। आप प्रशंसा कर रहे हो न, इससे नहीं। सर्टिफिकेट मांग रहे थे, अभी मंत्रीजी कह रहे थे, इनको राज्यपाल ने सर्टिफिकेट दे दिया, इनको महामहिम उप राष्ट्रपति ने सर्टिफिकेट दे दिया, इनको प्रतिपक्ष के नेता ने सर्टिफिकेट दे दिया। इनको मैं भी सर्टिफिकेट दे दूं, लेकिन बाड़मेर जिले की जनता इनको सर्टिफिकेट नहीं देगी। वह सर्टिफिकेट देगी तब सर्टिफिकेट मिलेगा इनको, हमारे देने से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हम तो अपने मतलब के लिए इनका बखान कर सकते हैं, इनको आसमान पर चढ़ा सकते हैं, चढ़ाते हैं। यह दुनिया है, लोगों को आसमान पर चढ़ाकर ऐसे गिराती है, याद करती है दुनिया। इसलिए याद रखना, ध्यान रखना। सच्ची-सच्ची बात कहता हूं, बुरा लगे तो मर्जी है आपकी। मैंने आपसे कुछ लिया न कुछ मांगा, न कुछ मेरे को चाहिए, लेकिन जनता के लिए कह रहा हूं, अगर आप करोगे तो। मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया, हम ही सब जनता की सोचते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। चिंता आपको भी है, करना आप भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही चीज तो कहो आप कि हमने यह किया है, हम यह कर रहे हैं, उसको आप बढ़ा-चढ़ा कर ज्यादा करते हो, वह थोड़ा ठीक नहीं है, इतना सा मेरा आपको कहना है। इसलिए आप मेहरबानी करके ठीक ढंग से करिये।

एक मिनट, सभापति महोदय, आपने पानी की बात कही कवास से निकालने की, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, एक बार ही तो आपने हमको पूछा, बुलाया। हम आ गये मीटिंग में, नहीं आये हों तो बताओ। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, मैं आया, उसमें यह रामनारायणजी डूडी भी थे, प्रभारी मंत्रीजी अभी हैं नहीं, वह मौजूद थे। उनको पूछो, मैंने कहा, भई सर्वदलीय बैठक आपने बुलाई, पानी तो कवास में है, मलवा में है, यह लापल नाडी में है, यह बाड़मेर कांस्टीट्एंसी में है ज्यादातर पानी जो भरा हुआ निकालने की बात है, यह पूरा का पूरा बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र का मामला है, इसलिए बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र के विधायक इस मीटिंग में आते, वह अपनी राय व्यक्त करते तो हम भी कुछ सोचते कि उनकी क्या राय है। वह नहीं भी आये तो मैंने यह कहा था, जो उनकी राय है वही मेरी राय है, जो वह सुझाव दे दें वही आप कर देना और पानी निकाल सकें तो निकाल दें। यह कहते हैं, सर्वसम्मति से तय हुआ वहां धोलापालिया से पानी

(श्री हेमाराम चौधरी)

निकालने का। जब सर्वसम्मति से तय हो गया धोलापालिया पानी निकालने का चैनल बना कर 6 किलोमीटर, तो फिर बाद में आपको किसने रोका? हमने रोका? कांग्रेस ने रोका? मैंने रोका? वह फिर जनता ने रोका। अब जनता पानी आपको निकालने नहीं दे, रोक दे, पम्पों से पानी आप निकालो बाहर, तो जनता आपको निकालने नहीं दे, यह कोई जवाब हुआ क्या सरकार का? इस हिसाब से तो आप फिर काम कर ही नहीं सकते। हज हाउस आप बनाओ तो बनाने दे नहीं, आपके मंत्री बनाने दें नहीं। कहने का मतलब कोई काम, लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति तो करने वाले करेंगे लेकिन आपको कोई न कोई निर्णय करना चाहिए। जब आपने एक निर्णय कर दिया तो उसको करना चाहिए। आप रोज निर्णय बदल देते हैं, कभी आप कहते हो कि जमीन के अंदर पानी डाल देंगे, हम उसमें बोर करके पानी जमीन के अंदर डाल देंगे। फिर कहते हो, इसके अंदर तो जिप्सम आ गई, मुलतानी मिट्टी आ गई, इसमें नहीं जा सकता। फिर कहते हो, हम लूणी नदी में डाल देंगे, फिर कहते हो, हम धोलापालिया में डाल देंगे, फिर कहते हो हम रोहिली नदी में जहां से पानी आया है, वापस उसी रास्ते भेज देंगे, फिर कहते हो हम रेल के टैंकरों से इस कवास के पानी को खत्म कर देंगे, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर आप इस पानी को कैसे करेंगे? पानी को खतम करने का दूसरा कुछ नहीं। कहने का मतलब सरकार ने कोशिश करने में क्या कमी रखी। देखो, कितना-कितना किया है, टैंकर भी लगा दिये, जमीन के खोदने के लिए यह भी कर लिया, वह भी कर लिया, इधर भी चैनल बना दिये, इधर भी बना दिये, यों भी बना दिया, इतनी कोशिश तो कोई कर ही नहीं सकता। बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया किया है, अगर उससे कोई राहत मिली हो तो ठीक है, मेरे को कोई कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर कहना है कि आपको कोई भी निर्णय है तो वह करना चाहिए। खासकर किसानों को जो नुकसान हुआ, जमीन का कितना नुकसान हुआ, आज उसकी ढाणी चली गई, सब कुछ चला गया, मवेशी चले गये और उसके खेत भी खत्म हो गये, अब बताओ, उसके रोजगार का क्या धन्धा? वह आइंदा खेती किसमें करेगा? कमा कर खायेगा किसमें? हमेशा के लिए उसका रोजगार छिन गया, उसके लिए तो आप कुछ करते। आप कहते हैं, भारत सरकार से हमने कहा है, सीआरएफ का कहा है। तो सीआरएफ का भारत सरकार में अब हमारी पार्टी की सरकार आ गई इसीलिए यह बार-बार सुना रहे हो। खैर, ठीक है....

श्री सभापति: माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री हेमाराम चौधरी: पहले आपकी भी तो सरकार थी, सीआरएफ फिर उस समय बढ़िया बना कर जाते न। सीआर जिसको कहते हैं एसीआर, जो कहते हैं, जो भी, आप बढ़िया बना कर जाते तो फिर अपने काम आ जाती, क्यों नहीं आपने बनाई उस समय बढ़िया सीआर, जो आज आपको दुःख दे रही है? मैं कई बार कहता हूं कि एक्स एमएलए की बढ़ाओ पेंशन, जो अपने काम आएगी आगे, लेकिन कोई नहीं सुनता। आज भी नहीं सुनते हैं। लेकिन बाद में जब हटते हैं तो फिर रोते हैं कि यार एक्स एमएलए की कुछ पेंशन बढ़ाओ। अब तुम्हारा बाप बढ़ावे, कौन बढ़ावे। मौजूद हैं वह तो सोचते नहीं हैं और जाने के बाद में सोचते हैं, फिर क्या काम आता है? इसलिए उस टाइम आप सोचते, अच्छा रहता। इस बार बड़ी मुश्किल से यह मैंने मामला एक्स एमएलए का थोड़ा हजार-एक रुपये बढ़ाये, बढ़ाया नहीं है अभी तक भी। वर्तमान के बढ़ाने में तो सभी चिंता करते हैं....

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी: तो, सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: अब आप प्लीज, टाइम हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी: अब इससे एक और हुआ है, आगे 9 तारीख को रखी, उस पर बोलूंगा। बीमारियां बहुत फैली हुई हैं- मलेरिया है, डेंगू कह दें मलेरिया कह दें। पीएफ ऐसा फैला है, डाक्टर है नहीं एक हास्पीटल में जहां छह डाक्टर हैं, वहां एक डाक्टर है और लाइन लगी है। आप जाकर देखो तो ताज्जुब करेंगे, डाक्टर देख ही नहीं सकता। वह भी बिना पैसे कोई देखता नहीं और बिना पैसे भी देखे तो एक डाक्टर कितने मरीज देखे दिन में, बहुत बुरी हालत है, वास्तव में लोग मर रहे हैं। अब आप कह रहे हो, बाढ़ से पानी से डूब करके मर गये, वह तो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन जो बीमारी की वजह से मर रहे हैं उसको तो आप काबू में करो, वह तो कम से कम नहीं मरे न। अब और मरते जा रहे हैं आपकी यह संख्या बढ़ती जा रही है। मलेरिया से मरे तो यह भी बाढ़ आई। बरसात हुई तभी तो मलेरिया पैदा हुआ, तभी तो इनके मरने की नौबत आई, नहीं तो ये थोड़े ही मरते? यह जस लो। अभी सब कुछ जो कुछ मौतें हो रही हैं, वह तो आपकी सरकार की थोड़ी-बहुत.....

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: मर नहीं रहे एक भी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री हेमाराम चौधरी: नहीं मर रहे? कोई नहीं मर रहा है? हां, नहीं मर रहे होंगे। ठीक है, नहीं मर रहे...

श्री सभापति: अब आप बाइंड-अप करें, प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी: ऐसा है, नहीं मर रहे न, यह कह रहे हैं कोई नहीं मर रहा है, लोग नहीं मर रहे हैं फिर आप मर जाओगे। कोई न कोई तो मरेगा। कोई न कोई तो मरेगा, यह आप ध्यान रखना। याद रख लेना, आज कह रहा हूं, आज की बात। राम किसी को मारे नहीं, न हत्यारा राम, मर जाओगे अपने आप, कर-कर खोटे काम।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, अभी हेमारामजी, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्वदलीय बैठक की बात कही, आप भी थे, आपके जिला प्रमुखजी भी थे और जितने भी...

श्री सभापति: सब थे, आप तो मुद्दे की बात बता दें।

श्री रामनारायण डूडी: मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा और ये सुझाव धोलापालिया की तरफ से पानी निकालने का सुझाव आपके प्रमुखजी का, सब का था और उस वक्त के अंदर...

श्री हेमाराम चौधरी: नहीं, यह आपकी सरकार का सुझाव था। एडिशनल चीफ इंजीनियर ने सुझाव दिया, हमने उसको स्वीकार किया, यह बात है।

श्री रामनारायण डूडी: अब स्वीकार करें या न करें, आपने स्वीकार किया था और वहां उस वक्त के अंदर आपने किसी प्रकार का आब्जेक्शन भी नहीं किया था।

श्री हेमाराम चौधरी: हां, कह रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी: और आपने यह भी कहा था कि शार्ट के अंदर यदि निकालना है तो बिना एस्टीमेट पानी निकाला जाय। भुरटिया, मालपुरा पानी का लेवल इस प्रकार से आटोमेटिक निकलने की स्थिति के अंदर नहीं, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि अभी तगारामजी कह रहे थे, उसको बंधा बना दिया। जाए सारी स्थिति को देखते हुए, सभापति महोदय, केवल वहां सरकार को ही फिक्र थी कि पानी कैसे निकाला जाय, रात-दिन उस प्रयास के अंदर थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सात दिन तक उस क्षेत्र के अंदर एक-एक ढाणी के अंदर जहां कोई नहीं पहुंचा था,

वहां पर हम लोग पहुंचे थे हमारी टीम पहुंची थी। मैं इसलिए कहना

(श्री अध्यक्ष)

चाहूंगा कि आप लोग से वहां साइलेंट रहें केवल, यहां भी नहीं निकाला जाए यहां भी नहीं निकाला जाए। ताकि हम किसी प्रकार से बुरे नहीं बनें। प्राकृतिक आपदा के अन्दर आपको खुले रूप से कहना चाहिए था ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): डूडी साहब, हमने कहीं पर भी पानी निकालने का विरोध नहीं किया। हमने कहीं पर भी पानी निकालने का विरोध नहीं किया। आप सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोग वहां आये, बाड़मेर में डेरा डाल लिया। बाढ़ तो आयी सो आयी, आप लोगों की सरकार की बाढ़ आने से प्रशासन ठप्प हो गया प्रशासन आपकी सेवा में लग गया। पूरा सरकारी लवाजमा आपकी सेवा में लग गया, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा !

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमने किसी प्रकार से प्रशासन के लोगों के साथ में...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपने मदद तो करना दूर जो मदद देने वाले थे, वो आपके आगे-पीछे लग गये और हमारे लोग कष्ट भुगतते रहे।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हेमारामजी, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

डा. जालम सिंह रावलोत: xxx

श्री हरिसिंह रावत: xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित: xxx

श्री सभापति: मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): समय-समय पर ये डाइरेक्शन दिये थे कि अमुक जगह पर पानी नहीं आ रहा है, अमुक जगह पर बिजली का मामला नहीं हो रहा है, अमुक जगह पर पाइपलाइन केवल एक किलोमीटर के अन्दर खराब है, अमुक जगह पर हमारे तीन ट्यूबवैल खराब पड़े हैं, अमुक जगहों पर दो काम है, तो हमने इमीजिएट रह कर उनको सुचारु रूप से काम कराया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आपने ऑब्जेक्शन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, हमने कोई बेवकूफ नहीं बनाया। बेवकूफ आपने उनको बनाया क्योंकि आप न तो पानी निकालना चाहते थे- न तो धलापाली की ओर निकालना चाह रहे थे न बुर्जी की तरफ निकालना चाह रहे थे और न बगराला की तरफ निकालना चाहते थे ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वहां डेलीगेशन के रूप में ये लोग ज्ञापन देकर आये कि यहां पानी नहीं निकाला जाए, वहां पानी नहीं निकाला जाए। स्थिति को जिस प्रकार से बनाया गया मैं यह इसलिए कह रहा हूं मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, मैंने जैसा देखा है और जैसा मैंने सात दिन में अनुभव किया है, एक भी व्यक्ति ने, कांग्रेस के लोगों ने, बाहर के कांग्रेस वालों ने सहायता भेजी होगी मगर आप लोगों ने वहां किसी प्रकार का काम नहीं किया, यह मैं कह सकता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): देखिये, आपने कहा धलपालिया की तरफ से।

श्री सभापतिः आपस में वार्ता नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, आप बैठिये। आपका नहीं है, आपका 600 किलोमीटर दूर पड़ता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री सभापतिः सदन में जो कुछ बोलते हैं, सौगंध से ही बोलते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर यह खुद उपस्थित थे और उस वक्त में जो भी डिसीजन लिया गया, इनकी उपस्थिति में लिया गया। जब वहां व्यवस्था के लिए हमारा प्रशासन गया तो वहां इनकी बात किसी ने सुनी भी नहीं।

श्री सभापतिः माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप क्या करवाना चाहते थे?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आप यह करवाना चाहते थे कि पानी भी नहीं निकले, वहां लड़ाई दंगे हों। यह व्यवस्था की आपने।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): हमने वहां पर पानी निकालने के लिए सारी व्यवस्था की भुरटिया की तरफ लो लेवल एरिया के अन्दर जो बहुत ही कम समय में पानी निकालने का मामला था।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): पाइपों से की गयी जो भी व्यवस्था थी ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): बिना सिर पैर की बात क्यों करते हो?

श्री सभापति: खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, प्लीज आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः माननीय उप नेता महोदय, आसन पैरों पर।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री सभापतिः मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिना इजाजत के नहीं बोलें। मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं। आप बैठिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः आप आसन की बिना इजाजत के नहीं बोलेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः उनको रोक दिया । अंकित नहीं हो रहा है। आपका भी अंकित नहीं हो रहा है, उनका भी अंकित नहीं हो रहा है। समय जाया नहीं करें आप कृपया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः आप विराजें, स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): xxx

श्री सभापतिः माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी। आप प्लीज।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, इस बाढ़ नियंत्रण में और स्थिति पर वापस नियंत्रण करने में ...

श्री सभापतिः आप बीच में बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इस सरकार ने पिछले एक महीने में जो भी प्रयास किये हैं और भी कार्य किये हैं जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, उतनी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कम है। इस साठ साल के प्रजातंत्र के राज में आज दिन तक कई बांध फूटे हैं, कई जगह बाढ़ आयी है- मेरे क्षेत्र में जो अरावली के तट पर है, लगभग हर तीसरे-चौथे साल बाढ़ आती है, बहुत अच्छी बरसात होती है, वहां चार-पाँच साल में एक बार अतिवृष्टि होती है, पर इतने सालों में आज दिन तक किसी भी सरकार ने किसी का हाथ नहीं थामा। यह पहली सरकार है जिसने इस अतिवृष्टि को देखते हुए बिलकुल टाइम पर मौके पर पहुंच कर लोगों को

(19.00 बजे)

सांत्वना दी। यह भी कहना चाहूंगा कि बाढ में जो नुकसान हुआ है, भले ही वह बिजली का नुकसान हो, मेरे क्षेत्र में लगभग 60 ऐसे गांव हैं जिनका बिजली से बिलकुल सम्पर्क टूटा हुआ था, लगभग 60 से ज्यादा गांवों का रोड से सम्पर्क टूटा हुआ था, पानी की व्यवस्था बिलकुल खराब हो गई, लोगों के मकान टूट गये, लोगों का पशुधन मर गया, पर आज दिन तक किसी सरकार ने मौके पर आकर कभी भी किसी को राहत नहीं दी । वर्ष 2000 में मेरे वहां कोट बांध टूटा था, मुझे आज दिन तक याद है, कोट बांध टूटने से पूरा गांव तबाह हो गया था । उस गांव में लगभग 700 से ज्यादा परिवार रहते थे, मुझे आज भी अच्छी तरह मालूम है, मैं प्रधान था, मात्र 500 रुपये लोगों को दिये गये । जिसका पूरा मकान टूट गया उन लोगों को मात्र 600 रुपये उपलब्ध कराये गये । जिसकी जमीन टूट गई, जिसके कुए टूट गये उनको आज दिन तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया । मैं इस सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बाढ़ में उन्होंने टाइम पर काम किया । मेरे क्षेत्र में 70 गांव जो सड़क से, बिजली से और पानी से कटे हुए थे, उनको चार दिन में रीस्टोर किया और चार दिन में ही लोगों के बाढ़ में जो कच्चे-पक्के मकान टूट गये थे या जिनकी आंशिक क्षति हुई थी, उन लोगों को मेरे क्षेत्र में लगभग 80 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया । जो पुलिया टूट गयीं, उनको चार दिन में वापस रिपेयर किया गया । बिजली से वापस चार दिन में जोड़ दिया गया । पीने का पानी नहीं था, बडे बडे गांव थे जहां 22-22 वार्ड थे, वहां जनरेटर के माध्यम से पीएचईडी ने सप्लाई निरन्तर रखी है । यह व्यवस्था आज मैं नहीं कह रहा हूं, वहां क्षेत्र के लोग कह रहे हैं । जिनकी 70-80 साल की उम्र है, वे लोग कह रहे हैं कि वास्तव में, बाढ़ तो कई बार आई है लेकिन आज दिन तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । हमारे मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर लगातार 7 दिन वहां बैठे रहे । हर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

गांव में मैं उनको साथ में लेकर गया हूं। 7 दिन उन्होंने पूरा जिला नहीं छोड़ा, खास तौर से बाली, देसूरी और सुमेरपुर और वहां जाकर उन्होंने हर गांव को अटेंड किया और व्यवस्था की। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उनको 50 किलो गेहूं सरकार की तरफ से मुहैया कराया । जहां लोगों के घर पानी में डूब गये, जो बेघर हो गये, उनको सरकारी स्कूल में बैठाया और वहां उनके खाने-पीने की और रहने की व्यवस्था की । इसके साथ साथ मंत्रीजी ने और हम सब ने मिलकर और हमारे जो राजस्थानी प्रवासी बाहर मुम्बई में और पूना में रहते थे सबक की तरफ से हमारे पूरे क्षेत्र में लगभग 7 हजार राशन के पैकेट, एक राशन पैकेट में लगभग 10 किलो गेहूं, 10 किलो आटा, 2 किलो मूंग की दाल, एक किलो तेल, नमक, कंबल, बर्तन लगभग 7 हजार परिवारों को हम स्वयं: जाकर देकर आये हैं । अभी बी डी कल्ला साहब र्मा रहे थे कि इस राज ने कुछ नहीं किया । हमारा हर एमएलए, हर कार्यकर्ता जिस दिन से बाढ़ की हालत बनी है, उस दिन से हम एक महीने तक पैरों पर खड़े रहे। घर घर जाकर हमने लोगों को पूछा है कि उनकी क्या स्थिति है और जहां तक संभव हुआ, लोगों को हमने सरकार से फायदा दिलाया है । इस मौके पर हमारे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वहां पधारे, अभी 10 दिन पहले ही पधारे थे, वहां वह मात्र राजनीति करने के लिये आये । उन्होंने लोगों से यह पूछा कि सरकार ने आपके लिये क्या किया और वहां मात्र तीन टीन शैड एक परिवार को देकर गये और उनको उकसा गये कि सरकार ने आपके लिये कुछ नहीं किया । सरकार ने 10-10 हजार रुपये उनको पक्के मकानों के दिये, 6 हजार रुपये कच्चे मकानों के दिये, फिर भी उनको उकसा कर गये कि सरकार ने आपके लिये कुछ नहीं किया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार तो आपकी है अगर आप चाहते हो कि हम 20 हजार रुपये दें, हम चाहे 50 हजार दें, सरकार तो दिल्ली में आपकी है, आप सीआरएफ के नार्म्स चेंज कर दो कि हम सरकार से 6 हजार की जगह 20 हजार रुपये देने को तैयार हैं । किसान को जो एक हजार रुपये मुआवजा मिल रहा है, आप उसकी जगह 20 हजार रुपये कर दो, आपके नार्म्स चेंज कर लें, आपकी सरकार है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र में जो सरकार बैठी है जिसको 3500 करोड रुपये का नुकसान बताया आज मात्र 100 करोड़ रुपये ही राज्य सरकार को दिये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने उस 100 करोड़ का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने 21 तारीख को ही बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सिरोही से होते हुए सुमेरपुर पधार

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उसी दिन से लोगों को राहत पहुंचाना शुरू कर दिया । मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि पहली बार ऐसी व्यवस्था सरकार ने इस हालत में की है। मैं इस मौके पर मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने पशुधन से जो नुकसान हुआ है, उसके लिये अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लगभग 10 हजार तक मुआवजा देने की घोषणा की है और लगभग साढ़े सात हजार रुपये ओबीसी और जनरल कास्ट के लोगों को पशुधन के नुकसान के मुआवजे के देने की घोषणा की है । इसी प्रकार 2 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही बीडी कल्ला साहब ने फर्माया कि सरकार की तरफ से आपने कुछ मांग रखी ही नहीं तो आपको कैसे फायदा हो । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपके पांच साल के कार्यकाल में लगभग 5 साल ही अकाल पड़ा और लगातार तीन साल में 2 साल अकाल पड़ा। राजस्थान के किसानों की हालत मेरे से, आपसे या केन्द्र से छिपी हुई नहीं है । केन्द्र से फेमिन में कितना अनाज आता है, कितना गेहूं आता है, कितना पैसा अकाल में खर्च होता है, इसकी स्थिति आप और हम सब जानते हैं और केन्द्र सरकार भी जानती है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । जितना आर्थिक दृष्टि से कमजोर राजस्थान का काश्तकार है, मैं समझता हूं, इस पूरे देश में उससे कमजोर स्थिति में कोई भी काश्तकार नहीं होगा । परन्तु आपने पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हुए जो आपके कांग्रेस शासित प्रदेश थे, उनको 17 हजार करोड़ रुपये दिये । आन्ध्र प्रदेश में आपका शासन है, महाराष्ट्र में आपका शासन है, कर्नाटक में आपका शासन था, जहां भी आपका शासन था, आपने उनको 17 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया। पर राजस्थान जो लगातार 10 साल में से 8 साल अकाल से जूझ रहा है, उसके प्रति आपने नहीं देखा। 7 साल से आज हेमारामजी खुद कहते हैं कि किसान कैसे भुगतान करेगा, कैसे लोन का पैसा चुकाएगा । जब आप यह कहते हो कि लोन का पैसा कैसे चुकाएगा तो आप क्यों नहीं पैसा दिलाते? आत्महत्या करने पर तो आपने 17 हजार करोड़ दे दिये, इसका मतलब आप प्रोत्साहित करना चाहते हो कि हमारा किसान भी ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: 10 हजार के कर्जे हम माफ करेंगे, आपके मैनीफेस्टो में आपने यह बात कही थी, वह तो आप पूरी कर देते । कर्जे माफ करने की बात कहकर आप सत्ता में आ गये और आप भूल गये। अब केन्द्र सरकार का नाम रटना शुरू कर दिया । कोई याद ही नहीं है क्या ?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : मैं तो वह भी कहना चाहता हूं, आपने जो 17 हजार करोड़ रुपये चार राज्यों को दिये ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: कर्नाटक में आपकी सरकार है फिर भी दिया उनको। उन्होंने मांगा है इसलिए दिया है, आपको तो पैरवी ही नहीं करनी आती।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान की जो आर्थिक स्थिति है, वह किसी भी प्रदेश के किसान की नहीं हो सकती । आपने उस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया । आपके जो भी शासित प्रदेश थे आपने उनको लाभ पहुंचाने के लिये दिया, आपने राजस्थान के प्रति बिलकुल चिंता नहीं की । जहां 3500 करोड़ रुपये राज्य ने मांगे, वहां मात्र आपने 100 करोड़ दिये। आप मुझे यह बताएं कि इस पूरे राजस्थान में जितने बांध टूटे, जितना सड़क का नुकसान हुआ, जितने तालाब टूटे, जितने इर्रिगेशन प्रोजैक्ट्स में डैमेज हुए, जितनी बिजली में क्षति हुई है, क्या 100 करोड़ में आप उसको ठीक कर सकते हैं? अगर आप ठीक कर सकते हैं तो 100 करोड़ रुपये हम आपको देते हैं, आप उसमें ठीक कराइए, फिर हम आपको मान जाए कि वास्तव में आपने काम किया है। आपको इसको तरीके से समझना चाहिये। राजस्थान में जो लोगों के कच्चे-पक्के मकान टूटे हैं, जो आंशिक नुकसान हुआ है, मात्र मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में ही 80 लाख रुपये भुगतान किये हैं, तो मैं समझता हूं, पूरे राजस्थान में 100 करोड़ रुपये तो हमने मात्र मकानों में बांट दिये होंगे। आपने इसमें केवल राजनीति की है और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया ।

मैं राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, ऐसे जितने भी हमारे एनजीओ हैं, जितनी भी हमारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो राजस्थान में इस मौके पर आई, आपको उनका सम्मान करना चाहिये, उन्हीं की बदौलत और सरकार की बदौलत राजस्थान में हर आदमी को फायदा मिला है । जो बुरा टाइम है उसमें हौसला बुलंद किया है, इस मौके पर आपको उनका सम्मान करना चाहिये ।

इस मौके पर मैं उस थाना अधिकारी का भी सम्मान कराना चाहूंगा इस सरकार से जिसने 35 व्यक्तियों को जो नाडा जी.एस.एस. में फंस गये थे, उसने खुद जाकर ट्रैक्टर पर एक-एक आदमी को बैठाया। बीच नदी में, नदी में पानी भरपूर चल रहा था, फिर भी उसने जान की परवाह नहीं करते हुए 35 लोगों को बचाया। मैं इस मौके पर ऐसे लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं इस पूरी अतिवृष्टि में जिन कर्मचारियों ने वास्तव में अच्छा काम किया, उनका भी इस मौके पर सम्मान होना चाहिए।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं सरकार का पूरा समर्थन करता हूं और अतिवृष्टि में जो काम किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पर इस मौके पर मैं खास तौर से मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, ऐसे लोग हैं, ऐसे काश्तकार हैं, जिनकी बाढ़ से बिलकुल ही, 50 बीघा जमीन थी, जो आज फायदा पहुंचा रहे हैं वह लघु सीमान्त काश्तकारों को पहुंचा रहे हैं, या बहुत ही छोटे किसानों को अपन पहुंचा रहे हैं, ऐसे मेरे क्षेत्र में 20-25 किसान हैं, जिनको दो बांध के टूटने के कारण 50 बीघा जमीन में पैर रखने की जगह नहीं है। आज वे खेती नहीं कर सकते, उनका कोई दूसरा रोजगार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जिनने बैंक से लाख-दो लाख रुपये लोन ले रखा है, मुझे मालूम है कि केन्द्र सरकार के लोग आये थे, केन्द्र सरकार की जो टीम आयी थी, हमने उनसे निवेदन किया था इनके प्रति आप चिन्ता करें। पर उन्होंने कहा कि यह कोई बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ है। यह बांध टूटने के कारण से नुकसान हुआ है। यह कोई बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने उसके प्रति चिन्ता नहीं जताई। पर मुझे राजस्थान सरकार, मुख्य मंत्रीजी और राहत मंत्रीजी पर विश्वास है कि ऐसे किसान हैं, मेरे क्षेत्र में लगभग 20-25 किसान हैं, आज भी उनकी स्थिति यह है कि उनके रोजगार का कोई साधन नहीं है। उनके कमाने का कोई साधन नहीं है। आज उनके खेत बिलकुल नदी बन गये हैं। 50 साल भी मेहनत कर लें तो उस जमीन को वापस उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। इस मौके पर ऐसे लोगों की, केन्द्र के बस की बात नहीं है, आप खुद ऐसे आदमियों का जो लोन है, वह अगर आप माफ कर सकते हैं तो मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की होगी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद, माननीय डा. जालम सिंह रावलोत।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिले बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसी बाढ़ आ सकती है। जो स्थिति हुई, उसके परिणामस्वरूप हमारे बाड़मेर जिले के 1600 और जैसलमेर के 149 गांव प्रभावित हुए। करीब 14

(डा. जालम सिंह रावलोत)

लाख जनसंख्या प्रभावित हुई, 109 लोगों की मृत्यु हो गयी। 204262 पशुधन मरा। 133331 मकानों का नाश हुआ। कृषि भूमि भी बंजर हुई, फसल नष्ट हुई। इसके अलावा लोक कलाकारों का सर्वस्व नाश हुआ। हमारे यहां सड़कें, पेयजल, विद्युत, जो आधारभूत चीजें थीं, सारी नाश हुईं। लेकिन इस सब के बावजूद जो बाढ़ की स्थिति बनी, हमारे दोनों ही जिलों बाड़मेर और जैसलमेर के जिला प्रशासन ने, वहां के जन-प्रतिनिधियों ने मिलकर इस बाढ़ की स्थिति में सहायता देने में कोई कमी नहीं रखी। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय को अत्यंत गम्भीर मानते हुए सभी प्रमुख मंत्रियों को और सभी वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों को बाड़मेर और जैसलमेर जिले में बड़ी संख्या में तैनात किया, जिसके परिणामस्वरूप राहत गरीब तक पहुंच पाई। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने लगातार 3 बार उन स्थानों का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे। अभी बी.डी. कल्लाजी बता रहे थे कि वह दानूराम नहीं गयीं, वे भीलों की बस्ती नहीं गयीं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे सफेद असत्य बोल रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी दानूराम भी गयीं और भीलों की बस्ती भी गयीं। ऐसा असत्य उनको नहीं बोलना चाहिए। इस समय की स्थिति जो बदतर हो रही थी, उसको बड़ी कुशलता से सम्भाला। वैसे तो हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे राजस्थान सरकार के लगभग 15 मंत्री- सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, चिकित्सा मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी, राहत मंत्रीजी, खनन मंत्रीजी, कृषि राज्य मंत्रीजी, सिंचाई राज्य मंत्रीजी, सभी वहां 7 दिन तक रहे। 40 विधायकों, लगभग 7-8 सांसदों और हमारी पार्टी के कई वरिष्ठ प्रदेश और केन्द्रीय अधिकारियों ने समय-समय पर दौरा करके स्थिति को सम्भाला। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बाढ़ की स्थिति में कांग्रेस की जब अखिल भारतीय अध्यक्षा आयी थीं, हमने सम्मानजनक तरीके से उनसे यह आग्रह किया था कि घड़ियाली आंसू बहाने की जरुरत नहीं है। राजस्थान के साथ जो लगातार सौतेला व्यवहार केन्द्र का रहा है, वह हम सहन नहीं करेंगे। हम जोर देकर कह रहे हैं कि हमने सम्मानजनक तरीके से लेकिन प्रबल विरोध के साथ सोनियाजी का विरोध किया था और उनको मुंह से यह कहना पड़ा कि, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं इस बार राजनीति करने नहीं आयी हूं। मैं पूरा सहयोग करने आयी हूं। मैंने उनको याद दिलाया कि 3 महीने पहले जब बाड़मेर गयी थीं अकाल राहत कार्य देखने के लिये, उस समय भी आपने यह कहा था कि मैं अकाल में भरपूर मदद करूंगी। हमें आप पर कोई विश्वास नहीं

(डा. जालम सिंह रावलोत)

है। आप तो आज घोषणा करके जाइये, बाड़मेर और जैसलमेर आज बाढ़ एवं अतिवृष्टि से त्रस्त हो रहे हैं। आपने पहले अकाल के समय दिखा दिया, एक कौड़ी का सहयोग नहीं किया आपने। आज हमको विश्वास नहीं है। लेकिन मैं जब जोर देकर बोल रहा था, मेरे कार्यकर्ता लोग जोर देकर बोल रहे थे, उस समय अशोकजी गहलोत मेरे पास आये, बी.डी. कल्लाजी मेरे पास आये कि, जालम सिंहजी, आप शांत रहिये, इस बार हम सोनियाजी से घोषणा करवाएंगे। मैं तो चुप रह गया। लेकिन आज बी.डी. कल्लाजी चुप हैं, आज अशोक गहलोतजी चुप हैं, आज माननीय हेमारामजी चुप हैं। केन्द्र ने एक पैसे का सहयोग नहीं दिया इस बाढ़ राहत में, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। राजस्थान की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के सभी विभागों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया, लेकिन केन्द्र का कोई सहयोग नहीं मिला। केन्द्र के रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क संगठन की एक हजार किलोमीटर की सड़कें आज भी वैसी स्थिति में हैं, जैसी स्थिति में बाढ़ में बनी थीं। उनका जे.ईएन. लेवल का अधिकारी देखने तक नहीं आया। जब कि हमारे पी.डबल्यू.डी. और अन्य विभागों ने 3 दिन के अन्दर सारी सड़कें चलाऊ स्थिति में दीं। लेकिन 2 महीने होने जा रहे हैं, केन्द्र सरकार का एक भी व्यक्ति देखने नहीं आया। मैं घोर निन्दा करता हूं कि उन्होंने सड़कें ठीक नहीं कीं। लेकिन हमारे प्रशासन ने, हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर 4X4 की गाड़ियों के माध्यम से बाड़मेर की जनता तक सहायता पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखी। जो सहायता पहुंचाई गयी है उसमें है 550 टन खाद्य सामग्री, 52346 टैंट, 76882 कम्बल, 7518 दरी, 10 हजार मच्छरदानियां, 67 मेडिकल टीमें बाड़मेर में और 40 मेडिकल टीमें जैसलमेर में और पशु चिकित्सा के लिये दल। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजा देने का काम बाड़मेर में तो 3 दिन के अन्दर कर दिया है। यह पहली सरकार है जिसने करके बताया है। बाड़मेर में बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन बड़ी संख्या में मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है, बाकी दिया जा रहा है। और जो व्यक्ति मृत हैं, उनको 50 हजार रुपये हर व्यक्ति तक पहुंच गये हैं। सिंथेटिक टैंट 2500 की संख्या में पहुंच गये हैं। हमारी जो स्थिति बनी है उसको सुधारने के लिये लगातार प्रयत्न हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने अभी जो यह पैकेज दिया, उस साढ़े 17 हजार रुपये के पैकेज में राजस्थान को एक धेला नहीं दिया, उसकी बहुत घोर निन्दा करता हूं।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

राजस्थान की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां लोगों की हालत बहुत खराब हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव के सभी के सभी गांव प्रभावित हुए हैं। वहां जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, वे बहुत खराब स्थिति में हैं। जो नार्म्स हैं उसके अन्तर्गत 6 हजार रुपये कच्चे मकानों के लिये दिये जा रहे हैं, वे बहुत कम हैं। हमारी सरकार ने जो मांग की है कि 6 हजार के साढ़े 12 हजार किये जाएं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। इसी तरह जो व्यक्ति मृत हुए उनको 50 हजार की जगह एक लाख दिये जाएं। निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में बाड़मेर और जैसलमेर जहां बाढ़ आयी है, वहां सारे के सारे लोग बी.पी.एल की श्रेणी में आ गये हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने सदन में निवेदन किया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं इस बाढ़ में, उनको इन्दिरा आवास योजना के तहत एक-एक मकान का प्रावधान किया जाए ताकि वे अपना घर-बार बसा सकें, मकान में रह सकें। आज तो वे बिलकुल खुले आसमान में रह रहे हैं। हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीमान्त और लघु कृषकों के लिये मुआवजे का प्रावधान है पशुओं के लिये। हमारा 2 लाख से ऊपर पशुधन मर चुका है, हमारा पूरा क्षेत्र पशुपालन पर आधारित है। पशु ही उनका आधार है, वहां कृषि होती नहीं है। सारे पशु मर जाने के कारण उनकी आजीविका के सारे साधन समाप्त हो गये हैं। इसलिये पशुपालकों को वापस उनका पशुधन का रोजगार स्थापित करने के लिये कोई न कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को पहले कई बार निवेदन कर चुका हूं, उन्होंने हमें विश्वास भी दिलाया है, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पशुपालकों के लिए, पशुधन का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाएंगी। ऐसी स्थिति जो बनी है, लोगों के रोजगार के कोई साधन नहीं बचे हैं, कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है, खडीन, बाँध, एनीकट सब के सब खतम हो चुके हैं। तालाब खतम हो चुके हैं। उन सब के लिए हम बार-बार कह चुके हैं। माननीय उप राष्ट्रपति महोदयजी को भी बताया, माननीय राज्यपाल महोदय को भी बताया है, प्रणव मुखर्जी को भी बताया, उनको भी ज्ञापन दिया। हुआ यह कि हमारे यहां पर जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं, वे तो अपनी जगह नष्ट हुई हैं, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो बाढ़ चली है, जिसके कारण कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, उस कृषि भूमि का सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद में उस कृषि भूमि का भी मुआवजा

मिलना चाहिए। हमारे यहां पर जो स्थिति बनी है, उसके तहत जैसे अकाल के समय अकाल राहत कार्य चलते हैं वैसे ही अतिवृष्टि प्रभावित बाढ़ के क्षेत्रों में काम हों। मैं तो सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि बाढ़ राहत कार्य मस्टर-रोल के माध्यम से चालू हो चुके हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्य चालू करें ताकि लोग अपनी आजीविका चला सकें। बाढ़ आयी उसके बाद जिस तरीके से पिछले डेढ़ महीने से प्रशासन को सक्रिय करके जन-प्रतिनिधियों ने अपना दायित्व निभाया, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने, सांसदों ने और पार्टी पदाधिकारियों ने अपने पैसे से, अपने खर्च से, अपने घरबार छोड़कर जिस तरीके से राहत पहुंचायी है, राजस्थान की बाढ़ पीड़ित बाड़मेर-जैसलमेर की जनता साधुवाद दे रही है माननीय मुख्य मंत्रीजी को, राजस्थान सरकार को जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिव में क्यों नहीं रोका उस जीप को? मैं बिलकुल दावे के साथ कहता हूं कि प्रशासन ने उस बस को ... (व्यवधान) रोकने का पूरा प्रयत्न किया लेकिन वे इतने जिद्दी थे, बात मानी नहीं और उस नदी के अन्दर चले गये जोश में, जिसको बचाना सम्भव नहीं था। लोगों ने कभी बाढ़ देखी नहीं थी इसलिए उस बाढ़ में चले गये। उनमें से लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो गयी। मैं पुनः राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की और राजस्थान की सरकार की ... (व्यवधान) साधुवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मैं यही पूछना चाहता हूं कि सिणधरी के अन्दर गाड़ी नहीं रोकी उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। फिर शिव और सिणधरी में क्या अन्तर है? मतलब जहां पर चालीस आदमी मरे वहां उनके खिलाफ मुकदमा नहीं और जहां एक आदमी मरा उस गाड़ी वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि इसने रोकने की कोशिश की और रोका नहीं? वहां पर चालीस आदमी मर गये फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं? (व्यवधान)

श्री सभापतिः उसमें बात आपने अभी बता दी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय सभापति महोदय, यह इनकी वजह से ही नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। इन्होंने ही इनको बचाया है। यह सब इनकी ... (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजिये। वह बात आ गयी है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ऐसा है साहब, सरासर असत्य तो मत बोलो।

श्री सभापतिः माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यही कह रहे हैं चालीस।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): बार-बार चालीस आदमी कह रहे हो, गलत है। नहीं-नहीं, चालीस नहीं मरे हैं, उसमें से 38 आदमियों को तो हैलीकॉप्टर से निकाला गया है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अभी इन्होंने चालीस कहा है, मुझे नहीं मालूम। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): वहां पर 38 आदमी तो हैलीकॉप्टर से निकाले गये हैं और उसमें से एक मोतीराम गया है, एक मनीष पटेल गया है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप बीच में नहीं बोलें। माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): अब इन्होंने कहा 40, तो 40 तो उन्होंने कहा है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): और बस में थे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): जालमसिंहजी ने कहा है चालीस आदमी। कितने आदमी मरे? यह बता दो कि कितने मरे? कितने आदमी मरे, यह बता दो? (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय सभापति महोदय, यह बीच में क्यों टोकाटोकी करते हैं? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): जो भी मरे वे इनके दुश्मन थोड़े ही थे? यह थोड़े ही चाहते थे कि वे मरें?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आजकल तो बहुत बोलने लग गयीं आप।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अब आप कनक्लूड करिये, प्लीज।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से बाढ़ राहत कार्यों को कुशलता से संचालित किया है, वह अपने आप में रिकार्ड है।

आज से कुछ वर्ष पहले सम्वत् 2030 में जब 1973 में कांग्रेस का जमाना था, लगभग ऐसी की ऐसी बरसात हुई थी। उस समय कोई पटवारी, कोई ग्राम-सेवक छह महीने तक बाड़मेर-जैसलमेर के उस क्षेत्र में सुध लेने नहीं पहुंचा था, जब कि इस बरसात की स्थिति में पूरी राजस्थान सरकार वहां पर तैनात रही है डेढ़ महीने तक, इससे ज्यादा अच्छी बात, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात उस क्षेत्र के लिए हो नहीं सकती। राजस्थान की बाढ़ पीड़ित जनता राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की सरकार की पुरजोर तारीफ करती है और साधुवाद देती है कि उन्होंने इस विभीषिका को सम्भाला। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री संयम लोढ़ा। सब के लिए समय बराबर है, कृपया आप समय का ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी आज्ञा हो जैसा, मैं तो तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में एन.सी.सी. का कैडेट होता था और उसमें एक रोल कॉल होता था, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्य आज उसी रोल कॉल की भूमिका यहां पर अदा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने बहुत धूम-धड़ाके के साथ पूरे राजस्थान में जल चेतना यात्रा की थी और राजस्थान की और हिन्दुस्तान की गरीब जनता का करोड़ों रुपया उस जल चेतना यात्रा के माध्यम से खर्च किया था। राजस्थान के जिस मुख्य मंत्री के यहां पर गीत गा रहे हैं, उनकी एक बड़ी-सी तस्वीर लगाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रथ पहुंचाया था। तो उस जल चेतना यात्रा के अन्दर, उस चेतना अभियान के अन्दर क्या आपने जल संरक्षण की कल्पना नहीं की? आपने यह क्यों पूर्वानुमान नहीं किया कि अगर पानी ज्यादा आ गया तो हम उस पानी को कैसे रोकेंगे? कैसे उस पानी के संरक्षण का प्रबंध करेंगे? कैसे वह पानी लोगों की जन-धन की हानि का कारण नहीं बने, उसका हम इन्तजाम करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, वह सैकड़ों करोड़ रुपया तो गया ही गया, राजस्थान के 150 बेगुनाह लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, जिस बाढ़ का जिक्र पूरे हिन्दुस्तान में जोर-शोर से

(श्री संयम लोढ़ा)

हो रहा है, क्योंकि रेगिस्तान के अन्दर बाढ़ का आना अप्रत्याशित था, लेकिन यह सब जानते हैं कि वह पानी जो पहुंचा बाड़मेर जिले के अन्दर, वह जैसलमेर से एक के बाद एक एनीकट के, खडीन के टूटते हुए पहुंचा। ज्यादा नहीं तो कम से कम पचास किलोमीटर का फासला उस पानी ने तय किया होगा। क्या सरकार को, प्रशासन को यह मालूम नहीं पडा? जब जैसलमेर से इसकी शुरूआत हो गयी, क्या पचास किलोमीटर का फासला उस पानी ने कुछ मिनटों में तय कर दिया? जब यह सब सरकार की जानकारी में था तो मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, कि वहां के प्रशासन ने उस पानी से लोगों को बचाने के लिए क्या किया? क्यों चार-चार मीटर तक पानी वहां पर भर गया और प्रशासन कुछ नहीं कर सका? आज गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया कि हमने 19 तारीख को ही चार हैलिकॉप्टर सेना के, एक हैलिकॉप्टर प्राइवेट और एक केयर्न एनर्जी का हैलिकॉप्टर का इन्तजाम कर लिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 21 अगस्त को वहां पर बाड़मेर जिले में पानी घुस गया, कवास और मालवा के अन्दर, आपका हैलिकॉप्टर कहां था? आप अपने वक्तव्य में बताना कि कितने दिन बाद वहां पर हैलिकॉप्टर पहुंचे। आपने अगर एहतियातन प्रबन्धन किया था तो कहां गयीं आपकी पनडुब्बियां? कहां गयीं आपकी नौकाएं? कहां गये आपके गोताखोर? क्यों 149 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा? बहुत गीत गा रहे हो राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी के, मैं समझाता हूं कि राजस्थान का ऐसा अकर्मण्य प्रशासन, राजस्थान के शासन का ऐसा संवेदनहीन चेहरा राजस्थान के 60 साल के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा।

माननीय सभापति महोदय, 21 तारीख को पानी घुस जाए और राजस्थान की मुख्य मंत्री को 4 दिन तक टाइम नहीं मिला वहां पर जाने का? आप बताइये, राजस्थान की मुख्य मंत्री कितनी तारीख को वहां पर पहुंची थीं? मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ गुजरात का चीफ मिनिस्टर है, कमर-कमर तक पानी में आधी रात तक खड़ा रहा सूरत के अन्दर और लोगों को बचाने का काम किया, क्या जिम्मेदारी थी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की? और उसके बाद भी दूसरी बार कब गये? जब आपको यह भनक मिल गयी कि कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष का दौरा होने वाला है तो फटाक से फिर पहुंच गये। सिवाय हैलिकॉप्टर से एक जगह पर उतरने के और एक रस्म अदायगी करने के राजस्थान की मुख्य मंत्री ने क्या काम किया? सिरोही की हवाई

पट्टी पर उतरीं, माननीय सभापति महोदय, उसी दिन जिस दिन सिरोही की जनता पर लाठीचार्ज हो रहा था। बार-बार सिरोही के लोगों ने कहा, लिखित में जाकर जल संसाधन विभाग में अर्जी दी कि यह एनीकट टूट जाएगा, यह बांध, तालाब टूट जाएगा, कोई कार्यवाही तीन-तीन महीने तक नहीं की। आखिर में वह टूटा, पानी चला गया। लोग सड़कों पर आये, लाठीचार्ज हुआ। उसी दिन मुख्य मंत्री सिरोही की हवाई पट्टी पर उतरीं और हवाई पट्टी से बाहर नहीं निकलीं। ये दौरे हैं आपके, ऐसे राजस्थान की जनता के हाल जानने की आपने कोशिश की है। क्या सुमेरपुर का रहा? कौन से गांव में गयीं? वहां पर उतरने के बाद बात करने के अलावा क्या किया? क्या बाड़मेर में किया? राजस्थान की जनता से कोई ... (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): बाड़मेर में तो सब कुछ किया है। बाड़मेर में तो सब किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको बोलना हो तो मैं बैठ जाऊं? बहुत तारीफ कर रहे हो आपदा प्रबन्धन की। आपने 15 तारीख से नियंत्रण कक्ष खोल दिये, 15 तारीख से पहले जिला कलक्टर ने मीटिंग कर दी, आपके विभाग के सचिव ने साप्ताहिक समीक्षा शुरू कर दी, एक साथ बाढ़ आ गयी क्या राजस्थान के सारे जिलों में? सबसे पहले यह घटनाक्रम उदयपुर से शुरू हुआ, राजसमन्द से शुरू हुआ। पहली बार बस फंसी थी जो नाथद्वारा के अंदर फंसी थी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने मुख्य मंत्रीजी तक से उनको बचाने के लिये टेलीफोन पर बात की, पर कोई इन्तजाम नहीं हुआ। यह तो अच्छा हुआ कि वह पानी उतर गया और बस निकल गयी, लोग निकल गये। वे लोग बच गये। उसके बाद भी कुछ नहीं। उसके बाद में दूसरे जिलों में आई। सिरोही में स्थितियां खराब हुईं, पाली में खराब हुईं, बाड़मेर में खराब हुई, यह आपदा प्रबन्धन है। जब आपको मालूम पड़ गया कि एक जिले में ऐसे हालात बन गये हैं, क्या कोशिश की? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नवाखेड़ा की रपट पर पानी आ गया, क्या इन्तजाम था? कोई नाकाबंदी थी पुलिस की ? एक रस्सा भी नहीं बांधा वहां पर । गाड़ी घुस गयी और बह गयी, लोग मर गये। प्रशासन का कोई आदमी उन लाशों को निकालने के लिये साथ में नहीं गया। मैं आज इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के उन स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी मदद से एक बहुत बड़ा

(श्री संयम लोढ़ा)

सम्बल उन पीड़ित लोगों को मिला है। क्या हुआ जवाई नदी पर ? सभापति महोदय, शिवगंज और सुमेरपुर जवाई नदी के दोनों तरफ बसे हुए कस्बे हैं। मैं शिवगंज का रहने वाला हूं, मैं उस दिन वहीं था। जवाई बांध की फाटक खोली, पहले तो डेढ़ फीट फाटक के ऊपर से पानी चलता रहा। प्रशासन को कोई पता नहीं कि फाटक खोलनी है। अचानक फाटक खोल दिये और फाटक खोलते ही जवाई नदी के पुल पर पांच फीट पानी आ गया। कोई प्रशासन की नाकेबंदी नहीं, कोई रस्सा बांधा नहीं । शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के मिलने वालों का ट्रक अन्दर घुसा और वह ट्रक बहकर चला गया। जब इन्होंने जानकारी मांगी तो इन्होंने कहा कि नाकेबंदी तोड़कर वह ट्रक घुस गया। आधे घण्टे के बाद उस मौके पर मैं पहुंच गया था, ताज्जुब की बात आप देखिये, हमारे साथ कैसा दुर्भाग्य है, पाली का तो आपने कलक्टर हटा दिया, खाली पद, और जब ये हालात सिरोही जिले में बन रहे थे 19, 20 और 21 अगस्त को, माननीय सभपति महोदय, सिरोही का कलक्टर भी छुट्टी पर, कलक्टर का कोई पता ही नहीं। जब पूरे प्रशासन को कम्युनिकेट किया तो अजमेर से भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया। अगले दिन शाम को वह उस मौके पर पहुंचे। जब मैंने उनको बताया कि आप पहले अधिकारी हो जो यहां पर पहुंचे हो, उनको भी हैरानी हुई। यह तो आपका मैनेजमेंट है।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में पारित कर दिया, उसके अकोर्डिंग आपको जिला स्तर तक व्यवस्था करनी थी, क्या किया आपने? कौनसा इन्तजाम किया आपने ? आज अगर पानी के अंदर एक बच्चा डूब जाए नहाते हुए भी तो प्रशासन के पास कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं कि उस बच्चे की लाश भी अगर निकालनी हो तो कैसे निकाली जा सके। अभी दस दिन पहले मीणा जाति का एक बच्चा मेरे होम टाउन शिवगंज के अंदर शाम को नहाने गया । दो भाई थे, दिनेश को तो निकाल लिया परन्तु दूसरा उसके अंदर डूब गया। कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो बाहर था, दूसरे दिन पहुंचा। आज डूब गया, दूसरे दिन सुबह मैंने पुलिस अधिकारी को फोन किया कि ऐसे बच्चा डूब गया, उसकी लाश नहीं मिल रही है, आप व्यवस्था करो। उन्होंने कहा, मैं कर रहा हूं। उन्होंने जिला प्रशासन के आगे के जो अफसर थे, उनको कह दिया। मैं एक स्कूल के फंक्शन में गया तब मीणा समाज के लोग मेरे पास आये और कहा कि भाई साहब, कोई आया नहीं। मैं वहां से उस नदी पर गया, वहां से कलक्टर, एस.पी. को कहा। तो

(श्री संयम लोढ़ा)

क्या हमारे पास स्पेशलिस्ट गोताखोर नहीं हैं? मैंने पाली के एस.पी. को फोन किया कि जवाई बांध के गोताखोर फेमस हैं, वहां से भेजो। यह तो प्रशासन की हालत है। लोगों की मदद से शाम को कहीं जाकर उसको निकाला। आज भी यही स्थिति बनी हुई है।

डा. दिगम्बर सिंह: जब आपको पता था लड़के की लाश नहीं मिली है तो आपके लिये स्कूल का फंक्शन ज्यादा इम्पोर्टेन्ट था? उस लाश को तो आपने ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: जब प्रशासन ने कह दिया कि हम गोताखोर भेज रहे हैं तो मैं प्रशासन पर भरोसा नहीं करूं? बहुत अच्छा होता आप यह जवाब अपने मंत्री से पूछते जो 11 घण्टे खारी नदी पर खड़ा रहा और लोगों की जिन्दगी बचाने के लिये कुछ नहीं कर सका। पूरे राजस्थान की जनता और राजस्थान के प्रशासन पर कालिख पोतने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने किया है।

श्री सभापति: आप बार-बार रिपीटीशन नहीं करें। यह बात दो-तीन बार आ गयी।

श्री संयम लोढ़ा: अगर इस तरह से बीच में इन्टरप्ट करेंगे तो यह सुनना पड़ेगा इनको। पूरे राजस्थान की इज्जत खराब कर दी इन्होंने।

डा. दिगम्बर सिंह: आपने कहा कि मैं स्कूल के फंक्शन में गया। जब आपको पता था कि एक लाश नहीं मिली आपके होम टाउन के बच्चे की तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती थी कि आप वहां जाते न कि स्कूल के फंक्शन में जाते।

श्री संयम लोढ़ा: क्या स्कूल के फंक्शन में जाना गुनाह है? (व्यवधान) मेरी जिम्मेदारी बनती थी इसलिये मैंने आपके अधिकारियों को कहा, पर आपका प्रशासन इतना निकम्मा है, इतना संवेदनहीन है कि एक विधायक को खुद फंक्शन बीच में छोड़कर वहां जाना पड़ा। यह आपके निकम्मेपन का सबूत है।

श्री रामनारायण मीणा: आप सरकार के कब से खिलाफ हो गये, आप मुख्य मंत्री के कब से खिलाफ हो गये? आप सरकार को गालियां निकलवाना चाहते हो बीच-बीच में बोलकर?

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आप बार-बार क्यों खड़े हो

(श्री सभापति)

जाते हो, मेरी समझ में नहीं आता । ऐसा है, वह अपने आप सक्षम हैं, आपको उठने की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा: यह डेंगू तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री सभापति: आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: ठीक है, आप कहते हो तो बोलो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किस कदर सहायता के वितरण में भेदभाव हुआ है, इसकी कोई दूसरी मिसाल राजस्थान के इतिहास में नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपके जिले का मामला पूछना चाहता हूं, कि बाकली के अंदर जो चार लोग बहकर गये, माननीय मंत्रीजी, आपने कितने पैसे दिये उनको, दस हजार रुपये। क्यों, आपके दुश्मन लगते थे क्या? बलाना में जो आदमी बहकर गया, आपने कितने पैसे दिये उसको पाली जिले के अंदर? दस हजार रुपये, कुछ नाराजगी थी क्या? इस कदर भेदभाव आपने सहायता राशि के वितरण में भी किया है। ये जो लम्बे-चौड़े आंकड़े आप सुना रहे हो न, ये इसी तरह के भेदभाव से गिरे हुए हैं मैं पाइंटेड आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर। माननीय सभापति महोदय, जो मकानों का नुकसान हुआ, अगर इस सरकार में ईमानदारी है और यह सरकार वाकई उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है, जिनका नुकसान हुआ है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव-गांव में शिविर लगाओ तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने वास्तविक पीड़ित लोगों को मदद मिली और कितनों को नहीं मिली। आपने आदेश में तो कर दिया कि पटवारी फलां फलां-लोगों की उपस्थिति में भुगतान करेगा, क्या इसका कोई सुपरवीजन भी होगा? क्या इसकी कोई जानकारी ली ? मैं अभी अपने क्षेत्र के कम से कम 70 गांवों का दौरा करके आया हूं इस सैशन से पहले, हर गांव में यह शिकायत है कि मेरा मकान टूट गया, मुझे पैसा नहीं मिला। जिसने पटवारी से सैटिंग कर ली, उसका नाम लिख दिया-आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा। खेत के नुकसान का आकलन करवाना है, और कोई आकलन करवाना है तो वह मोटर साइकिल पर रवाना होने से पहले 100 रुपये मांगता है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जब मैं जवाब दूंगा तब आपको बताऊंगा लेकिन अगर आपको हेमारामजी ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: नहीं लिखेगा तब तक एक रुपया किसी को नहीं मिलेगा। आपको अभी तो मजाक नजर आता है, यह हकीकत है। (व्यवधान) लोग वास्तव में वंचित रहेंगे न वह आपकी खाल निकालेंगे। उनके हाथ से आपकी मौत होगी यह याद रखना। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : ये वह लोग हैं जो हिन्दुस्तान में सुसाइड को और ज्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। चार राज्यों में जो 17 हजार करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है, ये वह राज्य हैं जिनमें किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में जब ही सहायता संभव है जब राजस्थान का किसान भी बाढ़ से तो मर गया और यह सुसाइड भी करना शुरू करे? बातें कर रहे हैं यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी।

श्री हरिमोहन शर्मा: जिस प्रकार से दूसरे राज्यों ने अपनी-अपनी सूचनाएं भेजीं, प्रोजैक्ट बनाकर भेजे, क्या राजस्थान सरकार ने किसानों के लिये कोई ऐसा प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार को भिजवाया है, जो आप पैसे मांगने की बात कर रहे हो? राजस्थान सरकार चुपचाप किसानों की बदहाली को देख रही है और केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है। वह खुले रूप से इस मंच पर राजनीतिक भाषण देकर अपनी खाल बचा रही है।

डा. दिगम्बर सिंह: 3200 करोड़ की डिमाण्ड भिजवाई है।

श्री हरिमोहन शर्मा: वह अलग है। आपने सहायता का मांगा है। जहां तक किसानों का सवाल है, सुसाइड करने वाला मामला है, किसानों की आर्थिक स्थिति का सवाल है, राजस्थान ने एक भी प्रोजैक्ट केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा। जब कि सोनियाजी जब राजस्थान में आई थीं तो उन्होंने यह कहा था, अन्य प्रान्तों की भांति हम किसानों को राजस्थान में भी सहायता देंगे। लेकिन यह राजस्थान सरकार तो सोई पड़ी है। किसानों से कोई लेना-देना नहीं । अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग कर रहे हो, ऐशो-आराम कर रहे हो, बड़ी-बड़ी होटलों में मीटिंग कर रहे हो। आपको कोई तकलीफ ही नहीं है किसानों की और उलटा केन्द्र पर आरोप लगा रहे हो। इस प्रकार की अनर्गल बातें, माननीय मंत्रीजी, आपको नहीं करनी चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था, किस कदर भेदभाव इस सरकार ने राशि के वितरण में भी किया । (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप प्लीज दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ाः आपकी जैसी आज्ञा होगी । माननीय सभापति महोदय, अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य वसुंधरा पुराण का यहां वाचन कर रहे थे। योग्य विधायक हैं इन्होंने अपने प्रभाव का पूरा फायदा उठाया।

मैं आपको यह 31 अगस्त का पहला आदेश बताना चाहता हूं जो बाड़मेर जिले में कलक्टर ने जारी किया है मकानों की सहायता के वितरण का। आठ करोड़ रुपया रिलीज किया है, आठ करोड़ में से सात करोड़ रुपया माननीय सदस्य की शिव तहसील में। अब मरे तो 109 लोग हैं बाड़मेर तहसील के अन्दर, सहायता कहां जा रही है? मतलब जिसका प्रभाव है। यह आर्डर की कापी है, गवर्नमेंट आर्डर की कापी है, माननीय सभापति महोदय। बाड़मेर तहसील में जो पहला आर्डर 31 अगस्त को निकाला है, बायतू में सिर्फ 19 लाख रुपया, बाड़मेर में 82 लाख रुपया, चौहटन में सिर्फ एक लाख रुपया। और माननीय सदस्य की शिव तहसील में? नहीं, नहीं, आप बधाई के पात्र हैं कि आप अपने लोगों की पैरवी करते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बाकी लोगों का क्या है? (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मेरे क्षेत्र का पानी मलवा में गया, मेरे क्षेत्र का पानी शिव में गया, मेरे क्षेत्र का पानी जिस जिले में गया, बरसात ज्यादा हुई, तबाही विधान सभा क्षेत्र शिव में हुई है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 109 लोग बाड़मेर तहसील में मरे, सभापति महोदय।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मेरे क्षेत्र में जन की हानि कम हुई है, स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रशासन की कुशलता से हमने जन हानि होने नहीं दी है। आर्थिक हानि सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो विधान सभा क्षेत्र शिव में हुई है, इसलिए जो मुआवजा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने दिया है, जो हमारा वाजिब हक था, वो हमको मिला। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह तो इसलिए दिया है, संयमजी, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया था उन्होंने। उसका रिवार्ड दिया है मुख्य मंत्री ने कि आपने कांग्रेस के नेताओं का जो दिल्ली से आये, विरोध किया। उससे पैकेज जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसका पैकेज मुख्य मंत्रीजी ने इनको दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसका मतलब यह हुआ

कि उनका विरोध किया इसलिए पैकेज नहीं मिला। सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक क्या कह रहे हैं? प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया इसलिए पैकेज इन्होंने नहीं दिलाया, इसका मतलब आप दोषी हो इस बात के। आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस पैकेज से राजस्थान को पैसे नहीं मिलें, इसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। आपने खुद यह बात कही ...(व्यवधान) आप प्रोसिडिंग को उठा कर देख लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप चाहते ही नहीं थे, पैसे मिलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने खुद यह बात कही है, प्रोसिडिंग उठा कर देख लो। शर्म आनी चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपकी साजिश थी वहां जाकर बकवास करना, वहां जाकर लोगों से बात मत करने देना, राजनीतिकरण करना। जो आदमी देने आ रहे हैं उनके साथ इस तरह से सलूक किया जाता है? जैसा आपने सलूक कराया उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए पैसा नहीं दिलाया, इसलिए पैकेज में पैसा नहीं मिला।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सलूक कराया जाता है? और आपने उलटा रिवार्ड दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या बोल गये मुख्य सचेतकजी?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके गुरु, आप ही ने कहा है, करवाया, उसी का फल है, किस को कह रहे हो? (व्यवधान) गुरूजी खुद बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किस को बोल रहे हो आप?(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): 109 आदमी मरे हैं तगारामजी के क्षेत्र में पैसा सब गया है शिव क्षेत्र में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बाड़मेर क्षेत्र में 109 आदमी मरे हैं, ये कौन से क्षेत्र के हैं? यह बाड़मेर के हैं, शिव के एक भी नहीं हैं। सारे के सारे बाड़मेर के हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): xxx

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

अंकित नहीं हुआ। अंकित नहीं हो रहा है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

(19.44 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: वैल में आने की कौनसी बात बोली? (व्यवधान) वैल में आने की कौनसी बात बोल दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

श्री अध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते? हां, सुनना चाहते हो तो सुनिये।

उन्होंने आसन की तरफ से यह व्यवस्था दे दी थी कि अंकित नहीं हो, फिर आप क्या चाहते हो? खतम हुई बात, कार्यवाही में तो आया नहीं।

मेरी बात सुनिये पहले आप। पहले तो आप अपने-अपने स्थानों पर

(श्री अध्यक्ष)

जाइये, बात करूंगी मैं। वो मुझे कह कर गये हैं, मुझे आसन से यह कहा गया है कि मैंने अंकित नहीं होने के आदेश दे दिये थे, यह कहा है गोयल साहब ने।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

मुझे सभापति महोदय ने यह बात कही है कि मैंने अंकित नहीं होने के आदेश दे दिये थे। सभापति महोदय कह कर गये हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, आप वैल में आकर बैठे, वहां भी समझ में आती है बात। वैल में आकर आप बाकायदा डिस्कशन कर रहे हैं। या तो अपने स्थानों पर जाकर जो कुछ कहना है, कहिये, या फिर आप जाइये। आप यह क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): xxx

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर एक कहां है, वह भी तो बताओ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): xxx

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): xxx

श्री अध्यक्ष: नहीं, कोई असंसदीय शब्द बोले क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): xxx

श्री अध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते । आसन पांवों पर है आप सुन लीजिए बात । आप सुन लीजिए। बात तो सुन लीजिए आप भी।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनको मैं स्पष्टीकरण, शायद उन्होंने सुना नहीं मेरे शब्दों को, मैंने बाढ़ पीड़ितों की शोक संवेदना व्यक्त की थी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया था, श्रृद्धांजलि अर्पित ...(व्यवधान) मैं मूर्ख की बात नहीं कह रही हूं । यह मैं नहीं कह रही, मूर्ख हैं। मैंने नहीं कहा, आप बात सुन लें ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में जोर-जोर से बोलना)

आप श्रद्धांजलि की बात कह रहे हो, श्रद्धांजलि केवल मैंने विशिष्ट लोगों को दी थी । मैंने उनको शोक संवेदना व्यक्त की ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: आपने क्या शब्द कहे, बोल दें आप (व्यवधान) आप बीच में नहीं बोलिए । आप बीच में नहीं बोलिए, रिकार्ड देख लूंगी मैं। रिकार्ड देख लूंगी मैं। वह क्या कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। हां, बोलिए आप। (व्यवधान) गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्य, शांत रहें आप। सुनें उन्हें आप ...(व्यवधान) बात सुन लो, क्या कहा है उन्होंने । ...(व्यवधान) बात सुन लो, क्या कहा है उन्होंने ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाढ़ आई थी मैं मेरे विधान सभा मुख्यालय में था। तब से लेकर मैंने जयपुर विधान सभा चालू होने पर ही देखा है ।

श्री अध्यक्षः मैंने कहा न, रिकार्ड देख लूंगी मैं ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): पूरे समय मैंने बाढ़ पीड़ित जनता की सेवा की है।

श्री अध्यक्षः मुझे सभापति यह कहकर गये हैं कि मैंने उसे अंकित नहीं करने का आदेश दे दिया है । यह सभापति मुझे कहकर गये और इसी के आधार पर ...(व्यवधान) इस आसन पर आप इस तरीके से सवाल-जवाब मेरे से न करें । आपको सवाल-जवाब करना है तो अपने स्थान पर जाइये। यह बहुत गलत तरीका है। यह कौनसा तरीका हुआ, गलत तो हो ही आप, इसमें कहना-सुनना क्या है? आप हर वक्त ये ही करते हो ...(व्यवधान) आप बात ही नहीं सुन रहे। मुझे सभापति यह कहकर गये कि मैंने उसे अंकित नहीं करने का आदेश दे दिया आसन पर ...(व्यवधान) सभापति महोदय जो कुछ बाबूसिंह राठौड़ ने कहा था उसके बारे में .....

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मेरी बाढ़ पीड़ित परिवार जिनके सदस्य मृत हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना है। मैं उनमें से अधिकांश के घरों में जाकर आया हूं । मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था ।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले से ही कह रखा है, अंकित नहीं हो, इसलिए अंकित नहीं हुआ वह । वह कह रहे हैं, पहले ही उन्होंने आदेश दे दिये थे कि अंकित नहीं हो इसलिए अंकित हुआ ही नहीं ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैंने तो यह कहा था कि आप लोगों की, कांग्रेस के लोगों की मंशा के कारण यह बोला था इन्होंने हैलीकाप्टर और नावें समय पर नहीं दीं जिसके कारण हमारे 109 लोग मृत हो गये हैं। बाकी बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, मैं उनमें से अधिकांश के घरों में जाकर आया हूं। बल्कि ये लोग नहीं गये हैं । मैंने तो कहा था ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार सदन कूप में जोर-जोर से बोलना)

श्री अध्यक्ष: आपने सुना होगा लेकिन अंकित नहीं हुआ। आपने सुन लिया होगा ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): कांग्रेस के लोगों की मूर्खता के कारण 109 लोग मरे हैं क्योंकि हमको हैलीकाप्टर नहीं मिला, हमारी सरकार को जिला प्रशासन से नावें नहीं मिलीं जिसके कारण बाड़मेर का जिला प्रशासन हैलीकाप्टर और नावों के अभाव के कारण 109 लोगों को ....

श्री अध्यक्ष: सभापति ने यह कहा है कि उसके पहले से ही अंकित नहीं हुआ ।

(समय : 20.00 बजे)

आपने सुना होगा लेकिन अंकित नहीं हुआ। आपने सुन लिया होगा। कहा होगा..(व्यवधान) सभापति महोदय ने यह कहा है कि उससे पहले ही अंकित नहीं हुआ। वह कैसे कह रहे हैं अंकित हुआ?

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में जोर-जोर से बोलना)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): मैंने जो कहा था कि आपकी मूर्खता, कांग्रेस के लोगों की मूर्खता के कारण 109 लोग मरे, क्योंकि हैलीकॉप्टर नहीं मिला हमारी सरकार को, जिला प्रशासन से नावें नहीं मिलीं इस कारण बाड़मेर जिला प्रशासन हैलीकाप्टर और नावों के अभाव में 109 लोगों को बचा नहीं सका। इसीलिये मैंने कहा था आप लोगों को। कांग्रेस के लोगों की मूर्खता के कारण 109 लोग बाड़मेर में मरे हैं। बाढ़ पीडित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं उनके अधिकांश घरों में व्यक्तिशः गया हूं। जब-जब बाढ़ आयी

(डा. जालम सिंह रावलोत)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव का मैंने...(व्यवधान) जयपुर में आपने कहा था जब विधान सभा चालू हुई है, डेढ़ महीने तक मैंने यह भी काम किया है बाढ़ राहत कार्य। यह मैं बताना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड हुआ कि नहीं, यह तो बताओ मुझे। पहले से ही रिकार्ड नहीं हो रहा था, कह तो रहे हैं। ऐसा है, टेप रिकार्डिंग में तो जो कुछ बोला है वह जरूर हुआ होगा, लेकिन जब अंकित नहीं हुआ तो रिकार्ड में तो आएगा नहीं। रिकार्ड में तो जब उन्होंने कह दिया कि अंकित नहीं हो रहा है या अंकित नहीं हो, तो वह रिकार्ड में नहीं आएगा। पहले से ही उन्होंने कह दिया था कि रिकार्ड नहीं हो...(व्यवधान) अंकित नहीं हो। उन्होंने कहा भाषण अंकित नहीं हो। यह कह दिया था। टेप में क्या देखें अंकित ही नहीं हुआ तो। कह रहे हैं, अंकित ही नहीं हुआ (व्यवधान) प्रोसीडिंग पर वही होगा जो अंकित होगा। प्रोसीडिंग पर तो वही आएगा जो अंकित होगा। जो अंकित नहीं होगा वह कैसे आ जाएगा?

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: सभापति महोदय, इस आसन पर आप बैठे हुए थे, गोयल साहब, मैं चाहूंगी, आप स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य संयम लोढ़ा बोल रहे थे तो बीच में माननीय उप नेता और गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य व्यवधान कर रहे थे। बीच में वह भी बोलने के लिये खड़े हो गये थे तो जोर-जोर से हो-हल्ला होने लगा था, उस समय मैंने यह आदेश दिया था आसन पर बैठकर कि आप इनका किसी का अंकित नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, खत्म हुई बात।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): और यह जो बाद की बात बता रहे हैं, वह तो बहुत बाद की बात है, उसके पहले से ही अंकित नहीं हो रहा था। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप जब आक्षेप लगा रहे हो कि संवेदनहीन सरकार है तो रहने दीजिये संवेदनहीन, क्या तकलीफ है आपको ? (व्यवधान) हां, तो फिर वह कह दिया उन्होंने। फिर आप क्या कह रहे हो जब रिकार्ड में नहीं है?

(श्री अध्यक्ष)

रिकार्ड में नहीं है। आप जब यह कह रहे हो ..(व्यवधान) है ही नहीं। रिकार्ड में ही नहीं है तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस बात के लिये ? आप यही कहना चाहते हो, आपने दस बार तो कहा रिकार्ड में कि संवेदनहीन है, संवेदनहीन है..(व्यवधान) रहने दीजिये। रिकार्ड में तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या बात हुई? टेपरिकार्डर को मैं सुनूंगी। टेपरिकार्डर को मैं सुनूंगी तो क्या..(व्यवधान) टेप पर रिकार्ड है तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: ठीक है, मैं टेप रिकार्डिंग को सुन लूंगी, टेपरिकार्डिंग जो हुई है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: सुनवा किसको दूंगी ? (व्यवधान) अच्छा, उन्होंने रिकार्ड से पहले ही यह कह, दिया अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो तो आप माफी मांग लोग ? हां, टेप देख लेंगे। चलिये कोई बात नहीं है। हां, देख लूंगी।.(व्यवधान) आपको चर्चा करनी है तो करिये। यह कभी नहीं हो सकता इसी वक्त टेप रिकार्डिंग देख लें। गलत बात है यह। मैंने आपसे जैसा कि कहा है टेप रिकार्डिंग देखने के बाद इसका फैसला-यदि उन्होंने इससे पहले ही कह दिया कि अंकित नहीं हो तो आप माफी मांग लेना और कहा हो तो...(व्यवधान) लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप चर्चा नहीं करें और पहले कहें कि मैं विधान सभा को थोड़ी देर के लिये स्थगित करके कहूं कि यह देख लेंगे। यह नहीं होगा। विधान सभा में यह नहीं हुआ, यह नहीं होगा। आप अब चर्चा करें। चर्चा करें आप। मैं देखकर उसके बाद जैसा होगा मैं आपको बता दूंगी। आपको भी दिखा देंगे। आपको भी सुना देंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस वक्त विधान सभा स्थगित हो और आप देखें। यह नहीं होगा..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: फैक्ट्स को कौन हाइड कर रहा है? (व्यवधान) यह नहीं हो सकता। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा नहीं। मैं आपसे बता बता रही हूं..(व्यवधान) टेपरिकार्ड मेरे कमरे में आकर ..(व्यवधान) देखी गयी है, इमीजिएटली नहीं देखी गयी है, माफ करना। क्षमा करना।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: बीच में हाउस एडजोर्न नहीं हुआ। बीच में कभी हाउस एडजोर्न नहीं हुआ है। आपको बोलना है तो बोलिये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) माननीय सदस्यों के तो एक के अलावा किसी के बाढ़ आयी नहीं है, इसलिये इनको बाढ़ की बात कहनी नहीं है ... (व्यवधान) बाढ़ इनके है नहीं। केवल एक माननीय सदस्य के है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जवाब कराएं आप तो, जवाब कराएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दीजिये। यस, यस, मंत्रीजी, आप माननीय खांट साहब को सुन लें। हां, हां, दे रहे हैं आपको समय। खांट साहब बोलिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने खारी नदी पर जो घटना हुई उसमें मेरे बारे में जो इंगित किया है, मुझे दो मिनट बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: खांट साहब का नाम पुकार लिया, आपको भी दे देंगे। उनको भी आप बोल लेने दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने स्लिप दी है।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, आपको भी समय दे देंगे। खांट साहब को सुन लें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूरे राजस्थान में बाढ़ से प्रभावित आपदा पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने नहीं किया होगा, मैंने नाम पुकार लिया है। नहीं किया होगा, आपका खत्म। आप वैल में आने के आदी हो, वैल में खड़े रहो।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): बांसवाड़ा जिला चूंकि जनजाति क्षेत्र है यहां पर हमें धन की हानि हुई है। लेकिन जो बाड़मेर और जैसलमेर के जो हालात बने हैं, वे हालत हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर संभाग में नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मैं आपको नियमों की जानकारी देना

(श्री अध्यक्ष)

चाहती हूं कि वैल में आने के बाद भी अध्यक्ष की तरफ पीठ करके कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यह नियमों में है। इसलिए मेहरबानी करके वैल में भी खड़े रहें तो अध्यक्ष की तरफ पीठ न रखें आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता को तो सहारे की जरूरत है, आपको तो अभी नहीं होनी चाहिए। आप पीठ करके नहीं खड़े हो सकते हैं। आप सुनें, देखें, जनजाति के सदस्य बोल रहे हैं। आप उन्हें सुनें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारी कुछ बातें सुन लीजिए। आप हमारी वैसे ही नहीं सुन रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत सुन लीजिये। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के अंदर जो राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, उसके अंदर 800 एम.एम. का एवरेज है। उस जगह पर इस बार 1750 एम.एम. बारिश हुई यानि कि बांसवाड़ा जिल के अंदर 70 इंच वर्षा होना एक नया रिकार्ड है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि संपूर्ण जिले में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो माही और कडाना दोनों डैमों से प्रभावित दोनो जिले हैं, इस बार हमारे जनता की हानि तो नहीं हुई लेकिन धन की हानि हुई है। जितनी भी हमारी फसल थी, मुख्य रूप से मक्का, चावल, बाजरा, तुवर, सोयाबीन, सारी की सारी चौपट हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए जो अपनी तत्परता दिखायी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 3 सितम्बर, 2006 को केन्द्रीय अध्ययन दल ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर का हमारे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने वहां दोनों जिलों का दौरा किया, लेकिन बड़े खेद के साथ में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जायसवालजी ने बांसवाड़ा की जिला कलेक्ट्री में मात्र पांच मिनट का समय दिया। पांच मिनट में सबसे पहला स्टेटमेंट यह था कि सबसे पहले राजस्थान सरकार जो 800 करोड़ रुपया दिया था, उसका जवाब दे, उसके बाद में हम उनको सहायता राशि दे या नहीं दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा की कलेक्ट्री में जहां जिले का कलक्टर ही बैठा हुआ था, न वहां राजस्थान का

(श्री जीतमल खांट)

कोई मंत्री था, न वहां पर वसुंधरा राजेजी थीं और वहां पर छोटे-छोटे लोगों के बीच में आकर के एक केन्द्रीय स्तर का मंत्री जहां पर गरीब लोगों को तकलीफ हो, भूख से जूझ रहे थे, तकलीफ से जूझ रहे थे, इस तरह की बात कहे। यह कहे कि राजस्थान की सरकार पहले हिसाब दे उसके बाद में सहायता की बात की जायेगी तो मैं कहना चाहूंगा कि संपूर्ण बांसवाड़ा जिले में जितना भी बोर्ड बैठा हुआ है, जिला परिषद बैठी हुई है, वह कांग्रेस का है, वहां अधिकांश प्रधान कांग्रेस के हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कम से कम दिल्ली लेवल के लोग और उनका राजनीतिक स्तर इतना घट जाये कि यहां की गरीब जनता की तकलीफ को, वहां हमारी राजस्थान की सरकार का प्रतिनिधि अगर बैठता और उनसे बैठकर के बात होती और पूछते कि आप हिसाब दें, तब तो कोई बात गले उतरती। लेकिन वहां पर छोटे-छोटे कर्मचारी और छोटे-छोटे जन-प्रतिनिधि बैठे थे और केन्द्रीय दल का इतना बड़ा नेता इस तरह का जवाब दे कि आप हमें हिसाब दें, उसके बाद में हम आपकी सहायता करते हैं, तो यह बड़ा खेद का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों के लिए बांसवाड़ा जिले के अंदर, आज तक बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा तबाही ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे यहां तो पानी बरसा ही नहीं, मैं क्या बोलूं? जिस समय बोला हूं तो आपने क्या कर लिया है, और अब आगे क्या कर लोगे? माफियां मांगी हैं, माफियां (व्यवधान) लेकिन वहां पानी की कोई कमी नहीं रही है, आपसे ज्यादा हरियाली है। मैं अपने मन से हूं, मैं आपके कहने से ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य का कहना वाजिब है, सही कह रहे हैं कि वह राजनीति करने के लिए आये थे। हमारे माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री नमोनारायणजी मीणा जब गलियाकोट में आये, हैलीकाप्टर में आये और 15-20 जनों को लेकर भी आये। यह सत्य है जो आप बोल रहे हैं। कहा, आप हिसाब दें। फिर दस-पंद्रह मिनट रुके और उसके बाद वापिस चले गये। कुछ पूछा ही नहीं। ट्राइबल बैल्ट की जो चिंता की जा रही है, जिस तरह से हम

(श्री कनकमल कटारा)

चिंता व्यक्त कर रहे हैं, सहायता किसी प्रकार की केन्द्र सरकार से हुई नहीं। इसलिए यह बात हुई है ...(व्यवधान) मर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्थिति खराब हो रही है इसके बावजूद भी कुछ दिया नहीं और फिर इस तरह से राजनीति करने के लिए आते हैं। दौरा करते हैं। कुछ न कुछ तो करते। यह बात सही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्षः बोलिये, आप बोलिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, संकट की घड़ी में केन्द्र और राज्य की सरकारों को मिलकर जनता की तकलीफों को दूर करना चाहिए। ऐसे समय में जहां पर जनता समस्याओं से जूझती है, वहां तीन-तीन दिन तक चूल्हे तक नहीं जले...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

ऐसी परिस्थितियों में बांसवाड़ा जिले में यह बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्षः वैल में आना भी नियमों के विपरीत है, लेकिन आप अध्यक्ष की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। आप वैल में शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। यह आपका अधिकार है। (व्यवधान) हां, है। (व्यवधान) अच्छा करिए, करिए आपको जो करना है वह करिए आप। जो आपको करना है वह करिए आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बड़े ज्ञान की बात करते हैं, यह कहां लिखा है कि अधिकार है आपको? वैल में आने का कहां अधिकार है आपको? वैल में आना तो अधिकार है ही नहीं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): केन्द्र की किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की यू पी ए सरकार को गरीब जनता के प्रति दर्द नहीं है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ ध्यान नियमों का भी रखिए। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की यू

(श्री जीतमल खांट)

पी ए सरकार को अगर दर्द होता तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को पैकेज में शामिल करते। लेकिन पैकेज में एक रुपया भी नहीं दिया, यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता के साथ यू पी ए सरकार सरासर उनका भी गला घोंट रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता इस बार तकलीफ के अन्दर जी रही है और राजस्थान की सरकार के साथ केन्द्र की सरकार जनता को राहत नहीं दे रही है, राजस्थान की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर सबसे ज्यादा नुकसान कच्चे मकान ढहने से हुआ है, जिनकी संख्या 30 हजार से भी अधिक है। हमारे उदयपुर संभाग के अन्दर जनजाति के अधिकतर लोग कच्चे मकान बनाकर रहते हैं और इस बार बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अन्दर जो बारिश का एवरेज था, जस्ट दुगुना हो गया है जिससे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ज्यादातर आदिवासी लोगों के जो मिट्टी के कच्चे मकान थे, ये ढह गये। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तक बांसवाड़ा के अंदर 338 लाख रुपए की राशि बांट दी गई। लेकिन वहां जिला परिषद और पंचायत समितियों में कांग्रेस का बोर्ड है तो निश्चित रूप से निचले स्तर पर जो पटवारी वगैरह बैठते हैं, उनके प्रभाव में आकर आज की हालत यह है कि काश्तकारों का जिनका असली नुकसान हुआ था, नामनिशान कहीं नहीं है, नकली लोग थे उन लोगों को पैसा धड़ल्ले के साथ मिला है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सही लोगों को राहत नहीं मिली और गलत लोगों को पैसा आबंटित हुआ है, एक टीम बनाकर वहां जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घपला सामने आएगा। कि मैं राजनीति से प्रेरित होकर बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के अंदर अकाल आपदा प्रबन्धन में किसी व्यक्ति को अगर छह सौ रुपए मिले, आठ सौ रुपए मिले, बारह सौ रुपए मिले, यह कौनसी प्राकृतिक आपदा राहत पहुंचा रहे हैं? जिन लोगों का असली नुकसान हुआ है उनके नाम इस सूची से छूट गए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग एक दल बनाकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दोनों जिलों के लिए जिन लोंगों का वाकई नुकसान हुआ है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में कहां से और कैसे खड़े हो गये? किसकी आज्ञा से खड़े हो गए बीच में? (व्यवधान) नोट मत कीजिए

(श्री अध्यक्ष)

उन्हें। (व्यवधान) सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, अंकित न किया जाए। मुझे माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है, (व्यवधान)। अंकित नहीं होगा त्रिवेदीजी का बोला हुआ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी बात को भी सुनें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : ×××

श्री अध्यक्ष: कोई गवाह नहीं है क्योंकि अंकित नहीं हो रहा है। सदन का समय यूं ही गवां रहे हैं आप। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं। वैल में खड़े हुए माननीय सदस्यों से मैं अब अंतिम बार कह रही हूं कि आप अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लें। आप एक बार विराजें। मैं नहीं चाहती कि बाढ़ जैसे अधिक वर्षा से पीड़ित लोगों के भावों को, उनकी बात को यहां रखने से मैं आपको वंचित करूं, इसलिए मैं बाहर जाने का आदेश आपको नहीं दूंगी लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन कर रही हूं कि आप कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। जो लोग यहां पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उसे हमें भी सुनने दें और आप भी सुनें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : ×××

श्री अध्यक्ष: यह माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान) इनकी बात को अंकित नहीं किया जाए। (व्यवधान) ताज्जुब की बात तो आप सब लोग कर रहे हैं। वैल में आने के बाद में जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मैंने आज दिन तक कभी नहीं देखा है। आप लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा कभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्हीं की मांग पर आपने बाढ़ पर चर्चा मंजूर की है। आपने इनकी गम्भीरता देखी, इन्हीं की मांग पर बाढ़ पर चर्चा मंजूर की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने एक बार कह दिया कि मैं टेपरिकार्डिंग देखने के बाद उसका फैसला करूंगी।

मैं किसी मंत्री को नहीं कह सकती। नहीं, गलत बात। (व्यवधान) जब यह बात तय हो गई कि टेपरिकार्डिंग देखने के बाद, सुनने के बाद मैं फैसला दूंगी तो मैं बीच में क्या कहूंगी? बात जब हो गई तो उसके बाद क्या होगा (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह प्रस्ताव भी इन्होंने दिया है आपको। यह प्रस्ताव भी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया, टेपरिकार्ड देखने के बाद आप फैसला फरर्मा। इन्हीं की मांग पर आपने बाढ़ जैसे संवेदनशील विषय पर वक्तव्य देने के लिए सरकार को कहा था, यह गंभीरता देखिए आप इनकी। (व्यवधान) आसन से व्यवस्था हो गई, आपने कहा, टेप देखने के बाद आसन व्यवस्था दे देगा। टेप सुनने के बाद व्यवस्था हो जाएगी। ..(व्यवधान)..

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): राजस्थान के बाढ़ पीड़ितों की यह चर्चा नहीं करेंगे। अगर इटली में बरसात हुई होती, इटली में बाढ़ आयी होती, सोनियाजी खतरे में होतीं तो यह चर्चा करते।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर जाएं, यहां से कोई अधिकार नहीं है आपको। आपको बोलना है तो आप अपने स्थान पर जाकर बोलिए। आप यहां से बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है आपका कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में आकर खड़े होकर बोलने लगे? न यह आपका स्थान है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): × × ×

श्री अध्यक्ष: आप तो बिना मौके के ही बोलते हो। जिनकी वास्तविक समस्या है उनको आप सुन नहीं रहे, उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बीच में शोर मचा रहे हैं आप जोर-जोर से।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की तो जिसे कहना चाहिए एक आदत है कि वो किसी न किसी को लगा देते हैं। कभी संयम लोढ़ा को लगाते हैं, कभी आपको लगाते हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं यह अनुभव कर रही हूं कि ऐसे इलाके के जो जनजाति का एरिया है और जहां पर सचमुच बाढ़ की समस्या है, जहां पीड़ित हैं आप उनको अपनी बात नहीं कहने दे रहे हो, मैं यह समझ रही हूं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सारे सदस्य थोड़ी मेरी बात को सुन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जोधपुर से 100 ट्रक रवाना हुए, बालोतरा से लोगों ने एक हजार पैकेट भेजे। जिन्होंने जूते पहने नहीं हुए थे, वे नंगे पैर दौड़े। यह पीड़ा केवल उनको नहीं है, पूरे राजस्थान की पीड़ा है। जगह-जगह लालटेन दी, स्टोव दिये, जो कुछ लोगों ने किया, इसको एक मखौल बना दिया। बिना सुने ही आप इतना टाइम खराब कर रहे हो। आप मंत्रीजी से कुछ मांगते तो और कुछ मदद होती, लेकिन आप इसको मखौल बनाकर एक राजनैतिक अखाड़ा बना रहे हो। कितने लोगों ने मदद की है उन बाढ़ पीड़ितों की? हर आदमी आज भी गांव के अंदर है, किसी के 60 हजार रुपये शामिल किये हुए हैं, किसी के 80 हजार किये हुए हैं। इन बाढ़ पीड़ितों के लिए लोग अपने आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा (व्यवधान) उन्होंने कुछ भी कहा हो, उसके लिए आप इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं कि एक छोटी-सी झोपड़ी गयी है उसके लिए ये तगारामजी खड़े हैं। मैं 22 तारीख को गया हूं, इनके यहां से एक बकरी खुलायी मेरे गनमैन से। इनके गायें छुड़ायी हैं। हम 22 तारीख से 6 तारीख तक वहां पर रहे, रामनारायणजी डूडी साहब हमारे साथ थे। आप लोग तो बाद में आये हो। आप लोगों के कौन-कौन थे? नावों में बैठने के अलावा, बाकी और कोई काम नहीं था। रात को हमने नावें भिजवायी है। इतना काम होने के बाद आप इतना टाइम मत लो। आप विराजो वहां और सुनो। उसके बाद में मेरा आपसे निवेदन है, आप उनके प्रति क्या सहानुभूति रखते हो? जो लोग चले गये उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करो। और जो लोग हैं उनकी मदद के लिए सरकार कर रही है उसके बावजूद भी आप यह कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, न तो मृत आत्मओं के प्रति किसी तरह का इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, न ही हुआ है। रिकार्ड में देखने के बाद अगर किसी माननीय सदस्य ने इस तरह की कोई बात की होगी तो क्षमायाचना मांगने में हमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि आसन ने व्यवस्था दे दी, आपने कहा, टेपरिकार्ड सुनकर आप इसकी उचित व्यवस्था दे देंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं उनकी तरफ से और हम सब की तरफ से कह रहा हूं कि मृत आत्मा के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरी श्रद्धा है, इसलिए कृपया इस अति संवेदनशील विषय पर जो लोग

अपनी बात कहना चाहते हैं उनको करने दें। टेपरिकार्ड सुनने के बाद कल अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे देंगे इसी सदन में, इसी स्थान पर खड़े होकर क्षमायाचना करने में हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, हम बिलकुल निश्चित तौर पर क्षमायाचना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, या तो ये मांगेंगे या आप मांगोगे। दोनों में से एक को तो मांगनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर किसी सदस्य का ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: दोनों में से एक को तो मांगनी पड़ेगी, चाहे आप मांगो चाहे ये मांगे। अंकित नहीं हुआ होगा तो ये मांगेंगे, अंकित होगा तो आप मांगोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित तौर पर, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, टेप रिकार्डर सुनने से पहले अगर इनके द्वारा कोई शब्द कहे गये और उसका आशय इन्होंने यह निकाला है कि वह मृत आत्मा के प्रति अपमानजनक कोई बात है तो उसके लिए मैं पहले ही खेद व्यक्त कर रहा हूं। अभी खेद व्यक्त कर रहा हूं। हमारी कोई मंशा थोड़े ही है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात को कम शब्दों में समेटते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सहायता मंत्रीजी बांसवाड़ा जिले में बीपीएल अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोलूंगा या ये बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: खांट साहब, आप बोलें।

(समय:20.39 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर संपूर्ण रूप से ट्राइबल बैल्ट है और बीपीएल अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना

(श्री जीतमल खांट)

जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत मिलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां पर 35 किलो बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, बार-बार आरोप-प्रत्यारोप के द्वारा उस इलाके के अंदर आम जनता को गुमराह किया जाता है कि यह 35 किलो का 20 किलो आपने किया है या भारत सरकार ने किया है। यह, मंत्रीजी, आप अपने जवाब में बताएं ताकि पूरे क्षेत्र में एक संदेश जाए। गरीबों के लिए बार-बार हम सब लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप कम से कम बांसवाड़ा, डूंगरपुर के डीएसओ हैं इनको भी थोड़ा पाबंद करें क्योंकि आजकल उस क्षेत्र के अंदर जो भी राशन सामग्री जा रही है, उसकी बड़े पैमाने पर वहां तस्करी की जा रही है। मैं व्यक्तिशः आपसे भी मिल चुका हूं, वहां पर बी.पी.एल. के गेहूं और इस पैसे की तस्करी की जा रही है। आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर की धरती पर कई ऐसे परिवार हैं जिनके मकान में एक क्विंटल गेहूं भी नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जहां पर भी इस तरीके की गड़बडियां हो रही हैं, उनको आप सुधारने का प्रयास करेंगे। आपको यह हमारा सुझाव है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर में संयुक्त रूप से कम से कम 60 हजार कच्चे मकान गिरे हैं, हमारी सरकार ने यहां पर 3 करोड़ 38 लाख रुपये तत्कालीन सहायता देने का तय किया है और लोगों को मिली थी, लेकिन सहायता राशि के बंटवारे में कहीं न कहीं असमानता हुई है। आप एक टीम बनाकर इसकी जांच कराएं ताकि असली लोगों को राहत मिले। नकली लोगों को मिली है तो जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करने का प्रयास करें। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर के अन्दर प्रमुख रूप से मक्का, चावल, सोयाबीन की फसलें होती हैं लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से कृषि अनुदान सहायता के रूप में मक्का की फसल को बाहर रखा गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मक्का प्रमुख फसल है, बांसवाड़ा-डूंगरपुर की, कृषि अनुदान सहायता में मक्का को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सारे काश्तकारों को वहां पर लाभ मिल सके। अब मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री सभापति: नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, खतम तो करूंगा मेरा, यह क्या बात हुई ? सभापति महोदय, हमने कोई गुनाह किया था क्या ? बोलने वाले ने अपशब्द बोले तो आप मेरा टाइम कैसे ले सकते हो ?

श्री सभापति: ऐसा है, आपको मैंने 22 मिनट बुलवा दिया था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 22 मिनट दिये तो 3 मिनट और दे दो।

श्री सभापति: अब नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बहुत जरूरी मामला है, बहुत जरूरी गरीबों का मामला है, मैं बोलूंगा, सभापति महोदय, तीन मिनट सिर्फ।

श्री सभापति: ऐसा है, मैंने दूसरों को 15 मिनट दिये, किसी को 10 दिये, आपको 22 मिनट बोलने को दिये और व्यवधान हुआ वह अलग। इसलिए अब आपको समय नहीं दिया जा सकता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका आग्रह है तो मैं 3 से घटाकर 2 मिनट कर देता हूं, 2 मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सुन लो एक बार। सेंसिटिव इश्यू है, मेरे पास कागज हैं। आप क्या बात कर रहे हो, गवर्नमेंट के कागज हैं मेरे पास।

श्री सभापति: ऐसा है, अब रिपीटीशन के अलावा कुछ भी नहीं है, आपको जो कहना था, वह कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2 मिनट बस।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो बोलूंगा, दो मिनट बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहता हूं कि बाड़मेर में यह सहायता किस तरह से दी जा रही है। (व्यवधान) आप हाई कोर्ट के वकील हो, सम्मानित आदमी हो आप तो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, हूं ही, इसमें क्या बात है? मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आनरेबल हो आप तो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा दोष ही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो इन हाफ पेंट की तरह मत करो। सुरजन राम मेघवाल पादरड़ी खुर्द का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पहले इनको बैठाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये बैठ जाएंगे। (व्यवधान) इनको बैठाने का काम आसन का है, पहले आप बैठिए। (व्यवधान) आप कृपया बैठिए, यह मेरा काम है कि मैं इनको बैठाऊं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका वैसे समय समाप्त हो चुका है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप मेरी बात सुन लें एक मिनट में, मैं बहुत सेंसिटिव बात कह रहा हूं। गरीबों का भला हो जाएगा तो सिंहासन लुट जाएगा क्या किसी का ?

श्री सभापति: तो कृपया दो मिनट में बोल लें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, दो मिनट में।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी की जानकारी में यह लाना चाहता हूं सहायता का तौर तरीका किस तरह अन्यायपूर्ण रहा, इसका मैं एक एक्जाम्पल आपको दे रहा हूं। गुढामालानी के तहसीलदार ने 30 अगस्त को जिला कलक्टर के पास भेजा, सुरजन राम मेघवाल, निवासी पादरड़ी खुर्द के दोनों बच्चे इस बाढ़ में बह गये और आपने सहायता कितनी की? इसकी पत्नी ने नसबंदी करवाई हुई है, इसके बच्चे हो नहीं सकते, दो ही इसके बेटे थे, दोनों बेटे मर गये और आपने सहायता कितनी दी ? दोनों को मिलाकर 10 हजार, यह प्रशासन है आपका। भजन लाल पुत्र आसूराम कौम विश्नाई पादरड़ी खुर्द इस बाढ़ में बह गया, कितनी सहायता दी आपने ? 10 हजार रुपये। ये तो कुछ एक्जाम्पल हैं, जो मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि किस तरह से लोगों के साथ, गरीब मजलूम के साथ अन्याय हुआ है। ऐसे सैकड़ों किस्से राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में फैले हुए हैं। जो सहायता, माननीय सभापति महोदय, जिला कलक्टर के यहां भिजवाई गई, मैं भी 6 लाख रुपये की सामग्री लेकर पहुंचा था जिला कलक्टर के पास बाड़मेर में, तीन दिन वहां

(श्री संयम लोढ़ा)

रहकर हमने भी बांटी थी, लेकिन क्या व्यवस्था कर रखी थी आपने? कलक्टर को सामग्री सुपुर्द की, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में उस सामग्री का राजनीतिकरण करने का काम इस सरकार ने किया।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप यह गलत आरोप लगा रहे हैं। आप यह बिलकुल गलत आरोप लगा रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बिलकुल सही बात कह रहा हूं और मैं गलत कह रहा हूं तो यह गुढामालानी वाले एमएलए बैठे हैं, आप पूछ लीजिए।

श्री सभापति: अब आप प्लीज समाप्त करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरी सहायता राशि का, सहायता की सामग्री का राजनीतिकरण करने का काम किया। आरएसएस को क्रेडिट दिलाने के लिए, आरएसएस के स्वयंसेवकों को दानदाताओं की ओर से पहुंची हुई सामग्री को गाड़ी में साथ बैठाकर भेजा गया और इस तरीके से एक साम्प्रदायिक वातावरण बनाने की चेष्टा की गई। राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को दिये हुए सहयोग को वितरित करने का काम इस सरकार ने किया। और, माननीय सभापति महोदय, सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, सोनिया गांधी के मन में इतनी तकलीफ तो थी कि यह सुनने के बाद वह लोगों के बीच में आई। आपके अटल बिहारी वाजपेयी को क्या हो गया था, आपके लालकृष्ण अडवाणी को क्या हो गया था? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। (व्यवधान) इस सरकार का आपका प्रबंधन, राजस्थान के प्रशासन ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय । मंत्री महोदय, दो मिनट, लक्ष्मीजी बारूपाल को दीजिए, इनके बाढ़ आई हुई है। दो-दो मिनट बोल लेते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बता दूंगा सब को।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): लिखित में दे दिया, पर दो-दो मिनट ही लेंगे।

श्री सभापति: दो-दो मिनट ही लेंगे, बोलने दें प्लीज, इनके बाढ़ आई हुई है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल। दवे साहब के लिए बोल दिया आपने बहुत।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी पश्चिमी राजस्थान में जो बाढ़ की स्थिति हुई उसमें सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए काम किया, उसके बारे में धन्यवाद देना जरूर चाहूंगी। विश्वास है इस सरकार के प्रति, जनता का भी विश्वास है क्योंकि केन्द्र सरकार ने तो टका-सा मुंह बता दिया। 17 करोड़ रुपये दे दिये मगर राजस्थान को कैसी प्राथमिकता दी? केवल घड़ियाली आंसू 17 हजार करोड़ रुपये दिये कुछ राज्यों को, उसमें राजस्थान को कहीं पर भी नहीं रखा, राजस्थान को एक पैसा भी नहीं दिया। अभी सुबह से ही मैं सुन रही थी इनकी बातें, कह रहे थे कि जहां पर किसानों ने आत्महत्याएं कीं, वहां दिया गया तो राजस्थान का किसान इतना तो हिम्मत वाला है। उन्होंने इतने अकाल भी देखे, इतनी परिस्थितियां देखीं हैं, वह कम से इतना हिम्मतवाला है कि आत्महत्या तो नहीं करेगा। इस समय में आपकी मानवीय संवेदनशीलता प्रखर होनी चाहिए, इस समय आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। पाली जिले में भी बाढ़ की स्थिति हुई, देसूरी, सुमेरपुर और बाली में बहुत ही भयंकर स्थिति हुई थी। अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया और बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी। पाली के एमएलए साहब ने, हम सभी एमएलएज ने और हमारे मंत्रीजी लक्ष्मी नारायणजी दवे साहब ने वसुंधराजी के निर्देशों के अनुसार वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर सरकार की तरफ से जो भी राशि आपदा राहत कोष के मापदंडों के अनुसार है, वह दो दिन में स्वीकृत कर तीसरे दिन ही जनता को हाथों हाथ ही बंटवा दी। इतना त्वरित काम मैं कहती हूं, रिकार्ड है। लोगों ने कहा कि 73 की बाढ़ भी हमने देखी है, पर

(श्री लक्ष्मी बारूपाल)

महीने भर तक कोई प्रशासन या सरकार का नुमाइंदा या विधायक या सांसद कोई भी नहीं आया था। 73 की बाढ़ में पता नहीं उस समय किसकी गवर्नमेंट थी, मुझे जानकारी नहीं है, मगर लोगों ने कहा कि 73 की बाढ़ भी हमने देखी है।

ढारिया बांध मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र की रानी तहसील में आया हुआ है वहां पर भी भयंकर बारिश थी। मैं कह रही हूं कि 15 अगस्त को ही हमारे सारे बांध ओवर-फ्लो हो गये थे। ढारिया बाँध कांग्रेस शासन में बना था पता नहीं क्या उसमें खामियां रहीं, कि पहली बार भरते ही दो घंटे में वह फूट गया। सबसे पहले हम वहां पर पहुंचे और पहुंचते ही मैंने वहां पर उनके लिए खाने का प्रबन्ध करवाया। प्रशासन भी वहां पर मेरे साथ ही पहुंच गया। देवली की नदी भी आई हुई थी, वहां पर एस डी ओ, देसूरी खुद और तहसीलदार दोनों को ट्रैक्टर पर बिठाकर गांव वाले लेकर आये और वहां पर तुरंत, घंटे भर बाद में सर्वे स्टार्ट करवाकर तीन दिनों में साढ़े आठ लाख रुपये का जो भी जिसका जितना नुकसान हुआ, आपदा राहत कोष के जो मापदण्ड हैं उनके अनुसार सभी को दिया गया। हमारे मंत्रीजी और हमारे एम. पी. साहब, हम सभी ने मिलकर बहुत ही त्वरित गति से लोगों को न्याय दिलाया है। इसमें भी कांग्रेस वाले राजनीति करने में पीछे नहीं रहे। 20 अगस्त, 2006 को रविवार को ढारिया का बाँध फूटा, मैं 21 अगस्त सोमवार को सुबह वहां पर पहुंची और लोगों के खाने-पीने का प्रबन्ध किया और प्रशासन भी मेरे साथ-साथ पहुंच गया। इनकी राजनीति करने का एक नमूना बताना चाहती हूं। उसके बाद में मुख्य मंत्री साहिबा 22 अगस्त को आईं। पाली और सिरोही का उन्होंने दौरा किया और सुमेरपुर भी आयीं। हम सभी विधायकों को और माननीय मंत्रीजी को भी निर्देश दिये कि लोगों की आप सहायता करो और अपना क्षेत्र मत छोड़ो। उसके बाद में 23 अगस्त, 2006 को वन मंत्रीजी, हमारे सांसद महोदय और मैं स्वयं डुठारिया गांव पहुंचे। सन्निधाम ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री और सरकार की तरफ से 8 लाख 50 हजार की राशि जो भी मापदण्ड के अनुसार थी- पक्के मकानों के लिए 10 हजार, कच्चे मकानों के लिए 6 हजार, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए दो हजार और कच्चे मकानों के लिए 1200 रुपये दिये गये। स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से एक हजार बी पी एल परिवारों के व्यक्ति थे, उनको भी टीनशेड दिये गये। 500

(श्री लक्ष्मी बारूपाल)

रुपये उन्हें अलग कपड़ों के लिए और 500 रुपये बर्तनों के लिए भी दिये गये। 24 अगस्त, 2006 को मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष श्री केसारामजी चौधरी डुठारिया गांव पहुंचे और राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। वहां पर हमारे स्वयंसेवक, आर एस एस के हैं ने भी स्व-प्रेरित होकर गांव में जो भी बसे हुए लोग हैं उनको खाने के पैकेट बनवाकर के वितरित कर रहे थे। अभी यहां पर हैं नहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सी. डी. देवल साहब और प्रदेश युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो सभी मोटे-मोटे झब्बे पहनकर और कैमरामैन लेकर वहां पर पहुंचे, यह मेरे पास कटिंग है। मेरे पास में वह कटिंग है जो मैं सबूत के तौर पर लाई हूं। गांव वालों ने उनको वहां से दुत्कार कर निकाला कि आप आये तो हमारे लिए कम से कम दो बिस्किट तो लेकर के आते। यह मेरे पास न्यूज की कटिंग है, गांव वालों ने इनको दुत्कार कर भेजा। दूसरे दिन 25 तारीख को हम फिर भी लगे रहे, सात दिन तक हम वहां पर गांव वालों की सेवा-चाकरी में लगे रहे क्योंकि गांव के लोग हमारे लोग थे, वे हमारे भाई-बहिन थे। उनका दुःख-दर्द हमारा खुद का दुःख-दर्द था इस वजह से हम सात दिन तक वहां लगे रहे, हमने गांव नहीं छोड़ा। उसके बाद में 25 तारीख तक भी मैं वहां पर लगी रही। फिर इनको शर्म आई या क्या पता इनकी मानवता थोड़ी बहुत जागी तो 26 अगस्त, 2006 को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष केवल चन्दजी गुलेछा वहां पर गये। इनको तो गांव वालों ने दुत्कार निकाला कि आप आये हो तो कम से कम हमारे लिए दो बिस्किट तो लेकर आते। वो वहां से सीधे भागे, 26 तारीख को ये वहां पहुंचे। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी जो रायपुर से जीतकर आते हैं, वो कहते हैं कि आप तीन दिन बाद में पहुंचीं। मैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंची हूं। ढारिया बाँध आपके समय में ही बना है, आपकी कांग्रेस की सरकार थी उस समय बना था और उस समय तकनीकी खामियां रहीं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जो कमी रही है उसमें जो भी दोषी रहे हैं, कृपा करके उनको सज़ा दी जाए। भगवान की दया और हमारी किस्मत, हमारे गांव वालों का भाग्य कि बाँध भरा और दो घंटे बाद में फूट गया पर समय रहते गांव वालों ने हमको सूचित कर दिया। पुलिस वालों में भी जो दो कांस्टेबल वहां थे, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उन्होंने भी समय रहते त्वरित कार्यवाही करके गांव को खाली करवाया, उनको भी सम्मानित

किया जाए। स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, उनको भी सम्मानित किया जाए। गांव वालों ने अगर हमको समय पर सूचित नहीं किया होता और पुलिस वालों ने जाकर समय पर अपनी कार्यशीलता नहीं दिखाई होती, गांव समय पर खाली नहीं किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हमारे साथ तो बहुत बुरा हो जाता। हमारी किस्मत बड़ी तेज थी, सभी की किस्मत, हमारे गांव वालों की किस्मत बड़ी तेज थी कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई वहां पर। समय रहते गांव खाली हो गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद में तीन दिन में हमारे माननीय मंत्रीजी दवे साहब तीनों विधान सभा क्षेत्रों में, पूरे पाली जिले में लगे रहे। हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे लोगों के दुःख-दर्द को बांटते रहे। इन्होंने ही हमारे लिए सन्निधान ट्रस्ट वालों से बात की। इनके कहने से ही सन्निधान ट्रस्ट वालों ने जो हमारे लोग बह गये थे नदी में, उनको बचाने के लिए एक सेना का व्यक्ति शहीद हो गया था, उसको भी एक लाख रुपया दिलवाया। इनके भरपूर प्रयास रहे। इनको डायबिटीज की बीमारी है फिर भी इन्होंने अपनी सारी मेहनत लगाकर कंधे से कंधा मिलाया और हमारा सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को कि इन्होंने भी समय रहते सारी टीमें भेजीं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं सांवर मल जी जाट को भी कि उन्होंने भी हमारी समय रहते मदद की। मैंने उनसे फोन पर बात की कि डुठारिया में ढारिया बाँध फूटा है, तो उन्होंने कहा कि इसके पुनर्निर्माण के लिए जितना भी पैसा मांगेंगे वह मैं दूंगा, आप लगे रहो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को भी जिन्होंने समय रहते देसूरी में, सुमेरपुर में और पाली में जो सड़कें टूट गई थीं......

श्री सभापतिः किरोड़ी लालजी मीणा को दो।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): पुलिया टूट गई थी उनको समय रहते दुरुस्त करवाया। धन्यवाद।

श्री सभापतिः दो मिनट में ज्ञानजी बोलेंगे। दो मिनट में आप बात पूरी करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): दो मिनट।

श्री सभापतिः आपके तो बाढ़ है ही नहीं। ऐसा है, मेरे से कोई छिपा हुआ है क्या?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापतिजी, वैसे मेरा जो क्षेत्र है वो हमेशा पानी की कमी के संकट से जूझता है पर ईश्वर की इस बार मेहरबानी हुई, अतिवृष्टि कह दूं या अच्छी वर्षा कह दूं, बहुत अच्छा पानी आया। मेरे वहां जितने भी बाँध थे, लगभग सारे भर गये। उसके बाद में अतिवृष्टि के कारण जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, उसमें हमारी सरकार ने इतनी मदद की कि जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा उनको भरपाई हो गई। ये चाहे कितना भी कह दें कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सदन में बैठकर यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर अगर जनता को कहें कि बी जे पी वालों ने कुछ नहीं किया तो शायद इनकी वो दुर्गति करे कि झूठ बोलना सदन में हमेशा के लिए भूल जाएं। सारी जनता खुश है, क्या बात करते हो आप? तीन दिन के अन्दर-अन्दर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिन-जिन के मकान क्षतिग्रस्त हुए, तीन दिन के अन्दर-अन्दर घर बैठे उनको सहायता राशि मिली। चाहे गांव में जाने के लिए पटवारी, तहसीलदार को कमर-कमर तक पानी से गुजरना पड़ा तो भी वहां जाकर के राशि बांटी, सहायता सामग्री बांटी, कोई कमी नहीं आने दी। एक भी ऐसा किस्सा नहीं जिसमें यह साबित कर दें कि सहायता बांटने में थोड़ा बहुत भी भेदभाव हुआ। एक भी किस्सा नहीं है। ऐसा उदाहरण सामने ही नहीं आया। उसके बाद में भी कभी किसी ने बताया कि पटवारी ने भूल कर दी, हमारे यहां नहीं हुआ तो एक बार कहने पर पटवारी को हाथों-हाथ हमारे प्रशासन ने वहां भिजवाया- उसी समय रिपोर्ट और हाथों-हाथ सहायता राशि। इतनी तत्परता से कभी किसी सरकार ने काम किया ही नहीं। एक हमारी प्राब्लम दूसरी भी है। जैसे कभी शासन इनका रहा तो कभी शासन हमारा रहा, तो शासन की तुलना हम कर सकते हैं कि आपके शासन में यह हुआ, हमारे शासन में हमने यह किया। अकाल से भी थोड़ी बहुत तुलना कर दें तो इनके राज में कभी बाढ़ आई ही नहीं, हमेशा अकाल ही अकाल पड़ा। कभी बाढ़ देखी है आपने? सिवाय सूखे और अकाल के आपने कुछ नहीं देखा है इसलिए आपको पता नहीं है। बाढ़ में यदि कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए, नदी और नाले बहें...

(समय:21.00 बजे)

श्री सभापति: अब रिपीटीशन हो रहा है। आप मुद्दे की बात पर आ जाओ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं दो मिनट में मेरी बात कह रहा हूं प्लीज, मैंने कभी-कभी नाम दिया है। मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। नदी और नाले बहुत तेजी से बहे तो हो सकता है, उसमें कोई दुर्घटना हो जाये लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रयास किये, फालना की पूरी जनता गवाह है कि हमारे मंत्रीजी 11 घंटे वहां मौजूद रहे। कोई मंत्री 11 घंटे मौजूद नहीं रहता। मंत्रीजी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उनको बचाने के लिए खुद क्रेन पर बैठकर जाने लगे। इतने दयालु मंत्री बहुत कम होंगे जिनके मन में मानवता के प्रति इतनी संवेदना कि क्रेन पर बैठकर जाने लगे। लोगों ने रोका उनको कि आप मत जाइये। अंतिम समय तक हमारे मंत्रीजी को जितने प्रयास करने थे, प्रयास किये। एक सामान्य कार्यकर्त्ता की भांति किये, एक मंत्रीजी की तरह नहीं, वे भूल गये कि मैं मंत्री हूं। मैं एक सामान्य कार्यकर्त्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्त्ता हूं, उस नाते अपने जितने प्रयास करने थे, किये और उस बात की गवाही आज फालना की जनता देने को तैयार है। वह वाहवाही कर रही है कि इतने बढ़िया मंत्रीजी भी हो सकते हैं क्या और मात्र उस समय नहीं, बाढ़ के बाद 7-10 दिन तक लगातार जिस गांव में भी मकान क्षतिग्रस्त हुए, कोई नुकसान हुआ, वहां तक हर व्यक्ति को सहायता सामग्री पहुंच जाए, इसके लिए खुद पैदल चलकर गए। खुद गये, कहीं कमर-कमर पानी में तो कहीं कंधे-कंधे पानी में। फोटो गवाह हैं उस बात के, फोटो छपे हैं पेपर में। वहां जाकर हर घर को, हर बाढ़ पीड़ित परिवार को सहायता सामग्री पहुंचाई। जितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया। सरकार ने पहुंचाई। जितनी भी हमारी पाली जिले की समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनसे भी निवेदन करके, आग्रह करके आपने जो काम किया, पाली की पूरी जनता आज तारीफ कर रही है, वाहवाही कर रही है। ये सदन में कोस रहे हैं। आपको दाद देनी चाहिए इनको, थोड़ी-बहुत आप भी शर्म किया करो। जो कुछ अच्छा काम करते हैं, उसके लिए तो इतनी हिम्मत रखो कि उसको दाद देने का साहस भी आप में हो। कहीं कमी नहीं आने दी। पाली जिले में एक भी ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ। यदि एक भी ऐसा परिवार आप लाकर पेश कर दो तो जो आप कहो, मैं करने को तैयार हूं। हम बाढ़ में 10-15 दिन तक लगातार घूमे हैं, सारे लोग गवाह हैं। हमारी सरकार ने जो सहायता राशि दी है, पहले कभी जब भी बाढ़ आई है, उस समय के आंकड़े आप एक बार जाकर पढ़ लो अभी और आज के आंकड़े देख लो, आपको रात-दिन का अंतर नजर आ जाएगा कि पहले कितनी राशि मिलती थी और अब कितनी मिली है। हमारी

(श्री ज्ञानदचन्द पारख)

सरकार इन मामलों में पूरी संवेदनशील है और हमारी सरकार ने जो काम किया, उसकी राजस्थान की जनता वाहवाही करती है। छोटी-मोटी घटना को पेपर के माध्यम से कह दिया, एक झूठ को यदि 100 बार कह दिया, उससे वह झूठ कभी सच नहीं हो सकता। हो सकता है, आप उस उद्देश्य में सफल हो गये हों बदनाम करने में, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। वहां की जनता इस सच्चाई को जानती है और वह बार-बार कहती है कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। मेरा हमारी सरकार से बिलकुल आग्रह रहेगा, हमारी सरकार के अधिकारियों से भी हमारा आग्रह रहेगा, कुछ नुकसान हुआ है सड़कों का, हमने बहुत तेज गति से काम चालू किया है, उसके बाद भी कोई कसर है, चाहे केन्द्र सरकार कोई सहायता दे या नहीं दे, हम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन सड़कों को बहुत जल्दी अच्छी तरह से ठीक कराएंगे।

पानी की वजह से कुछ बीमारी फैली है, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने बहुत अच्छे प्रयास किये। पहली बार अस्पतालों में इतनी बड़ी संख्या में दवाइयां आई हैं। शायद आपको जानकारी भी होगी कि हमारे चिकित्सा मंत्री ने बीमारी से निपटने के लिए दवाइयों के अलावा प्रत्येक सब सेंटर पर 20,000 रुपये की रोकड़ राशि भी दे दी ताकि वहां की ए.एन.एम. किसी मरीज की मदद कर सके। कोई दवाई वहां पर उपलब्ध नहीं है तो उसको खरीदकर दे सके। हर पी.एच.सी. पर एक लाख रुपये की राशि वहां के चिकित्सा अधिकारी को दे दी। दवाई के साथ-साथ एक लाख रुपये की रोकड़ राशि दे दी है। यदि कोई भारी इंजेक्शन की आवश्यकता हो, कोई भारी दवाई की आवश्यकता हो जो उपलब्ध नहीं है, गरीब नहीं ला सकता है, तो एक लाख रुपये तक की छूट दे दी कि खरीदकर इसको लगा दो। कोई आदमी दवाई की कमी से मरना नहीं चाहिए। डी.डी.टी. के जितने कट्टे भिजवाये हैं, कितने कट्टे हैं, यह मेरे पाली जिले की बात है, यह नगरपालिका क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन एक बार फोन पर आग्रह किया उनसे कि हमारे यहां मच्छर बहुत हैं, डी.डी.टी. की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नियमों में तो यह है कि नगरपालिका करती है, लेकिन हमने कहा कि नगरपालिका की छोड़ो, लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे एक आग्रह पर सी.एम.एच.ओ. को निर्देश देकर जितने कट्टे चाहिये थे, कट्टे और टीम दोनों दिये। मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि कम से कम बाढ़ जैसे मुद्दे पर कोई

(श्री ज्ञानदचन्द पारख)

राजनीति नहीं करें। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको धन्यवाद दें। कहीं हमारी कमी है तो आप जरूर बताएं, हम सुधारेंगे लेकिन बिलकुल इस स्तर पर नहीं आएं कि हमने कुछ नहीं किया। यह बिलकुल गलत बात है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय। अब आप बैठें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, दो मिनट। सभापति महोदय, मुझे भी तो समय दें, मैं सुबह से बैठा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके बारे में अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? अगर कोई दूसरा सदस्य यहां आकर कर सकता है तो मैं तैयार हूं, आप इजाजत दे दें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस वाले बाढ़ के प्रति कितने संवेदनशील हैं, 55 में से छह एम.एल.ए. मौजूद हैं और बाढ़ पर इनको चिंता हो रही है। बोल-बोलकर यहां से सब चले गये। एक बोलना चाहता है इसलिए खड़ा है, बाकी छह एम.एल.ए. यहां पर बैठे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके लिए छह ही बहुत हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इनको राजस्थान में बाढ़ वालों की कितनी चिंता है, कितने संवदेनशील हैं, यह इस बात से पता चलता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): धर्मपालजी, रूककर क्या करते, सारे माननीय सदस्यों ने जवाब दे दिये। मंत्रीजी का काम तो सब विधायकों ने कर दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप अपनी बात कहकर चले गये, मंत्रीजी का जवाब सुनने तक रुक नहीं सकते? आप कितने संवेदनशील हैं, यह इस बात से पता चलता है। सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ राजनैतिक भाषण देने के लिए, अख़बार में अपनी फोटो छपवाने के लिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हम मंत्रीजी का जवाब अगर 12 बजे भी वे देंगे तो सुनेंगे।

एक माननीय सदस्यः माननीय सदस्य, ये तो अकाल वाले हैं, बाढ़ वाले नहीं हैं। ये अकाल वाले यहां बैठे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके 120 में से कितने बैठे हैं, आपके गिन लो पहले। 120 में से कितने हैं, गिन लो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): बाढ़ के बारे में आपकी भावनाएं किस प्रकार की हैं, यह इसी बात से पता लगता है। आप सिर्फ छह आदमी बैठे हो यहां पर मंत्रीजी की बात सुनने के लिए। मंत्रीजी ने पूरे दिन सुना, आज मंत्रीजी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं और छह आदमी बैठे हैं, बड़े शर्म की बात है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): 120 में से आप कितने हो? सभापति महोदय, दो मिनट अगर मुझे बोलने के लिए दें।

(समय : 21.06 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): यहां पर आपने इस बात को जोर-जोर से उठाया है कि राजस्थान की सरकार ने बाढ़ में कुछ किया ही नहीं और अब कहां हो आप? कहां गये आपके सुनने वाले? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके तो तीन पूरे मंत्री और दो आधे मंत्री बैठे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हम तो कहते हैं कि बाढ़ में बहुत अच्छा इंतजाम किया। हम तो कहते हैं....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और 27 हो कुल मिलाकर मंत्रियों सहित, कहां गये?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): यह तो आप लोग कह रहे हो कि बाढ़ में कुछ नहीं किया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आपकी मुख्य मंत्रीजी को क्या हो गया है? जब आज अतिवृष्टि जैसे मुद्दे पर चर्चा थी तो वह कहां हैं? उनमें अगर संवेदना होती तो वह सदन में बैठतीं। आज राजस्थान की जनता की उनको क्या पीड़ा है, अगर आपकी मुख्य मंत्रीजी में संवेदना थी तो वह यहां सुनतीं तब जाकर उनकी आंखें खुलतीं? कहां हैं वह, इसका जवाब दो पहले तो?

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हमारी सरकार ने इंतजाम बहुत अच्छा किया इसलिए हम तो इस बात की चर्चा नहीं करते थे। राजस्थान में बाढ़ के अन्दर राजस्थान की सरकार ने जो काम किया, बहुत अच्छा किया। आप तो शर्म करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आपकी शर्मिन्दगी का चिट्ठा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं खड़े हों। आप बोलने दें उन्हें। आप हर बात में खड़े होने लग जाते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कभी भी एक भी बात कहने नहीं देते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन ने अलाउ किया है क्या उनको कि वह कह रहे हैं कि छह एम.एल.ए. बैठे हैं? उनको क्या मतलब है छह बैठे हैं तो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभापतिजी करके गये हैं। मैंने थोड़े ही किया है। मैं तो अभी आई हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये बिना मतलब खड़े हो रहे हैं, इजाजत थोड़े ही दी है बोलने के लिए इनको?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये तो वैसे ही इंटरवीन कर रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): काहे का इंटरवीन कर रहा हूं? अच्छा, बात सही कर रहे हैं तो इंटरवीन हो गया। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इन्होंने कहा कि हम बाढ़ जैसे मामले पर चर्चा करना चाहते हैं, पूरे दिन चर्चा चली, मंत्रीजी का जवाब सुनने के लिए छह आदमी बैठे हैं। आपको इतनी चिंता है? सरकार ने हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे मंत्रीजी ने बाढ़ के क्षेत्रों में जाकर लोगों की इतनी सेवा की, उनकी मदद की। केन्द्र सरकार से आपने एक पैसा दिया नहीं और सी.आर.एफ. का दिया तो कोई दान नहीं दिया। सी.आर.एफ. का पैसा जितना सरकारों को मिलता है, वह पैसा मिला है। 17,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया, क्या दिया राजस्थान को? उसमें तो आप बोले नहीं। आपके टाइम में अकाल पड़ा, 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 960 करोड़ रुपये दिये तब आपने अकाल का प्रबन्ध किया। अब आज आपको इतनी उनके प्रति अगर चिंता है तो सोनियाजी आईं, मनमोहन सिंहजी आते और मनमोहन सिंह जी आते तो यहां पर पैसा देकर जाते। आपने यहां पर बाढ़ पर बड़ी चिंता की, आप कितने संवेदनशील हैं, उससे यह पता लगता है।

श्री अध्यक्षः खुशवीर सिंहजी, कृपया दो-तीन मिनट में आप अपनी बात कह दें। मुख्य बात आप दो-तीन मिनट में कह दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अभी जो बाढ़ पर चर्चा हो रही थी, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं पूरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे विधान

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

सभा क्षेत्र तक ही सीमित हूं। अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपको अच्छा लगेगा और सत्य अच्छा कम लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बाढ़ से कई मकान गिर गये और कई लोगों के कुए ढह गये हैं, उनको आज दिन तक एक पैसा भी नहीं मिला है। एक मात्र एक गांव के अन्दर एक लाख रुपये आये वे एक लाख रुपये पटवारियों के माध्यम से किन लोगों को कितने–कितने दिये गये, आज तक हमें पता ही नहीं है, चुपचाप वह खैरात बांट दी गई। साथ ही मैं धारिया बांध की बात करूंगा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास में है। अभी माननीय सदस्य देसूरी से आने वाली कह रही थी कि मंत्रीजी ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मदद की। मैं इस बात को मानता हूं, मंत्रीजी ने मदद की है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बात सरकार की नहीं है, यह बात किसी दल की नहीं है, मैंने रात को 12 बजे टेलीफोन किया कंट्रोल रूम में पाली के। शाम को छह बजे बांध फूटा और 12 बजे टेलीफोन किया, एस.ई. इर्रिगेशन को मैंने टेलीफोन किया- इतना संवेदनहीन वह एस.ई. इर्रिगेशन, मैंने कहा कि बांध फूट गया, गांव वालों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास टेलीफोन पर, मैं जा नहीं सकता हूं वहां पर, मेरे बीच में आठ नदियां आ रही हैं। मुझे यह जवाब मिला, अध्यक्ष महोदय, एस.ई. इर्रिगेशन, पाली ने मुझे यह जवाब दिया कि कोई बांध नहीं फूटा। जब कंट्रोल रूम में मैंने पता किया तो वह कहते हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि बांध फूट गया धारिया का। आपकी सरकार के जो अधिकारी, नुमाइंदे बैठे हैं, इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे के विरुद्ध कार्यवाही हो और उस एस.ई. को सस्पैण्ड किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, बाढ़ के अंदर मुझे मालूम है कि आप उस खारी नदी पर ग्यारह घंटे तक उन लोगों की मौत का इंतजार करते रहे....

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात है?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: मैं बात कह रहा हूं, यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष: यह जो आप बात कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: लेकिन मेरी बात सुनिये, इस बात को किसी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष: मौत के मुंह में क्या इन्होंने धकेला था जो मौत का इंतजार कर रहे थे? इन्होंने धकेला था क्या उन्हें जो इंतजार कर रहे थे मौत का? आप क्या बोल रहे हैं? आप यह कह सकते हैं कि आप देखते रहे, आप खड़े थे। लेकिन आप कहें कि मौत का इंतजार कर रहे थे, यह...

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः मेरी बात तो सुनिये, अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावना। इस बात को किसी भी रूप में बदल कर प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन मैं इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मैं मंत्रीजी को इस बात पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पूरे प्रयास किये हैं उनको बचाने के लिए।

श्री अध्यक्षः एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मौत का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा प्रयत्न किया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बात को घुमा कर अगर हम प्रस्तुत करें तो किसी रूप में कर सकते हैं लेकिन मैं यह सत्यता बता रहा हूं कि मंत्रीजी ने, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के तीन व्यक्ति इन मंत्रीजी के पास में खड़े थे जब यह मंत्रीजी, हकीकत है कि उस क्रेन के ऊपर खुद चढ़े उनको बचाने के लिए और उसमें से एक व्यक्ति ने जो हाथ खींचा इनका उतारने के लिए, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का भूपेन्द्र सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने इनका हाथ खींच कर नीचे उतारा कि, मंत्रीजी, बहाव बहुत तेज है, आपके यहां पानी इतना नहीं है जितना हमारे यहां फुट हिल्स के अंदर नदियां बहुत बहाव से बहती हैं, आप क्रेन सहित बह कर चले जाएंगे। मैं मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा प्रयास किया, निश्चित रूप से प्रयास किया आपने उनको बचाने के लिए। आप उसके बाद में घर-घर घूमे हो पूरे जिले में जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था। उसमें मुझे मालूम है कि आपने बीमारी के बावजूद पूरा प्रयास किया है बाढ़ राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनहीन अधिकारी जो हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, उनको पता ही नहीं। सिंचाई विभाग का एस.ई., रात को बारह बजे उसको पता नहीं। मंत्रीजी यहां हैं नहीं, नहीं तो वह मंत्रीजी सक्षम हैं, ऐसे एस.ई. को तुरंत प्रभाव से सस्पैण्ड किया जाये।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के ऊपर कहना चाहूंगा, यहां हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन मेरे यहां बीमारी अधिक फैली हुई है, उस बीमारी से आज लोग इलाज कराने के लिए कहां जाएं क्योंकि अधिकांश मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भी डाक्टर्स हैं, उनके पद रिक्त पड़े हैं, ए.एन.एम. नहीं हैं। आज बीमारी की इतनी हालत खराब हो चुकी है, मैं यही चाहूंगा कि, मंत्रीजी, आप जल्दी से जल्दी हमारे वहां कोई व्यवस्था कराएं जो वह पद रिक्त पड़े हैं उन पदों को तुरंत भर दिया जाए।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

इसके साथ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने सेवा की, बहुत दौड़-धूप की, मैं मानता हूं इस बात को और मैं धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन एक बात पक्षपातपूर्ण हुई है वहां पर और वह यह हुई कि जो पीड़ित लोग थे, जिनको सहायता मिलनी थी, उसमें पक्षपात हुआ है कि ये हमारी पार्टी के हैं और यह उस पार्टी के हैं, वहां उनकी उपेक्षा की गई है। तो मैं यह चाहूंगा सरकार से कि जिनकी उपेक्षा हुई है चाहे बेड़ा की बात हो, चाहे धारिया की बात हो और चाहे कहीं की बात हो, उनकी उपेक्षा नहीं करके उनको भी जो मिलना चाहिए उचित मुआवजा, वह दिया जाए। साथ में किसानों की जो जमीन खराब हुई है, मैं किसानों की फसल की बात नहीं कर रहा हूं, किसानों की जो जमीन खराब हुई है उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उन किसानों को जमीन वापस किस तरह से उपजाऊ बनाई जाए, कैसे ठीक किया जाय, उसमें सरकार उनकी पूरी सहायता करे। मुझे आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं थल सेना, वायु सेना और नेवी, एनजीओ और प्रशासन के लोगों का आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाढ़ की इस आपदा में उन्होंने लोगों के प्राण बचाये जो फंस गये थे। एनजीओज ने, मारवाड़ी सेठों ने जो मदद की, उनका भी आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल और महामहिम उप राष्ट्रपतिजी वहां पर गये, लोगों का दुःख सुना और सरकार के कामों पर संतोष जताया, मैं उनका भी बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। पर स्टेटमेंट देते समय, सवालों का जवाब देते समय मैं कमी महसूस कर रहा हूं, जो सवाल करके चले गये वे सुनने को रुकते तो अच्छा होता। प्रतिपक्ष के नेता होते, कल्लाजी होते तो जो वास्तव में सरकार का दुःख है, जो पैसे की हमारे पास कमी चल रही है वह हम भारत सरकार तक पहुंचा सकते थे इनके जरिये। बीच में श्री प्रकाशजी जायसवाल आये थे, उनके साथ नमोनारायणजी भी आये थे, यहां खासा कोठी में उन्होंने हमारे अधिकारियों को बुलाया था तो हम भी गये थे। तो जैसे यहां यह बात आई कि पहले पुराना हिसाब दो, बागीदोरा के माननीय सदस्य ने कहा, तब हम अगली मदद करेंगे। दुःख सुनने के लिए नहीं आये,

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

वह मुनीमगीरी करने के लिए आये थे। उस समय हमने उनकी मुनीमगीरी का हिसाब भी दे दिया था जो अखबारों में छपा था। अभी बी.डी. कल्लाजी एक बात कह गये थे कि आपने कोई तैयारी नहीं की। 8.6.2006 को हमने स्टेट लेवल पर एक मीटिंग की, मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया, वर्षा से पहले, बाढ़ आएगी उसको कैसे रोका जा सकता है, अतिवृष्टि से बचाव के कैसे क्या-क्या उपाय किये जाने चाहिए। उसमें नेवी के लोग भी, आर्मी के लोग भी थे, पुलिस के भी थे, सभी सैक्रेटरीज थे। मई, 2006 में सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये और मेरी मीटिंग के बाद में निर्देश दिये गये कि क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है, जिला लेवल पर आपको मीटिंग करनी है। जहां तक कल्लाजी कह गये थे कि आप विफल रहे, अध्यक्ष महोदय, कवास और मलवा आप पधारी नहीं हैं, ऐसी जगह पर बसे हुए हैं, दो धोरों के बीच में, बड़े-बड़े धोरे हैं...

श्री हेमाराम चौधरी: जिला लेवल पर मीटिंग हुई क्या?

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हां।

श्री हेमाराम चौधरी: बाढ़ सहायता की?

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हां।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं टोकें, आपको बाद में...

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं स्टेट लेवल की प्रोसीडिंग्स दे दूंगा, मेरे पास है। कवास और मलवा मैं जाकर आया हूं, अध्यक्ष महोदय, दो बड़े-बड़े धोरों के बीच में बसे हुए हैं, वहां एक नैचुरल कोर्स है पानी का जो आया और पानी उसमें घुस गया। रात में लोग सोये हुए थे, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं था और इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में पशुधन मर गये, लोग मर गये। यह कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही रही और इतने लोग मर गये, इतने पशुधन मर गये, इतना नुकसान हुआ। तो अच्छी बात तो यह होती कि आप दिल्ली से मदद कराते तो इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सकता था। हमने दो तरह के ज्ञापन भारत सरकार को दिये हैं अध्यक्ष महोदय, एक तो स्पेशल पैकेज का दिया जिसमें हमने 3200 करोड़ रुपये मांगे। और एक हमने ज्ञापन दिया जिसमें 3284 करोड़ रुपये मांगे। इन दोनों में फर्क है, अध्यक्ष महोदय, स्पेशल पैकेज तो वह पैकेज है जो इन्होंने 17 हजार करोड़ रुपये का दूसरे स्टेट्स को दिया है, उसी तरह का हमने पैकेज मांगा। वह हमने

29.8.2006 को भारत सरकार को भेज दिया और जब मदद नहीं आई तो 5.9.2006 को मैं और मुख्य मंत्रीजी खुद प्रधानमंत्रीजी से मिले। हमने उनसे प्रार्थना की कि हमको पैसे की आवश्यकता है, हम बहुत संकट में हैं और बहुत लोग मर गये हैं नुकसान बहुत हो गया है हमको पैसा दो। प्रधानमंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। उसके बाद हमने 3284 करोड़ रुपये का 1.9.2006 को एक ज्ञापन भेजा। अब, अध्यक्ष महोदय, ये हिसाब मांग रहे हैं तो मैं हिसाब दे देता हूं, पूरे सदन के बीच में मैं यह हिसाब रख देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1.4.05 को प्रारंभिक शेष जो रहा, जो भी अण्डर प्रोटेस्ट है 359.45 करोड़ वर्ष 2005-06 की बचत है 51.53 करोड़, वर्ष 2006-07 में सीआरएफ में जो पैसा आया ...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इसमें है 5153 लाख तो 515 करोड़ हो गया, मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप करैक्ट कर लें मैं जो बोल रहा हूं वो सही है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ये आपके ही कागज हैं साइन किये हुए ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, गलत कागज हैं, आपने कंप्यूटर में से चोरी कर लिया होगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं, नहीं कोई चोरी करके नहीं लिया, ये सूचना के अधिकार के अन्तर्गत लिया हुआ कागज है। चोरी-वोरी नहीं की है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो आप नोट कर लो। इसको करैक्ट कर लो। 1.4.2005 को प्रारंभिक शेष 359.45 करोड़, वर्ष 2005-06 की बचत है 51.53 करोड़, वर्ष 2006-07 में सीआरएफ में प्राप्तियां 436.42 करोड़, वर्ष 2006-07 में एनसीसीएफ में प्राप्तियां 100 करोड़ कुल योग 947 करोड़ 40 लाख। जो ये अपने कांग्रेस के भाई कहते हैं ये है जो 1000 करोड़ के आसपास ये बोलते हैं। इसमें, अध्यक्ष महोदय, 937.08 करोड़ हमने खर्च कर दिये । इस वर्ष जिलों में कुल जो खर्चा किया उसमें 386.78 करोड़ रुपये अकाल पर और 550.29 करोड़ रुपये हमने बाढ़ पर खर्च किये । अब हमारे पास पैसा बचा है 10.32 करोड़ ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 529 करोड़ किये खर्च ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 550.29 करोड़ हमने बाढ में दे दिये, हमारे पास पैसा बचा है 10.32 करोड़ । अब इसका भी हिसाब कल्लाजी पूछ गये वो भी मैं बता दूं, बजट अलाटमेंट हमने कैसे किया। ह्यूमन मेडिसिन के लिए 1050, कैटल मेडिसिन के लिए 1040 लाख, रोडस के लिए 1449, रोडस के लिए 2006 में 7500 लाख, वाटर वर्क्स के लिए 1500, टैंक्स के लिए 3500, अदर असैट्स के लिए 2000, फिशरीज के लिए 120, इन्पुट सब्सिडी के लिए 12800, डैड एनीमल्स के लिए 6881, डैमेज्ड हाउस के लिए 9685, अदर सब्सिडी 6886, डीजी पुलिस के लिए 208, नगर निगम, जयपुर के लिए 93, डीजी होमगार्ड के लिए 20, इर्रिगेशन के लिए 147 और डिवीजनल कमिश्नर्स के लिए 150, इस ढंग से हमने 550.29 करोड़ रुपये दे दिये। जिलेवाइज आंकड़े पूछना चाहें तो वो बता दूं। अब इसमें हमने भारत सरकार से जो पैसा मांगा वो भी मैं थोड़ा अलग-अलग कर दूं तो स्थिति क्लीयर हो जाएगी। ये कह रहे हैं आपने पैसा आत्महत्या के लिए नहीं मांगा। किसान मरे उसके लिए नहीं मांगा । जो किसान मरे हैं उन किसानों की कीमत के नाम पर भारत सरकार पैसे देती है । हमने input subsidy to affected farmers 520.65 करोड़ रुपये मांगा और wage employment to affected families 1230.8 करोड़ रुपये मांगा, ex gracia payment to families of deceased persons 1.41 करोड़ रुपये मांगा, repair restoration assistance for damaged houses जिसका मकान टूट गया क्षत-विक्षत हो गया, कुछ बचा नहीं बेघर हो गया, उसके लिए हमने 207.48 करोड़ मांगा, उसके सिर ढकने के लिए घर नहीं। वो तो राजस्थान का सपूत है जो आत्महत्या नहीं करता है। वो हिम्मत से आपदाओं से लड़ता है। हिम्मत से आपदाओं से लड़ने के बाद भी अगर भारत सरकार हमको पैसा नहीं दे तो इससे बड़ी कोई भेदभाव की बात, अध्यक्ष महोदय, होगी नहीं। Restoration of roads 333.99 करोड़ मांगा, restoration of water supply 53.30 मांगा, restoration of damaged tanks 28.87 करोड़ मांगा, medical and health care के लिए 106 करोड़ मांगा, वैटरिनरी के लिए 212 मांगा, पावर सप्लाई के लिए 74 मांगा, miscellaneous-including बाकी का जो submerged villages हैं उनके लिए 400 मांगा, air dropping और essential services, hiring of the helicopters के लिए 10 करोड़ मांगा, evacuation of the people affected 2 करोड़ मांगा, provision for temporary accommodation, food and clothing के लिए 10 करोड़ मांगा, draining of the flood water in affected areas 50 करोड़ मांगा, cost of search and rescue के लिए 5 करोड मांगा, cost of

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

tools and demurrage के लिए 1 करोड़ मांगा। अध्यक्ष महोदय, हमने हरेक चीज को अलग-अलग स्पेसिफाई करके भारत सरकार को भेज दिया । इसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि आप सोते रहे, आपने समय पर भारत सरकार को ज्ञापन नहीं भेजा, मेमोरेण्डम नहीं भेजा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमने ज्ञापन समय पर भेजा। हमारे चीफ सैकेट्री कैबिनेट सेकेट्री से आमतौर पर दो तीन दिन में बात कर लिया करते थे। मुख्य मंत्रीजी दो बार प्रधान मंत्रीजी से मिलकर आयीं। एक बार तो मैं खुद प्रधान मंत्रीजी से मुख्य मंत्रीजी के साथ मिल कर आया लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के भाइयों की तरफ से कोई इस प्रकार का दबाव केन्द्र की सरकार पर नहीं डाला गया जिस दबाव के कारण या इनकी प्रार्थना के कारण सोनियाजी पिघलतीं या डा. मनमोहन सिंहजी पिघलते और पिघल कर हमको पैसा देते । अब ये कह रहे थे कि आप दे क्या रहे हो। सामने से भाषण दे रहे थे कि आप दे क्या रहे हो, "Revised list of items and norms of expenditure for assistance from Calamity Relief Fund and National Calamity Contingency Fund for the period 2005 ..." यह लैटर है 10 सितम्बर, 2004 का, 23 नवम्बर, 2004 का और 15 जून, 2005 अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मकान हैं अगर पूरी तरह से मकान नष्ट हो जाए तो पक्के मकान के लिए 10 हजार है, कच्चे मकान के लिए 6 हजार है। सीवियरली डैमेज हो जाए तो पक्के मकान के लिए 2 हजार है, कच्चे मकान के लिए 1200 रुपये है। पार्शली डेमेज हो जाए तो 800 रुपये। अगर पार्शली डैमेज हो जाए कच्चा मकान तो 800 रुपये, तो हमने सोचा कि यह क्रूर मजाक है गरीब के साथ, इसलिए भारत सरकार से हमने प्रार्थना की कि इसको जस्ट डबल किया जाए और 10 हजार की जगह 25 हजार रुपये दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने हमारी उस मांग को भी ठुकरा दिया। किसी प्रकार का रिवाइज्ड एस्टीमेट या विचार करने की भारत सरकार ने कोई पहल नहीं की। हमारे साथी संयमजी ने कहा कि आपने 10 हजार रुपये दिये हैं, ये दस हजार रुपये दिये हैं एक्सीडेंट केस के और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर बहकर कोई मरा है ...(व्यवधान) आप सुन लो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनिये मेरी बात। बाकली की जिस घटना का मैंने जिक्र किया है, इसमें 6 लोग मरे है- पाली जिले में चार लोगों को दस हजार दिये सिरोही जिले में हमने पचास हजार दिलवाये ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिये, ऐसा है, बरसात के कारण अगर बहकर कोई मरा है और उसको पचास हजार की जगह दस हजार दिया है तो हम उसे पचास हजार देंगे। किसी प्रकार की गलती किसी भी स्तर पर हुई है, या तो हो सकता है कि प्राइमरी स्टेज पर दस हजार रुपये दे दिये हों, चालीस हजार बाकी हों तो वो पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन कोई एक्सीडेंट केस के कारण मरा है तो उसको दस हजार मिलेगा इससे ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। यह भी बताया संयमजी ने कि पानी ज्यादा आ गया और सरकार सोती रही, रोक नहीं पायी । हमको अगर यह पता होता, संयमजी के शंकर की जटाएं हैं तो जैसे गंगा इस पृथ्वी पर आयी थी और एक साथ यह पृथ्वी झेल नहीं सकती थी उस गंगा को ऐसा उपाय किया जाता है...

अध्यक्ष महोदय, पानी की एक तो पश्चिमी राजस्थान में लोगों को आदत नहीं है। दूसरा वहां का टोपोग्राफिकली मामला ऐसा है कि वहां पानी घुस गया, घुसने के बाद उसमें सरकार क्या करती? उसमें लोग सोते रह गये, हमने नेवी के लोगों को स्पेशली मुम्बई से बुलाया, जो 54 लोग घरों में भीतर रह गये थे, ताल में अंदर, उनको तोड़-तोड़ कर नेवी के लोगों ने उन 54 लोगों को बाहर निकाला । इसलिए रात को सोते रहने के कारण और अचानक तीन दिन में इतनी बरसात हो गई जो तीस साल में नहीं हुई, उस बरसात के कारण यह भारी नुकसान हुआ । जैसलमेर से यह पानी आया और वहां हमारे एसडीओ तक फंस गये । इन्होंने कहा कि हैलीकाप्टर की व्यवस्था नहीं थी । हमने पर्याप्त मात्रा में हैलीकाप्टर की व्यवस्था की । हमने पनडुब्बियों की, नौकाओं की, गोताखोरों की व्यवस्था की । इन्होंने कहा, सीएम नहीं पहुंचीं, सीम कब पहुंचीं। सीएम का सब जगह जाना जरूरी नहीं है । सीएम तीन तीन बार बाडमेर, जैसलमेर हो आयीं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम की बात संयमजी ने बताई, आपदा प्रबन्धन अधिनियम को हमने ला डिपार्टमेंट में भेजा है, उसकी राय आते ही हम उस अधिनियम को यहां लागू कर देंगे जो भारत सरकार ने एक कानून बनाया है । सिरोही का तालाब टूटने की बात संयमजी ने कही है, इस तालाब को मैं खुद देखकर आया था । अब यह हमारा दुर्भाग्य है कि इसमें काफी पानी इकट्ठा होता है लेकिन यह टूट गया क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा तेज थी। उसका एक कोना टूट गया जिसके कारण सारा पानी निकल गया । आपने दूसरा बताया सहायता में भेदभाव । सहायता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है । फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

भेदभाव हुआ है तो आप मेरे को लिख कर दे देना, जिस किसी भी अधिकारी ने भेदभाव किया है उसको हम बखशेंगे नहीं और गरीब को हम न्याय दिलायेंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं ।

जैसलमेर में शिव की आपने बात की कि वहां पर ज्यादा पैसा आपने दे दिया । नुकसान भी वहां पर सबसे ज्यादा हुआ है । हमारे रिकार्ड के हिसाब से शिव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां ज्यादा पैसा जाएगा, जहां कम नुकसान हुआ है वहां कम पैसा जाएगा। अगर भेदभाव वाली बात होती तो मैं राहत मंत्री हूं, मैं सवाई माधोपुर में पैसा ले जाता । इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ है, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ।

खांट साहब ने एक बात कही है कि 35 किलोग्राम गेहूं का जो है उसकी जगह 20 किलोग्राम गेहूं आपके इलाके में बीपीएल का दिया जा रहा है। दरअसल में अपने गोदामों में गेहूं की कमी आ जाने के कारण भारत सरकार ने बीच में हमारा गेहूं काट दिया था उसके कारण यह स्थिति बन गई कि गेहूं कम मिला है । अब स्थिति में सुधार हो गया है इसलिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं आपको दे दिया जाएगा। आपने गड़बड़ी में सुधार के लिये मेरे को बताया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में 60 हजार से ज्यादा मकान टूट गये हैं, जितने भी मकान टूटे हैं उन सब को पैसा दे दिया जाएगा। एक पटवारी ने गड़बड़ की है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी तो पटवारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। आपने महामारी के बारे में संदेह पैदा किया, बहुत सारी मेडिकल टीमें इलाके में लगी हुई हैं । यह मोनियेक मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट इतना एक्टिव रहा, डर हमारे दिमाग में था कि इतने पशु मर गये, इतने लोग मर गये, इसके कारण कहीं कोई महामारी नहीं फैल जाए। लेकिन सरकार के प्रीवेंटिव मेजर्स का परिणाम है, अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैली । वरना गैस्टोइनटाइटिस के कारण बहुत लोग मर जाते । ब्लीचिंग टाइम पर हुई, लाल दवाएं टाइम पर डाली गईं। हमने सब प्रकार से कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व के साथ कहा सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में हमने सर्वाधिक अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। मैं खुद इस स्वभाव का हूं कि काम लगन के साथ करता हूं और लगन के साथ करता हूं तो मेरे को आत्म संतुष्टि हो जाती है। काम करने में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो मैं खुद ही आत्म संतुष्ट नहीं होता हूं,

आत्म ग्लानि होती है । इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। महामहिम भैरोंसिंह जी शेखावत और महामहिम प्रतिभा पाटिलजी ने हमारे कार्य को अत्यन्त संतोषजनक बताया है इसलिए उन्होने हमारी पीठ थपथपाई है। इसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप बाढ से पहले कह रहे हो, कलक्टर ने कौनसी तारीख को मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में किसको बुलाया? कोई मीटिंग हुई ही नहीं है । बाढ़ आने से पहले कलक्टर ने बाढ के प्रबन्धन के लिये एहतियात के तौर पर कोई बैठक आयोजित नहीं की है। आप कह रहे हो हैलीकाप्टर, नावें और गोताखोर आये । 21 तारीख को बाढ आई, ये कितने दिन बाद आये?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी । सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 5 अक्टूबर ...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बाढ के कितने दिन बाद में हैलीकाप्टर आये? और पहले मीटिंग हुई ही नहीं । सरकार की यही तो विफलता है ।

श्री अध्यक्ष: आप बता दो, कितने दिनों बाद में आये ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, 21 तारीख को मैं पहुंच गया था, 22 तारीख को आप मेरे को मलवा में मिल गये थे ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): हैलीकाप्टर कितनी तारीख को आये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने खुद हैलीकाप्टर देखा था ।

श्री अध्यक्ष: इनको पता नहीं, वह तो बाडमेर में मरे हैं, यह तो गुढामालानी के मैम्बर हैं ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अपन आपस में मिले थे और बाद में मुख्य मंत्रीजी गई थीं, तब भी हमने आपसे बात की थी। हम आये थे उससे पहले बहुत-से लोगों को नाव से बचा लिया गया था ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मलवा में आप मिले हो 25 तारीख को ।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हेमारामजी अब जोर आप इस बात पर दो, सारे कांग्रेस के भाई अपनी मीटिंग कर के

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

दिल्ली की सरकार पर दवाब डालो थोड़ा, सोनियाजी के सामने बोलने की हिम्मत रखो या जो कल सभा हो रही है उसमें जो अपने कर्नल सोनारामजी हैं, उनकी तरह बोलो कि केन्द्रीय मदद से मैं असंतुष्ट हूं मैं संतुष्ट नहीं हूं। ऐसी हिम्मत करो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, सब में एक-सी हिम्मत थोड़े ही होती है ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपने घर से क्या लगाया, हींग- फिटकरी लगाई क्या, वह भी तो बताओ?

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरूवार दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के प्रातः 1100 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.37 बजे गुरुवार दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के 1100 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर की आवासीय कालोनियों में सीवरेज व्यवस्था

5. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सीवरेज व्यवस्था के लिए केन्द्र से राशि मिलती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में राज्य को जयपुर शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु भी राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र की नवीन कालोनियों के लिए भी सीवरेज व्यवस्था हेतु कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 2005 से प्रारम्भ की गई तीन नवीन योजनाओं :- जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन, (JNNURM) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (UIDSSMT) एवं एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास योजना (IHSDP) के अंतर्गत सीवरेज व्यवस्था हेतु भी राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार से गत तीन वर्षों में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) इस भाग का प्रत्युत्तर बिन्दु सं. 1 के उत्तर में निहित है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (RUIDP) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र की नवीन कालोनियों के लिये सीवरेज कार्य किया जा रहा है। विवरण क्रमशः परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समर्थन मूल्य पर खरीदी गई सरसों का बकाया भुगतान

6. श्री अमराराम (धोद) एवं श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष कितनी सरसों खरीदी गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जिला बीकानेर में दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 15 सितम्बर, 2006 तक कितनी सरसों किस-किस केन्द्र पर कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरसों तुलाई हेतु जिन किसानों को कूपन जारी किए गए उन सभी की सरसों तुलवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) दिनांक 20 सितम्बर, 2006 तक किसानों का कितना भुगतान बकाया है तथा भुगतान में देरी के क्या कारण हैं? क्या सरकार देरी से भुगतान कर कृषकों को ब्याज देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष कुल 1417651.84 मै. टन सरसों की खरीद की गई। जिलेवार सूची परिशिष्ट ''एक'' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बीकानेर जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद 01 अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2006 तक की गई। जिले में केन्द्रवार क्रय की गई सरसों खरीद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	क्रय केन्द्र	खरीद मात्रा (मैट्रिक टन में)	राशि (लाखों में)
1.	बज्जू	2186.29	374.95
2.	बीकानेर	5135.02	880.66
3.	छत्तरगढ़	731.09	125.38
4.	दन्तौर	1889.64	324.07
5.	साजूवाला	7760.16	1330.87
6.	लूणकरणसर	4388.72	752.67
7.	श्रीडूंगरगढ़	305.66	52.42
8.	नोखा	2045.19	350.75
	योग	**24441.75**	**4191.77**

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं। नेफैड द्वारा खरीद पर रोक लगाने के कारण सभी किसानों की सरसों नहीं खरीदी जा सकी।

(4) दिनांक 20 सितम्बर, 2006 तक किसानों का कुल 125.39 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। जिसके भुगतान में विलम्ब का कारण नेफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय की गई सरसों के पुनर्भरण की राशि नहीं मिलना रहा है। कृषकों को ब्याज देने के संबंध में नेफैड के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर (राजफैड) एवं राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पाक संघ लि., जयपुर (तिलम संघ) द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	रबी 2006 में सरसों की खरीद		
		राजफैड (मात्रा मै. टन में)	तिलम संघ (मात्रा मै. टन में)	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	17549.31	-	17549.31
2.	भीलवाड़ा	26518.94	-	26518.94
3.	नागौर	56582.84	-	56582.84
4.	अलवर	35271.29	-	35271.29
5.	भरतपुर	38382.72	-	38382.72
6.	धौलपुर	10387.96	-	10387.96
7.	करौली	16167.39	5794.62	21962.01
8.	सवाईमाधोपुर	28717.56	11468.88	40186.44
9.	बीकानेर	24441.75	-	24441.75
10.	चूरू	5340.38	-	5340.38
11.	दौसा	28656.80	-	28656.80
12.	जयपुर	46019.12	-	46019.12
13.	झुन्झुनूं	12310.23	6497.91	18808.14
14.	सीकर	20220.69	-	20220.69
15.	टोंक	73466.63	-	73466.63

1	2	3	4	5
16.	बाड़मेर	12708.61	-	12708.61
17.	जैसलमेर	27282.20	-	27282.20
18.	जालोर	29780.94	-	29780.94
19.	जोधपुर	54507.14	-	54507.14
20.	पाली	20839.20	-	20839.20
21.	सिरोही	5445.27	-	5445.27
22.	बारां	122136.25	23997.54	146133.79
23.	बून्दी	39284.03	15581.44	54865.47
24.	झालावाड़	40359.19	10000.42	50359.61
25.	कोटा	43356.04	88049.12	131405.16
26.	हनुमानगढ़	88121.29	3191.33	91312.62
27.	श्रीगंगानगर	236718.37	40478.61	277196.98
28.	बांसवाड़ा	49.38	-	49.38
29.	चित्तौड़गढ़	40235.84	3036.63	43272.47
30.	डूंगरपुर	135.15	-	135.15
31.	राजसमन्द	485.93	1093.40	1579.33
32.	उदयपुर	4670.09	2313.36	6983.45
	कुल योग :-	**1206148.58**	**211503.26**	**1417651.84**

चित्तौड़गढ़ जिले में बी.पी.एल. परिवारों को ''महाराष्ट्र प्रणाली'' पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

7. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को कच्चे आवास के बदले पक्के आवास बनाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है।

(2) इसमें से कितनी राशि कितने व्यक्तियों को पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद, जिला-चित्तौढ़गढ़ के लिये स्वीकृत की गई? इसमें कितने बी.पी.एल. परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं? तहसीलदार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति बी.पी.एल. परिवारों के कच्चे आवास के बदले पक्के आवास बनाने हेतु वर्ष 2006-07 में महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत राशि रुपये 650.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

(2) जिला चित्तौढ़गढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद के लिए वर्ष 2006-07 में कुल 130 बी.पी.एल. जनजाति परिवारों के लिए राशि रुपये 39.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इनमें से तहसील प्रतापगढ़ में 74 एवं अरनोद में 56 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा।

फलासिया के झाडौल में खेल स्टेडियम

8. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या युवा एवं खेल कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलासिया के झाडौल में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं।

झुन्झुनूं जिले में जल ग्रहण विकास परियोजनाओं का पंचायतों को हस्तान्तरण

9. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना के तहत जल ग्रहण क्षेत्र परसरामपुरा I, II, टोकछितरी, भरवाड़ी लोहार्गल कब स्वीकृत हुए तथा इन्हें समबन्धित पंचायत को कब स्थानान्तरित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़ के पत्रांक 4139-41 दिनांक 27 जून, 2005 की शिकायत पर जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा जांच करवाने पर सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति नवलगढ़ ने दिनांक 25 फरवरी, 2006 को जो जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर झुन्झुनूं को भेजी उसमें उक्त जल ग्रहण क्षेत्रों को सम्बन्धित पंचायतों को दिनांक 30 जून, 2005 के बाद स्थानान्तरित होना लिखा है जो कि गलत है? यदि हां, तो क्यों? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

(3) जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट में तथ्य छुपाकर गलत जांच रिपोर्ट भेजकर कार्यवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला झुन्झुनूं में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र परसरामपुरा I, II टोंक छिलरी, भरवाड़ी एवं लोहार्गल वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हुए थे तथा उक्त जलग्रहण क्षेत्र सम्बन्धित पंचायत को स्थानान्तरित नहीं किये गये।

(2) प्रधान, पंचायत समिति, नवलगढ़ के पत्रांक 4139-41 दिनांक 27.06.2005 की शिकायत पर जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा जांच करवाने पर सहायक अभियन्ता एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ़ की जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं द्वारा उनके पत्रांक 14579 दिनांक 25.2.2006 से जिला कलक्टर, झुन्झुनूं को भेजी गई। जांच रिपोर्ट में उक्त जलग्रहण क्षेत्रों को सम्बन्धित पंचायतों को स्थानान्तरित होना नहीं लिखा गया था। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त जलग्रहण क्षेत्र पंचायत समिति, नवलगढ़ को जिला परिषद के पत्रांक 1934-49 दिनांक 15.6.2004 के द्वारा स्थानान्तरित किये गये थे। उक्त जांच रिपोर्ट में मानवीय त्रुटिवश 15.06.2004 के स्थान पर 30.6.2005 अंकित हो गया था, जिसके लिए जांच अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं द्वारा उन्हें भविष्य में ध्यान रखने की हिदायत दी जा चुकी है।

(3) उक्त शिकायत पर जांच रिपोर्ट में गलत दिनांक अंकित करने का तथ्य ध्यान में आने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा माननीय त्रुटि मानते हुए जांच अधिकारी को भविष्य में ध्यान रखने की हिदायत उनके पत्रांक 8299 दिनांक 27.9.2006 द्वारा दी जा चुकी है।

गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर) में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु नवीन ट्रान्सफार्मर

10. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर के वार्ड

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

नम्बर 26 में सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाने हेतु सहायक अभियन्ता, गंगापुर सिटी द्वारा एवं विधायक गंगापुर सिटी द्वारा 100 के.वी.ए. का एक और नया ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सवाई माधोपुर को लिखा गया है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त वार्ड हेतु 100 के.वी.ए. का नया ट्रान्सफार्मर अभी तक नहीं लगाया गया है जिससे वार्ड में सुचारू रूप से विद्युत उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है? यदि हां, तो सरकार अब उक्त वार्ड में नया ट्रान्सफार्मर कब तक लगवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न में वर्णित वार्ड संख्या 26 में 100 के.वी.ए. का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा ट्रांसफार्मर 15 दिवस में स्थापित कर दिया जावेगा।

पाली जिले के स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त लीज राशि

11. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के तहत नगरपालिका/नगर परिषदों द्वारा भूमि लीज पर आबंटित की जाती है? यदि हां, तो पाली जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं व नगर परिषदों द्वारा गत 5 वर्षों में कहां-कहां व कितनी-कितनी भूमि लीज पर दी गई व इनसे प्रतिवर्ष वसूली जाने वाली राशि की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाती है? यदि हां, तो पाली जिले में गत 5 वर्षों में किन-किन संस्थाओं ने कितनी राशि राजकोष में जमा कराई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि, स्वयं संबंधित स्थानीय निकाय के कोष में ही जमा करवाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पाली जिले की नगरपालिकाओं व नगर परिषद द्वारा गत 5 वर्षों में लीज पर दी गई भूमि व इससे प्रतिवर्ष वसूल की जाने वाली लीज राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। नियमों में उक्त राशि सरकार की संचित निधि में जमा

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कराने का प्रावधान है। पाली जिले की किसी भी नगरपालिका/परिषद द्वारा गत 5 वर्षों में उक्त राशि सरकार की संचित निधि में जमा नहीं कराई गई है।

(3) जी नहीं। प्रकरण में जांच कराई जा कर दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत पाली जिले की निकायों द्वारा विगत 5 वर्षों पर लीज पर आबंटित भूमि एवं उसकी वार्षिक लीज राशि का विवरण

(1) नगर पालिका सोजत

वर्ष	लीज पर आबंटित भूमि का विवरण	भूमि की माप	लीज राशि (रुपये)	वि.वि.
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	सरकारी कर्मचारी कालोनी	2200 वर्गगज	64350.00	-
(2) नगर परिषद पाली				
2001-02	सुमेर पुर रोड़	2500 वर्गगज	5000.00	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	गांधीनगर	2933.33 वर्गगज	56834.00	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
(3) नगर पालिका सादड़ी				
2001-02	तकिया आबादी	196 वर्गफिट	1764.00	-
2001-02	आखरिया चौक	192 वर्गफिट	8208.00	-
2001-02	आखरिया चौक	72 वर्गफिट	3078.00	-

वर्ष	लीज पर आवंटित भूमि का विवरण	भूमि की माप	लीज राशि (रुपये)	वि.वि.
2001-02	आखरिया चौक	240 वर्गफिट	10260.00	
2001-02	आखरिया चौक	165 वर्गफिट	7054.00	
2001-02	आखरिया चौक	165 वर्गफिट	7054.00	
2001-02	आखरिया चौक	165 वर्गफिट	7054.00	
2001-02	आखरिया चौक	165 वर्गफिट	7054.00	
2001-02	आखरिया चौक	165 वर्गफिट	7054.00	
2002-03				
2003-04				
2004-05	रणकपुर रोड	90 वर्गफिट	1125.00	
2005-06				
	योग	**1615 वर्गफिट**	**59705.00**	
(4) नगर पालिका बाली				
2001-02	आई.ओ.सी. कालोनी के सामने वाली	4840 वर्गफिट	2417.00	
2002-03	सुभाष रोड	200 वर्गफिट	3000.00	
2003-04	-	-	-	
2004-05	-	-	-	
2005-06	आई.ओ.सी. कालोनी के सामने वाली	1250 वर्गफिट	1563.00	
(5) नगर पालिका तख्तगढ़				
2001-02	-	15589.25	111600.00	
2002-03	-	2539.25	91437.00	
2003-04	-	12038.00	32217.00	
2004-05	-	3650.00	19772.00	
2005-06	-	6275	7043	
(6) नगर पालिका जैतारण				
2001-02	-	-	-	

वर्ष	लीज पर आबंटित भूमि का विवरण	भूमि की माप	लीज राशि (रुपये)	वि.वि.
2002-03	-	-	-	
2003-04	-	-	-	
2004-05	-	-	-	
2005-06	-	-	-	
(7) नगर पालिका खुडला-फालना				
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
(8) नगर पालिका सुमेरपुर				
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रानीखुर्द (पाली) राज.

नगरपालिका भूमि निस्पादन नियम 1974 के अन्तर्गत लीज विवरण सूची

क्र. सं.	वर्ष	नाम आवेदक	विक्रय भू पट्टी	क्षेत्रफल फूट	राशि	रसीद सं.	/दिनांक	प्रयोजनार्थ	लीज
1	2001-02	देवेन्द्र कुमार/भीखाराम दोलिया	25x25	625	93750	8/87	22.02.02	आवासीय	2344
2	2001-02	रमजान मोहम्मद/शमशुदीन	3x23.05	70.5	6063	8/83	20.02.02	आवासीय	152
3	2002-03	मोहनलाल/मनाजी घाची	40x20	800	76400	6/60	28.03.03	आवासीय	1910
4	2002-03	गणपत लाल/चम्पालाल सोनी	16.6x8	74.25	8813	1/35	19.04.02	वाणिज्यिक	441
5	2002-03	मदनलाल/भोलाराम जी गोतम	4x7	28	34300	4/40	21.10.02	वाणिज्यिक	1715
6	2003-04	रमेशकुमार/कन्हैयालाल सूथार	8x25	200	15400	5/48	25.09.03	वाणिज्यिक	770
7	2003-04	ललिता/जयन्तीलाल	20x17/ 2x50	875	78000	11/447	21.01.04	आवासीय	1950
8	2003-04	बाबूलाल/भंवरलाल सूथार	40x14.6	580	91643	2/72	27.06.03	आवासीय	2291
9	2004-05	संतोष देवी/ जुगल किशोर वैष्णव	5x15	75	42750	5/1	30.03.05	आवासीय	6420
10	2005-06	तेजाराम/जगाजी कुमावत	8x8	64	27022	7/51	25.04.05	आवासीय	676
11	2005-06	कन्या/पुनाराम कुम्हार	5x15	75	128333	26/95	31.01.06	वाणिज्यिक	6417

क्र. सं.	वर्ष	नाम आवेदक	विक्रय भू पट्टी	क्षेत्रफल फूट	राशि	रसीद सं.	दिनांक	प्रयोजनार्थ	लीज
12	2005-06	सहिदा बीबी/हाजी मोहम्मद	25x2	50	11100	26/68	25.01.2006	आवासीय	277
13	2005-06	रईसा बीनू/इस्तयाक मोहम्मद	17x15	255	34000	30/48	28.02.2006	आवासीय	850
14	2005-06	केनाराम हेमाजी व अन्य	17.5x6	105.5	36950	30/32	27.02.2006	आवासीय	924
15	2005-06	गीता देवी/ महेश चंद	17.1x3.75	96	8323	77/27	22.02.2006	आवासीय	208
16	2005-06	प्रेमप्रकाश/दीपचंद शर्मा	5.2x31.5	171.3	15128	27/96	23.02.2006	आवासीय	378
17	2005-06	मगराज/जुगराज	12x6+7/2	78	32933	32/50	24.03.2006	आवासीय	823
18	2005-06	मोहम्मद शरीफ/नवीबक्श	21.9x4.9	103.31	36162	8/44	17.05.2006	आवासीय	904
19	2005-06	मांगीलाल लुम्बाजी	12x25	300	25500	7/57	30.04.2005	आवासीय	637
20	2005-06	प्रबोधचंद/मोहनलाल	6x11	66	22523	8/88	13.06.2005	वाज्यिक	1126
21	2005-06	रूपचंद/किस्तुचंद सुथार	8+4/2x4 3	258	28896	12/17	30.06.2005	आवासीय	722
22	2005-06	सूरजकंवर/बलवंत सिंह	25x12	27.6	9450	24/88	10.01.2006	आवासीय	236
23		प्रेमलता/सत्यनारायण दवे	5x16	80	13333	27/79	22.02.2006	वाणिज्यिक	333
				5057.46					32504

गुर्जर समाज का अनुसूचित जनजाति में विलय हेतु सर्वे

12. **श्री महीपाल यादव** (बानसूर) एवं **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मामले में किसी मंत्रिमण्डलीय समिति/उपसमिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब? समिति के सदस्यों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) गठन के पश्चात उक्त समिति/उपसमिति की बैठकें कब-कब हुई तथा उसमें क्या निर्णय लिये गये हैं? विवरण उपस्थित सदस्यों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने जिला कलक्टरों से गुर्जर समाज की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के संबंध में कोई जानकारी चाही है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या सरकार गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कुछ माननीय मंत्रीगणों एवं अन्य ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता की एवं जिलों से प्राप्त सूचनाओं का अवलोकन किया तथा सूचनाऐं निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं होने से अपेक्षित सूचनायें मंगाने की कार्यवाही के लिए कहा है।

(2) गत एक वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई तथा गुर्जर समाज के साथ ही अन्य समाजों के प्रतिनिधियों की बात सुनी गई। सभी चर्चायें अनौपचारिक रूप से हुई, अतः कोई कार्यवाही विवरण नहीं बनाया गया।

(3) जिला कलक्टरों से गुर्जर समाज के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड यथा आदिम विशेषता के लक्षण, विशिष्ठ संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन, सामान्य समुदाय के लोगों से सम्पर्क करने में संकोच एवं पिछड़ापन संबंधित जानकारी चाही गई है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में किसी जाति को शामिल करने/हटाने या संशोधन करने के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियां भारत सरकार में निहित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1981 में गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति

(समाज कल्याण मंत्री)

में शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी जिस पर तत्कालीन राज्य सरकार ने पत्रांक 58952 दिनांक 17.10.1981 द्वारा गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को अवांछनीय माना था। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 1999 में गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार से टिप्पणी चाही गई। तदनुसार समस्त जिला कलक्टरों से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विस्तृत सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार को राज्य सरकार का अभिमत प्रेषित किया जायेगा।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु नवीन इकाइयां

13. **श्री अशोक बैरवा** (खण्डार) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक राज्य में विद्युत उत्पादन की किन नई इकाइयों से कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? उक्त नवीन इकाइयों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2004 से अब तक किन नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है? उक्त इकाइयों का निर्माण पूर्ण कर विद्युत उत्पादन कब तक शुरू कर दिया जाएगा तथा उक्त से राज्य को कितनी विद्युत प्राप्त होगी? उक्त नवीन इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु कितना बजटीय प्रावधान रखा गया है तथा अब तक कितनी राशि इस हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से राज्य में पवन एवं बायोमास आधारित 269, 225 मे.वा. क्षमता की नई विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जनवरी, 2004 से अब तक स्थापित नवीन विद्युत उत्पादन इकाइयों आदि का विवरण परिशिष्ट-''ब-1'' एवं ''ब'-2'' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु स्वीकृत निविदाएं

14. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संचालन हेतु प्रत्येक जिले में कितने परिवारों को जोब कार्ड वितरित किये गये उसमें से कितने परिवारों को रोजगार दिया गया व कितने दिन का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) द्वारा रोजगार गारंटी के सफल संचालन हेतु प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सेवायें अनुबंध पर लेने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? यदि हां, तो इनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। चयन एवं निविदाओं का मानदंड क्या रहा?

(3) क्या यह सही है कि समाचार पत्रों में निविदाएं विज्ञापित की गई? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस-किस संस्था की निविदाएं स्वीकृत हुई? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी जाब कार्ड, जिन्हें रोजगार दिया, का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिलेवार आमंत्रित एवं प्राप्त निविदाओं की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है। निविदाओं के मापदण्ड एवं शर्तें इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4(15)/आरडी/ग्रुप-3/2006-07 दिनांक 1.6.2006 के द्वारा एवं समय-समय पर जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट–स पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिलेवार स्वीकृत की गई निविदाओं की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगानगर शुगर मिल द्वारा देशी मदिरा का उत्पादन

15. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रतिवर्ष कितनी देशी शराब की बिक्री होती है? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगानगर शुगर मिल का वार्षिक उत्पादन कितना है? गत पांच वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गंगानगर शुगर मिल का कुल खपत का कितना प्रतिशत उत्पाद है? गत पांच वर्ष का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(4) वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के लिये राज्य सरकार द्वारा गंगानगर शुगर मिल का कितना प्रतिशत कोटा निश्चित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में देशी मदिरा की बिक्री की मात्रा निम्नानुसार रही है :-

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा (लाख बल्क लीटर में)
1	2001-02	854.44
2	2002-03	906.03
3	2003-04	982.92
4	2004-05	747.88
5	2005-06	733.40

(2) गत पांच वर्षों में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स में देश मदिरा का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :-

क्र.सं.	वर्ष	मात्रा (लाख बल्क लीटर में)
1	2001-02	832.34
2	2002-03	881.27
3	2003-04	991.02
4	2004-05	604.82
5	2005-06	490.23

(3) गत पांच वर्षों में राज्य में देशी मदिरा की खपत में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित देशी मदिरा का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है :-

क्र.सं.	वर्ष	प्रतिशत
1	2001-02	100.00
2	2002-03	100.00
3	2003-04	100.00
4	2004-05	80.02
5	2005-06	64.94

(आबकारी मंत्री)

(4) देशी मदिरा की आपूर्ति में वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. हेतु क्रमश: 25 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत की मात्रा निर्धारित की गई थी।

बारां शहर में आवासन मण्डल द्वारा अधिग्रहीत भूमि

16. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां शहर में आवासन मण्डल में मकान आबंटन हेतु 665 आवेदकों द्वारा पंजीयन करवाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आवेदकों के लिए मकान बनाने हेतु भूमि अवाप्त की गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देकर अवाप्त भूमि आवासन मण्डल द्वारा अपने कब्जे में कर ली गई थी?

(4) क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की गई भूमि को खातेदार द्वारा बेच दिया गया है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्य करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही भी की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बारां शहर में 665 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया था।

(2) जी हां। मण्डल द्वारा आवेदकों के लिये मकान बनाने हेतु 19.13 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की गई।

(3) जी हां। यह सही है कि मण्डल द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि जरिये चैक संबंधित सिविल न्यायालय में जमा करवाकर अवाप्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया।

(4) जी हां। यह सही है कि एक खातेदार श्री नंदलाल धाकड़ द्वारा अवाप्ताधीन भूमि से ख.नं. 435 कुल रकबा 8.82 हैक्ट. भूमि में से चार अलग-अलग बयनामा द्वारा बेचान किया है। इस बेचान के संबंध में श्री जगन्नाथ मीणा, तहसीलदार बारां, श्री नाथूलाल मीणा उपपंजीयक, बारां श्री नंदलाल धाकड़, जमीन विक्रेता, श्री महेश मित्तल एस, श्री मनोज मित्तल, श्री चन्द पुत्र रंगनाथ महाजन, श्री मांगीलाल पुत्र बजरंग धाकड़, श्री बाबूलाल एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

विद्या शंकर पुत्र मांगीलाल धाकड़ भूमि क्रेता के खिलाफ थाना बारां में एफ.आई.आर. नं. 464/05 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी.आई.पी.सी. दिनांक 24.08.2005 को आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा के द्वारा दर्ज करवा दी गई, जिसकी तफ्तीश सदर थाना, बारां द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त श्री नंदलाल धाकड़ खातेदार, श्री जगन्नाथ मीणा तहसीलदार बारां, श्री नाथूलाल मीणा, उप पंजीयक, बारां के विरुद्ध विवादित भूमि बेचने के कारण उच्च न्यायालय में इनके विरुद्ध अवमानना दावा किया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 09.09.2005 को मण्डल के विरुद्ध खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की पीठ में अपील संख्या 122/06 दायर की गयी है जो विचाराधीन है।

(5) जी हां। इस संबंध में थाना बारां में बिन्दु संख्या 4 में वर्णित अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई है जिसमें तफतीश जारी है।

विभागीय छात्रावासों में संचालित असामाजिक गतिविधियों की जांच

17. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 33 माह में किस-किस छात्रावास में देह व्यापार, शराब सेवन व अन्य अनियमितताओं के प्रकरण उजागर हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट के क्या-क्या निष्कर्ष रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनियमितताओं में दोषी अधिकारी, कर्मचारी दिनांक 10 सितम्बर, 2006 को किस-किस पद पर पदस्थापित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 33 माह में राजकीय कन्या छात्रावास श्रीगंगानगर में ग्रीष्मावकाश के दौरान दो बंगाली युवतियों को छात्रावास से दिनांक 25.06.2006 को पकड़ा गया तथा इन युवतियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

गत 33 माह में शराब सेवन के संबंध में श्री छाजूलाल रैगर, छात्रावास अधीक्षक, राजकीय छात्रावास, बटावदा जिला बारां का प्रकरण प्राप्त हुआ।

अन्य अनियमितताओं के उजागर प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) उक्त प्रकरणों में राजकीय कन्या छात्रावास श्रीगंगानगर के प्रकरण की प्रारम्भिक जांच जिला कलक्टर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर से करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री वेद प्रकाश मक्कड़, कनिष्ठ लेखाकार प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।

श्री छाजूलाल रैगर को भी प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।

अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों की जांच रिपोर्ट का विवरण 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त अनियमितताओं के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों में से श्री बैद प्रकाश मक्कड़, कनिष्ठ लेखाकार दिनांक 30.6.2006 से निलम्बित है। श्री छाजू लाल रैगर को जिला कार्यालय बारां में लगा रखा है तथा अन्य प्रकरणों के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के दिनांक 1.9.2006 को पदस्थापन का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर में स्टेट मोटर गैराज कार्यरत वाहन चालक

1. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर मोटर गैरेज में कुल कितने वाहन नियमानुसार व आवश्यकतानुसार रखे जाने आवश्यक हैं?

(2) जोधपुर मोटर गैराज में कुल कितने वाहन किस वर्ष के स्वीकृत व उपलब्ध हैं?

(3) जोधपुर मोटर गैराज में कुल कितने पद वाहन चालकों के स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने वाहन चालक कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

(1) जोधपुर मोटर गैरेज में कुल 8 वाहन नियमानुसार व आवश्यकतानुसार रखे जाने आवश्यक हैं।

(2) जोधपुर मोटर गैराज में स्वीकृत 8 वाहनों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल
1.	RJ-14-6C-5863 Esteem	2002
2.	RJ-14-CB-4064 Indigo	2006
3.	RJ-14CB-4065 Indigo	2006
4.	RJ-14-3C-244 Amb.	1997
5.	RJ-14-3C-246 Amb.	1997
6.	RJ-14-3C-4394 Amb.	1998
7.	RJ-14-5C-5678 Amb.	2001
8.	RJ-14-C-5885 Amb. BP	1992

(3) जोधपुर मोटर गैराज में कुल वाहन चालकों के 10 पद स्वीकृत हैं वर्तमान में 8 वाहन चालक कार्यरत हैं व दो पद रिक्त हैं।

देशी मदिरा आपूर्ति में गंगानगर शुगर मिल एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी

2. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर शुगर मिल निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी दर क्या है एवं निजी डिस्टीलरी निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी दर वर्तमान में क्या है?

(2) राज्य में वर्ष 2005-06 में देशी मदिरा के ठेके किस तिथि को दिए गए एवं उस दिन गंगानगर शुगर मिल निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी दर क्या थी एवं निजी डिस्टीलरी निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी दर क्या थी? ठेके उठने के पश्चात 31 मार्च, 2006 तक उक्त देशी मदिरा की दरें कब-कब बढ़ाई गई?

(3) राज्य में वर्ष 2005-06 में प्रीविलेज चार्ज (फीस) कब लगाया गया एवं गंगानगर शुगर मिल से वर्ष 2005-06 में कितनी राशि वसूल की गई? निजी डिस्टीलरियों से उक्त अवधि में कितना प्रीविलेज चार्ज (फीस) वसूल किया गया?

(4) गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में अपनी निर्मित देशी मदिरा किस भाव से बेच रही है एवं प्राइवेट डिस्टीलरी किस भाव से आपूर्ति कर रही है? वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में राज्य की खपत में गंगानगर शुगर मिल व प्राइवेट डिस्टीलरी की कितनी-कितनी हिस्सेदारी रही? बल्क लीटर व प्रतिशतवार विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्ष 2006-07 में अब तक हिस्सेदारी का क्या प्रतिशत है व बल् लीटरवार का विवरण क्या है? बीकानेर का ठेका न देने के क्या कारण हैं एवं इससे कितनी हानि हुई?

(5) राज्य में कितनी प्राइवेट डिस्टीलरी हैं एवं किस-किस के द्वारा आपूर्ति की जा रही है? वर्ष 2005-06 व 2006-07 का अब तक बल्क लीटरवार, प्रतिशतवार विवरण सदन की मेज पर रखें कुछ ही डिस्टीलरियों से आपूर्ति लेने के क्या कारण हैं?

(6) राज्य में 1 अप्रैल, 2004 को देशी मदिरा की प्रति पेटी दर गंगानगर शुगर मिल निर्मित की क्या थी व आज क्या है एवं प्राइवेट डिस्टीलरी निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी दर आज क्या है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(7) राज्य में प्लास्टिक के पाउच में देशी शराब बेचना बंद कर कांच की बोटल कब चालू की गई और उसके क्या कारण थे? अब वापस प्लास्टिक पाउच शुरू करने के क्या कारण हैं, कांच की बोतल व प्लास्टिक पाउच की वर्ष 2006-07 में अब तक किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी आपूर्ति की गई एवं इसकी क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(8) राज्य में वर्ष 1 जनवरी, 2004 को सूखा दिवस कितने एवं कौन से थे एवं अब वर्तमान में कितने व कौन-कौन से हैं? वर्ष 2004 से 2006 के मध्य इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा निर्मित देशी मदिरा की प्रति पेटी विक्रय दरें निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये में)

किस्म मदिरा	**बोतल**	**अद्धा**	**पव्वा**
1. शोधित प्रासव आधारित 40 यू.पी. सादा/ गुलाब	265	275	285
2. शोधित प्रासव आधारित 60 यू.पी.	234	244	254
3. ई.एन.ए. आधारित 40 यू.पी.	284	294	304

प्राईवेट डिस्टलरीज द्वारा पव्वों में ही देशी मदिरा सप्लाई की जा रही है। विभिन्न जिलों में सप्लाई दर में मामूली अन्तर है। उनके द्वारा निर्मित देशी मदिरा की राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को सप्लाई दर प्रति पेटी निम्नानुसार है :-

1. शोधित प्रासव आधारित 40 यू.पी. सादा/गुलाब	रु. 206 प्रति पेटी से रु. 215 प्रति पेटी के मध्य
2. ई.एन.ए. आधारित 40 यू.पी. पेट बोतल में	रु. 220 प्रति पेटी से रु. 230 प्रति पेटी के मध्य
3. शोधित प्रासव आधारित 60 यू.पी.	रु. 221 प्रति पेटी से रु. 230 प्रति पेटी के मध्य

(आबकारी मंत्री)

प्राइवेट डिस्टलरीज से प्राप्त देशी मदिरा को राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा अनुज्ञाधारियों को उसी दर पर विक्रय किया जाता है जिस दर पर स्वयं के द्वारा निर्मित देशी मदिरा।

(2) वर्ष 2005-06 हेतु सभी देशी मदिरा समूहों के लिये निविदाएं दिनांक 14.03.2005 को प्राप्त हो गई तथा इन सभी की स्वीकृति दिनांक 17.03.2005 को जारी कर दी गई। दिनांक 17.03.2005 को प्रभावी देशी मदिरा की विक्रय दरों में दिनांक 09.06.2005 को वृद्धि की गई है। यह दरें दिनांक 1.3.2006 को कुछ कम की गई। इसका विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। वर्ष 2005-06 हेतु ठेके स्वीकृत किये जाने की दिनांक 17.03.2005 को प्राइवेट डिस्टलरीज द्वारा अनुज्ञाधारियों से वसूल की जा रही दरों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं था।

(3) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 26.05.2005 द्वारा रुपये 20.00 करोड़ प्रीवीलेज फीस लगाने का निर्णय लिया गया जो पत्र दिनांक 21.02.2006 द्वारा संशोधित कर रुपये 12.50 करोड़ कर दिया गया। इस पेटे राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स. लि. द्वारा रु. 10.00 करोड़ (रुपये 5.00 करोड़ चैक दिनांक 24.12.2005 द्वारा, रपये 2.50 करोड़ चैक दिनांक 16.03.2006 द्वारा एवं रुपये 2.50 करोड़ चैक दिनांक 27.03.2006 द्वारा) की राशि जमा करा दी गई हैं तथा शेष रुपये 2.50 करोड़ के समायोजन के प्रस्ताव आबकारी विभाग में विचाराधीन हैं। निजी डिस्टलरीज पर प्रीवीलेज फीस आरोपित नहीं की गई थी।

(4) गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में अपनी निर्मित देशी मदिरा किस भाव से बेच रही है एवं प्राइवेट डिस्टलरी किस भाव से आपूर्ति कर रही है, इसका विवरण प्रश्न के भाग-1 के उत्तर में किया जा चुका है।

वर्ष 2002-03 से 2006-07 (अगस्त तक) के मध्य राज्य में देशी मदिरा की खपत तथा उसमें राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा निर्मित देशी मदिरा का हिस्सा निम्नानुसार रहा है :-

वर्ष	**खपत की मात्रा (लाख बल्क लीटर में)**	**गंगानगर शुगर मिल का आपूर्ति में हिस्सा (प्रतिशत में)**
2002-03	906.03	100.00
2003-04	982.92	100.00
2004-05	747.88	80.02
2005-06	733.40	64.94
2006-07 (अगस्त तक)	294.54	55.00

(आबकारी मंत्री)

देशी मदिरा, बीकानेर समूह वर्ष 2005-06 के अनुज्ञाधारी द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर उसके अनुज्ञापत्र को आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2005 को निरस्त किया गया था। इसे अनुज्ञाधारी द्वारा राजस्व मण्डल में चुनौती दी गई थी तथा इसके फलस्वरूप प्रारम्भ हुये लिटिगेशन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों पर स्थापित परम्परानुसार विधिक राय प्राप्त की जाकर आगामी कार्यवाही बाबत निर्णय लिये गये। वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकरण में होने वाले अन्तिम निर्णय अनुसार अनुज्ञाधारी के विरुद्ध मांग कायम की जाकर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अतः हानि का बिन्दु अप्रांसगिक है।

(5) वर्तमान में राज्य में 7 प्राइवेट डिस्टलरीज स्थित है। वर्ष 2006-07 में राज्य में स्थित निम्न चार प्राइवेट डिस्टलरीज में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. से देशी मदिरा की आपूर्ति का अनुबन्ध किया है :-

1. ग्लोबस एग्रोनिक्स लि. जिला अलवर

2. एसोसियेटेड एल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि., जिला जयपुर

3. एच.एस.बी. एग्रो, इण्डस्ट्रीज लि. जिला सीकर

4. विन्टेज डिस्टीलर्स लि., जिला अलवर

वर्ष 2005-06 व 2006-07 में माह अगस्त तक देशी मदिरा की लिफ्टिंग व उसमें प्राइवेट डिस्टलरीज व राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा निर्मित देशी मदिरा का अनुपात निम्नानुसार है :-

वर्ष	देशी मदिरा की कुल लिफ्टिंग (लाख बल्क लीटर में)	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. का आपूर्ति में प्रतिशत	प्राइवेट डिस्टीलर्स का आपूर्ति में प्रतिशत
2005-06	733.40	64.94	35.00
2006-07 (अगस्त तक)	294.54	55.00	45.00

देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु राज्य में स्थित सभी डिस्टलरीज राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा आमंत्रित की गई निविदा में भाग

(आबकारी मंत्री)

लेने के लिये स्वतंत्र थी तथा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्राइवेट डिस्टलरी पर इस प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक नहीं थी।

(6) राज्य में दिनांक 1.4.2004 को राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा निर्मित देशी मदिरा की विक्रय दरें निम्नानुसार थी :-

किस्म मदिरा	बोतल	अद्धा	पव्वा
1. 40 यू.पी. सादा/गुलाब बोतलों सहित	179	201	226
2. 60 यू.पी. बोतलों सहित	147	169	195
3. 40 यू.पी. सादा/गुलाब बोतलें वापस लेने की स्थिति में	133	139	142
4. 60 यू.पी. बोतलें वापस लाने की स्थिति में	101	107	112

प्रश्न के इस भाग के शेष हिस्से का उत्तर प्रश्न के भाग-1 में ऊपर अंकित किया जा चुका है।

(7) राज्य के जनजाति क्षेत्र को छोड़कर शेष राज्य में पाउच में देशी मदिरा की प्रदायगी वर्ष 2004-05 से बंद करने का निर्णय लिया गया था जो मौटे तौर पर अभी भी प्रभावी हैं।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा वर्ष 2006-07 में प्लास्टिक पाउच की एल.डी. फिल्म की कोई नई खरीद नहीं की गई हैं, संस्थान के पास उपलब्ध स्टाक में से ही आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2006-07 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा बोतलों की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित कर नियमानुसार आपूर्ति प्राप्त की गई थी। वर्ष 2006-07 में माह अगस्त, 2006 तक बोतलों की आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

नाम पार्टी	बोतल	अद्धा	पव्वा
1. मै. हीरा बोतल सप्लाई कम्पनी, जयपुर	4.82	1.60	269.71
2. मै. एस.जी. एण्ड कम्पनी, जयपुर	0.63	-	37.71
3; मै. श्री गणेश, जयपुर	-	-	158.26
4.मै. अशोक कुमार मगनलाल, जयपुर	4.92	3.86	177.19

(आबकारी मंत्री)

(8) दिनांक 1.1.2004 की स्थिति अनुसार शुष्क दिवसों की संख्या 7 थी तथा शुष्क दिवस निम्नानुसार थे :-

1. गणतंत्र दिवस
2. स्वतंत्रता दिवस
3. हरिजन दिवस
4. महावीर जयन्ती
5. कृष्ण जन्माटमी
6. गांधी जयन्ती
7. गोकुलभाई भट्ट का जन्म दिवस (महाशिवरात्रि)

वर्तमान में चार शुष्क दिवस हैं। सम्बन्धित निर्देश/आदेश की आंशिक प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

परिशिष्ट-1

(राशि रुपये प्रति पेटी में)

किस्म मदिरा	**दिनांक 17.03.2005 को प्रभावी**			**दिनांक 9.6.2005 से प्रभावी**			**दिनांक 1.3.2006 से प्रभावी**		
	बोतल	**अद्धा**	**पव्वा**	**बोतल**	**अद्धा**	**पव्वा**	**बोतल**	**अद्धा**	**पव्वा**
1. 40 यू.पी. सादा/गुलाब बोतलों सहित	224	254	280	254	284	310	239	269	295
2. 60 यू.पी. बोतलों सहित	177	205	232	207	235	262	192	220	247
3. 40 यू.पी. सादा/गुलाब बोतले वापस लाने की स्थिति में	176	192	196	206	222	226	191	207	211
4. 60 यू.पी. बोतले वापस लाने की स्थिति	129	142	148	159	172	178	144	157	163

परिशिष्ट-2

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(85)वित्त/आब/03 दिनांक 6.1.2004 की आंशिक प्रति -

''20(1) वर्तमान में निर्धारित 7 शुष्क दिवसों (यथा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हरिजन दिवस, महावीर जयन्ती, कृष्ण जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयन्ती एवं गोकुलभाई भट्ट का जन्म दिवस (महाशिवरात्रि) के स्थान पर शुष्क दिवसों की संख्या 3 (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं महात्मा गांधी जयन्ती) की जाती है।''

2. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 20.4.2005 की प्रति-

आदेश

महावीर जयन्ती पर राज्य में सूखा दिवस रखे जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(खेमराज)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

बांसवाड़ा जिले में दर्ज मदिरा प्रकरण

3. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में जनवरी, 2004 से अगस्त, 2006 तक अंग्रेजी शराब, देशी व कच्ची शराब के कितने मामले किन-किन धाराओं में दर्ज किये गये? थानेवार एवं प्रकरणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजी एवं देशी शराब के जो प्रकरण दर्ज किये गये हैं उनकी अनुमानित लागत प्रकरणवार क्या-क्या रही? अगस्त 2006 तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने फरार हैं? थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी जिला बांसवाड़ा में जनवरी-2004 से अगस्त, 06 तक अंग्रेजी व देशी शराब तथा कच्ची शराब के वृत्तवार एवं प्रकरणवार सूची परिशिष्ट—1 में संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(2) बांसवाड़ा जिले में अंग्रेजी व देशी शराब के जो प्रकरण दर्ज किये गये हैं, उनकी अनुमानित लागत बताया जाना कठिन है, क्योंकि प्रकरण दर्ज होने के पश्चात्, माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के उपरान्त जब्त माल के मानव उपयोगी है अथवा नहीं इसका रसायनिक परीक्षण कराये जाने के पश्चात ही जब्त माल की नीलामी अथवा राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को सुपुर्द करने पर प्राप्त होने वाली कीमत के पश्चात ही लागत बतायी जा सकती है। जनवरी-2004 से अगस्त-2006 तक दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार किये गये तथा फरार की सूचना परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा नगर निगम में संचालित गौशालाओं में व्याप्त अनियमितताएं

4. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा नगरपालिका/नगर निगम की देखरेख में कुल कितनी गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है तथा यह गौशालाएं कितने वर्ष से व किस-किस स्थान पर संचालित हैं?

(2) गौशालाओं की देखरेख पर वर्ष 2006-07 में कुल कितनी राशि किस-किस मद पर खर्च करना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संचालित गौशालाओं में पशु की कुल संख्या कितनी-कितनी है तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 में अब तक कुपोषण व अन्य कारणों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई? प्रत्येक गौशालाओं की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) गौशालाओं में अव्यवस्था को सुधारने के लिये निगम की क्या कार्य योजना है तथा क्या अव्यवस्था के लिये जिम्मेदार कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) कोटा नगर निगम द्वारा दो गौशालाओं का संचालन किया जाता है

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

इनमें से एक गौशाला बन्धा धर्मपुरा में व दूसरी किशोरपुरा में ईदगाह के पास स्थित है। यह गौशालाएं स्टेट टाइम से बनी हुई एवं संचालित हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2006-07 में गौशालाओं के लिए निम्न मदों पर निम्नानुसार व्यय किया जाना प्रस्तावित है :-

1. अन्य व्यय (चारा दाना) 50 लाख रुपये।

2. विधि व्यय में 5 लाख रुपये।

3. दवाइयों पर 2 लाख रुपये।

(3) बन्धा धर्मपुरा गौशाला में वित्तीय वर्ष 2006-07 में (20 सितम्बर तक) कुल गायों की आमद संख्या 1372 है एवं मृत्यु हुई गायों की संख्या 486 है।

किशोरपुरा गौशाला में वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल गायों की आमद सं. 657 व मृतक गायों की संख्या 270 है।

(4) गौशालाओं को सुधारने हेतु नगर निगम, कोटा द्वारा निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. गौशालाओं के ग्राउण्ड में कीचड़ न हो इसके लिये सम्पूर्ण प्रांगण में ईंटों का खरंजा करवाया जा रहा है।

2. गायों को वर्षा व धूप से बचाने के लिए टीनशेडों का विस्तार प्रस्तावित है, जो वर्ष 2006-07 में करवा दिया जावेगा।

3. पौष्टिक पशु आहार की मात्रा चिकित्सक के परामर्शानुसार बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

गौशालाओं की अव्यवस्थाओं के लिये निगम प्रशासन द्वारा गौशाला प्रभारी बन्धा धर्मपुरा को कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया था, जिन्हें जांच विचाराधीन रखते हुए पुनः बहाल कर दिया गया है।

नगरपालिका बूंदी के अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी

5. **श्री नवनीत नीनामा** (घाटोल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बून्दी में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में सेवा से त्याग पत्र दिए गए हैं?

(श्री नवनीत नीनामा)

यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी द्वारा किस तारीख को? प्रस्तुत त्याग पत्र मय स्वीकृति आदेश की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही विचाराधीन थी? यदि हां, तो जांच कार्यवाही की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि त्याग पत्र देने वाले उक्त कर्मियों के विरुद्ध अन्य संस्थाओं में सेवारत रहने की भी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो किन-किन संस्थानों में?

(4) उक्त में से कौन कर्मचारी इस समय अन्य स्थान पर कार्यरत है? अन्य संस्था एवं स्थान पर नियुक्ति की तारीख सहित नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पूर्व से ही अन्य स्थान पर कार्यरत कर्मचारी का त्याग पत्र स्वीकृत करने के लिए कौन दोषी है? सम्बन्धित अधिकारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या त्याग पत्र देने वाले कर्मचारी भी तथ्य छुपाने के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बाबत उनके वर्तमान नियोक्ता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका बूंदी में वर्ष 2000 से अब तक निम्न कार्मिकों द्वारा स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन किये गये हैं, जिन्हें उनके सम्मुख अंकित दिनांक से स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र. सं.	**नाम कर्मचारी**	**पद**	**स्वे. सेवानिवृत्ति आवेदन तिथि**	**स्वीकृति तिथि**
1	श्री शब्बू	सफाई कर्मचारी	30.06.2000	30.09.2000
2	श्री गोपाल लाल	नाकेदार	12.01.2000	11.04.2000
3	श्रीमती नाथी	सफाई कर्मचारी	06.12.2003	05.03.2004
4	श्री ओमप्रकाश	कनिष्ठ लिपिक	01.04.2003	01.07.2004
5	श्रीमती कौशल्या	सफाई कर्मचारी	05.02.2003	05.05.2003
6	श्री मदन/ ज्वारा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20.04.2005	19.07.2005
7	श्री संतुलाल सैनी	कनिष्ठ लिपिक	01.09.2005	01.12.2005
8	श्री गोपाल/हरी	सफाई कर्मचारी	01.09.2005	01.12.2005

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्वीकृति आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत है।

(2) उक्त त्याग पत्र देने वाले कर्मियों में किसी भी कार्मिक के विरुद्ध स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि को सी.सी.ए. नियमों के अंतर्गत जांच विचाराधीन नहीं थी, परन्तु श्रीमती कौशल्या के विरुद्ध नगरपालिका बूंदी के साथ-साथ बैंक में कार्य करने की शिकायत पर प्राथमिक जांच लम्बित थी। उक्त जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(3) उक्त कर्मियों में से श्रीमती कौशल्या के नगरपालिका बूंदी के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक, बूंदी में कार्यरत होने की जानकारी नगरपालिका बूंदी को थी।

(4) प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कर्मियों में से श्रीमती कौशल्या भारतीय स्टेट बैंक, बूंदी में कार्यरत है। बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वह बैंक में स्थायी कर्मचारी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. एक तिहाई वेतन पर भर्ती दिनांक 01.07.1983
2. आधे वेतन पर   01.09.2007

(5) कर्मचारी का त्याग पत्र तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री मोहन लाल गोयल ने स्वीकृत किया था। प्रकरण में जांच करवाई जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी हां। इस संबंध में नियमानुसार जांच उपरान्त शीघ्र समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगर निगम जोधपुर में अभियन्ताओं के रिक्त पद

6. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर निगम, जोधपुर में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) इनमें से कितने पद भरे हुए हैं और कितने रिक्त हैं? क्या किसी पद पर कोई कनिष्ठ अधिकारी भी कार्यरत है? इन पदों पर कार्यरत अभियन्ताओं के नाम व पद का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नगर निगम, जोधपुर में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के स्वीकृत पदों का विवरण संलग्न है।

(2) भरे व रिक्त पद तथा पदस्थापित अभियंताओं का विवरण संलग्न है। किसी पद पर कोई कनिष्ठ अधिकारी कार्यरत नहीं है।

एक कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को सहायक अभियंता (सिविल) के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की जावेगी।

नगर निगम जोधपुर में कार्यरत अभियंताओं की सूची

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	नाम अभियंता	विशेष विवरण
1	अधिशासी अभियंता (सिविल)	2	2	-	1. श्री सम्पत लाल मेघवाल 2. श्री राजेन्द्र पुरोहित	(यू.डी.एच.) प्रतिनियुक्ति
2	अधिशासी अभियंता (मैकेनिकल)	1	1	-	1. श्री मुरलीधर धोकलिया	
3	सहायक अभियंता (सिविल)	4	3	1	1. श्री दीपक कुमार गुप्ता 2. श्री सुखराम चौधरी 3. श्री अनील माहेश्वरी	न्यायालय से स्थगन प्रतिनियुक्ति
4	सहायक अभियंता (मैकेनिकल)	1	1	-	1. श्री हिमांशु गहलोत	प्रतिनियुक्ति
5	सहायक अभियंता (विद्युत)	1	1	-	श्री बाबूलाल कण्डोला	
6	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) अभियांत्रिकी अधीनस्थ	11 1	11 1	- -	1. श्री विनोद कुमार व्यास 2. श्री ओमप्रकाश बोहरा 3. श्री राहुल गुप्ता 4. श्रीमती सुनीता बोहरा	सहायक अभियंता (सिविल) के रिक्त पद का अतिरिक्त जार्च

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	नाम अभियंता	विशेष विवरण
					5. श्री संजय पुरोहित 6. श्री प्रवीण गहलोत 7. श्री संदीप माथुर (प्रथम) 8. श्री सुधीर माथुर 9. श्री रमेश जोशी 10. श्री संजय माथुर 11. श्री विनय बोडा 12. श्री संदीप माथुर (द्वितीय)	सहायक अभियंता (सिविल) के रिक्त पद का अतिरिक्त जार्च
7	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) अभियांत्रिकी अधीनस्थ	2	2	-	1. श्री विजेन्द्र गहलोत 2. श्री कमलेश माथुर	

नगरपालिका क्षेत्र भादरा (हनुमानगढ़) द्वारा जारी आवासीय/ व्यावसायिक पट्टे

7. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले एक वर्ष में भादरा (हनुमानगढ़) नगरपालिका क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य किस-किस मद से करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका क्षेत्र भादरा में गत एक वर्ष में कितने आवासीय एवं व्यावसायिक पट्टे किस-किस को जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका क्षेत्र भादरा में गत एक वर्ष में शहरी जन सहभागिता योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये गये?

(4) क्या यह सही है कि इस जन सहभागिता योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पिछले एक वर्ष में नगरपालिका भादरा द्वारा करवाये गये विकास कार्यों का मदवार विवरण सूचियां परिशिष्ट ''अ, ब, स, द एवं य'' पर संलग्न है। मदवार कुल व्यय राशि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मद राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	शहरी जनसहभागी योजना	44.00
2.	आई.डी.एस.एस.एस.टी.	49.93
3.	एन.एस.डी.पी.	.28
4.	एस.जे.एस.आर.वाई	3.50
5.	सांसद/विधायक कोटा से	9.52

(2) नगरपालिका क्षेत्र भादरा में गत एक वर्ष में जारी किये गए आवासीय एवं व्यावसायिक पट्टों की सूची परिशिष्ट ''क'' एवं ख'' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) नगरपालिका क्षेत्र भादरा में गत एक वर्ष में शहरी जन सहभागी योजना में करवाये गए कार्यों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) जी हां।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आवासीय क्षेत्र शास्त्री नगर, जयपुर में संचालित अवैध कारखाना

8. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आवासीय कालोनी में व्यवसायिक कार्य किया जाना नियमानुसार नहीं है? यदि हां, तो इस संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रामनगर शापिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर के पास दुकान नं. 2 आर.के बस बॉडी रिपेयरिंग, वैल्डिंग, डैंटिंग, पेन्टिंग वर्कशाप जो कि संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास स्थित है पर कारखाना संचालित है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने के सामने रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर कारखाने के मालिक द्वारा खराब गाड़ियां रिपेयरिंग हेतु खड़ी कर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या उक्त कारखाना एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने बाबत संबंधित अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार महिला महाविद्यालय की छात्राओं की सुविधा एवं वहां निवास कर रहे कालोनीवासियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए उक्त कारखाने को हटाने को विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आवासीय कालोनी की जिन सम्पदाओं का भू-उपयोग आवासीय है, उन सम्पदाओं को जिस प्रयोजनार्थ निष्पादित की गई है, उससे भिन्न उपयोग नहीं किया जा सकता। राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 17.01.76 के संबंधित भाग की प्रति संलग्न है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। यह पिछले एक वर्ष से स्थित है, क्योंकि उक्त दुकान नं. 2, कारखाना मालिक को आबंटित है।

(3) जी हां। दिनांक 12.07.06 व 11.08.06 व 26.09.06 को जयपुर नगर निगम द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाया गया है।

(4) जी हां। दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होने पर समय-समय पर अतिक्रमी को नोटिस जारी कर, अतिक्रमण हटाया गया है।

(5) सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। दुकान नं. 2, कारखाना मालिक को आबंटित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर सर्किल, जयपुर में नि:शक्त जनों की सुविधार्थ आवश्यक व्यवस्थाएं

9. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सर्किल, जयपुर पर जन सुविधा उपयोग हेतु बेंचे लगी हुई हैं? यदि हां, तो कितनी एवं कहां-कहां?

(2) क्या यह सही है कि सरस डेयरी बूथ के आस-पास उक्त सुविधा नहीं होने से वृद्धजन/बुजुर्ग व्यक्ति जो उक्त बूथ से छाछ आदि पीना चाहते हैं को बैठने की सुविधा नहीं मिलती? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविध उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर सर्किल, जयपुर पर जन सुविधा उपयोग हेतु 116 बेंचे लगी हुई हैं। 88 बेचे मुख्य सर्किल में एवं 28 बेंचे सर्किल के बाहर लगी हुई हैं।

(2) सरस डेयरी बूथों के आस-पास बैठने के लिए बेंचे इत्यादि लगाने का विचार नहीं है। क्योंकि जवाहर सर्किल पर जन सुविधा हेतु पूर्व में पर्याप्त बेंचे उपलब्ध हैं।

जयपुर शहर में संचालित दुग्ध डेयरियों का स्थानान्तरण प्रकरण

10. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर))

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित दुग्ध डेयरियों को जयपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु सरकार द्वारा योजना बनाई जाकर दुग्ध उत्पादकों को भूखण्डों का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं कहां-कहां बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बनाई गई उक्त योजनाओं में सरकार द्वारा बिजली, पानी एवं सड़क आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजनाओं का विकास करने के पश्चात भी दुग्ध उत्पादक आबंटित स्थान पर नहीं जा रहे? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कतिपय दुग्ध उत्पादकों द्वारा पशु डेयरियों को जयपुर से स्थानान्तरित न किेये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय से स्थगन आदेश लिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश किस आधार पर दिये गये एवं सरकार द्वारा स्थगन आदेश को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार स्थगन आदेश को हटवाने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है जिससे सरकार द्वारा व्यय राशि का उपयोग हो सके? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर शहर में संचालित दूघ डेयरियों की जयपुर से बाहर स्थानान्तरित करने हेतु कुल तीन योजनायें, वाटिका रोड पर ग्राम सूरजपुरा भाटावाला, आगरा रोड पर ग्राम हराचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला व सीकर रोड पर ग्राम रमल्यावाला में डेयरी योजना सृजित की गई है तथा भूखण्डों के आबंटन की कार्यवाही की जा चुकी है।

(2) जी हां। दुग्ध डेयरी योजनाओं में पेयजल, सड़क एवं बिजली आदि कार्यों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक निम्न प्रकार से राशि व्यय की गई है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय की गई राशि (रुपये लाखों में)			विशेष विवरण
		बिजली	पेयजल	सड़क	
1.	सूरजपुरा डेयरी योजना	58.44	34.32	86.67	इसके अतिरिक्त सूरजपुरा डेयरी योजना में पेयजल व्यवस्था के लिये रुपये 342.66 लाख का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
2.	रमल्यावाला डेयरी योजना	20.60	34.60	95.10	
3.	हरचन्दपुरा डेयरी योजना	24.74	43.13	24.00	
	कुल व्यय	**103.78**	**112.05**	**205.77**	

(3) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश होने के कारण सरकार द्वारा उक्त योजनाओं का विकास करने के पश्चात भी दुग्ध उत्पादक स्थान पर नहीं जा रहे हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि कतिपय दुग्ध उत्पादकों द्वारा पशु डेयरियों को जयपुर शहर से स्थानान्तरित न किये जाने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से दिनांक 23.08.04 को स्थगन आदेश लिये गये हैं। स्थगन आदेश की फोटो प्रति संलग्न है। जयपुर नगर निगम द्वारा स्थगन आदेश को हटाने हेतु अधिवक्ता श्री पी.सी. जैन को नियुक्त कर न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 09.12.05 को श्री पी.सी. जैन की मदद हेतु श्री आर.डी रस्तोगी अधिवक्ता को भी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) स्थगन आदेश हटावाने हेतु जयपुर नगर निगम द्वारा दो वरिष्ठ

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

अधिवक्ता श्री पी.सी. जैन एवं श्री आर.डी. रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना-पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.06 को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई उपरान्त न्यायालय निर्णय अनुसार कार्यवाही संभव होगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल, प्रताप नगर (सांगानेर) को आबंटित भू-खण्ड

11. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल को आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में विद्यालय हेतु भूखण्ड आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि एवं किस दर पर?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूखण्ड का कब्जा विद्यालय को नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2005 में भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के लिये विद्यालय को पत्र भेजा गया? यदि हां, तो उसमें भूखण्ड की क्या दर निर्धारित की गई? दर परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं और क्या नियमानुसार है? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा अब उक्त विद्यालय को भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आवासन मण्डल द्वारा मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल को प्रताप नगर, सांगानेर के सैक्टर-7 में 1300 वर्गमीटर भूखण्ड, दर रु. 490/- प्रति वर्गमीटर पर आबंटित किया गया था।

(2) जी हां। यह सही है कि इस भूखण्ड का कब्जा आबंटी को नहीं दिया गया। इसका कारण आबंटी द्वारा मांग पत्र के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाना था। इस भूमि का आबंटन पत्र 19.09.1992 को जारी किया गया था। जिसके अनुसार आबंटी को 8,01,650/- रुपये तीन माह में जमा करवाने थे। परन्तु आबंटी ने 15.12.1992 को मात्र 1,00,000/- रुपये ही जमा करवाये।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। आबंटी को पत्र संख्या 345 दिनांक 27.06.2005 द्वारा इस वर्ष की प्रचलित दर रुपये 1275/- प्रति वर्गमीटर एवं 25 प्रतिशत ऊपरी व्यय पर सहमति प्रदान करते हुए लिखा गया। पत्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। दर परिवर्तन करने का कारण संस्था द्वारा मण्डल के पत्र संख्या 2087 दिनांक 24.11.1995 द्वारा वांछित सूचनाऐं, 10 वर्षों तक उपलब्ध नहीं करवाना एवं राशि जमा नहीं कराना रहा। अत: मण्डल द्वारा यह आबंटन मण्डल के पत्र संख्या 726 दिनांक 20.09.2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-12

(स्थगित)

नगरपालिका जैसलमेर एवं पोकरण में शहरी विकास योजनान्तर्गत ऋण

13. **श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका जैसमलेर व पोकरण में शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत गत दो वर्षों में कितने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किये?

(2) इनमें से कितने लोगों को, कितना-कितना ऋण किस-किस योजना के तहत दिया गया?

(3) कितने गरीब और पिछड़े वर्ग के ऋण आवेदनकर्ता अभी भी ऋण से वंचित हैं? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आवेदनकर्ताओं को ऋण दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका जैसलमेर व पोकरण में शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत दो वर्षों (2004-05 एवं 2005-06) में गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा ऋण के लिये किये गए आवेदनों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) दिये गए ऋण का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) ऋण से वंचित आवेदकों का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(4) लंबित ऋण आवेदनों में बैंकों को आबंटित लक्ष्यों के मध्यनजर शीघ्र समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेलवे मेन्स का-आपरेटिव सोसायटी की आनन्द विहार (जयपुर) आवासीय योजना का भूमि प्रकरण

14. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रेलवे मेन्स का-आपरेटिव सोसायटी आनन्द विहार नाम से ग्राम जगतपुरा में आवासीय योजना थी? यदि हां, तो उक्त सोसायटी द्वारा उक्त आवासीय योजना में पुराना खसरा नं. 156 एवं नया खसरा नं. 240, 241/1, 244/1, 245, 246/1, 241/2, 243, 244/2, 240/1, 241/4, 247/2, 241/3, 246/2, की कितनी भूमि क्रय की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सोसायटी के संचालकों द्वारा काश्तकार से खरीदी गई भूमि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सोसायटी के विरूद्ध काश्तकार या काश्तकार के वारिसान द्वारा पूर्व में न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 में प्रकरण संख्या 85/6 एवं 87/6 से वाद प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो वाद में क्या निर्णय हुआ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर काश्तकार एवं सोसायटी के संचालकों के बीच भूमि विवाद एवं भूमि की राशि के संबंध में कोई विवाद चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित काश्तकारों को किसी प्रकार की राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सोसायटी द्वारा जरिये इकरारनामा पुराने खसरा नम्बर 156 की 5 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि क्रय की गई है, लेकिन उक्त खसरे की मौके पर 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि होने के कारण मौके पर नाप के अनुसार 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भुगतान किया जाना इकरारनामें में दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 156 की हाल खसरा नम्बर 244/1, 240, 241, 245,

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

246/1, 241/2, 243, 244/2, 240/1, 241/4, 247/2, 241/3, 246/2, 247/1 बने हैं। इकरानामें की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) मुताबिक इकरारनामा मौके पर उपलब्ध भूमि 4 बीघा 4 बिस्वा का 27000/- रुपये प्रति बीघा से भुगतान किया जाना अंकित किया है, तथा शेष भूमि यदि अन्य के कब्जे में निकलने की स्थिति में उपलब्ध भूमि के भुगतान उक्त दर से दिये जाने का इकरारनामा किया है।

(3) माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त द्वारा पूर्व में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय प्रकरण संख्या 133/2000 एवं 221/2002 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है, जिस पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 85/06 दर्ज कर खातेदारों के पुनः सुनवाई हेतु नोटिस दिये गये हैं। जिस पर खातेदार श्री रसिक बिहारी वगैरा ने जरिये अभिभाषक आपत्ति दर्ज कराई है। प्रकरण विचाराधीन है, तथा निर्णय नहीं हुआ है। प्रश्न में दर्ज प्रकरण 87/06 बृज विहार कालोनी से सम्बन्धित है। अभी प्रकरण विचाराधीन है एवं निर्णय नहीं हुआ है, अतः निर्णय की प्रति दिया जाना संभव नहीं है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार काश्तकार व सोसायटी के मध्य इस बिन्दु में उल्लिखित वाद के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नारायण विहार (गोपालपुरा-जयपुर) की आवासीय योजना

15. **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गोपालपुरा बाइपास, जयपुर स्थित निजी खातेदार की नारायण विहार स्कीम में कुल कितने ब्लाक काटे गये हैं? इस स्कीम के ओ. एवं वाई ब्लाकों को अलग-अलग कुल कितने क्षेत्र में विकसित किया गया है?

(2) क्या उक्त ''ओ'' एवं ''वाई'' ब्लाक के सम्पूर्ण भाग की 90-बी की कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां, तो संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो इस कार्यवाही को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? जे.डी.ए. के स्तर पर वर्तमान में क्या कार्यवाही लम्बित है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कीम के ''ओ'' एवं ''वाई'' ब्लाकों

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

के मानचित्र तैयार कर लिये गये हैं एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इनका अनुमोदन कर दिया गया है? यदि हां, तो दोनों ब्लाकों के नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इनके नक्शे तक तैयार कर उनका अनुमोदन कर दिया जाएगा?

(4) निजी खातेदार एवं जे.डी.ए. द्वारा उक्त दोनों ब्लाकों के पट्टे कब तक दे दिये जाऐंगे?

उत्तर

(1) नारायण विहार स्कीम में कुल 17 ब्लाक काटे गये हैं। ''ओ'' ब्लाक को 103.25 हैक्टेयर (413 बीघा) में विकसित किया गया है। ''वाई'' ब्लाक में 219 बीघा की 90बी की कार्यवाही की गई है व मानचित्र 362 बीघा का पेश किया गया है।

(2) ''ओ'' ब्लाक में सम्पूर्ण भाग की 90बी की कार्यवाही नहीं हुई है। केवल 59.90 हैक्टेयर (236 बीघा 18 बिस्वा) भूमि की 90बी की कार्यवाही हुई है। शेष भूमि के सम्बन्ध में वांछित रिकार्ड पेश करने एवं नियमानुसार देय राशि जमा कराने पर 90बी की कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

नारायण विहार के ''वाई'' ब्लाक में 362 बीघा में से 219 बीघा की 90बी की कार्यवाही की गई है जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

शेष भूमि पर समर्पणनामा प्रस्तुत होने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(3) योजना के ''ओ'' एवं ''वाई'' ब्लाक के अनुमोदन हेतु प्रकरण को भवन मानचित्र समिति (एल.पी) की 91वीं बैठक दिनांक 06/07.12.05 में अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। जिसमें निर्णय लिया गया कि योजना का अनुमोदन का अन्तिम रूप से अनुमोदन सम्पूर्ण योजना के 90बी, नियमानुसार सैक्टर रोड व मास्टर विकास योजना 2011 की रोड का समायोजन, भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं समस्त तकनीकी व प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने पर की जावे। कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है। विकासकर्ता ने अभी संशोधित मानचित्र प्रस्तुत

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

नहीं किये हैं। इसलिए अंतिम रूप से योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी नहीं किये गये हैं। समस्त योजना की 90बी सैक्टर प्लान के अनुसार रोड व 60:40 में नक्शे प्रस्तुत करने पर उनके अनुमोदन पर विचार किया जायेगा।

(4) नकशा अनुमोदन के पश्चात तथा खातेदार द्वारा सड़क, बिजली, सीवर लाइन, पानी आदि की व्यवस्था का सम्पूर्ण विकास करने के बाद ही भूखण्डों के पट्टे दिये जा सकेंगे।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-16

(स्थगित)

मंदिर श्री सीतारामजी कुण्ड आभानेरी को भोग-राग एवं पूजा हेतु स्वीकृत राशि

17. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र आभानेरी पंचायत समिति बांदीकुई तहसील बसवा में सम्वत 2012 से अब तक किस-किस मंदिर को भोग-राग एवं पूजा हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कब-कब किस को कितना-कितना भुगतान किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत क्षेत्र के मंदिर श्री सीताराम जी कुण्ड आभानेरी को पूर्व में उक्त राशि दी जाती रही है? यदि हां, तो अन्तिम बार कब एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं वर्तमान में कितनी राशि बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र आभानेरी में मंदिर श्री गोपालजी को विभाग द्वारा 360/- रुपये वार्षिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत है। स्वीकृत राशि का संवत् 2058 तक भुगतान किया जा चुका है। अभिलेखों के अनुसार संवत् 2059 से 2062 का भुगतान पुजारी द्वारा नहीं लेने के कारण वापस राजकोष में जमा करा दिया गया है। संवत् 2063 का भुगतान तहसील कार्यालय में अवशेष पड़ा है जिसका भुगतान पुजारी श्री रामेश्वर चाहे जब प्राप्त कर सकता है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी नहीं। पंचायत क्षेत्र आभानेरी के मंदिर श्री सीतारामजी कुण्ड आभानेरी को देवस्थान विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत नहीं होने से इस मंदिर को सहायता राशि का भुगतान किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जब राशि देय नहीं है तो भुगतान की तारीख नियत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशिक्षकों हेतु मानदेय

18. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जवाहर कला केन्द्र द्वारा कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली कार्य शालाओं एवं प्रशिक्षण देने के लिए बाहर से आने वाले कलाकारों एवं संगतकारों को मानदेय दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो मानदेय किस रीति-नीति के अनुसार भुगतान किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के स्थानीय कलाकारों एवं संगतकारों को मानदेय भुगतान नहीं किया जाता? यदि हां, तो क्यों।

(3) क्या यह सही है कि कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित बजट का उपयोग जवाहर कला केन्द्र द्वारा कलाकारों एवं संगतकारों को मानदेय के रूप में भुगतान न किया जाकर अन्य मदों में कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जवाहर कला केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति होने वाले विद्यार्थियों से फीस लिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर कला केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आमंत्रित कलाकारों एवं संगतकारों को मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। मानदेय कम्पेंडियम की दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। स्थानीय कलाकारों एवं संगीतकारों को मानदेय का भुगतान कम्पेंडियम के अनुसार किया जाता है।

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

(3) जवाहर कला केन्द्र को केन्द्र सरकार से कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु कोई बजट प्राप्त नहीं होता है।

(4) प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से शुल्क प्राप्त करने का केन्द्र में प्रावधान है। प्रति संलग्न है।

VARIOUS FACILITIES

Fees

S. No.	ITEMS	PARTICULARS	PREVAILING RATES	REVISED RATES	
1.	Membership of Library	(q) Membership Fees	Rs. 200/- Yearly	(i) Yearly (ii) Quarterly	Rs. 200/- Rs. 50/-
		(b) Security Deposit Refundable	Rs. 2000/-	Rs. 2000/-	
		(c)Readership		Per Mont	Rs. 50/-
2.	Membership of Graphic Studio & Sculpture Studio	Membership (To be Taken Quarterly)	Rs. 100/- P.M.	(i) For Students (ii) For Upcoming Artists (iii) For Senior Artists	Rs. 100/- P.M/ Rs. 200/- P.M. Rs. 300/- P.M.
3.	Entry Fee for Performance Programme	For Plays	Rs. 10/-	Rs. 20/-	
4.	Camera Fee	(a) Interior & Exterior only (b)Special Photography of Artefacts displayed in the collection of the Kendra	Rs. 25/- Per day Rs. 100/-	(i) For Students (ii) For Others	Rs. 25/- Rs. 50/- Rs. 100/-
5.	Fee for hobby Classes/ Summer Camp		Rs. 100/- Per head per month	Rs. 300/- Per head per month	

S. No.	ITEMS	PARTICULARS	PREVAILING RATES	REVISED RATES	
6.	Fee for Videography & Serial/ Film Shooting	JKK premises and shilpgram	Rs. 5000/- Per Shift	(i) Upto 4 Hours (ii) Upto 8 Hours	Rs. 2500/- Rs. 5000/- + Electricity Charges (Actual)
		Rangayan/ Krishnayan		Upto 4 Hours (beyond four hours second booking)	Rs. 10000/- + Electricity Charges (Actual)
7.	Sale of Articles prepared during camps		As per the price fixed by the committee constitutated by the Director General	Price fixed by the committee consttuitated by the D.G.	
8.	Sale price of JKK Line-Plan & Brochure	One Copy	-	Upto Rs. 100/- (as Fixed by D.G.)	

मरूस्थलीय क्षेत्रों का गैर परम्परागत ऊर्जा माध्यम से विद्युतीकरण

19. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गैर परम्परागत ऊर्जा माध्यम (नान कन्वेशनल एनर्जी सोर्स) द्वारा विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के किन-किन दूर दराज गांवों व ढाणियों को शामिल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों व ढाणियों का चयन किस आधार पर किन संस्थाओं द्वारा किया जाता है?

(3) उक्त गांवों व ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत शेष बचे गांव/ढाणियों के विद्युतीकरण करने की सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार मरूस्थलीय क्षेत्र के दूर-दराज गांवों/ढाणियों का उक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-06 (RVE 2005-06) के अन्तर्गत 230 दूरस्थ अविद्युतिकृत गांवों को घरेलू लाइटिंग सिस्टम के माध्यम से विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तावित था। उक्त गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) उक्त गांवों का चयन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि. नई दिल्ली एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि ऐसे गांवों को ग्रिड द्वारा सन् 2012 तक विद्युतिकृत किया जाना सम्भव नहीं है तथा Cost-efeective नहीं है। ऐसे गांव दूरस्थ एवं राजस्व (जनगणना 2001 के अंतर्गत) होने चाहिये जिनका प्रमाण राज्य सरकार द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाता है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसे गांवों की सूची अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी।

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने 417 गांवों की सूची राज. अक्षय

(ऊर्जा मंत्री)

ऊर्जा निगम को अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युतीकरण करने के लिए भेजी। सूची का विश्लेषण राज. अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया गया जो कि परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। राज. अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रथम चरण में 230 गांवों (60 घरों तक) का चयन किया गया तथा इन गांवों को घरेलू सौर प्रकाश उपकरणों द्वारा विद्युतीकरण किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिनका विवरण उपरोक्त परिशिष्ट-ब में दर्शाया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 79 गांवों का सर्वे निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ऐसे गांव सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या 300 से ऊपर है अथवा ऐसे गांव जहां 60 से अधिक घर हैं। इनका विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(3) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना 2005-06 के अन्तर्गत अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा निर्धारित सिस्टम की बैंच मार्क कीमत की 90 प्रतिशत पूंजी केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में एवं शेष राशि उपभोक्ता एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) शेष रहे दूरस्थ अविद्युतिकृत ऐसे गांव जिनमें 60 से अधिक घर हैं, ऐसे 79 गांवों को इस विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय फेज में विद्युतिकृत किये जाने का लक्ष्य है। इन गांवों का सर्वे कार्य जारी है (सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है)

(5) जी हां। मरूस्थलीय क्षेत्रों के दूरस्थ गांव जिनको अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युतीकरण किया जाना है, की प्रस्तावित सूची परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-स के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि कनेक्शनों पर विद्युत दबाव के आधार पर विद्युत राशि में छूट

20. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन की आई.एस.आई. मार्का की मोटरें लगी होने के बावजूद स्वीकृत भार क्षमता से अधिक एम्पीयर निकालती है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उपभोक्ताओं की शीटें भर दी जाती हैं जिससे बे-वजह उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त परेशानी से छुटकारा दिलाने हेतु उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने हेतु उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कृषि कुओं की विद्युत दरें निकट भविष्य में बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व कितनी-कितनी?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि कनेक्शन हेतु आई.एस.आई. मार्का की मोटरें मानक परिस्थितियों के अन्तर्गत उपयोग लेने पर सामान्यतया उसकी क्षमता के अनुसार निर्धारित भार वहन करती है परन्तु कृषि कनेक्शन में आई.एस.आई. मार्का मोटर रिवाइडिंग होने के बाद क्षमता से अधिक एम्पीयर ले सकती है। कृषि कनेक्शन नीति-2004 के अनुसार सतर्कता एवं अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर 20 प्रतिशत तक बढ़े हुये भार के लिये कोई चार्जेज नहीं लिये जाते हैं।

(2) उपरोक्त-1 के अनुसार।

(3) कृषि कुओं की विद्युत दरें विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 17.12.2004 द्वारा पुनः निर्धारित की जा चुकी हैं परन्तु राज्य सरकार बढ़ी हुई दरों का बोझ स्वयं वहन कर रही है।

कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

21. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत राज्य में अप्रैल, 2005 से अब तक कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितना किया जाना शेष है? जिलेवार/तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कुटीर ज्योति स्कीम के तहत कितने बी.पी.एल. घरों को विद्युत उपलब्ध कराई गई? जिलेवार/तहसीलवार विवरण

(श्री अशोक बैरवा)

सदन की मेज पर रखें। उक्त स्कीम में व्यय की गई राशि में केन्द्र व राज्य का हिस्सा कितना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्व में स्वीकृत आठ ए.आई.ई.पी. योजनाओं को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में समाहित कर दिया गया था। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में माह अप्रैल, 2005 से माह अगस्त, 2006 तक 273 ग्रामों को विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 4035 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

इस वर्ष कुल 1051 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से अब तक 43 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुक है।

(2) राज्य में अब तक केवल 18 जिलों के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005-06 व 2006-07 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई है। इन 18 जिलों में वर्ष 2005-06 व 2006-07 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2006 तक 21009 कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी किए गए जिनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में प्रस्तावित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के सापेक्ष 90 प्रतिशत राशि का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत ऋण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाना प्रस्तावित है तथा कुटीर ज्योति योजना के तहत बी.पी.एल. घरों को 1500/- रु. प्रति कनेक्शन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

22. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विभाग द्वारा घरेलू एवं कृषि कनेक्शन देने हेतु क्या नीति निर्धारित की हुई है? प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या बी.पी.एल. द्वारा कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर कोई छूट दी जाती है/दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस प्रकार, कितनी व किस सूची के आधार पर?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू/कृषि कुओं/उद्योगों को कितने-कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

(3) जिला बीकानेर में कहां-कहां, कितनी-कितनी क्षमता के जी.एस.एस. संचालित हैं? क्या सरकार नए जी.एस.एस. लगाने या पूर्व में लगे जी.एस.एस. की क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी-कितनी?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अपने जी.एस.एस. के संचालन/रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है/जा रहा है? यदि हां, तो किन शर्तों पर, कब से कब तक के लिए व इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। संबंधित ठेका फर्म के क्या-क्या कार्य होंगे तथा जिला बीकानेर के जी.एस.एस. का रखरखाव किन-किन को किस दर पर सौंपा गया?

(5) उक्त जी.एस.एस. के संचालन का कार्य ठेके पर देने से पूर्व किस-किस जी.एस.एस. पर किस-किस वर्ग के कितने कार्मिक पदस्थापित थे? क्या उक्त पदस्थापित कार्मिकों को अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब से?

(6) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेकों उपखण्डों में स्वीकृत पदों की तुलना में अनेकों पद रिक्त हैं? स्वीकृत पदों/पदस्थापित कार्मिकों/रिक्त पदों की सूची उप खण्डवार सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि विभिन्न उप खण्डों में स्टाफ की कमी, साधनों की कमी तथा कार्यक्षेत्र में दौरा करने हेतु जीप के स्थाई आबंटन न होने के कारण विद्युत लाइनों से तार चोरी की अनेकों घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। 01 जनवरी, 1995 से 31 अगस्त, 2006 तक विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कहां-कहां पर तार चोरी की घटनाएं हुई तथा उक्त चोरी की घटनाओं से किन-किन गांवों, चकों एवं ढाणियों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई? क्या उक्त सभी स्थानों पर पुनः तार जोड़कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल कर दिया गया? यदि नहीं, तो कहां-कहां पर व क्यों? क्या सरकार तार

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

चोरी की घटनाओं के कारण बिजली की सुविधा से वंचित उक्त क्षेत्रों को निकट भविष्य में विद्युत लाइनों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन देने हेतु कृषि कनेक्शन नीति, 2004 (संशोधित 31.12.2005) जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अनुसार नि:शुल्क एवं बिन्दु घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक से किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। इन बी.पी.एल. परिवारों का चयन जिलाधीश द्वारा जारी बी.पी.एल. परिवारों की सूची के आधार पर किया जाता है।

(2) वर्तमान में विद्युत की मांग के अनुरूप उपलब्धता न होने के कारण नगरीय क्षेत्रों में घरेलू, उद्योगों एवं कृषि में निम्न प्रकार विद्युत कटौती की जा रही है :-

1. राज्य की राजधानी – जयपुर 2 घंटे
2. संभागीय मुख्यालय – 3 घंटे
3. जिला मुख्यालय – 4 घंटे
4. 5000 से अधिक आबादी 5 घंटे
वाले ग्राम एवं नगरपालिकायें

परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग कार्य हेतु औसत 5 से 6 घंटे थ्री फेज ब्लाकवार तथा घरेलू उपभोग हेतु सायं 4 घंटे एवं प्रातः 2 घंटे कुल 6 घंटे सिंगल फेस विद्युत प्रदाय की जा रही है।

(3) बीकानेर जिले में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर तथा नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने तथा क्षमता बढ़ाने संबंधी सूचना परिशिष्ट ''स-1'' एवं ''स-2'' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के द्वारा कुछ 33/11 के.वी. उपचौकियों का संचालन/रखरखाव का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा करवाया गया है एवं करवाया जा रहा है। इस हेतु आवश्यक नियम, शर्तें तथा प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है। वर्तमान में जिला बीकानेर क्षेत्रान्तर्गत 33/11 के.वी. सब-स्टेशन रखरखाव हेतु ठेके पर प्रतिमाह 6200/- रु. प्रति

(ऊर्जा मंत्री)

सब-स्टेशन निर्धारित है। ठेके पर रखरखाव हेतु दिये गये 33/11 के.वी. सबस्टेशनों का विवरण परिशिष्ट—''य'' पर उपलब्ध है।

(5) उक्त उपचौकियों के संचालन का कार्य ठेके पर देने से पूर्व कार्यरत एवं बाद में पदस्थापित एवं समायोजित कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट ''र'' पर उपलब्ध है।

(6) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अन्तर्गत आने वाले सभी चारों उपखण्डों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'ल' पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा तकनीकी एवं कुछ अन्य कर्मचारियों की चरणबद्ध भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है। आदेशों के अनुरूप कर्मचारियों की भर्ती की जाकर विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उपखण्डों में भी अनुपातिक पदस्थापना की जावेगी।

(7) जी नहीं। विद्युत तार चोरी की घटना का सीधा संबंध उप खण्डों में स्टाफ की कमी, साधनों की कमी तथा कार्यक्षेत्र में दौरा करने हेतु जीप के स्थाई आबंटन से नहीं है।

दिनांक 1 जनवरी, 1995 से 31 अगस्त, 2006 तक विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में तार चोरी की घटनायें तथा उक्त चोरी की घटनाओं से विद्युत आपूर्ति में बाधित गांवों, चकों एवं ढाणियों का विवरण तथा उक्त स्थानों पर पुनः तार जोड़कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट 'व' पर उपलब्ध है। तार चोरी की घटनाओं के कारण बिजली की सुविधा से वंचित शेष गैर आबाद/गैर आवेदक क्षेत्रों में आवेदन करने पर विद्युत सुविधा उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाम्बोली ग्राम, रामगढ़ (अलवर) में ग्रिड सब-स्टेशन

23. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बाम्बोली में एक 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन निर्माणाधीन है? यदि हां, तो यह कब स्वीकृत हुआ एवं अब तक इस पर कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(2) उपरोक्त 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से ग्रामीणों को कब तक विद्युत सप्लाई शुरू कर दी जायेगी?

(3) इस ग्रिड सब-स्टेशन के अधीन कौन-कौन से राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के स्थान बाम्बोली में 33 के.वी. सब-स्टेशन दिनांक 30.10.2004 को स्वीकृत किया गया था तथा इसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) उरपरोक्त 33 के.वी. सब-स्टेशन बाम्बोली द्वारा दिनांक 10/10/2006 से विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जावेगी।

(3) इस सब-स्टेशन के अधीन निम्न राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जा रहा है -

1. डूमेडा 2. मीणापुरा 3. लालपुरी 4. जतपुर 5. गूजरबास 6. खूटेटाखुर्द 7. नागलरप्पा 8. पाली 9. नशोपुर 10. धनखेडा 11. बाम्बोली।

प्रश्न संख्या-24

(स्थगित)

सीकर जिले के विधवा पुत्री विवाह सहायता हेतु लम्बित प्रकरण

25. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधवा पुत्रियों को विवाह संबंधी सहायता देने के क्या दिशा-निर्देश हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में किन-किन विधवा पुत्रियों को विवाह संबंधी सहायता देने के प्रकरण वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुए व उनमें से किन-किन को विवाह संबंधी सहायता प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन प्रकरणों में विधवा पुत्रियों को विवाह संबंधी सहायता नहीं दी गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता देने के निम्न दिशा-निर्देश हैं :

(समाज कल्याण मंत्री)

1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

2. विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 1000 रुपये मासिक से अधिक नहीं हो।

3. परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला नहीं हो।

4. उक्त बिन्दु संख्या एक में वर्णित महिला की 2 कन्या सन्तान के लिये ही यह सहायता देय होगी।

5. विवाह योग्य कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आयु का प्रमाण पत्र यदि स्कूल में पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र यदि स्कूल नहीं गई है तो सरपंच/प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

6. सहायता राशि प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र निश्चित विवाह तिथि के एक माह पहले से एक माह बाद तक पूर्ण कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जा सकेगा।

(2) सीकर जिले में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान हेतु वर्ष 2005-06 में प्राप्त प्रकरण, इनमें से विवाह हेतु स्वीकृत किये गये सहायता की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिन प्रकरणों में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता नहीं दी गई, कारण सहित विवरण सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-26

(स्थगित)

जयपुर डेण्टल कालेज में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

27. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005 एवं 2006 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्भय लाल)

(2) उक्त राशि में से कुल कितनी राशि छात्रों को वितरित कर दी गई तथा कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में जयपुर डेन्टल कालेज में अध्ययनरत बी.डी.एस. प्रथम वर्ष के छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इन छात्रों को भविष्य में छात्रृवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में राज्य सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्न तालिकानुसार राशि दी गई है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम छात्रवृत्ति योजना	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06
1.	अनुसूचित जाति	1220.91	1642.32
2.	अनु. जन जाति	2276.57	1451.20

(2) उपर्युक्त राशि में से कुल वितरित एवं शेष रही राशि का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम छात्रवृत्ति योजना	वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06	
		वितरित राशि	शेष रही राशि	वितरित राशि	शेष रही राशि
1	अनुसूचित जाति	1322.75	-	1516.17	126.15
2	अनुसूचित जन जाति	2122.95	153.62	869.87	581.33

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) यह भारत सरकार की योजना है। वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति के 70411 छात्र-छात्राओं को 2556.39 लाख रुपये तथा अनुसूचित जन जाति के 43682 छात्र-छात्राओं को 1772.12 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। चालू वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति हेतु 1856.21 लाख एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति हेतु 2834.25 लाख का बजट आबंटन किया जा चुका है। भारत सरकार से और राशि प्राप्त होने पर आबंटित कर दी जावेगी।

(4) जी हां। वर्ष 2006-07 में आबंटित राशि में से जयपुर डेन्टल कालेज में अध्ययनरत बी.डी.एस. प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा सरसों की खरीद

28. **श्री गुरजंट सिंह बराड़** (संगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में संचालित सहकारी विक्रय केन्द्रों पर वर्ष 2006 में कुल कितनी सरसों की खरीद की गई है? उक्त खरीद में नेफैड द्वारा कितनी और तिलम संघ व राजफैड द्वारा कितनी खरीद की गई? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खरीदी गई सरसों का भुगतान कब व कितना किस-किस संस्थाओं द्वारा किया गया? अब किस-किस संस्था द्वारा कितना-कितना भुगतान किया जाना शेष है?

उत्तर

(1) राजस्थान में राजफैड/तिलम संघ द्वारा रबी 2006-07 में नेफैड के एजेन्ट के रूप में अपनी सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से (राजफैड के 207 तिलम संघ के 57) 264 केन्द्रों पर राजफैड की 1206148.3 मै. टन तिलम संघ की 211503.31 मै. टन) 1417651.84 मै. टन सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। खरीद केन्द्रवार, सरसों खरीद का विवरण परिशिष्ट-। एवं 1-अ पर संलग्न है। नेफैड द्वारा सीधे सरसों का क्रय नहीं किया जाता है।

(2) समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसलों का पुनर्भरण नेफैड द्वारा (राजफैड को 206600.00 लाख तथा तिलम संघ को 36900.00 लाख रु.) राजफैड/तिममल संघ को कुल 243500.00 लाख रुपये का किया गया है। एवं

(सहकारिता मंत्री)

राजफैड/तिलम संघ द्वारा अपनी सदस्य सहकारी समितियों को कुल 243053.59 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भुगतान किया जाना शेष है उसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गृह निर्माण समितियों का अंकेक्षण

29. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2003-04 से 2005-06 के मध्य कितनी गृह निर्माण सहकारी समितिां पंजीकृत थीं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी गृह निर्माण समितियां विगत तीन वर्षों से अवसायन में आ गई/अक्रियाशील रही? उनके सदस्यों की जमापूंजी की वापसी का क्या प्रावधान है?

(3) क्या यह सही है कि सभी सहकारी समितियों का समयबद्ध अंकेक्षण होता है? यदि नहीं, तो शेष रही समितियों का अंकेक्षण कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2003-04 से 2005-06 के मध्य पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	पंजीकृत समितियां
2003-04	1204
2004-05	1204
2005-06	1200

(2) विगत तीन वर्षों से 44 गृह निर्माण सहकारी समितियां अवसायन में आ गई तथा 473 गृह निर्माण सहकारी समितियां अक्रियाशील रहीं। समिति के अवसायन में आने पर जमा हिस्सा पूंजी का मूल्यांकन राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 22 के अनुसार होता है। यदि हिस्से की

(सहकारिता मंत्री)

मूल्यांकन पर मूल्य ऋणात्मक हो जाती है तो हिस्साधारक सदस्यों को अपनी हिस्सा पूंजी के पांच गुणा तक अतिरिक्त दायित्व भी चुकाने के प्रावधान राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में है।

(3) जी हां। सभी सहकारी समितियों का समयबद्ध अंकेक्षण करवाया जाता है। केवल वे समितियां शेष रहती हैं जिनके अंतिम लेंखे अंकेक्षक को प्रस्तुत नहीं किये जाते। इन समितियों के विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती है। रिकार्ड प्रस्तुत न करने वाली समितियों के विरूद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवा कर शेष समितियों के अंकेक्षण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

गंगानगर काटन मिल के अधिशेष कर्मियों का समायोजन

30. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर काटन मिल्स, गंगानगर को कब बंद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिल को बंद किया गया तब कितने कर्मचारी मिल में कार्यरत थे? उक्त में से कितने कर्मचारियों को विभिन्न संस्थानों में समायोजित कर दिया गया? शेष कितने कर्मचारी समायोजित करने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे कर्मचारियों को शीघ्र अन्य संस्थानों में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर काटन काम्प्लेक्स लि., गंगानगर दिनांक 04.01.2000 से बंद है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 61 के अंतर्गत आदेश दिनांक 09.02.2005 से संस्था को अवसायन में लाया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) मिल बन्द होने के समय कुल 567 कर्मचारी/श्रमिक कार्यरत थे जिनमें से 269 को प्रतिनिधित्व पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं में भेजा गया है। जिनमें से 8 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की संस्था में उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पद रिक्त होने से उनके द्वारा इन्हें राज्य सरकार को अनुमति से विभाग द्वारा जारी शर्तों क अनुरूप समायोजित किया गया है। इन 8 कर्मचारियों

(सहकारिता मंत्री)

के अतिरिक्त सभी 559 कर्मचारियों/श्रमिकों का समायोजन नहीं हुआ है।

(3) समायोजन का कार्य प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग/संस्थाओं को आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा निर्धारित अहर्ताओं पर निर्भर करता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले के निर्माणाधीन तालाब

31. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में पंचायत समितिवार किस-किस गांव की किस-किस नदी या नाले पर नये तालाबों का निर्माण कार्य माह अगस्त, 2006 में निर्माणाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तालाबों के किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी व निर्माण कार्य किस-किस तारीख तक पूर्ण होगा? तालाबवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तालाबों के निर्माण कार्य किस-किस मद से किस-किस एजेन्सी के माध्यम से कराये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद बारां के अधीन समस्त पंचायत समितियों में माह अगस्त, 06 में किसी नदी अथवा नाले पर कोई तालाब निर्माणाधीन नहीं है।

(2) सूचना शून्य समझी जावें।

(3) सूचना शून्य समझी जावें।

पंचायत समिति शिवगंज (सिरोही) में पदस्थापित ग्राम सेवक

32. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिवगंज पंचायत समिति, जिला सिरोही में 01 जुलाई, 2006 को किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन ग्राम सेवक कहां-कहां कार्यरत थे तथा 1 सितम्बर, 2006 को कौन-कौन ग्राम सेवक कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति की स्थायी समिति ने माह जुलाई की किस तारीख को प्रधान की अध्यक्षता में तबादलों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया

(श्री संयम लोढ़ा)

एवं उक्त की पालना किस रूप में की गई?

(3) क्या यह सही है कि जुलाई माह में प्रधान ने प्रमुख शासन सचिव को निर्वाचित समिति के आदेशों की पालना नहीं करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) एक ही पंचायत समिति में पद स्थापित ग्राम सेवकों के उसी समिति की एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरण के संबंध में पंचायत समिति/जिला परिषद व राज्य सरकार के क्या अधिकार एवं नियम हैं प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या शिवगंज के प्रकरण में पंचायत समितियों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) पंचायत समिति शिवगंज जिला सिरोही में 1 जुलाई, 2006 एवं 1 सितम्बर, 2006 को कार्यरत ग्राम सेवकों की सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति शिवगंज की स्थाई समिति की बैठक 5 जुलाई, 2006 को प्रधान महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें तबादला के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। जिसकी पालना विकास अधिकारी द्वारा कुछ संशोधन कर स्थानान्तरण आदेश जारी कर की गई।

(3) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति शिवगंज के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(4) जिला परिषद/पंचायत समिति के कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 एवं 290 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। प्रति परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

पंचायत समिति शिवगंज के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी में भूमि परिवर्तन का निस्तारण

33. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने

(श्री मदन मोहन सिंघल)

की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाता है? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिला जयपुर की कितनी ग्राम पंचायतों के आबादी भूमि परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं?

(3) क्या यह सही है कि विभाग में सहायक नगर नियोजक के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो कितने व इन पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत है? यदि नहीं, तो परिवर्तित की जाने वाली भूमि का तकनीकी अनुमोदन किस आधार पर किया जाता है?

(4) सरकार द्वारा आबादी में परिवर्तित भूमि को ग्राम पंचायतों द्वारा किस प्रक्रिया के तहत निस्तारित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में जिला जयपुर की 157 ग्राम पंचयतों के आबादी भूमि परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। आबादी में परिवर्तित भूमि का तकनीकी अनुमोदन हेतु जब भी आवश्यकता होती है, नगर नियोजन विभाग की सेवाऐं ली जाती हैं तथा उनसे प्लान अनुमोदित कराया जाता है।

(4) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 144 से 160 व 162 क अनुसार परिवर्तित भूमि का ग्राम पंचायतों द्वारा निस्तारण किया जाता है।

मुरलीपुरा सरपंच, ग्राम पंचायत (फुलेरा) द्वारा जारी पट्टे

34. **श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995 से वर्ष 2004 तक ग्राम पंचायत मुरलीपुरा तहसील फुलेरा जयपुर के सरपंच द्वारा किस-किस व्यक्ति के नाम किस-किस साइज के भूमि के पट्टे जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रिणवा)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मुरलीपुरा में उक्त सरपंच द्वारा एक व्यक्ति के कब्जेशुदा बाड़े की भूमि में से कुछ हिस्से की भूमि का पट्टा किसी परिचित महिला को जारी किया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महिला को अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टे को निरस्त कर तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 1995 से 2004 तक सरपंच के पद पर रहे व्यक्तियों के विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने एवं भ्रष्टाचार व अन्य जांच करवाने हेतु शिकायतें प्रस्तुत की गई थी? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त अवधि में सरपंच रहे व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा अनियमित रूप से किये गये कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से वर्ष 2004 तक ग्राम पंचायत मुरलीपुरा द्वारा जारी किये गये पट्टो की सूची मय नाम व साइज के सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत मुरलीपुरा द्वारा 13 महिलाओं के पट्टे जारी किये गये लेकिन परिचित महिला का नाम एवं कब्जेदार का नाम स्पष्ट अंकित नहीं है।

(3) राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायत पत्रों की जांच विकास अधिकारी, सांभरलेक से करवाई जा रही है।

(5) जी हां। जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित सरपंच के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पर्यटन प्रसार हेतु सलाहकार सेवाओं पर व्यय

35. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री संयम लोढ़ा)

करेंगे :-

राज्य में पर्यटन विभाग अथवा राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किस-किस कार्य के लिए कन्सल्टेन्ट/सलाहकार की सेवाएं दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात कब-कब ली गई एवं उन्हें कितना भुगतान कब-कब किया गया? इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 के पश्चात कार्यों हेतु कन्सल्टेंट/सलाहकारों की ली गई सेवाओं का विवरण, उनको किए गये भुगतान की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बालिकाएं

36. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत राज्य में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजनान्तर्गत राज्य को केन्द्र सरकार से वर्ष 1997 से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई व कितनी व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई है? यदि हां, तो कब से और राज्य सरकार की इस योजना को चालू रखने की क्या नीति है?

(4) उक्त योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान में कितनी बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? जिलेवार बालिका संख्या व प्रदान की जा रही राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत जनवरी, 2004 से अब तक बालिका जननी को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत मार्च, 2006 तक राज्य में 1,46,266 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्षवार व जिलेवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत राज्य को वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक कुल 837.635 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर है। वर्ष 2002-03 से अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। अब तक कुल 7,31,33,000 रुपये की राशि व्यय हुई। वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) यह योजना आदिनांक तक राज्य सरकार को स्थानान्तरित नहीं हुई है। यह नीतिगत विषय है।

(4) योजनान्तर्गत 518 बालिकाओं को 2,35,000 रुपये छात्रवृत्ति दी गई है। जिलेवार बालिका संख्या व राशि का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर है।

(5) जनवरी, 2004 से बालिका जननी को कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी के आंगनबाड़ी केन्द्र रहित ग्राम

37. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं इनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों में सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र चालू नहीं है वहां चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) आंगनबाड़ी केन्द्र को संचालित करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 1500 तक की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों/पिछड़े क्षेत्रों में भी उपरोक्त जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार केन्द्र खोले जाते हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 300 से 700 तक की आबादी पर एक केन्द्र खोलने का प्रावधान है। समाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा अनु. जाति/जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल 214 केन्द्र स्वीकृत हैं, इनमें से 172 केन्द्र संचालित हैं एवं 42 आंगनबाड़ी केन्द्र असंचालित हैं। कोई भी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द नहीं है, वरन 42 नवीन स्वीकृत केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन ग्राम सभा से होने के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते ही केन्द्र चालू कर दिये जायेंगे।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार, मेडिसीन किट, बच्चों के खेलने के लिए शालापूर्व शिक्षा किट, वेइंग स्केल एवं अन्य स्थाई एवं अस्थाई सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान राज्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को दिया जा रहा है। राज्य में कार्यकर्ता/सहायिकाओं को विभिन्न त्यौहारों पर 13 दिवस का अवकाश भी दिया जा रहा है। अन्य सुविधाएं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अनुसार दी जा रही हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले ग्रामों में 42 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को शीघ्र खोला जावेगा। इसके लिए अभी तक 39 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु ग्रामों का चयन कार्य पूर्ण हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिक एवं सहयोगिनी के चयन की प्रक्रिया चालू है। चयन होते ही उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त केन्द्र चालू कर दिये जायेंगे।

(5) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/सहयोगिनी मानदेय प्राप्त कार्मिक है। इनका चयन ग्रामसभा की अनुशंसा पर विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप योग्यताधारी पाये जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है।

डूंगरपुर जिले की बंद निगम बस सेवाओं का पुनर्संचालन

38. **श्री नानालाल अहारी** (खैरवाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने

(श्री नानालाल अहारी)

की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डूंगरपुर से वाया खैरवाड़ा से झाझरी व डूंगरपुर से वाया खैरवाड़ा से विजय नगर व डूंगरपुर से वाया सोम से कोटड़ा बसें पूर्व में संचालित थी? यदि हां, तो क्या ये बसें वर्तमान में बन्द हैं? क्या सरकार इन्हें पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1. जी हां। डूंगरपुर से झाझरी वाया खैरवाड़ा मार्ग पर दो निजी बसों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत हैं जो पूर्व में संचालित थीं किन्तु वर्तमान में उक्त दोनों बसें मार्ग पर संचालित नहीं है। मार्ग पर बसों के संचालन नहीं किये जाने के कारण वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

2. डूंगरपुर से विजय नगर वाया खैरवाड़ा इस मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा डूंगरपुर से 2 बस सेवायें दैनिक निम्न समयानुसार वर्तमान में संचालित की जा रही हैं :-

डूंगरपुर से विजय नगर : 0945 बजे
1600 बजे

3. डूंगरपुर से कोटड़ा वाया सोम मार्ग पर कोई अनुज्ञापत्रधारी बसें संचालित नहीं है क्योंकि उक्त मार्ग निर्धारित नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अथवा अन्य स्तर से मांग प्राप्त होने पर मार्ग निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है तथा मार्ग निर्धारण पश्चात ही आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

क्वीन्स रोड, जयपुर हेतु नगरीय बस सेवा की उपलब्धता

39. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में वैशाली नगर क्षेत्र में क्वीन्स रोड से वैशाली सर्किल जाने वाले वैशाली मार्ग पर मिनी बस रूट संख्या 21 का संचालन किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? आदेश

(श्री लालचन्द कटारिया)

की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश की अनुपालना में मार्ग संख्या 21 की मिनी बसों का संचालन क्वीन्स रोड से वैशाली सर्किल जाने वाले वैशाली मार्ग पर आज तक शुरू नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में मिनी बस रूट संख्या 21 के मार्ग की कटौती एवं डाइवर्जन के अन्तर्गत विभाग के आदेश दिनांक 7.3.2006 के द्वारा उक्त मार्ग में आम्रपाली मोड़ से आम्रपाली सर्किल तक 0.5 किमी की कटौती एवं आम्रपाली मोड़ से आम्रपाली सर्किल वाया वीर विहार कालोनी, नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, जैन मन्दिर, गुरूद्वारा होकर 2 कि.मी. का डाइवर्जन स्वीकृत किया गया था। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है। उक्त डाइवर्जन वैशाली मार्ग होकर वैशाली सर्किल होता हुआ आम्रपाली सर्किल पहुंचता है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है। उक्त मार्ग की वाहनें पूर्व में संचालित की गई थीं। लेकिन कुल समय से उक्त डाइवर्जन मार्ग पर वाहन संचालन बन्द हो गया था। डाईवर्जन मार्ग से बसों का संचालन अब पुनः आरम्भ हो गया है।

परिशिष्ट ''क''

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक:एफ9(266)परि/आर.टी.ए./मु./1998-99/3222

जयपुर, दिनांक 02/03/2006

<u>आदेश</u>

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के द्वारा अनन्य रूप से नगर निगम या जयपुर-विकास प्राधिकरण या दोनों के क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग संख्या 2 पांच्याला से हटवाड़ा वाया करणी पैलेस, आम्रपाली सर्किल, क्वीन्स रोड, पुरानी चुंगीनाका तिराहा, सोडाला थाना, राम मन्दिर तिराह, सहकार भवन, बाईस गोदाम, रामबाग सर्किल, नारायण सिंह तिराहा, एस.एम.एस. अस्पताल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, गलता गेट, ईदगाह, खोले

के हनुमानजी, रामगढ़ मोड, पुरानी चुंगीनाका, जामियाहिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी लम्बाई पक्का 31 किमी, वर्तमान मार्ग में आम्रपाली मोड़ से आम्रपाली सर्किल तक 0.5 किमी. कटौती एवं आम्रपाली मोड से आम्रपाली सर्किल वाया वीर विहार कालोनी नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, जैन मन्दिर, गुरूद्वारा 2 कि.मी. डायवर्शन करने हेतु प्रभारी डी.एस.एफ. न्यू जयपुर के सर्वेक्षण प्रतिवेदन मय नजरी नक्शा अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्रस्तावित कटौती/डावदर्शन किये जाने पर डायवर्शन भाग के महत्वपूर्ण स्थानों को परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी इसलिए जनहित एवं जन सुविधा हेतु प्रस्तावित कटौती/डायवर्शन किया जाना उचित समझा गया।

अतः मोटर वाहन अधिनियम, 1988, तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्नय रूप से नगर निगम या जयपुर विकास प्राधिकरण या दोनों के क्षेत्र में पड़ने वाला मार्ग संख्या 21 पांच्याला से हटवाड़ा वाया करणी पैलेस, आम्रपाली सर्किल, क्वीन्स रोड, पुरानी चुंगीनाका तिराहा, सोडाला, राम मन्दिर तिराहा, सहकार भवन, बाइस गोदाम, रामबाग सर्किल, नारायण सिंह तिराहा, एस.एम.एस. अस्पताल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट-ट्रांसपोर्ट नगर, गलता गेट, ईदगाह, खोले के हनुमानजी, रामगढ़ मोड़, पुरानी चुंगीनाका, जामियाहिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी लम्बाई पक्का 31 किमी. वर्तमान मार्ग में आम्रपाली मोड़ से आम्रपाली सर्किल तक 0.5 किमी. कटौती एवं आम्रपाली मोड़ से आम्रपाली सर्किल वाया वीर विहार कालोनी, नेमीसागर कालोनी, हनुमान नगर, जैन मन्दिर गुरूद्वारा 2 किमी. डायवर्शन करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त कटौती एवं डायवर्शन के पश्चात मार्ग की संशोधित लम्बाई 32.5 कि.मी होगी।

उप शासन सचिव (मुख्यालय)

परिवहन निगम में आरक्षित वर्ग के लेखा-सेवा अधिकारियों की पदोन्नति

40. श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति के लेखा सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति होना शेष है? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध अब तक पदोन्नति न करने के क्या

(श्री समर्थ लाल)

कारण रहे तथा अब कब तक उक्त पदों पर पदोन्नतियां कर दी जायेंगी?

(3) उक्त पदोन्नति हेतु कौन-कौन लेखा सेवा के अधिकारी पात्र हैं? नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम द्वारा जारी परिपत्र संख्या 428 दिनांक 22 जून, 2004 की पालना की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पदों को सामान्य वर्ग से भरा गया था? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम में लेखा संवर्ग में वर्ष 2004-05 तक की रिक्तियों के लिये डी.पी.सी. की बैठक आयोजित की जा चुकी है। पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली सूची में निर्धारित अनुभव/पात्रता धारी अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.02 एवं निगम के आदेश संख्या

नाम पद	**आरक्षित रिक्त पद एससी**	**आरक्षित रिक्त पद एसटी**	**कुल योग**
लेखाधिकारी	2	1	3
सहायक लेखाधिकारी	2	4	6

72 दिनांक 20.12.04 में वर्णित प्रावधानों के तहत निम्न आरक्षित पद रिक्त रखे गये हैं :-

(2) उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति के लिये निर्धारित तीन वर्ष का अनुभव/पात्रताधारी अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमानुसार इन पदों को रिक्त रखा गया है। उक्त रिक्त पदों पर आरक्षित संवर्ग के निर्धारित अनुभव/पात्रताधारी प्रत्याशी उपलब्ध होने पर डी.पी.सी. की बैठक में नियमानुसार पदोन्नति पर विचार किया जावेगा।

(3) पदोन्नति हेतु पात्रता/अनुभव का निर्धारण निगम के भर्ती एवं पदोन्नति शिड्यूल में किया हुआ है (प्रति संलग्न है)। वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग में लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी के पद पर

(यातायात मंत्री)

पदोन्नति के लिये निर्धारित तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले कोई भी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं हैं।

(4) निगम द्वारा परिपत्र संख्या 428 दिनांक 22.06.04 जारी नहीं किया गया बल्कि निगम द्वारा आदेश संख्या 428 दिनांक 24.12.05 को जारी किया गया था, जिसके द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से तीन सहायक लेखाधिकारियों को आवश्यक एवं अस्थाई आधार पर छः माह के लिये लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी थी।

(5) जी हां। लेखाधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की दृष्टि से आरक्षित वर्ग में निर्धारित पात्रता/अनुभवधारी सहायक लेखाधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.10.02 में वर्णित प्रावधान के तहत लेखाधिकारी के आरक्षित तीन रिक्त पदों को 6 माह के लिये आवश्यक एवं अस्थाई आधार पर पदोन्नति से भरा गया था तत्पश्चात इनकी अस्थाई पदोन्नति अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई वर्तमान में उक्त तीनों आरक्षित पद रिक्त हैं।

गुढाचन्द्रजी-दलपुरा (सवाई माधोपुर) हेतु निगम बस सेवा

41. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादौती के गुढाचन्द्रजी से दलपुरा के मध्य डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. द्वितीय चरण में नई डामरीकृत सड़क का निर्माण हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर जयपुर से दलपुरा के लिए परिवहन की बस संचालित नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर बस संचालित होने से दलपुरा के आस-पास के 8-10 गांवों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी?

(4) क्या सरकार जयपुर से ग्राम पंचायत मुख्यालय दलपुरा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(यातायात मंत्री)

(1) जी हां।

(2) जी हां। जयपुर से दलपुरा के लिए वर्तमान में बस की कोई सीधी भर्ती सेवा उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। यदि जयपुर से दलपुरा के लिए सीधी बस सेवा संचालित होती है तो दलपुरा के आसपास के गांवों को यातायात की सुविधा होगी। परन्तु जयपुर से दलपुरा के लिए वर्तमान में कोई मार्ग खोला हुआ नहीं है। मार्ग खुलने के उपरान्त ही अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकते हैं तथा तत्पश्चात ही बस सेवा संचालित हो सकती हैं।

(4) दलपुरा ग्राम पंचायत जयपुर से गुढाचन्द्रजी मुख्य राष्ट्रीयकृत मार्ग से हटते हुये 10 कि.मी. पृथक से स्थित है, ऐसी स्थिति में पूर्व से संचालित सेवाओं के यात्रीभार प्रभावित होने के कारण बस संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

मुण्डावर मुख्यालय पर निगम बस स्टैण्ड की स्थापना

42. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कहां-कहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित होती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुण्डावर सब डिवीजन होने के बावजूद वहां निगम बस स्टैण्ड नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां निगम बस स्टैण्ड का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

		अप	डाऊन
1.	खैरथल-हरसोली-मुण्डावर सोडावास-बहरोड़	37	37
2.	बहरोड-सोडावास-ततारपुर (हरियाणा रोड़वेज द्वारा)	43 7	43 7
3.	मुण्डावर-पेहल-ततारपुर चौराहा-बानसूर-कोटपूतली	1	1
4.	अलवर-मुण्डनवाडा वाया मुण्डावर	1	1
5.	अलवर-मुण्डावर वाया खैरथल	1	1

(यातायात मंत्री)

(1) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा निम्न मार्गों पर बस सेवायें संचालित हैं :-

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम का मुण्डावर में बस स्टैण्ड निर्माण का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों में रिक्त पद

43. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप योजना क्षेत्र में स्थित छात्रावासों में वार्डन के पद पर प्रतिनियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उप योजना क्षेत्र में स्थित छात्रावासों में वार्डन के पद पर कितने अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर लगे हुये हैं? इनमें से कितने अध्यापक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के हैं? तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आश्रम छात्रावासों में वार्डन के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु ग्रेड-द्वितीय के अध्यापकों को शिक्षा विभाग के लिये जाने का प्रावधान है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

1- बांसवाड़ा जिले में 38 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। उसमें शिक्षा

क्र.सं.	तहसील	अनुसूचित जाति वर्ग	अनु. जनजाति वर्ग	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	गढ़ी	-	1	2	-
2	कुशलगढ़	3	4	-	-
3	बांसवाड़ा	-	7	4	-
4	घाटोल	-	6	-	-
5	बागीदौरा	1	5	-	-
	योग :-	**4**	**20**	**6**	**-**

विभाग के 30 अध्यापक वार्डन के पद पर है। वर्तमान में 35 वार्डन प्रतिनियुक्ति पर हैं:

विशेष : आश्रम छात्रावास पिपलखूंट (कन्या), बोरदा एवं आनन्दपुरी में वार्डन के प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही जारी हैं।

क्र.सं.	**तहसील**	**अनुसूचित जाति वर्ग**	**अनु. जनजाति वर्ग**	**सामान्य वर्ग**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**
1	डूंगरपुर	1	5	1	-
2	सागवाड़ा	-	1	2	-
3	सीमलवाड़ा	-	3	1	-
4	आसपुर	-	3	3	-
	योग :-	**1**	**12**	**7**	**-**

2- डूंगरपुर जिले में 38 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। उसमें शिक्षा विभाग के 20 अध्यापक वार्डन के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में 36 वार्डन प्रतिनियुक्ति पर हैं।

विशेष : आश्रम छात्रावास ओबरी, प्रतिभावान डूंगरपुर एवं रघुनाथपुरा में वार्डन के प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही जारी हैं।

क्र.सं.	**तहसील**	**अनुसूचित जाति वर्ग**	**अनु. जनजाति वर्ग**	**सामान्य वर्ग**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**
1	गिर्वा	-	2	3	-
2	सलूम्बर	-	3	-	-
3	सराड़ा	1	2	-	-
4	धरियावाद	-	1	-	-
5	झाड़ोल (फ.)	1	1	4	-
6	कोटड़ा	1	2	1	-
7	खेरवाड़ा	-	5	2	-
	योग	**3**	**16**	**10**	**-**

3- उदयपुर जिले में 60 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। उसमें शिक्षा विभाग के 29 अध्यापक तथा वार्डन के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में 52 वार्डन प्रतिनियुक्ति पर हैं।

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत पद	भरे पद		कुल भरे पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग
			शिक्षा विभाग	राजस संघ/अन्य					
1	बांसवाड़ा	38	30	5	35	4	20	6	-
2	डूंगरपुर	38	20	11	31	1	12	7	-
3	उदयपुर	60	29	23	52	3	16	10	-
4	प्रतापगढ़	27	20	1	21	2	11	4	3
5	आबूरोड़	10	8	-	8	2	-	6	-
	योग	**173**	**107**	**40**	**147**	**12**	**59**	**33**	**3**

परिशिष्ट 'ब'

आश्रम छात्रावासों में वार्डन के पद पर नियुक्त अध्यापकों की इकजाई सूचना

विशेष : आश्रम छात्रावास भौराईपाल, लसाड़िया (कन्या), पारसोला, पानरवा (कन्या), सागवाड़ा की पाल (कन्या), सारोली (कन्या), ढेलाना एवं बलीचा में वार्डन के प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही जारी हैं।

क्र.सं.	तहसील	अनुसूचित जाति वर्ग	अनु. जनजाति वर्ग	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	प्रतापगढ़	2	5	4	2
2	अरनोद	-	6	-	1
	योग :-	**2**	**11**	**4**	**3**

4- प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में 27 आश्रम छात्रावास संचालित है। उसमें शिक्षा विभाग के 20 अध्यापक वार्डन के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में 21 वार्डन प्रतिनियुक्ति पर हैं।

विशेष : आश्रम छात्रावास गन्धेर, लुहारिया एवं रामपुरिया में वार्डन के प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया

क्र.सं.	तहसील	अनुसूचित जाति वर्ग	अनु. जनजाति वर्ग	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	आबूरोड	2	-	6	-
	योग	**2**	**-**	**6**	**-**

है। शिक्षकों को कार्यमुक्त कराने की कार्यवाही जारी हैं।

5- आबूरोड (सिरोही) में 10 आश्रम छात्रावास संचालित हैं। उसमें शिक्षा विभाग के 8 अध्यापक वार्डन के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में 8 वार्डन प्रतिनियुक्ति पर हैं।

उदयपुर संभाग के जनजाति आवासीय विद्यालयों के परीक्षा

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

परिणाम

44. श्री अर्जुन लाल मीणा (रानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर संभाग में जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं जनजाति आश्रम छात्रावासों में वर्ष 2005-06 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा है? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़/आबूरोड़ में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में वर्ष 2005-06 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवासीय विद्यालयों में प्रथम बार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10वीं प्रारम्भ किये जाने के कारण एवं आवासीय विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी के कारण परीक्षा परिणाम न्यूनतम रहा।

क्र. सं.	नाम जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	प्रविष्ठ	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1.	बांसवाड़ा	4. कुशलगढ़	48	5	10.42
2.	डूंगरपुर	6. सीमलवाड़ा	47	6	12.77
3.	उदयपुर	1. सलूम्बर (छात्रा)	30	8	26.67
		2. खेरवाड़ा	42	12	28.57
		3. कोटड़ा	15	1	6.67
4.	चित्तौड़गढ़	5. प्रतापगढ़	27	18	66.67
5.	सिरोही	7. आबूरोड़	13	-	
		योग	**222**	**50**	**22.52**

न्यूनतम परीक्षा परिणाम के लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

क्र. सं.	जिला	छात्रावास संख्या	बोर्ड परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या					
			कक्षा 10			कक्षा 12		
			प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रवेशित	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	बांसवाड़ा	32	497	223	44.87	227	193	85.02
2	डूंगरपुर	33	292	170	58.22	184	162	88.04
3	उदयपुर	46	292	136	46.58	133	115	86.47
4	प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	23	279	150	53.76	112	87	77.68
5	आबूरोड़ (सिरोही)	8	24	8	33.33	6	6	100.00
	योग	**142**	**1384**	**687**	**49.64**	**652**	**563**	**85.04**

परिशिष्ट 'अ'

जनजाति अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रवेशित एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

उदयपुर संभाग में विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम

जनजाति आश्रम छात्रावासों में गृहपति के रिक्त पद

45. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) एवं **श्री नानालाल अहारी** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति आश्रम छात्रावासों में अध्यापकों व

क्र.सं.	जिला	रिक्त पद
1.	बांसवाड़ा	0
2.	डूंगरपुर	4
3.	उदयपुर	2
4.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	3
5.	आबूरोड़ (सिरोही)	2
	योग	**11**

(जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

गृहपति के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने पद?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आश्रम छात्रावासों में अध्यापकों के पद सृजित नहीं है।

गृहपति के रिक्त पदों की जिलेवार सूचना निम्नानुसार है :-

(2) आश्रम छात्रावासों में वार्डन के शेष 11 रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

बूंदी जिले में स्थानीय विकास कोष से जारी स्वीकृतियां

46. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अभिशंसित राशि के लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो प्रत्येक स्वीकृति कितने-कितने दिन में जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं?

(2) वर्ष 2004-05 व 2005-06 में बूंदी जिले की चारों पंचायत समितियों के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को कहां-कहां के लिए विधायकों एवं लोक सभा सदस्यों ने किन-किन विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित की है तथा उनके लिए प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात किन-किन तारीखों में प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई?

(3) ऐसी स्वीकृतियां निर्धारित समय के बाद निकालने वाले कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है तथा अब कब तक प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जायेंगी?

(4) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर पंचायती राज विभाग द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत समय सीमा में स्वीकृतियां जारी करने की समीक्षा करते हैं? यदि हां, तो जिला कलक्टर बूंदी ने कब-कब समीक्षा की और निर्देशों की अवहेलना करने वाले किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(1) जी हां। योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.3 के अनुसार प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां निम्नानुसार समय सीमा में जारी की जाती हैं :-

I. प्रशसनिक स्वीकृति – प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस में।

II. तकनीकी स्वीकृति – प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद 25 दिवस में।

III वित्तीय स्वीकृति-तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 10 दिवस में जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधान को लागू करने के लिये विभाग द्वारा पत्रांक एफ. 14 (40)एमएलए/ग्रुप-6/2000 दिनांक 16.9.2005 जारी किया गया है।

(2) वर्ष 2004-05 व 2005-06 में बून्दी जिले की चारों पंचायत समितियों (तालेडा, के.पाटन, हिण्डौली एवं नैनवां) के माननीय विधायकों एवं लोक सभा सदस्यों ने जिन विकास कार्यों को प्रस्तावित किया है उन कार्यों की राशि जारी करने की दिनांक, कार्य का स्थान तथा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने दिनांक परिशिष्ट-1 से 5 पर उपलब्ध हैं।

(3) देरी के लिये दोषी कर्मचारी को एम.एल.ए. लेड डिलिंग के कार्य से हटा दिया गया तथा विचाराधीन प्रस्तावों पर तत्काल स्वीकृतियां नियमानुसार जारी करने हेतु निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

(4) जी हां। जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा प्रत्येक माह में उक्त योजना की समीक्षा की जाती है। यदि निर्देशों की अवहेलना का प्रकरण ध्यान में आता है या कार्य में देरी की जाती है तो उन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त इन्दिरा आवासों का पुनर्निर्माण

47. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 व 2005-06 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? जिलेवार आवासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(2) निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध कितने आवासों का आबंटन वर्ष 2004-05 व 2005-06 में किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासों हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कितने मकानों का निर्माण कर आबंटन किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर आधारित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थल पर चस्पा की गई?

(6) उक्त समयावधि में इन्दिरा आवासों के निर्माण के अन्तर्गत महालेखाकार की रिपोर्ट में राशि का दुरुपयोग होने के कितने मामलों के बारे में

वर्ष	**नये निर्माण**	**क्रमोन्नत**	**ऋण अनुदान**
2004-05	20805	10132	270
2005-06	26514	11112	0

केन्द्र ने राज्य सरकार को सूचना दी तथा राज्य सरकार ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 में इंदिरा आवास योजना

वर्ष	**नये निर्माण**	**क्रमोन्नत**	**ऋण अनुदान**
2004-05	20782	9979	275
2005-06	29372	10996	307

के अंतर्गत निम्नानुसार आवासों के निर्माण/क्रमोन्नत का लक्ष्य निर्धारित किया गया -

जिलेवार आवासों की सूची सलंग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम सं. 3 से 8 पर उपलब्ध है।

(2) निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध आवासों का आबंटन जो कि वर्ष 2004-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

05 एवं 2005-06 में किया गया निम्नानुसार है :-

जिलेवार विवरण सलंग्न परिशिष्ट-2 के कॉलम संख्या 3 से 8 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त आवासों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2004-05 व 2005-06 में क्रमशः 115 एवं 291 आवासों का आबंटन किया गया। योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण का कार्य स्वयं लाभार्थियों द्वारा करवाया जाता है सरकार द्वारा लाभार्थी को निर्माण हेतु निर्धारित अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जिलेवार विवरण सलंग्न परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। स्थाई प्रतीक्षा सूची का प्रावधान, केन्द्र सरकार की सिफारिश अनुसार, वर्ष 2006-07 से किया जाना है। जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) जी नहीं। महालेखाकार का प्रतिवेदन इंदिरा आवास के बारे में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत जरखोदा (बूंदी) में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यों का बकाया भुगतान

48. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत जरखोदा (नैनवां) जिला बूंदी द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रथम/द्वितीय धारा में करवाए गए कार्यों में मस्ट्रोलों का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो करवाये गए कार्यों की सूची सहित मस्ट्रोलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो किस मजदूर को, किस तारीख को कितनी राशि का? गेहूं तथा नकद राशि में भुगतान प्राप्ति की रसीद मय गेहूं वितरण के कूपन की प्रति सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच हेतु जिला कलक्टर बूंदी एवं अन्यों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो की गई जांच के विवरण सहित प्रार्थना-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में उक्त ग्राम पंचायत को कार्यों हेतु मस्ट्रोलें जारी की गई थीं? यदि हां, तो किस-किस नम्बर की किस-किस तारीख को कितनी? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत द्वारा किए गए गेहूं कूपन के गलत वितरण, मजदूरों को भुगतान नहीं किया जाने, किया गया भुगतान गलत व्यक्तियों को करने, मजदूरों को गलत हस्ताक्षर किए जाने तथा फर्जी दस्तावेजात तैयार करने संबंधी की गई शिकायतों की सही जांच नहीं की जाने से दुःखी होकर एक मुकदमा पुलिस थाना देई में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 505/04 दर्ज करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मुकदमे में वर्णित तथ्यों के आधार पर विभागीय जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त बाबत निष्पक्षता से जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की सूची सहित मस्टर रोल की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत जरखोदा द्वारा करवाये गये 6 कार्यों में से 5 कार्यों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार किया गया है। किन्तु पेयजल व्यवस्था, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जरखोदा के कार्य पेटे कुल 10 मजदूरों को वितरित गेहूं कूपन का जी.एस.एस. जरखोदा से किये गये मिलान अनुसार भुगतान बकाया है, जिसकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

गेहूं तथा नकद राशि में किये गये भुगतान की प्राप्ति की रसीद मय गेहूं के वितरण के कूपनों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। इस शिकायत पर की गई जांच के विवरण सहित प्रार्थना पत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) जी हां। वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत जरखोदा को विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु पंचायत समिति नैनवां द्वारा मस्ट्रोलें जारी की गई थीं। जारी की गई मस्ट्रोलों के मस्ट्रोल नम्बर, मस्ट्रोल की संख्या तथा जारी करने की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जरखोदा के तत्कालीन सरपंच श्री भंवर लाल आत्मज श्री मोती बैरवा तथा सचिव श्री हनुमान शर्मा के विरुद्ध श्री रामफूल आत्मज श्री कल्याण जाति माली निवासी जरखोदा द्वारा पुलिस थाना देई में प्रथम सूचना रिपोर्ट जीओसी/04 दर्ज करवाई गई थी। पुलिस थाना देई द्वारा उक्त प्रकरण बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम खण्ड) नैनवां, (बूंदी) में प्रकरण संख्या 238/06 पर दर्ज है। जिसकी प्रथम पेशी 11.09.2006 नियत थी एवं आगामी पेशी की तिथि 24.11.2006 नियत की गई है। मुकदमें में वर्णित तथ्यों एवं विधान सभा प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर पंचायत समिति नैनवां द्वारा हाल ही में प्राथमिक तौर पर जांच कराई गई थी। पंचायत समिति स्तर पर की गई जांच रिपोर्ट की छाया प्रति परिशिष्ट-6 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। इस प्रकरण में गहन एवं निष्पक्ष जांच कराई जाकर दायित्व निर्धारण कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर जिला परिषद् द्वारा गंगापुर सिटी हेतु जारी स्वीकृति

49. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सवाई माधोपुर द्वारा स्थानीय विधायक कोष की राशि की स्वीकृति जारी करने में नियम विरूद्ध आदेश जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरूद्ध जांच करवा कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(1) जी नहीं।

(2) कोई अनियमितता सामने नहीं आयी है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

नई बी.पी.एल. सूची में वंचित परिवारों का चयन

50. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नई बी.पी.एल. सूची तैयार की गई है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जावेगा?

(2) चयन सूची की प्रक्रिया एवं मानदण्ड क्या थे? क्या मानदण्डों के अनुरुप चयन नहीं हुआ है यदि हां, तो क्यों जो परिवार वंचित हैं उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। बी.पी.एल. सेन्सस-2002 के अनुसार राज्य में बी.पी.एल. परिवारों का चयन कर 15.09.2006 को सूची प्रकाशित कर दी गयी है।

(2) भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बीपीएल सेन्सस-2002 के अन्तर्गत वर्ष 2003 में समस्त ग्रामीण परिवारों का 13 सामाजिक एवं आर्थिक सूचकों के आधार पर अंक आधारित सर्वे 0-52 अंक तक, करवाया गया। जिसमें प्रत्येक सूचक के 0-4 अंक निर्धारित थे। ग्राम सभा से अनुमोदन एवं द्विस्तरीय अपील उपरान्त जिलों से प्राप्त अन्तिम आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एकल कट आफ स्कोर के आधार पर बी.पी.एल. परिवारों के चयन का निर्णय लिया गया। बी.पी.एल. परिवारों के चयन में मापदण्ड के अनुसार ही चयन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्र परिवारों के नाम जोड़ने व अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया, चयन सूची के प्रभावी रहने तक निरन्तर जारी रहेगी। जिस हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान रखा गया है।

स्टेट मोटर गैराज द्वारा नवीन वाहन क्रय पर व्यय राशि

51. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या मोटर गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में 1 दिसमबर, 2003 के पश्चात कितनी गाडियां किस-किस के लिए क्रय की गई? उक्त गाडियों का उपयोग अब किन के द्वारा किया जा रहा

(मोटर गैराज मंत्री)

है? कितनी राशि इस पर व्यय की गई? प्रत्येक गाडी का अलग-अलग एवं अब तक कुल कितनी राशि उक्त अवधि में गाड़ियों के क्रय पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा दिसम्बर, 2003 के पश्चात 119 वाहन मंत्रीमण्डल के माननीय सदस्यगणों, मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त पदाधिकारियों, अधिकारियों, राजकीय अतिथियों, आवासीय आयुक्त व जिला पूलों हेतु खरीदे गये हैं। वाहनों का उपयोग परिशिष्ट 'एक' में स्थित सूची के

अनुसार पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा इन वाहनों के क्रय पर 5,52,82,629/- रुपये की राशि व्यय की गई है। विभाग द्वारा क्रय की गई गाडियों का अलग-अलग एवं अब तक क्रय पर व्यय की गई राशि 5,52,82,629/- रुपये का विवरण परिशिष्ट 'दो' में वर्णित है। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के अतिरिक्त राज्य में अन्य विभागों द्वारा वाहन क्रय करने संबंधी सूचना हेतु इस विभाग द्वारा सभी विभागों से जानकारी चाही गई है, सूचना प्राप्त होते ही विधान सभा को प्रेषित कर दी जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 से सम्बन्धित सूचना)

परिशिष्ट–अ

Abstract of Minutes of Meeting of Senior Officer's of Jodhpur Discom held on 24.12.2006 at Jodhpur.

परिशिष्ट-ब

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जालौर।

जालौर वृत्त में घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के समय का विवरण

क्र. सं.	रिनोवेटेड फीडर का नाम	फीडर कोड नं.	गांवों के नाम जहां बिजली दी जा रही है।	घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली की समयावधि घंटों में
1	2	3	4	5
1. प.व.स. भादरसा उपखण्ड				
	1. 11 के.वी. मालावाडा/पी.एच.ई.डी.		मालवाड़ा	20 घंटे
	2. 11 के.वी. झाग	3530401	झाग	20 घंटे
2. प.व.स. सांचोर				
	3. 11 के.वी. हाड़ेचा	3534101	हाड़ेचा	20 घंटे
	4. 11 के.वी. लाछीवाडा	3534305	लाछीवाड	20 घंटे
	5. 11 के.वी. पलादर	3534401	पलादर	20 घंटे
	6. 11 के.वी. पांचला	3534501	पांचला गांव	20 घंटे
	7. 11 के.वी. सुरावा	3535005	सुरावा गांव	20 घंटे
3. प.व.स. रानीवाड़ा				
	8. 11 के.वी. कागमाला	3532602	कागमाला गांव	20 घंटे
4. प.व.स. जालौर				
	9. 11 के.वी. बांदनवाड़ी	84601	बांदनवाडी, देसू	12 घंटे
	10. 11 के.वी. गोधन	84606	गोधन गांव	24 घंटे

1	2	3	4	5
	11. 11 के.वी. बाखरा	84701	बाखरा सरूपपुरा, हनूमन्तगढ़ देवकी, सापाणी	12 घंटे
	12. 11 के.वी. ओड़वाड़ा	81701	ओडवाडा, देवावास, पारवा	17 घंटे
5. प.व.स. बागरा				
	13. 11. के.वी. चूडा	3522504	चूडा	12 घंटे
	14. 11 के.वी. रेवत	3522401	रेवत	12 घंटे
	15. 11 के.वी. बाखड़ा रोड़	3522304	बाखडा रोड गांव	19 घंटे
	16. 11 के.वी. वीबलसर	3522101	बीबलसर	12 घंटे
6. प.व.स. आहोर				
	17. 11 के.वी. नोरवा	2920304	नोरवा, कुण्डली, मालगढ, माहीवाडत्रा किशनगढ़	12 घंटे
	18. 11 के.वी. भादराजोन	2920307	भादराजोन ढ़ाणी	24 घंटे
	19. 11 के.वी. शंखवाली	2920205	खारा, जोगावा	13 घंटे
	20. 11 के.वी. सामूजा		सामूचा	16 घंटे
7. प.व.स. भीनमाल				
	21. 11 के.वी. नीमावास		नीमावास	18 घंटे
	22. 11 के.वी. रूपसी		रूपसी	18 घंटे
	23. 11 के.वी. जूजाणी		जूजाणी	18 घंटे
8. प.व.स. सायला				
	24. 11 के.वी. वालेरा	3534003	वालेरा	19 घंटे
	25. 11 के.वी. जीवाणा	3523408	जीवाणा	19 घंटे

1	2	3	4	5
	26. 11 के.वी. चोराउ	3523606	आसाना, तूरा	12 घंटे
	27. 11 के.वी. विसाला	3524605	विसाला	16 घंटे
	28. 11 के.वी. थलवाड़	3523603	सायला ग्रामीण	12 घंटे
9. प.व.स. उम्मेदपुर				
	29. 11 के.वी. जोड़ा	3526103	जोडा, बिछूडा	12 घंटे
	30. 11 के.वी. मूरू	3526404	मुरू, पचानवा	12 घंटे
10. प.व.स. उम्मेदावाद				
	31. 11 के.वी. सफाड़ा	3626307	सफाडा, कोलर	12 घंटे
	32. 11 के.वी. केशवना	3626308	केशवना	19 घंटे
	33. 11 के.वी. कुआबर		कुआबर	12 घंटे
	34. 11 के.वी. रेवतड़ा		रेवतड़ा	19 घंटे
	35. 11 के.वी. बाकरा	3626101	बाकरा	19 घंटे
	कुल – 36 फीडर		**कुल 51 गांव**	

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जालौर